रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102024-257723
CG-DL-E-05102024-257723

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 764] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2024/आश्विन 8, 1946
No. 764] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2024/ASHVINA 8, 1946

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2024

फा. सं. बीयूएसएस/यूनानी पीजी रेगु./2023.—भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 55 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर यूनानी चिकित्सा शिक्षा) विनियम, 2016, नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना, अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना विनियम, 2019, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (यूनानी चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2015 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग एतद्वारा द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग और स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा के न्यूनतम आवश्यक मानक) विनियम, 2024 कहा जाएगा;

(2) जब तक अन्यथा आवश्यक न हो, ये नियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अध्याय-I

प्रारंभिक

2. परिभाषाएँ- (1) इस विनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(ए) "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14);

(बी) "अनुबंध" का अर्थ इन विनियमों से संलग्न एक अनुबंध है;

(सी) "परिशिष्ट" का अर्थ इन विनियमों से संलग्न एक परिशिष्ट है;

(डी) "आवेदक" का अर्थ है एक व्यकित अर्थात सोसाइटी, ट्रस्ट ,विश्वविद्यालय या कोई विधिक व्यकित, परंतु इसमें केंद्र सरकार शामिल नहीं है ;

(ई) किसी संस्थान के "मूल्यांकन" का अर्थ है हर साल भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा किसी संस्थान और उससे जुड़े शिक्षण अस्पताल के बुनियादी ढांचे, मानव संसाधनों और कार्यक्षमता के संदर्भ में इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों की उपलब्धता की पुष्टि करना;

(एफ) "संबद्ध शिक्षण अस्पताल" का अर्थ एक यूनानी चिकित्सालय है जो चिकित्सा की यूनानी पद्धति के छात्रों को शिक्षण और प्रशिक्षण के उद्देश्य से एक यूनानी चिकित्सा संस्थान से जुड़ा हुआ हो और मानक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है;

(जी) "डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी" का अर्थ है संबंधित विषय में या इंटर-डिसिप्लिनरी, इंट्रा-डिसिप्लिनरी, या ट्रांस-डिसिप्लिनरी, मल्टी- डिसिप्लिनरीअनुसंधान क्षेत्रों में स्नातकोत्तर के पश्चात कम से कम तीन वर्ष तक किए गए शोध कार्य के लिए दी गई या अवार्ड की गई स्नातकोत्तर डॉक्टरेट की डिग्री;

(एच) "विस्तारित अनुमति" का अर्थ है इन नियमों में निर्धारित “विस्तारित अनुमति स्थिति” के मानदंडों को पूर्ण करने वाले पूर्ण रूप से स्थापित यूनानी चिकित्सा संस्थानों को छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति और प्रत्येक वर्ष ऐसे संस्थानों को प्रवेश के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना छात्रों को प्रवेश देने की परामर्श प्रक्रिया में भाग ले सके। जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए या निर्दिष्ट न किया जाए;

(आई) "पूर्ण रूप से स्थापित संस्थान" का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा दी गई अनुमति के तीसरे नवीकरण के बाद के वर्ष से विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति के साथ संस्थान;

(जे) "आशय पत्र" का अर्थ है एक नवीनीकरण स्टैंडअलोन यूनानी चिकित्सा संस्थान स्थापित करने, या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करने या मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए इन विनियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से आवेदक को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा जारी शर्तों और समयसीमा के साथ प्रारंभिक अनुमोदन;

(के) "अनुमति पत्र" का अर्थ स्टैंडअलोन यूनानी चिकित्सा संस्थान स्थापित करने या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोई नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करने या मौजूदा कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देने के लिए इन विनियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदक को दिया गया अनुमोदन या अनुमति है;

(एल) "एम. ए. आर. बी. आई. एस. एम" का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड;

(एम) "न्यूनतम आवश्यक मानक" का अर्थ बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता, गुणवत्ता और मानकों के स्तर के संदर्भ में अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिन्हें न्यूनतम स्वीकार्य माना जाता है, जो न्यूनतम के नीचे अस्वीकार्य है;

(एन) "एन. सी. आई. एस. एम.-यू. जी. एम. ई. एस. विनियम, 2023" का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक यूनानी महाविद्यालयों और संलग्न शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023;

(ओ) "स्नातकोत्तर शिक्षा" में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन [एम. डी.] और मास्टर ऑफ सर्जरी [एम. एस.]), डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी [पी. एच. डी.]), और सुपर-स्पैशलिटीडिग्री कार्यक्रम (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन [डी. एम.]) शामिल हैं।

(पी) यूनानी में "स्नातकोत्तर डिग्री" का अर्थ है स्नातक कार्यक्रम के बाद प्रदान या अवार्ड की गई तीन वर्ष की अवधि की "माहिरे तिब" (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन-एमडी) और माहिरे जराहत (मास्टर ऑफ सर्जरी-एमएस)" डिग्री;

(क्यू) "प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस" का अर्थ है यूनानी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला व्यक्ति, जैसे किसी उद्योग या अनुसंधान संस्थान का व्यक्ति, एक तकनीकी परामर्शदाता, एक प्रसिद्ध प्रैक्टिशनर, या एक वैज्ञानिक आदि;

(आर) स्नातकोत्तर विभाग की "रेटिंग' का अर्थ है उस स्कोर या माप से है कि कोई संस्थान कितना अच्छा है। यह भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या किसी नामित रेटिंग एजेंसी द्वारा यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों और मापदंडों के आधार पर एक पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभाग की रेटिंग है, और रेटिंग इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अतिरिक्त बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के आधार पर होगी;

(एस) "अनुमति का नवीनीकरण" का अर्थ है भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा, अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत स्थापना के दौर से गुजर रहे एक नए स्नातकोत्तर संस्थान या विभाग या स्पैशलिटी के लिए दी गई या जारी की गई अनुमति नवीनीकरण (अर्थात, पहला और दूसरा नवीनीकरण), यह अनुमति भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देने के लिए अनुमति पत्र जारी होने के बाद आने वाले शैक्षणिक वर्षों के दौरान इन विनियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से दी जाएगी, और अनुमति का ऐसा नवीकरण तब तक अनिवार्य होगा जब तक कि यह अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्थापित संस्थान या विभाग या विशेषता का दर्जा प्राप्त नहीं कर लेता;

(टी) "स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान" "का अर्थ है केवल स्नातकोत्तर कार्यक्रम (ओं) के संचालन के लिए समर्पित एक संलग्न शिक्षण अस्पताल के साथ एक शिक्षण संस्थान;

(यू) "'स्वीकृत प्रवेश क्षमता' का अर्थ छात्रों के स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या से है। यह अनुमोदन बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, संस्थान या विभाग की कार्यक्षमता और शिक्षण अस्पताल पर आधारित है।

(वि) "वार्षिक अनुमति" का अर्थ है पूर्ण रूप से स्थापित स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान या स्नातकोत्तर विभाग जो इन विनियमों में निर्धारित "विस्तारित अनुमति" स्थिति के मानदंडों को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, और ऐसे संस्थान प्रत्येक वर्ष भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देने के लिए परामर्श प्रक्रिया में भाग लेंगे;

(2) ऐसे शब्द अथवा अभिव्यक्तियां जिनका यहां उपयोग किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है परंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनका अभिप्राय वही होगा जो अधिनियम में क्रमशः दिया गया है।

अध्याय II

सामान्य

3. सामान्य बाते- (1) यूनानी में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा गहन ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, मूल्य और नैतिकता के साथ संबंधित विशिष्टताओं में सक्षम विशेषज्ञ तैयार करेगी।

(2) प्रत्येक संस्थान न्यूनतम आवश्यक अवसंरचनात्मक मानकों, योग्य और कुशल मानव संसाधन और इन विनियमों में निर्दिष्ट एक कार्यात्मक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखेगा।

4. शैक्षणिक पदानुक्रम - (1) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का शैक्षणिक पदानुक्रम स्नातकोत्तर सुपर **स्पैशलिटी**डिग्री (डीएम) से स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री (पीएचडी) से स्नातकोत्तर डिग्री (एमडी या एमएस) से स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजी डिप्लोमा) तक घटते क्रम में होगा।

(2) (ए) संस्थान प्रैक्टिस के प्रोफेसर की नियुक्ति कर सकता है, और यह इन नियमों में **सातवीं अनुसूची** उल्लिखित संबंधित विषय में अंशकालिक आधार पर होगा। ऐसे प्रोफेसरों को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विशिष्ट शिक्षक कोड प्रदान नहीं किया जाएगा;

(बी) उसके पास यूनानी कॉलेजों में पढ़ाने के अतिरिक्त संबंधित क्षेत्र में कम से कम दस वर्ष का अनुभव होगा, जैसे किसी उद्योग या अनुसंधान संस्थान का व्यक्ति, तकनीकी परामर्शदाता, प्रसिद्ध चिकित्सक, या वैज्ञानिक के रूप में अनुभव।

(3) (ए) स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग और स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2024 के लागू होने की तिथि से, किसी भी यूनानी मेडिकल कॉलेज या संस्थान द्वारा कोई स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम या कार्यक्रम संचालित नहीं किया जाएगा;

हालांकि, इन विनियमों के लागू होने से पहले स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में पहले से ही प्रवेशित छात्र, यदि कोई हो, "भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (यूनानी चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2015" के प्रावधानों के अनुसार पाठ्यक्रम जारी रखेंगे और पूरा करेंगे;

(बी) यदि संस्थान स्नातकोत्तर डिप्लोमा सीटों को स्नातकोत्तर डिग्री सीटों में परिवर्तित करना चाहता है, तो मौजूदा स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (यूनानी चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 2015 में मान्यता प्राप्त हैं, की सीटो को मूल विभाग की स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम सीटों को 2:1 के अनुपात में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात, प्रत्येक दो स्नातकोत्तर डिप्लोमा सीटों को एक स्नातकोत्तर डिग्री सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। बशर्ते कि विनियम 20 में विनिर्दिष्ट के अनुसार छात्र-स्नातकोत्तर गाइड अनुपात उपलब्ध हों।

(4) (ए) प्रत्येक संस्थान, सभी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या सिस्टम जैसे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, हॉस्पिटल इनफार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर आदि के साथ संगत) अटेंडेंस सिस्टम (आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (एईबीएएस) या आईरिस रिकग्निशन या फेस रिकग्निशन अटेंडेंस सिस्टम), क्लोज-सर्किट टेलीविज़न सिस्टम, और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य सिस्टम स्थापित करेगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के केंद्रीय सर्वर या कमांड और नियंत्रण केंद्र को प्रासंगिक डेटा और इंटरफ़ेस प्रदान करेगा जैसा कि समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

(बी) आयोग द्वारा नामित या सौंपे गए किसी भी एजेंसी के माध्यम से संबंधित नियामक निकाय या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या इसके स्वायत्त बोर्डों को बायोमेट्रिक उपस्थिति डेटा पूरे वर्ष वास्तविक समय में उपलब्ध कराया जाएगा।

(सी) सभी यूनानी चिकित्सा संस्थान शिक्षण कर्मचारियों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, अस्पताल के कर्मचारियों और स्नातकोत्तर छात्रों की उपस्थिति को चिह्नित करने के लिए एक केंद्रीकृत आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम से जुड़ेंगे। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या इसके स्वायत्त बोर्डों के पास केंद्रीकृत आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम से ऑनलाइन उपस्थिति डेटा तक पहुंचने और विश्लेषण करने का अधिकार होगा।

(डी) रोगियों का प्रमाणीकरण आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (एबीएचए) संख्या के माध्यम से किया जाएगा।

(5) (ए) शिक्षकों को संबंधित विभागों में प्रत्येक शिक्षक के लिए एक अलग सेल या कक्ष में पर्याप्त स्थान और गोपनीयता के साथ समायोजित किया जाएगा;

(बी) प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कमरे या कक्ष का न्यूनतम क्षेत्रफल क्रमशः पंद्रह, तेरह और दस वर्ग मीटर होगा;

(सी) एक कॉमन रुम, हॉल या विभाग में एकाधिक शिक्षकों के लिए बैठने की खुली व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(डी) प्रत्येक शिक्षक को एक कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधा प्रदान की जाएगी;

(ई) विभागों और संबंधित अनुभागों या इकाइयों में उचित वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था होगी;

(एफ) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग में शिक्षण स्टाफ, गैर-शिक्षण स्टाफ, एक विभागीय पुस्तकालय, एक विभागीय कंप्यूटर, एक प्रिंटर, इंटरनेट एक्सेस और वीडियो, इमेजेस चार्ट, सूचना आदि प्रदर्शित करने के लिए एक ई-सुविधा होगी।

(6) परिसर के भीतर पर्याप्त फर्नीचर, वाचनालय (रीडिंग रूम), मनोरंजन सुविधा और सुरक्षा सेवाओं के साथ मेस सुविधा के साथ लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग एक छात्रावास (अधिमानतः एकल आवास) होगा।

(7) प्रत्येक संस्थान आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अनुसार स्नातकोत्तर छात्रों को शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी विभागों, अनुभागों और इकाइयों सहित संस्थान के सभी हितधारक एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग में कार्य करें, ताकि स्नातकोत्तर छात्रों को एक उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण में उनके अध्ययन, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक या समावेशी शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया जा सके। संस्थान इन विनियमों में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों से अधिक शिक्षा प्रदान करने के लिए तैयार होगा।

(8) संस्थान से जुड़ा चिकित्सालय पूर्ण रूप से कार्यशील चिकित्सालय होगा जो सातो दिन चौबीस घंटे खुला रहेगा और अपनी जनशक्ति और आधारभूत सुविधाएँ के साथ किसी भी समय किसी भी प्रकार के रोगी का उपचार करने या उसकी देखभाल करने के लिए तत्पर रहेगा। .

(9) चिकित्सालय मेडिकल छात्रों को नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा और परामर्श, निदान (नैदानिक और जांच), उपचार (चिकित्सा, प्रक्रियात्मक और शल्य चिकित्सा) सहित बाह्य रोगी विभागों और आंतरिक रोगी विभागों में जनता को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा। निवारक, प्रचारात्मक और पुनर्वास स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा सलाह, चिकित्सा परामर्श, नर्सिंग देखभाल, आपातकालीन देखभाल, औषधि वितरण, उचित अभिलेख के साथ सार्वजनिक आउटरीच गतिविधियाँ, और चिकित्सालय प्रबंधन सिस्टम को बनाए रखेगा, चिकित्सालय से संबंधित खर्च चिकित्सालय के आधिकारिक बैंक खाते में परिलक्षित करेगा ।

(10) गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन वाले उपकरण, सहायक उपकरण, रसायन, अभिकर्मक, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि का उपयोग किया जाएगा।

(11) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान चाहे कोई भी स्नातकोत्तर कार्यक्रम चला रही हो इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग स्थापित करेगी। केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, एनिमल हाउस एंड एक्सपैरिमेंटेशन लैबोरेट्री और संस्थागत अनुसंधान समिति, मानव विषयों के लिए संस्थागत आचार समिति, संस्थागत पशु आचार समिति, नैदानिक अनुसंधान सेल और साहित्यिक चोरी जांच (प्लागिअरिस्म), सेल इस विभाग के अंतर्गत कार्य करेंगे।

(12) एक ही विभाग के अंतर्गत विभिन्न स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों के प्रकरण में (अर्थात, तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ) और तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) के स्नातकोत्तर कार्यक्रम इन विनियमों में उल्लिखित, स्नातकोत्तर संस्थान के लिए सभी दो कार्यक्रमों का संचालन करना अनिवार्य नहीं होगा, यह संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार एक या दोनों स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकते हैं।

अध्याय III

स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम

5. (1) इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से यूनानी में पंद्रह स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम होंगे और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों या विशिष्टताओं की सूची, स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों का नामकरण, समकक्ष आधुनिक शब्दावली के साथ स्नातकोत्तर विशेषज्ञ का नामकरण और संबंधित विभाग जिनमें स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, उप-विनियमन (4) के नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगे।

(2) डिग्री प्रमाण पत्र में स्नातकोत्तर डिग्री का नामकरण निम्नलिखित पैटर्न में नीचे दी गई तालिका के तीसरे कॉलम के अनुसार होगा।

(ए) यूनानी माहिरे तिब (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) एमडी (मोआलाजात)

(बी) यूनानी माहिरे जराहत (मास्टर ऑफ सर्जरी) एमएस (इल्मुल जराहत)

(3) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर यूनानी चिकित्सा शिक्षा) विनियम 2016" के अंतर्गत स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों की नामकरण और समकक्ष आधुनिक शब्दावली जारी रहेगी क्योंकि वे भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर यूनानी चिकित्सा शिक्षा) विनियम 2016 के अंतर्गत प्रवेशित बैचों के लिए हैं।

(4) तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) में वर्तमान में एक स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और इसे तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत योग्य शिक्षकों के साथ इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से विनियम 32 के अनुसार संचालित किया जाएगा;

तालिका

स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम या विशिष्टताएँ, स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम का नाम, विशेषज्ञों और संबंधित विभागों का नाम

क्र.सं.	**स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम या विशेषताएँ और समकक्ष नाम**	**स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम का नाम [(विनियम 5 का उप-विनियम (2) देखें]**	**विशेषज्ञों का नाम वाले तथा समतुल्य आधुनिक शब्दावली**	**वह विभाग जिसमें स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम संचालित किया जाएगा**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
		यूनानी माहिरे तिब (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)		
1	कुल्लियाते तिब (बेसिक प्रिंसिपल ऑफ़ यूनानी मेडिसिन)	एमडी (कुल्लियाते तिब)	माहिरे कुल्लियाते तिब (यूनानी चिकित्सा मूल सिद्धांत विशेषज्ञ)	कुल्लियात (बेसिक प्रिंसिपल ऑफ़ यूनानी मेडिसिन)
2	मनाफेउल आज़ा (ह्युमन फिज़ियोलॉजी)	एमडी (मनाफेउल आज़ा)	माहिरे मनाफेउल आज़ा (यूनानी फिजियोलॉजिस्ट)	मनाफेउल आज़ा (फ़िज़ियॉलोजी)
3	इल्मुल अदविया (मटेरिया मेडिका, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नॉसी)	एमडी (इल्मुल अदविया)	माहिरे इल्मुल अदविया (यूनानी फार्माकोलॉजिस्ट)	इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी)
4	इल्मुल सैदला (मटेरिया मेडिका, फार्मास्यूटिक्स और क्लिनिकल फार्मेसी)	एमडी (इल्मुल सैदला)	माहिरे इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मास्युटिकल विशेषज्ञ)	इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी)

5	तहफ्फ़ुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ)	एमडी (तहफ्फ़ुज़ी व समाजी तिब)	माहिरे तहफ्फ़ुज़ी व समाजी तिब (यूनानी जीवन शैली प्रबंधन, निवारक चिकित्सा और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ)	तहफ्फ़ुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन)
6	तिब्बुल क़ानून वा इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी)	एमडी (तिब्बुल क़ानून वा इल्मुल समूम)	माहिरे तिब्बुल क़ानून वा इल्मुल समूम (यूनानी फोरेंसिक मेडिसिन विशेषज्ञ और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिस्ट)	तहफ्फ़ुज़ी वा समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन)
7	अमराज़े अतफाल (पिडियाट्रिक्स)	एमडी (अमराज़े अतफाल)	माहिरे अमराज़े अतफाल (यूनानी पिडियाट्रिशियन)	इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स)
8	मोआलाजात (मेडिसिन)	एमडी (मोआलाजात)	माहिरे मोआलाजात (यूनानी सामान्य चिकित्सा विशेषज्ञ)	मोआलाजात (मेडिसिन)
9	माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी एंड लैबोरेट्री डायग्नोस्टिक्स)	एमडी (माहियातुल अमराज़)	माहिरे माहियातुल अमराज़ (यूनानी विकृति)	माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी)
10	इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी)	एमडी (इलाज बित तदाबीर)	माहिरे इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी विशेषज्ञ)	इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी)
11	अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी)	एमडी (अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियत)	माहिरे अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (यूनानी डर्माटोलोजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट)	अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी)
		यूनानी माहिरे जराहत (मास्टर ऑफ सर्जरी)		
12	तशरीहुल बदन (ह्यूमन एनॉटमी)	एमएस (तशरीहुल बदन)	माहिरे तशरीहुल बदन (यूनानी एनाटोमिस्ट)	तशरीहुल बदन (ह्यूमन एनॉटमी)
13	इल्मुल जराहत (सर्जरी)	एमएस (इल्मुल जराहत)	माहिरे इल्मुल जराहत (यूनानी	जराहत (सर्जरी)

			सर्जन)	
14	अमराज़े उज़्न, अनफ़ व हलक (डिज़ीज़ ऑफ़ ईयर, नोज़ एंड थ्रोट)	एमएस (अमराज़े, उज़्न, अनफ़ व हलक)	माहिरे अमराज़े उज़्न, अनफ़ व हलक (यूनानी कान, नाक और गला सर्जन)	ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, , ईयर, नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री)
15	अमराज़े निस्वान वा क़बालत (गाइनेकोलॉजी एंड ऑब्सटेट्रिक्स)।	एमएस (क़बालत वा अमराज़े निस्वान)	माहिरे क़बालत वा अमराज़े निस्वान विशेषज्ञ (यूनानी ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी विशेषज्ञ)	कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी)

अध्याय IV

स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक जहां स्नातक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम अस्तित्व में है

6. **सामान्य -** (1) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के साथ-साथ स्नातक डिग्री कार्यक्रम चलाने के लिए संबंधित विषय में एक स्वतंत्र स्नातकोत्तर विभाग होगा।

(2) स्नातक कार्यक्रम और स्नातकोत्तर कार्यक्रम दोनों का संचालन करने वाला कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में यथा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता उपकरण और सहायक उपकरणों के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करेगा। यह इन विनियमों में उल्लिखित छात्र ग्रहण क्षमता और न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार होगा, जिसमें स्नातकोत्तर संस्थान और संबंधित स्नातकोत्तर विभाग के लिए निर्दिष्ट अतिरिक्त आवश्यकताएं शामिल हैं जहां स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(3) अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा स्नातक संस्थान के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई के मामले में, इसी तरह की कार्रवाई संबंधित स्नातकोत्तर विभाग या कार्यक्रम पर लागू होगी।

(4) यदि कोई स्नातकोत्तर विभाग इन विनियमों में निर्दिष्ट अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफल रहता है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड संबंधित स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर देगा या अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) का खंड (एफ) के अनुसार उपाय करेगा।

7. **स्नातकोत्तर शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए विभाग-वार अतिरिक्त आवश्यकताएँ: -** भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 के अंतर्गत उल्लिखित आवश्यकता के अतिरिक्त, नीचे दी गई आधारभूत

सुविधाओं को प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग में भी बनाए रखा जाएगा जहां एक स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है:

(i) कुल्लियात के स्नातकोत्तर विभाग (बेसिक प्रिंसिपल ऑफ़ यूनानी मेडिसिन) के पास अरबी, फारसी, उर्दू या अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के लिए स्नातक के लिए पहले से मौजूद भाषा प्रयोगशाला में स्नातकोत्तर स्तर पर उन्नत सुविधाएं होंगी। मौजूदा स्नातक भाषा प्रयोगशाला को स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रतिवर्ष 1:1 के अनुपात में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अतिरिक्त कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराए जाएंगे। इस स्नातकोत्तर विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर होगा।

(ii) तशरीहुल बदन (ह्यूमन एनॉटमी) के स्नातकोत्तर विभाग को त्रिआयामी वर्चुअल विच्छेदन टेबल और ई-विच्छेदन सॉफ्टवेयर प्रदान किया जाएगा। यह विभाग जराहत (सर्जरी) और कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कैडवेरिक सर्जरी के माध्यम से सर्जिकल तकनीकों के अभ्यास की सुविधा भी प्रदान करेंगे। इस स्नातकोत्तर विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर होगा।

(iii) मनाफेउल आज़ा (फ़िज़ियॉलोजी) के स्नातकोत्तर विभाग में डिजिटल स्पाइरोमेट्री, पर्सनालिटी अस्सेस्मेंट स्केल, ट्राइकोस्कोप, डिजिटल स्किनफोल्ड कैलिपर, ऊंचाई, वजन के लिए ऑटो मापने के उपकरण और बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेटर और नब्ज़ रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट (यूनानी संबंधित यदि कोई) और प्रासंगिक सॉफ्टवेयर होंगे और जैव पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर उन्नत सुविधाओं वाला बायोकेमिस्ट्री के लिए आवश्यक सामान होगा। इस स्नातकोत्तर विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर होगा।

(iv) इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी) के स्नातकोत्तर विभाग में **पहली अनुसूची** के अनुसार फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला और उपयुक्त उपकरण और सहायक उपकरण होंगे और फाइटो कैमिस्ट्री प्रयोगशालाऔर ग्रीन हाउस के लिए न्यूनतम अपेक्षित क्षेत्र 50 वर्गमीटर होगा ।

(v) इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी) के स्नातकोत्तर विभाग में पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप, प्रोग्रामेबल मफल फर्नेस, उन्नत और उन्नत सुविधाएं होंगी, इसके अलावा स्नातक के लिए पहले से मौजूद गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए **पांचवीं अनुसूची** के अनुसार उन्नत सुविधाएं होंगी। इस स्नातकोत्तर विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर होगा।

(vi) माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) स्नातकोत्तर विभाग में **दूसरी अनुसूची** के अनुसार मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी और उन्नत निदान सुविधाएं होंगी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी के लिए न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र 60 वर्गमीटर होगा। इस स्नातकोत्तर विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी के लिए, यह पचास वर्ग मीटर होगा।

(vii) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ) में स्नातकोत्तर कार्यक्रम या विशेषता: (ए) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब में स्नातकोत्तर कार्यक्रम या विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए न्यूनतम पचास विषय या व्यक्ति प्रति दिन के साथ एक विशेष बाह्य रोगी विभाग (एक लधु योग और रियाजत कक्ष के साथ) होगा। क्षेत्र के दौरे के लिए विशेष विभागीय वाहन, स्नातक के लिए पहले से मौजूद पोषण प्रयोगशाला में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए उन्नत सुविधाएं, चिकित्सालय में सामान्य व्यक्तियों के लिए कायाकल्प प्रक्रियाओं और रियाज़त को प्रशासित करने की सुविधाएं इस विभाग के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी; इस स्नातकोत्तर विभाग के लिए आवश्यक स्थान न्यूनतम पचास वर्ग मीटर होगा, और तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ) बाह्य रोगी विभाग के लिए न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा।

(बी) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम में स्नातकोत्तर कार्यक्रम या विशेषज्ञता के लिए तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला में जहर का पता लगाने की उन्नत सुविधा होगी। मोआलाजात (मेडिसिन) अंत:रंग रोगी विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए इल्मुल समूम (क्लीनिकल टॉक्सिकोलॉजी) नाम से एक विशेष बाह्य रोगी विभाग, जिसमें प्रति दिन न्यूनतम तीस मरीज और 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात (अर्थात, एक छात्र के लिए चार बिस्तर) और अतिरिक्त अंत:रंग रोगी विभाग के बेड उपलब्ध

करायें जाऐंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मोआलाजात (मेडिसिन) अंतरंग रोगी विभाग में औसत भरे हुए बिस्तर साठ प्रतिशत से कम नहीं होंगे। इस स्नातकोत्तर विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर होगा। तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) बाह्य रोगी विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पच्चीस वर्ग मीटर होगा।

(viii) मोआलाजात स्नातकोत्तर विभाग (मेडिसिन) में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य-रोगी विभाग होगा, जिसमें प्रति दिन न्यूनतम 60 मरीज होंगे और 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात में (अर्थात) एक छात्र के लिए चार बिस्तर) अतिरिक्त अंतरंग रोगी विभाग के बिस्तर होंगे । वार्ड में बैठने की व्यवस्था होगी और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मोआलाजात अंतरंग रोगी विभाग में औसत भरे हुए बिस्तर साठ प्रतिशत से कम नहीं होंगे। स्नातकोत्तर शिक्षण विभाग के लिए आवश्यक स्थान न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा और मोआलाजत (मेडिसिन) बाह्य रोगी विभाग के लिए यह न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा।

(ix) इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी विभाग (एक अटैच्ड माइनर थेरेपी और प्रोसीजर रूम) होगा, 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात में (अर्थात एक छात्र के लिए चार बिस्तर) अंतरंग रोगी विभाग के अतिरिक्त बिस्तर होंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था होगी और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) अंतरंग रोगी विभाग में औसत भरे हुए बिस्तर साठ प्रतिशत से कम नहीं होंगे। चिकित्सालय में पूर्ण रूप से स्थापित फिजियोथेरेपी सुविधा इस विभाग में भी होगी। स्नातकोत्तर शिक्षण विभाग के लिए आवश्यक स्थान न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा, और एक माइनर चिकित्सा या प्रोसीजर कक्ष से जुड़े इलाज बित तदाबीर (रेजिमेंनल थेरेपी) के बाह्य रोगी विभाग के लिए जगह की न्यूनतम आवश्यकता पचास वर्ग मीटर होगी।

(x) ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान स्नातकोत्तर विभाग (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री) में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य-रोगी विभाग जिसका नाम अमराज़े ऐनउज़्न, अनफ़, व हलक (ईयर नोज़ , एंड थ्रोट मेडिसिन) एक अटैच्ड माइनर थेरेपी और प्रोसीजर रूम के साथ होगा, जिसमें उन्नत नैदानिक सुविधाएं और 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात में (अर्थात एक छात्र के लिए चार बिस्तर) अंत:रोगी विभाग के अतिरिक्त बिस्तर होंगे । वार्ड में बैठने की व्यवस्था होगी और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री) अंतरंग रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा। स्नातकोत्तर शिक्षण विभाग के लिए आवश्यक स्थान न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा और बाह्य रोगी विभाग (अमराज़े ऐनउज़्न, अनफ़, व हलक (ईयर नोज़ , एंड थ्रोट मेडिसिन) (एक अटैच्ड माइनर थेरेपी और प्रोसीजर रूम) के लिए न्यूनतम पचास वर्ग मीटर होगा। यह बाह्य रोगी विभाग उज़्न, अनफ़, हलक से संबंधित रोगियों का उपचार करेगा, लेकिन ऐन और अस्नान से संबंधित प्रकरणों को नहीं संभालेगा।

(xi) जराहत (सर्जरी) स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी विभाग (एक अटैच्ड माइनर थेरेपी और प्रोसीजर रूम के साथ) होगा, जिसमें प्रति दिन न्यूनतम साठ रोगियों के साथ उन्नत नैदानिक सुविधाएं होंगी और 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात में (अर्थात एक छात्र के लिए चार बिस्तर) अतिरिक्त अंत:रोगी विभाग के बिस्तर होंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था होगी और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। जराहत (सर्जरी) अंत:रोगी विभाग में औसत भरे हुए बिस्तर साठ प्रतिशत से कम नहीं होंगे। स्नातकोत्तर शिक्षण विभाग के लिए आवश्यक स्थान न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा, और बाह्य रोगी विभाग (एक अटैच्ड माइनर थेरेपी और प्रोसीजर रूम) के लिए, यह न्यूनतम पचास वर्ग मीटर होगा।

(xii) कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी विभाग कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) से संबंधित प्रक्रियात्मक उपचार और नैदानिक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए एक एग्जामिनेशन कम प्रोसीजर रूम के साथ अटैच्ड)) होगा, जिसमें प्रतिदिन न्यूनतम साठ रोगी होंगे, कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) के लिए एक विशेष ऑपरेशन थियेटर होगा। कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) से संबंधित प्रक्रियात्मक उपचार और नैदानिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रोसीजर रूम होगा; 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात (अर्थात एक छात्र के लिए चार बिस्तर) में अतिरिक्त अंतरंग रोगी विभाग के बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था होगी और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) अंतरंग रोगी विभाग में औसत भरे हुए बिस्तर साठ प्रतिशत से कम नहीं होंगे। प्रसूति कक्ष में प्रति माह न्यूनतम दस प्रसव कराए जाएंगे। स्नातकोत्तर शिक्षण विभाग के लिए आवश्यक क्षेत्र न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा, और बाह्य रोगी विभाग (अटैच्ड विथ एग्जामिनेशन कम प्रोसीजर रूम) न्यूनतम पचास वर्ग मीटर होगा।

(xiii) (ए.) इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स) स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बहिरंग रोगी विभाग होगा, जिसमें प्रति दिन न्यूनतम साठ रोगी होंगे, 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात में अर्थात (एक छात्र के लिए चार बिस्तर) अतिरिक्त अंत:रोगी विभाग के बिस्तर होंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था होगी और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स) अंत:रोगी विभाग में सामान्य भरे हुए बिस्तर साठ प्रतिशत से कम नहीं होंगे। इस विभाग में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। स्नातकोत्तर शिक्षण विभाग के लिए आवश्यक स्थान न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा, और अमराज़े अतफाल (पिडियाट्रिक्स) बाह्य रोगी विभाग के लिए, यह न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर भी होगा।

(बी) बाह्य रोगी विभाग को एक बाल चिकित्सा कान-नाक-गले की किट, कैलिपर फॉर मेजरिंग स्किनफोल्ड थिकनेस, टेप फॉर मेजरिंग मिड आर्म एंड हेड सरकमफेरेंसेस, मैग्नीफाइंग लेंस फॉर स्किन एग्जामिनेशन, एक रेक्टल थर्मामीटर, और विभिन्न रंगों, आकारों, रोशनी और ध्वनियों के खिलौने प्रदान किए जाएंगे।

(सी) इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स)बाह्य रोगी विभाग के समीप स्तनपान के लिए एक सीमांकित क्षेत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(डी) अस्पताल में नवजात देखभाल कक्ष इल्मुल अतफ़ाल विभाग के तहत कार्य करेगा। यदि संस्थान अमराज़े निस्वान वा क़बालत (गाइनेकोलॉजी एंड ऑब्सटेट्रिक्स) में स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, तो लेबर रूम से जुड़ा नवजात देखभाल कक्ष जो पहले से मौजूद है या अस्पताल में काम कर रहा है (उप-खंड (ii) के अनुसार उप-विनियमन (सी) एनसीआईएसएम-यूजी एमईएस विनियम, 2023 में निर्दिष्ट विनियमन 14 के उप-विनियमन (6) के)) को नवजात गहन देखभाल इकाई के रूप में अपग्रेड किया जाएगा जैसे (i) (रेडिएंट वार्मर विथ ओपन केयर एक्सेस, मल्टी-चैनल मॉनिटर, टाइम सेंसर, हीट सेंसर, आक्सीजन, और सक्शन सुविधा, और एडजस्टेबल बेबी टिल्ट; (ii) फोटोथेरेपी यूनिट विद टू सरफेस, तीन से चार सरफेस तक विस्तार योग्य (iii) इन्फ्यूजन पंप (दो); (iv) इंट्रा-वेनस कैनुलेशन, ब्लड सैंपलिंग (v) सतत पॉजिटिव एयरवे प्रेशर (vi) वार्म चैन बॉक्स फॉर बेबी ट्रांसपोर्ट। आदि।

(ई) इस स्नातकोत्तर विभाग के साथ संस्थान नर्सरी से दसवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा वाले कम से कम दो स्कूलों को अपनाएगी। विभाग समय-समय पर स्वास्थ्य, विकास और मनोवैज्ञानिक विकास का आकलन करने के लिए एक 'बाल विकास क्लिनिक' चलाएगा। बच्चे के उचित स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ प्रति वर्ष कम से कम दो ऐसे आकलन किए जाएंगे। बाल विकास क्लिनिक के लिए न्यूनतम स्थान की आवश्यकता पच्चीस वर्ग मीटर होगी।

(xiv) अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक बहिरंग रोगी विभाग होगा जिसमें प्रति दिन न्यूनतम साठ रोगी देखे जाऐंगे और 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात में (अर्थात एक छात्र के लिए चार बिस्तर) अतिरिक्त अंतरंग रोगी विभाग बिस्तर होंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था होगी और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अमराज़े जिल्द वा तज़ीनियात (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी) अंतरंग रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा। "स्नातकोत्तर शिक्षण विभाग के लिए आवश्यक स्थान न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा, और बाह्य रोगी विभाग न्यूनतम पच्चीस वर्ग मीटर होगा।

(xv) (ए) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का विचार किए बिना, शोध प्रबंध या अनुसंधान गतिविधियों को सपोर्ट करने, समन्वय, आकलन और मार्गदर्शन करने के लिए इंटीग्रेटिव और ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग की स्थापना करेगा।

(बी) "यह विभाग गाइड आवंटन प्रक्रिया, आपात स्थिति के प्रकरण में वैकल्पिक गाइड की व्यवस्था, अनुसंधान गतिविधियों की निगरानी करेगा और इसी प्रकार की गतिविधियों का समन्वय करेगा;

(सी) केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, एनिमल हाउस एंड एक्सपैरिमेंटेशन लैबोरेट्री, नैदानिक अनुसंधान प्रकोष्ठ और साहित्यिक चोरी जांच कक्ष, जैसा लागू हो, इस विभाग के अधीन कार्य करेंगे;

(डी) संस्थागत अनुसंधान समिति, मानव विषयों के लिए संस्थागत आचार समिति, संस्थागत पशु आचार समिति और इसी प्रकार की अन्य अनुसंधान समितियां इस विभाग के अधीन कार्य करेंगी;

(ई) "विभाग को पर्याप्त शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टॉफ उपलब्ध कराया जाएगा, और इन नियमों में निर्दिष्ट अनुसार बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(एफ) इस विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचहत्तर वर्ग मीटर होगा।

(xvi) (ए) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान में स्नातकोत्तर छात्रों द्वारा विभिन्न अनुसंधान प्रयोगों को करने के लिए **तीसरी अनुसूची** के अनुसार उन्नत अनुसंधान सुविधाओं के साथ एक केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला होगी;

(बी) केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र एक सौ पचास वर्ग मीटर होगा और केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए मानव संसाधन इन विनियमों में निर्दिष्ट के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे;

(सी) "किसी भी विभाग से एक संकाय सदस्य जो प्रयोगशाला और विश्लेषणात्मक उपकरणों से भली भांति परिचित है, केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का प्रभारी होगा। यह प्रयोगशाला डिपार्टमेंट ऑफ़ इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च के अंतर्गत कार्य करेगी, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ़ इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च के प्रोफेसर सह प्रमुख केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे।

(xvii) (ए) उन्नत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला जैसा कि (v) में उल्लिखित है, इल्मुल अदविया और इल्मुल सैदला में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए एक सामान्य सुविधा के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

(बी) इस प्रयोगशाला स्नातकोत्तर शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए इन विनियमों की **पांचवीं अनुसूची** में उल्लिखित उपकरणों और उपकरणों के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 की अनुसूची XI के 'बी' के तहत निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, उपकरणों, उपकरणों आदि को पूरा करेगी;

(सी) यह डिपार्टमेंट ऑफ़ इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च के अंतर्गत कार्य करेगा और डिपार्टमेंट ऑफ़ इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च के प्रोफेसर सह प्रमुख गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के प्रमुख होंगे। इल्मुल अदविया या इल्मुल सैदला विभाग के संकाय सदस्य गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के प्रभारी होंगे।

(xviii) (ए) अनुमोदित एनिमल हाउस एंड एक्सपैरिमेंटेशन लैबोरेट्री को इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी), इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी), तहफ्फुजी वा समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभागों और कुल्लियात (बेसिक प्रिंसिपल ऑफ़ यूनानी मेडिसिन) के लिए स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए कॉमन फैसिलिटी बनाया जाएगा और एनिमल हाउस एंड एक्सपैरिमेंटेशन लैबोरेट्री के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र दो सौ पचास वर्ग मीटर होगा;

(बी) इसके पास संबंधित अधिकारियों से उचित अनुमति या अनुमोदन होगा, और चौथी अनुसूची के अनुसार, प्रभावी कामकाज के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे, सुविधाएं, मानव संसाधन प्रदान किए जाएंगे;

(सी) इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी), इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी), तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन), और कुल्लियात (बेसिक प्रिंसिपल ऑफ़ यूनानी मेडिसिन) विभाग के संकाय सदस्य एनिमल हाउस एंड एक्सपैरिमेंटेशन लैबोरेट्री के प्रभारी होंगे। ये सुविधाएं डिपार्टमेंट ऑफ़ इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च के अंतर्गत कार्य करेंगी, और इस विभाग के प्रोफेसर-सह-प्रमुख एनिमल हाउस एंड एक्सपैरिमेंटेशन लैबोरेट्री के प्रमुख होंगे।

(xix) नैदानिक अनुसंधान कार्यकलापों के समन्वय के लिए अस्पताल में एक नैदानिक अनुसंधान प्रकोष्ठ होगा। नैदानिक अनुसंधान प्रकोष्ठ के लिए स्थान की न्यूनतम आवश्यकता पचास वर्ग मीटर होगी और मानव संसाधन इन विनियमों में उल्लिखित अनुसार होगा। नैदानिक अनुसंधान में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा या सार्वजनिक स्वास्थ्य में मास्टर डिग्री के साथ यूनानी स्नातक (बी.यू.एम.एस.) नैदानिक अनुसंधान सेल के समन्वयक होंगे। सेल डिपार्टमेंट ऑफ़ इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च के अंतर्गत कार्य करेगा और डिपार्टमेंट ऑफ़ इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च के प्रोफेसर सह प्रमुख नैदानिक अनुसंधान सेल के प्रमुख होंगे;

(xx) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान में एक साहित्यिक चोरी जांच सेल होगा, जो एक कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट और साहित्यिक चोरी की जांच के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर से लैस होगा। साहित्यिक चोरी की जाँच में प्रशिक्षित एक शिक्षण संकाय सदस्य, जिसे संस्थान के प्रमुख द्वारा नामित किया जाता है, इस प्रकोष्ठ के समन्वयक के रूप में कार्य करेगा। "यह डिपार्टमेंट ऑफ़ इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च के अंतर्गत कार्य करेगा, जिसमें प्रोफेसर सह विभाग प्रमुख साहित्यिक चोरी जांच सेल के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे।

(xxi) (ए) " माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) विभाग में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के मामले में, स्नातकोत्तर छात्र अपने प्रशिक्षण, शोध प्रबंध या शोध कार्य के लिए अस्पताल के बाह्य रोगी विभागों, अंतः रोगी विभागों और नैदानिक क्षेत्र का उपयोग या सहयोग कर सकते हैं।

(बी) माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) विभाग के प्रमुख, या संस्थान के प्रमुख द्वारा नामित विभाग के एक संकाय सदस्य को यूनानी सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षण और प्रशिक्षण की सीमा तक नैदानिक जांच या परीक्षणों पर हस्ताक्षर करने और प्रमाणित करने के लिए अधिकृत होंगे।

(xxii) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के स्नातकोत्तर छात्र अपने प्रशिक्षण, सर्वेक्षण और निबंध या शोध कार्य अस्पताल के बाह्य रोगी विभागों, आंतरिक रोगी विभागों, योग और रियाज़त अनुभाग का उपयोग या सहयोग कर सकते हैं।

8. **संस्थान के अन्य अनुभागों या इकाइयों में न्यूनतम आवश्यक मानकों की अतिरिक्त आवश्यकता.-** (1) स्नातकोत्तर क्लॉसरूम- संबंधित स्नातकोत्तर विभाग के निकट प्रत्येक स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए न्यूनतम दो क्लॉसरूम (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम स्मार्ट कलॉसरूम) होंगी बैठने की पर्याप्त व्यवस्था के साथ निर्मित क्षेत्र चालीस वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(2) स्नातकोत्तर सेमिनार हॉल.- (ए) प्रत्येक स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम या विशेषता के लिए एक सेमिनार हॉल होगा जिसमें बीस प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ प्रति छात्र अठारह वर्ग फुट का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र होगा। कुल स्नातकोत्तर छात्रों के अलावा (यानी, उस विशेष स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता या कार्यक्रम के तीन साल के सभी छात्र);

(बी) संस्थान की सभी स्नातकोत्तर विशिष्टताओं या कार्यक्रमों के सभी तीन बैचों के स्नातकोत्तर छात्रों की संख्या के लिए बीस प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता वाला (प्रति छात्र $6^{1/2}$ साढ़े छह वर्गमीटर न्यूनतम एक कॉमन सेमिनार हॉल होगा ।

(सी) स्नातकोत्तर सेमिनार हॉल में बैठने की उपयुक्त व्यवस्था और उपयुक्त ऑडियो-विज़ुअल (सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी सक्षम) सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा।

(3) केंद्रीय पुस्तकालय.- (ए) केंद्रीय पुस्तकालय में स्नातकोत्तर छात्र प्रवेश क्षमता (1:2 वार्षिक प्रवेश क्षमता के प्रत्येक दो स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक सीट) के अनुसार बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था प्रदान की जाएगी।

(बी) स्नातक कार्यक्रम के लिए पुस्तकों की कुल संख्या के अतिरिक्त, प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग या कार्यक्रम या विशेषता के लिए न्यूनतम दो सौ अतिरिक्त पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। ये अतिरिक्त पुस्तकें स्नातकोत्तर विभाग या कार्यक्रम या विशेषता के लिए ही विशेष रुप से होगी और अलग अलमारियों में रखी जाएंगी; कम से कम दस प्रतिशत पुस्तकों की वार्षिक वृद्धि होगी।

(सी) स्नातक कार्यक्रम के लिए निर्दिष्ट पत्रिकाओं के अतिरिक्त, स्नातकोत्तर कार्यक्रम या विशेषता के लिए विशेष रुप से न्यूनतम चार इनडैक्स पत्रिकाएं प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग के लिए केंद्रीय पुस्तकालय में उपलब्ध कराई जाएंगी।

(4) विभागीय पुस्तकालय- (ए) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग के लिए न्यूनतम एक सौ पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी;

(बी) एकाधिक स्नातकोत्तर कार्यक्रमों वाला स्नातकोत्तर विभाग प्रत्येक स्नातकोत्तर कार्यक्रम या विशेषता के लिए न्यूनतम एक सौ पुस्तकें रखेगा।

(5) डिजिटल लाइब्रेरी.- (ए) स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 1:5 के अनुपात में अतिरिक्त कंप्यूटर सिस्टम अर्थात पांच छात्रों के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम, सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की कुल वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के संबंध में प्रदान किए जाएंगे।

(बी) सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जैसे ग्रामरली, साहित्यिक चोरी जाँच (प्लैजरिज़म), सांख्यिकीय कार्यक्रम, साइटेशन या बिबलियोग्राफी या जनरेटर आदि डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध कराए जाएंगे।

(6) (ए) सभी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक कॉमन रूम, सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की कुल वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता (पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग-अलग) के कम से कम बीस प्रतिशत की आवास क्षमता के साथ, पर्याप्त स्थान, फर्नीचर और संलग्न शौचालय सुविधाओं के साथ प्रदान किया जाएगा।

(बी) महिला स्नातकोत्तर छात्रों के लिए शौचालयों में सेनेटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इनसिनरेटर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(7) क्लिनिकल स्किल या सिमुलेशन लैब - विभाग मोआलजात (मेडिसिन), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), अमराज़े ज़िल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी), इल्मुल अतफाल (पिडियाट्रिक्स), जराहत (सर्जरी) ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़, थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री), क़बालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) माहियातुल अमराज (पैथोलॉजी) जिसमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किया जाता है, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में निर्दिष्ट अनुसूची XIV के अनुसार विभाग-वार सिमुलेटर या मैनिकिन के अतिरिक्त, "तहफुजी वा सामाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) स्नातकोत्तर विशेषज्ञता या तिब्बुल कानून वा इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) के कार्यक्रम के लिए इन नियमों की **छठी अनुसूची** के अनुसार विभाग-विशिष्ट मैनिकिन, सिमुलेटर और उपकरणों को बनाए रखेगा।

9. बिस्तरों की संख्या, रोगी की उपस्थिति और बिस्तर अधिभोग की आवश्यकता-

(1) (ए) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में उल्लिखित प्रत्येक अंतरंग रोगी विभाग के लिए निर्दिष्ट बिस्तरों की संख्या के अतिरिक्त छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार स्नातक प्रशिक्षण के लिए, संबंधित स्नातकोत्तर विभाग अर्थात् मोआलजात (चिकित्सा), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी), इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स), जराहत (सर्जरी) ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री) और कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी, 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात में अतिरिक्त बिस्तर रखेंगे;

(बी) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) की विशेषज्ञता इल्मुल समूम के रोगियों को भर्ती करने के लिए मोआलाजात अंतरंग रोगी विभाग में अतिरिक्त बिस्तर बनाए रखेगी- बिस्तर का अनुपात 1:4 होगा।

(2) (ए) संबंधित विभाग के अंतरंग रोगी विभाग में अर्थात् मोआलाजात (चिकित्सा), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी), इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स), जराहत (सर्जरी), ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री), और कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) जिसमें पिछले एक कैलेंडर वर्ष के दौरान (लीप वर्ष के मामले में 365 दिन और 366 दिन) के दौरान स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किया गया हो में भरे हुए बेडों की संख्या साठ प्रतिशत से कम नहीं होगी। ऐसे अंतरंग रोगी विभागों में, जिनमें पिछले एक कैलेंडर वर्ष 365 लीप वर्ष के मामले 366 दिन के दौरान स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया है चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगा;

(बी) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) की विशेषज्ञता के मोआलाजात के अंतरंग रोगी विभाग में इल्मुल समूम (क्लीनिकल टॉक्सिकोलॅजी) के रोगियों के लिए पिछले एक कैलेंडर वर्ष (365 दिन और लीप वर्ष के प्रकरण में 366 दिन) न्यूनतम वार्षिक औसत बिस्तर साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में के अनुसरण में छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार औसत बाह्य रोगीयों का उपचार करेगा। हालाँकि (ए) मोआलाजत (मेडिसिन), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी), इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स), जराहत सर्जरी ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री) और कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) में स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभाग में न्यूनतम बाह्य रोगी अटैंडेस, पिछले एक कैलेंडर वर्ष (300 दिन) के दौरान प्रति दिन साठ से कम मरीज नहीं रहे हों।

(बी) पिछले एक कैलेंडर वर्ष (300 दिन) के दौरान तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) के स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभाग में न्यूनतम बाह्य रोगी उपस्थिति) प्रति दिन तीस से कम रोगी नहीं रहे होंगे;

(सी) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विशेषज्ञता विभाग के तहत तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ) में स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभाग में न्यूनतम दैनिक औसत बाह्य रोगी उपस्थिति पिछले एक कैलेंडर वर्ष (300 दिन) में प्रतिदिन पचास से कम व्यक्ति नहीं रहे होंगे।

10. **मानव संसाधन की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता.-**

(1) शिक्षण स्टाफ- (ए) (i) इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग को छोड़कर, प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग, कार्यक्रम या विशेषता के लिए न्यूनतम एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर, और एक सहायक प्रोफेसर या व्याख्याता होगा और स्नातकोत्तर विभाग में शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता खंड (जी) के नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगी।

(ii) प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष संबंधित विषय के स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों विभागों के लिए सामान्य हो सकता है, बशर्ते प्रोफेसर के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री हो। यदि स्नातक विभाग के प्रोफेसर के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री नहीं है, तो इन नियमों में प्रदान की गई स्नातकोत्तर योग्यता और अनुभव के साथ एक अलग प्रोफेसर स्नातकोत्तर विशेषता या कार्यक्रम के लिए आवश्यक होगा।

(iii) एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर, और असिस्टेंट प्रोफेसर या व्याख्याता, संबंधित स्नातक विभाग के लिए प्रदान किए गए शिक्षण स्टाफ के अतिरिक्त स्नातकोत्तर विभाग के लिए अनन्य होंगे, जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में निर्दिष्ट किया गया है।

(iv) एक विभाग में एक से अधिक प्रोफेसर की उपलब्धता की स्थिति में, विभाग के प्रमुख का पद प्रत्येक प्रोफेसर को रोटेशन के आधार पर तीन साल की अवधि के लिए दिया जाएगा;

(V) संबंधित विषय के स्नातक विभाग और स्नातकोत्तर विभाग के बीच संकायों का दोहराव किसी भी प्रकरण में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(बी) एक ही विभाग के तहत कई स्नातकोत्तर कार्यक्रम: तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ) और तहफ्फुज़ी वा इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) के प्रत्येक स्नातकोत्तर डिग्री प्रोग्राम में तहफ्फुज़ी वा समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) के एक ही विभाग के तहत एक एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर होगा, एनसीआईएसएम-यूजी एमईएस विनियम, 2023 में तहफ्फुज़ी वा समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) के संबंधित स्नातक विभाग के लिए निर्दिष्ट शिक्षण स्टाफ के अलावा एक सहायक प्रोफेसर या व्याख्याता:

हालांकि, विभाग के प्रोफेसर सह प्रमुख तहफ्फुज़ी व समाजी तिब के स्नातकोत्तर विभाग के तहत स्नातक और उपर्युक्त स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों दोनों के लिए कॉमन हो सकते हैं, बशर्ते प्रोफेसर के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री हो। यदि स्नातक विभाग के प्रोफेसर के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री नहीं है, तो स्नातकोत्तर विभाग के लिए इन नियमों में प्रदान की गई स्नातकोत्तर योग्यता और अनुभव के साथ एक अलग प्रोफेसर की आवश्यकता होगी। वह विभाग के अंतर्गत किसी भी एक विशेषता में छात्र-गाइड अनुपात के अनुसार प्रत्येक वर्ष केवल तीन स्नातकोत्तर छात्रों के लिए पात्र होगा। एक ही विभाग में अन्य स्नातकोत्तर कार्यक्रमों या विशिष्टताओं के लिए, संस्थान में इन नियमों में उल्लिखित छात्र-गाइड अनुपात के अनुसार छात्रों को स्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त प्रोफेसर हो सकता है।

(सी) एक ही विभाग में ऐसे एकाधिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम में जैसा कि (बी) में उल्लिखित है, एक ही विभाग के तहत स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के बीच शिक्षण कर्मचारियों के इंटरचेंज की अनुमति नहीं दी जाएगी और स्नातक विभाग और स्नातकोत्तर विभाग के एक ही विषय के फैकल्टीज का डुप्लीकेशन स्वीकार्य नहीं होगा।

(डी) शिक्षण स्टाफ की योग्यता और अनुभव इन विनियमों में विनियम 32 के अनुसार होगा;

(ई) (i) इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में पूर्णकालिक, नियमित आधार पर एक प्रोफेसर होगा जैसा कि नीचे दी गई तालिका खंड (जी) में दिखाया गया है और जिसकी योग्यता और अनुभव इन विनियमों में निर्दिष्ट विनियम 32 के उप-विनियम (2) का के खंड (जी) के उपखंड (i) के अनुसार होगा)।

(ii) विभाग में बायोकैमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिनल बॉटनी या वनस्पति विज्ञान (बॉटनी) और सार्वजनिक स्वास्थ्य विषयों में पूर्णकालिक, नियमित आधार पर अतिरिक्त शिक्षण स्टाफ होगा जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है और जिनकी योग्यता और अनुभव और पदोन्नति इन विनियमों में निर्दिष्ट विनियम 32 के उप-विनियम (2) के खंड (जी) के उप-खंड (ii) के अनुसार होगी;

(iii) एक बायोस्टैटिस्टिशियन को इंटीग्रेटिव या ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा जैसा कि खंड (जी) के तहत नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है और योग्यता इन विनियमों में निर्दिष्ट विनियम 32 का विनियम (2) उप-खंड (जी) के उप-खंड (iii) के अनुसार होगी।

(एफ) किसी विभाग में एक से अधिक प्रोफेसर कि उपलब्धता की स्थिति में, विभाग के प्रमुख का पद बारी-बारी से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक प्रोफेसर को दिया जाएगा।

(जी) अंशकालिक शिक्षक प्रति माह कम से कम तीस घंटे की एक बैठक में भाग लेंगे और प्रति विजिट कम से कम चार घंटे, अधिमानतः निश्चित दिनों पर।

तालिका

स्नातक कॉलेज में स्नातकोत्तर विभागों के लिए शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं

[भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार स्नातक विभाग के लिए निर्दिष्ट शिक्षण कर्मचारियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा]

क्र.सं.	स्नातकोत्तर विभाग	शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता		
		प्रोफ़ेसर कम हेड	एसोसिएट प्रोफ़ेसर	असिस्टेंट प्रोफ़ेसर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कुल्लियात (बेसिक प्रिंसिपल ऑफ़ यूनानी मेडिसिन)	एक	एक	एक
2	मनाफेउल आज़ा (फ़िज़ियॉलोजी)	एक	एक	एक
3	इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी)	एक	एक	एक
4	इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी)	एक	एक	एक
5	तहफ़ुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन)			
	ए) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ)	एक	एक	एक
	बी) तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी)		एक	एक
6	इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स)	एक	एक	एक
7	मोआलाजात (मेडिसिन)	एक	एक	एक
8	माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी)	एक	एक	एक
9	इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी)	एक	एक	एक
10	अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी)	एक	एक	एक
11	तशरीहुल बदन (ह्यूमन एनाटॉमी)	एक	एक	एक
12	जराहत (सर्जरी)	एक	एक	एक
13	ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री)	एक	एक	एक
14	कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी)	एक	एक	एक
15	इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च	एक	---	पाँच

नोट: 1.कॉलम (3) में निर्दिष्ट प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों विभागों के लिए कॉमन होंगे।

2 शिक्षण संकाय के रूप में इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के लिए एक प्रोफेसर सह प्रमुख होगा।

3. इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में पूर्णकालिक, नियमित शिक्षण संकाय के रूप में न्यूनतम पांच सहायक प्रोफेसर (जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, औषधीय वनस्पति विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, फार्माकोलॉजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य से एक-एक) होंगे।

4. इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर एक बायोस्टैटिस्टिशियन होगा।

5. अभ्यास के एक प्रोफेसर को प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग, विशेषता, या कार्यक्रम में विनियमन 4 के उप-विनियमन (2) के खंड (ए) और (बी) के अनुसार नियुक्त किया जाएगा, और योग्यता सातवीं अनुसूची के अनुसार होगी। उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा शिक्षक कोड प्रदान नहीं किया जाएगा।

(2) तकनीकी और अन्य स्टाफ सहित गैर-शिक्षण स्टाफ:- (ए) प्रत्येक संस्थान उस संबंधित विभाग में जिसमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं अतिरिक्त रूप से गैर-शिक्षण स्टाफ प्रदान करेगी जैसा कि खंड (सी) के नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

(बी) गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए उनकी योग्यता और अनुभव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 की अनुसूची VI के अनुसार होगा

(सी) इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग, केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, पशु प्रयोग प्रयोगशाला और पशु घर, नैदानिक अनुसंधान सेल और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल के लिए कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यक संख्या नीचे दी गई तालिका अनुसार होंगी।

तालिका

स्नातक कॉलेजों या संस्थानों के स्नातकोत्तर विभागों में गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताएं।

[भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार स्नातक विभाग के लिए निर्दिष्ट गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा।]

क्र.सं. (1)	विभाग और आवश्यक गैर-शिक्षण कर्मचारी (2)	आवश्यक संख्या (3)
I	स्नातकोत्तर विभाग	
1	कुल्लियात (बेसिक प्रिंसिपल ऑफ़ यूनानी मेडिसिन)	
	बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (मल्टी टास्किंग स्टाफ)	एक
2	तशरीहुल बदन (ह्यूमन एनाटॉमी)	
	बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (मल्टी टास्किंग स्टाफ)	एक
3	मनाफेउल आज़ा (फ़िज़ियॉलोजी)	
	बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (मल्टी टास्किंग स्टाफ)	एक
4	इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी)	
	बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (मल्टी टास्किंग स्टाफ)	एक
	ए) इल्मुल अदविया प्रैक्टिकल प्रयोगशाला	
	लैब तकनीशियन (जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ)	एक
	बी) वस्फुल, अकाक़ीर (फार्मोकॉनोसी लेबोरेटरी)	
	लैब अटेंडेंट	एक
	सी) फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला	
	लैब प्रभारी (फाइटोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री के साथ)	एक
	लैब तकनीशियन (फाइटोकेमिस्ट्री में स्नातक की डिग्री के साथ)	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
5	इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी)	
	बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (मल्टी टास्किंग स्टाफ)	एक
6	माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी)	
	बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (मल्टी टास्किंग स्टाफ)	एक
	ए) पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के लिए माहियातुल अमराज़ प्रैक्टिकल प्रयोगशाला	
	लैब तकनीशियन	एक
	बी) माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी प्रयोगशाला	
	लैब तकनीशियन	एक
	सी) मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रयोगशाला	
	लैब प्रभारी (मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मास्टर डिग्री के साथ)	एक
	लैब तकनीशियन (मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोलॉजी में स्नातक की डिग्री के साथ)	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
7	तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन)	
	बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (मल्टी टास्किंग स्टाफ)	एक

	बी) पोषण प्रयोगशाला	
	लैब प्रभारी (पोषण और आहार विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ)	एक
	सी) तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला	
	प्रयोगशाला सहायक	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
8	मोआलाजात (मेडिसिन)	प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग के लिए एक परिचारक
9	इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी)	
10	जराहत (सर्जरी)	
11	ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री)	
12	कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी)	
13	इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स)	
14	अमराज़े ज़िल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी)	
15	इंटीगरेटिव एंड ट्रांसलेशसनल रिसर्च	
	क्लेरिकल स्टाफ (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	दो
	मल्टी टास्किंग स्टाफ (न्यूनतम 10 वीं कक्षा के साथ)	एक
	गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला	
	प्रभारी, (किसी भी विभाग के संकाय सदस्य प्रयोगशाला और विश्लेषणात्मक उपकरणों से भली भांति परिचित हैं)	
	क्लेरिकल स्टाफ	एक
	केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला	
	प्रभारी, (किसी भी विभाग के संकाय सदस्य प्रयोगशाला और विश्लेषणात्मक उपकरणों से भली भांति परिचित हैं)	एक
	लैब तकनीशियन (बैचलर ऑफ साइंस रसायन विज्ञान या बैचलर ऑफ साइंस वनस्पति विज्ञान)	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
	एनिमल हाउस एंड एक्सपैरिमेंटेशन लैबोरेट्री	
	प्रभारी, (किसी भी विभाग के संकाय सदस्य प्रयोगशाला और विश्लेषणात्मक उपकरणों से भली भांति परिचित हैं)	
	लैब तकनीशियन (बैचलर ऑफ साइंस जूलॉजी)	एक
	नैदानिक अनुसंधान सेल	
	नैदानिक अनुसंधान समन्वयक (स्नातकोत्तर के साथ बीयूएमएस डिग्री या नैदानिक अनुसंधान में डिप्लोमा या मास्टर ऑफ़ पब्लिक हेल्थ)	एक
	क्लेरिकल स्टाफ	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एक
II	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल	
	कोऑर्डिनेटर (गुणवत्ता प्रबंधन में एमबीए के साथ)	एक
	क्लेरिकल स्टाफ	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एक

नोट: 1. अतिरिक्त कर्मचारी जैसे स्वीपर, अटेंडेंट, लिफ्टर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, ड्राइवर, मल्टी-टास्किंग स्टाफ आदि को आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

2. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत किसी भी कौशल विकास एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित कुशल वृत्तिकों को गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय उपलब्धता के अधीन प्राथमिकता दी जाएगी।

(3) अस्पताल स्टाफ: अस्पताल में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त बिस्तर के लिए, नीचे दी गई तालिका में दिखाए अनुसार अतिरिक्त स्टाफ रखा जाएगा।

तालिका

अस्पताल स्टाफ की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताएँ

[भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार स्नातक विभाग के लिए निर्दिष्ट गैर-शिक्षण कर्मचारियों के अतिरिक्त,

क्र.सं. (1)	आवश्यक स्टाफ (2)	आवश्यक संख्याएँ (3)
1	नर्सिंग स्टाफ	प्रत्येक दस बेड के लिए एक अमराज़े निस्वान वा क़बालत ऑपरेशन थियेटर के लिए दो नर्सें मोआलाजात विभाग में प्रत्येक गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) बिस्तर के लिए एक नर्स; और इल्मुल अतफ़ाल विभाग में नवजात गहन चिकित्सा इकाई के लिए 2 नर्स
2	क्लिनिकल रजिस्ट्रार या सीनियर रेजिडेंट या रेजिडेंट डॉक्टर	प्रत्येक बीस बिस्तरों के लिए एक
3	आया	प्रत्येक बीस बेड के लिए एक

नोट 1 एक दिन में शिफ्ट के अनुसार नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

2. इलाज बित तदाबीर के लिए रोगियों की संख्या के अनुसार चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

3. एक बाल चिकित्सा चिकित्सक, व्यावसायिक चिकित्सक, और भाषण चिकित्सक को इल्मुल अतफ़ाल विभाग के लिए अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।

4. स्नातकोत्तर छात्रों को नैदानिक रजिस्ट्रार, सीनियर रेजिडेंट, या रेजिडेंट डॉक्टरों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि छात्रों को वजीफा या वेतन का भुगतान किया जाए।

5. सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, सफाई कर्मचारी, धोबी, माली, ड्राइवर, हाउसकीपिंग स्टाफ, कुक, रखरखाव स्टाफ, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, यदि अतिरिक्त आवश्यकता हो, तो आउट-सोर्सिंग द्वारा रखा जा सकता है।

6. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत किसी भी कौशल विकास एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित कुशल वृत्तिकों को अस्पताल के कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय, जहां उपलब्ध हो, वरीयता दी जाएगी।

11. इन नियमों की अधिसूचना से पहले स्तापित स्नातकोत्तर संस्थानों या विभागों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा स्नातकोत्तर संस्थाओं के लिए समय-सीमा:

(1) इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से बारह महीने की अवधि के भीतर उन विभागों में अलग स्नातकोत्तर विभाग स्थापित किए जाएंगे जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(2) इन नियमों की अधिसूचना से पहले स्थापित स्नातकोत्तर संस्थानों या विभागों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करने की समय-सीमा नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

तालिका

इन नियमों की अधिसूचना से पहले स्थापित स्नातकोत्तर संस्थानों (जहां स्नातक कार्यक्रम अस्तित्व में हैं) के लिए अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं का पालन करने की समय-सीमा।

क्र.सं.	**मानक या इकाई या अनुभाग या सुविधा**	**समय-सीमा (आधिकारिक राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से)**
1	फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला (इल्मुल अदविया विभाग)	बारह महीने
2	ग्रीन हाउस (इल्मुल अदविया विभाग)	अठारह महीने
3	मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रयोगशाला और माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) प्रैक्टिकल लेबोरेटरी (माहियातुल अमराज़ विभाग) में इम्यूनोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षण करने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं	बारह महीने
4	एडवांस्ड पाइजन डिटेक्शन सुविधा (तहफ्फुज़ी व समाजी तिब विभाग)	बारह महीने
5	स्नातकोत्तर विभागवार सेमिनार हॉल और कॉमन सेमिनार हॉल	अठारह महीने
6	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए केंद्रीय पुस्तकालय आवश्यकताएँ और विभागीय पुस्तकालय की आवश्यकताएँ	छह महीने
7	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तकालय सुविधाएं	अठारह महीने
8	क्लीनिकल स्किल और सिमुलेशन लेबोरेटरीमें स्नातकोत्तर विभाग विशिष्ट अतिरिक्त आवश्यकताओं	अठारह महीने
9	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कॉमन रूम (लड़के और लड़कियां हेतु अलग-अलग)	अठारह महीने
10	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कॉमन रूम (लड़के और लड़कियां हेतु अलग-अलग)	अठारह महीने
11	क्लीनिकल स्किल और सिमुलेशन लेबोरेटरी (स्नातकोत्तर विभाग आवश्यकताओं)	अठारह महीने
12	डिपार्टमेंट ऑफ़ इंटेग्रटीवे हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च	बारह महीने
13	केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में सुविधाएं	तत्काल
14	स्नातकोत्तर शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में अतिरिक्त उपकरण और सहायक उपकरण	तत्काल
15	एनिमल हाउस एंड एक्सपैरिमेंटेशन लैबोरेट्री में सुविधाएं	अठारह महीने
16	सभी सुविधाओं के साथ नैदानिक अनुसंधान कक्ष	अठारह महीने
`17	सभी सुविधाओं के साथ साहित्यिक चोरी (प्लेजरिज़म) स्क्रूटनी सेल	छह महीने
18	लागू होने के अनुसार स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभागों में संलग्न चिकित्सा कक्ष	छह महीने
19	नवजात गहन चिकित्सा इकाई, बाल विकास क्लिनिक (इल्मुल अतफ़ाल विभाग)	अठारह महीने
20	निर्माण (बुनियादी ढांचे का निर्माण)	अठारह महीने
21	स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए विभागवार उपकरण और सहायक उपकरण जिसमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।	छह महीने
22	मानव संसाधन	बारह महीने
नोट: 1. उपर्युक्त समय-सीमा भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास और उपकरण और सहायक उपकरणों को प्राप्त करने के लिए		

	है। हालांकि, समितियों का गठन और विभिन्न इकाइयों या प्रकोष्ठों के कार्य एक महीने के भीतर शुरू किए जाएंगे।
2.	स्नातकोत्तर शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान (जैसा लागू हो) के लिए इस विनियमन में निर्धारित अन्य सभी नए मानकों या परिवर्धन या विस्तार को पूरा किया जाएगा।
3.	भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में परिसर, कॉलेज, अस्पताल के लिए निर्दिष्ट अन्य सभी नए मानक या परिवर्धन या विस्तार छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार उक्त विनियमों में प्रदान की गई समय-सीमा के अनुसार पूरे किए जाएंगे।

(3) (1) और (2) में उल्लिखित समय-सीमा अधिकतम अनुमत है, और इन समय सीमाओं से परे कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा।

अध्याय V

स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थाओं के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक

12. भूमि की आवश्यकता.- (1) भूमि की आवश्यकता न्यूनतम पांच एकड़ होगी। भूमि की विशिष्ट श्रेणियों, जैसे टियर I और II शहर (X और Y श्रेणियां), उत्तर-पूर्वी राज्य, पहाड़ी क्षेत्र और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रकरण में, भूमि की न्यूनतम आवश्यकता साढ़े तीन एकड़ से कम नहीं होगी और ऐसे प्रकरण में, संस्थान के पास प्रमाण के रूप में भूमि की विशिष्ट श्रेणी स्थापित करने के लिए संबंधित स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(2) यह भूमि के एक टुकड़े या भूखंड पर होगी। यदि भूखंड सड़क या नहर या नाले के कारण से पृथक हो गया है परंतु पुल से जुड़ा हुआ है, तो उसे भूमि का एक टुकड़ा माना जाएगा।

(3) एक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान, उससे जुड़े शिक्षण अस्पताल और छात्रावासों के लिए निर्दिष्ट भूमि को स्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाएगा और इसका उपयोग स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान की गतिविधियों के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(4) भूमि संस्थान के नाम पर पट्टे (लीज़) पर कम से कम तीस वर्ष से अवधि के लिए या संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के नियमों या विनियमों के अनुसार अधिकतम अनुमेय अवधि के लिए संस्था के स्वामित्व में होगी । हालाँकि, पट्टे (लीज़) की समाप्ति पर पट्टे (लीज़) का नवीनीकरण आवश्यक होगा।

(5) भूमि के लिए पट्टा (लीज़) समझौता करने वाले संस्थानों के प्रकरण में, संस्थान को पट्टे (लीज़) की अवधि के अंतिम तीन वर्षों के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि संस्थान प्रत्येक वर्ष एक नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता है जिसमें उल्लेख किया गया है कि पट्टे (लीज़) की समाप्ति से पहले पट्टे (लीज़) का नवीनीकरण किया जाएगा और बाद में पट्टे (लीज़) की अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकृत पट्टा (लीज़) समझौते को प्रस्तुत किया जाएगा।

13. सामान्य परिसर.- (1) स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान और संबद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए नामित परिसर में उचित पहुंच मार्ग, सुरक्षा की उचित व्यवस्था के साथ उचित रूप से निर्मित परिसर की दीवार होगी।

(2) स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान के लिए नामित परिसर में निम्नलिखित क्षेत्र होंगे-

(ए) प्रशासन क्षेत्र;

(बी) शैक्षणिक क्षेत्र;

(सी) नैदानिक क्षेत्र

(डी) प्रयोग क्षेत्र।

(3) प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए, परिसर को ऊपर वर्णित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

(4) संस्थान और अस्पताल का निर्माण उसके विभागों और सहायक इकाइयों और अनुभागों के साथ अलग-अलग भवनों में किया जाएगा, जिसमें इन विनियमों में निर्दिष्ट पर्याप्त बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और सुविधाएं होंगी।

(5) प्रत्येक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स (कम से कम प्रवेश स्तर) की मान्यता के साथ एक संबद्ध, पूर्ण रूप से कार्यात्मक, साठ बिस्तर वाला अस्पताल होगा और वह भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में निर्दिष्ट साठ छात्र प्रवेश क्षमता के साथ कॉलेज या संस्थान से संबद्ध शिक्षण अस्पताल के लिए बताए गए बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, कार्यक्षमता, उपकरण और सहायक उपकरणों आदि सहित सुविधाओं के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करेगा। यदि कोई स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता इन नियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफल रहती है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड अनुमति देने से इनकार करेगा या संबंधित स्नातकोत्तर डिग्री प्रोग्राम या विशेषता के विरुद्ध, अधिनियम की धारा **28** की उप-धारा (1) के खंड (एफ) के अनुसार उपाय करेगा।

(6) सभी भवनों के पास संबंधित अधिकारियों से सभी उपयुक्त अनुमतियां होंगी।

(7) मौजूदा मानदंडों के अनुसार संबंधित अधिकारियों से उचित अनुमति के साथ अग्नि सुरक्षा, सीवेज ट्रीटमेंट योजना, प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, आपदा प्रबंधन उपाय, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन आदि होंगे।

(8) संस्थान को शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों (दिव्यांगजन) की स्वतंत्रता, सुविधा और सुरक्षा के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए।

(9) परिसर में निःशुल्क वाहनों की आवाजाही और सीमांकित पार्किंग क्षेत्र के लिए एक उचित लेआउट योजना होगी।

(10) पार्किंग क्षेत्र को उच्च अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए लेबल या चिह्नित किया जाएगा।

(11) परिसर में पर्याप्त जल आपूर्ति, उचित जल निकासी सिस्टम और पावर बैक-अप सिस्टम सहित बिजली आपूर्ति होगी।

(12) परिसर में एक केंद्रीय कार्यशाला या रखरखाव कक्ष होगा, जो कॉलेज या संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त रूप से सुसज्जित होगा, साथ ही उपयुक्त तकनीकी कर्मचारी बिजली, पाइपलाइन बढ़ईगीरी, स्वच्छता, सिविल कार्य, जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, जल निकासी, हाउसकीपिंग, आदि जैसे क्षेत्रों में रखरखाव से संबंधित कार्यों के लिए आउटसोर्स कर्मचारी होंगे।

(13) संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में निर्दिष्ट निम्नलिखित को बनाए रखेगा, -

(ए) अधिकारियों के संपर्क विवरण;

(बी) आधिकारिक बैंक खाते;

(सी) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) बुनियादी ढांचा;

(डी) बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम; और

(ई) संस्थान की वेबसाइट

(14) "संस्थान, आयोग द्वारा निर्दिष्ट सभी ऑनलाइन सिस्टम को स्थापित और देख-रेख करेगा और आयोग के ऑनलाइन सिस्टम के साथ संरेखित या इंटरफेस करेगा जैसा कि विनियमन 4 के उप-विनियमन (4), की धारा (ए), (बी), और (सी) में उल्लिखित है।

14. क्षेत्रवार न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताएँ.-

(1) **प्रशासनिक क्षेत्र-** (ए) प्रशासनिक क्षेत्र के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र दो सौ वर्ग मीटर है। यह क्षेत्र उप-इकाइयों को समायोजित करेगा जैसे कि प्रवेश कक्ष और अटैच्ड शौचालय सहित संस्थान के प्रमुख का कार्यालय, निजी सहायक का कार्यालय, संस्थान का कार्यालय (स्थापना, लेखा और नकदी) आदि, कर्मचारी समिति या कॉलेज परिषद कक्ष, प्रतीक्षालय संस्थान के प्रमुख और कार्यालय में आगंतुकों के लिए अलग से कमरा, सेंट्रल स्टोर, रिकॉर्ड रूम, पेंट्री, शौचालय आदि, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है;

तालिका

स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में प्रशासनिक क्षेत्र के लिए स्थान की न्यूनतम आवश्यकता

क्र.सं. (1)	इकाइयाँ या अनुभाग (2)	न्यूनतम आवश्यक क्षेत्र वर्ग मीटर में। (3)
1	स्नातकोत्तर संस्थान के प्रमुख (निदेशक या डीन या प्रिंसिपल) का कार्यालय जिसमें गलियारों और अटैच्ड शौचालय शामिल है।	50
2	संस्थान प्रमुख के निजी सहायक	10
3	कर्मचारी समिति या बैठक कक्ष/कॉलेज परिषद बैठक कक्ष	30
4	संस्थान के प्रमुख से मिलने के लिए आगंतुक लॉज	10
5	कॉलेज कार्यालय (अधीक्षक, लिपिक कर्मचारी, लेखाकार, कैशियर के लिए बैठने की व्यवस्था, रिकॉर्ड रूम और कार्यालय आगंतुकों के लिए आगंतुक लाउंज)	55
6	पैंट्री	05
7	केंद्रीय भण्डार	30
8	कार्यालय स्टाफ के लिए शौचालय	10
	कुल	**200**

(बी) **मानव संसाधन:** भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 की **अनुसूची - VI** में उल्लिखित योग्यता और अनुभव के साथ प्रशासनिक अनुभाग को नीचे दी गई **तालिका** के अनुसार पर्याप्त संख्या में कर्मचारी प्रदान किए जाएंगे।

तालिका

स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में प्रशासनिक क्षेत्र के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताएँ

क्र.सं. (1)	आवश्यक गैर-शिक्षण स्टाफ (2)	आवश्यक संख्याएँ (3)
1	संस्थान के प्रमुख के लिए निजी सहायक या निजी सचिव	एक
2	कार्यालय अधीक्षक	एक
3	लिपिक कर्मचारी (स्थापना, लेखा और नकद)	तीन
4	अटेंडेंट या मल्टी-टास्किंग स्टाफ	दो

नोट:- 1. प्रशासनिक क्षेत्र के लिए ऊपर निर्धारित गैर-शिक्षण स्टाफ न्यूनतम है, हालाँकि संस्थान आवश्यकता के अनुसार अधिक संख्या में स्टाफ नियुक्त कर सकता है।

2. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी कौशल विकास एजेंसी द्वारा प्रशिक्षित कुशल वृत्तिकों को गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय, उपलब्ध सीमा तक वरीयता दी जाएगी।

(2) **शैक्षणिक क्षेत्र -** (ए) शैक्षणिक क्षेत्र में स्नातकोत्तर विभाग और उनकी संबद्ध इकाइयाँ शामिल हैं जिनमें विभाग विशिष्ट प्रयोगशालाएँ और विभागीय पुस्तकालय, क्लास क्रम, सेमिनार हॉल, बहुउद्देश्यीय हॉल (विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलन, परीक्षा आदि के आयोजन के लिए) भी शामिल हैं। केंद्रीय पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी, स्नातकोत्तर स्तर पर उन्नत नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला, मानव संसाधन और विकास सेल, फार्माकोविजिलेंस सेल रूम, कॉलेज काउंसिल कक्ष, छात्र सहायता और मार्गदर्शन कक्ष जिसमें कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल कक्ष, स्नातकोत्तर छात्रों और शिक्षण कर्मचारियों के लिए कॉमन रूम, पाठ्येतर गतिविधियों के लिए सुविधाएं, छात्र सुविधाएं और शिक्षण स्टाफ सुविधाएं, हर्बल गार्डन, छात्रावास और कैंटीन शामिल हैं;

(बी) स्नातकोत्तर विभाग जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, उनकी संबद्ध इकाइयों या अनुभागों के साथ स्थापित किए जाएंगे जैसा कि खंड (डी) के नीचे दी गई तालिका में उल्लेख किया गया है।

(सी) इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग अनिवार्य विभाग है और इसे सभी स्नातकोत्तर संस्थाओं में स्थापित किया जाएगा; यह विभाग इन विनियमों में विनियम 7 के उप-विनियम (xv) के अनुसार कार्य करेगा। इसमें उप-खंड (vi) के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित शिक्षण कर्मचारी और गैर-शिक्षण कर्मचारी होंगे जैसा कि विनियमन 14 के उप-विनियमन (2) में खंड (यू) के उप-खंड (vii) के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है।

(डी) (i) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग में कर्मचारियों के लिए बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (5) में उल्लिखित होंगी।

(ii) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग और उनकी संबद्ध इकाइयों के लिए आवश्यक न्यूनतम निर्मित क्षेत्र नीचे दी गई **तालिका** में दिखाया गया है।

तालिका

विभागवार स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता

क्र.सं. (1)	विभाग और विशिष्टताएँ (2)	न्यूनतम निर्मित क्षेत्र वर्ग. मी. में (3)
1	इंटीगरेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग	75
2	कुल्लियात (बेसिक प्रिंसिपल ऑफ़ यूनानी मेडिसिन) विभाग के साथ निम्नलिखित होंगे। (ए) कुल्लियात उमूरे तबिया प्रैक्टिकल प्रयोगशाला सह ट्यूटोरियल कक्ष (बी) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष (सी) उन्नत भाषा प्रयोगशाला	150
3	तशरीहुल बदन (ह्यूमन एनाटॉमी) विभाग के साथ (ए) डिसेक्शन हॉल (एम्बाल्मिंग रूम, शव भंडारण टैंक या फ्रीजर, पर्याप्त वेंटिलेशन और निकास सुविधा, हाथ धोने की सुविधा के साथ) (बी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला (सी) आभासी डिसेक्शन टेबल और ई- डिसेक्शन सॉफ्टवेयर (डी) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष	175
4	मनाफेउल आज़ा (फ़िज़ियॉलोजी) विभाग फ़िज़ियॉलोजी और बायोकैमिस्ट्री के लिए मनाफेउल आज़ा प्रैक्टिकल प्रयोगशाला के साथ होगा।	125
5	इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी) विभाग के साथ (ए) इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला (बी) वस्फुल अकाक़ीर (फार्माकोग्नॉसी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला (सी) फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला (डी) हर्बेरियम सह संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष (ई) ग्रीन हाउस (एफ) उन्नत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला	300
6	इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी) विभाग (ए) इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी) व्यावहारिक प्रयोगशाला या शिक्षण फार्मेसी (बी) गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला (उन्नत सुविधाओं के साथ) (सी) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष के साथ	250
7	माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) विभाग के साथ (ए) पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के लिए माहियातुल अमराज़ प्रैक्टिकल प्रयोगशाला (बी) मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रयोगशाला (सी) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष	175

8	तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग	
	(ए) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ) (i) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब प्रैक्टिकल प्रयोगशाला (ii) पोषण प्रयोगशाला (उन्नत सुविधाओं के साथ) (iii) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष	150
	(बी) तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) (i) पॉइज़न टेस्टिंग सुविधाओं के साथ तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम प्रैक्टिकल प्रयोगशाला (ii) संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष	100
9	संग्रहालय के साथ मोआलाजात (मेडिसिन) विभाग	75
10	संग्रहालय सह टयूटोरियल कक्ष के साथ इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) विभाग	75
11	जराहत (सर्जरी) विभाग संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष के साथ	75
12	ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री) विभाग संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष के साथ	75
13	अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्मेटोलॉजी और कॉस्मेटोलॉजी) विभाग संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष के साथ	75
14	कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) विभाग संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष के साथ	75
15	इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स) विभाग संग्रहालय सह ट्यूटोरियल कक्ष के साथ	75
16	क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड के साथ लेबल की गई जड़ी-बूटियों की 250 प्रजातियों वाला हर्बल गार्डन	2500

नोट: 1. विभाग की आवश्यकताओं में विभागीय पुस्तकालय, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सुविधाएं आदि, शिक्षण स्टाफ आदि के लिए बैठने की व्यवस्था व्यवस्था विनियम 4 उपविनियम (5) के अनुसार होगी।

2. प्रयोगशालाओं में उपकरणों, सहायक उपकरण, रसायन, अभिकर्मकों आदि की सूची और संबंधित विभाग के संग्रहालयों में नमूने आदि शामिल होंगे। ये आवश्यकताएं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में निर्दिष्ट अनुसूचियों के अनुसार संबंधित विशेषता या विभाग में स्नातकोत्तर सीटों के अनुसार होगीं।

3. इन नियमों में विनियमन 7 के उप-विनियम (i), (ii), (iii), और (v) के अंतर्गत उल्लिखित उपकरण, सहायक उपकरण और अन्य सुविधाएं अतिरिक्त रूप से संबंधित स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता में पूर्ण की जाएंगी।

4. फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण, सहायक उपकरण, रसायन, अभिकर्मक, आदि क्रमशः पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।

5. तहफ्फुज़ी व समाजी तिब विभाग के पास क्षेत्र के दौरे के लिए एक विशेष विभागीय वाहन होगा।

6. गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, जो प्रयोग क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी) और इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों दोनों के लिए एक सामान्य सुविधा होगी। यह इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के अंतर्गत कार्य करेगी।
7. माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) प्रैक्टिकल लेबोरेटरी स्नातकोत्तर शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए इम्यूनोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षण करने की सुविधा प्रदान करेगी।
8. प्रत्येक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान जिसमें चाहे जो भी स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हों, इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग की स्थापना करेगा और इन विनियमों में विनियम 7 के उप-विनियमन (xv) के अनुसार कार्य करेगा।

(ई) क्लास रुम - इन विनियमों में विनियम 8 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार प्रत्येक स्नातकोत्तर कार्यक्रम या विशेषता के लिए न्यूनतम दो कक्षाएं होंगी;

(एफ) सेमिनार हॉल: प्रत्येक स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान में प्रत्येक स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम या विशेषता के लिए एक सेमिनार हॉल के साथ-साथ इन विनियमों के विनियमन 8 के उप-विनियमन (2) में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार एक सामान्य सेमिनार हॉल होगा।

(जी) केंद्रीय पुस्तकालय.- (i) केंद्रीय पुस्तकालय का क्षेत्रफल एक सौ पचास वर्ग मीटर से कम नहीं होगा, और केंद्रीय पुस्तकालय में पुस्तकों और अन्य विशिष्टताओं, आवश्यकताओं, पुस्तकालय के कामकाज और सुविधाओं की न्यूनतम संख्या उतनी होगी जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में साठ छात्र प्रवेश क्षमता के लिए निर्दिष्ट है;

(ii) केंद्रीय पुस्तकालय में स्नातकोत्तर छात्रों के बैठने की व्यवस्था छात्र प्रवेश क्षमता पर आधारित होगी, (जिसमें 1:2 के अनुपात में वार्षिक प्रवेश क्षमता के प्रत्येक दो स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक सीट) प्रदान की जाएगी।

(iii) प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग या कार्यक्रम, या विशेषता के लिए आवश्यक पुस्तकों और पत्रिकाओं की संख्या इन विनियमों में विनियमन 8 के उप-विनियमन (3) के खंड (बी) और (सी) के अनुसार होगी;

(एच) विभागीय पुस्तकालय: आवश्यक पुस्तकों की संख्या इन नियमों में विनियमन 8 के उप-विनियमन (4) के खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार होगी;

(आई) डिजिटल लाइब्रेरी - डिजिटल लाइब्रेरी में कुल निर्मित क्षेत्र चालीस वर्ग मीटर से कम नहीं होगा और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 1:5 के अनुपात में कंप्यूटर सिस्टम होगा, अर्थात् सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की कुल वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता के संबंध में पांच छात्रों के लिए एक कंप्यूटर सिस्टम प्रदान किया जाएगा। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जैसे ग्रामरली, साहित्यिक चोरी की जांच (प्लेजरिज़म), सांख्यिकीय कार्यक्रम, उद्धरण (साइटेशन) या ग्रंथ सूची निर्माता (बिबलियोग्राफी) या जनरेटर आदि डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध कराए जाएंगे।

(जे) परीक्षा या बहुउद्देशीय या योग और रियाज़त हॉल - उचित बैठने की व्यवस्था के साथ प्रति स्नातकोत्तर छात्र (तीन वर्ष के कुल स्नातकोत्तर छात्रों के लिए बीस प्रतिशत अतिरिक्त) दो वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक बड़ा हॉल उपलब्ध कराया जाएगा। इस बहुउद्देश्यीय हॉल का उपयोग कार्यक्रमों, बैठकों, सेमिनारों, सम्मेलनों, परीक्षाओं, योग प्रशिक्षण, रियाज़त प्रशिक्षण आदि के आयोजन के लिए किया जाएगा। इसमें दृश्य-श्रव्य (ऑडियोविज़ुअल) सुविधा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन और शौचालय की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(के) प्रत्येक संस्थान में विभागों जैसे कि मोआलाजात (मेडिसिन), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी), इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स), जराहत (सर्जरी), ऐन,

उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री) और कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) जिसमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किए जाते है, के लिए एक क्लीनिकल स्किल और सिमुलेशन लेबोरेटरीहोगी और तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) के स्नातकोत्तर विशेषज्ञता या कार्यक्रम तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) के लिए, जैसा कि लागू हो, प्रत्येक चालीस वर्ग के न्यूनतम क्षेत्र के साथ, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में निर्दिष्ट अनुसूची XIV के अनुसार मैनेक्विन या सिमुलेटर के साथ होगी। इसके साथ-साथ स्नातकोत्तर स्तर के प्रशिक्षण के लिए इन विनियमों की छठी अनुसूची में निर्धारित विभाग में विशिष्ट सिमुलेटर या मैनेक्विन भी होंगे;

(एल) सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए सुविधा: संस्थान द्वारा सह-पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के संचालन के लिए निम्नानुसार पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्, -

(i) फिजिकल एजुकेशन सुविधा;

(ii) मनोरंजक सुविधा;

(iii) क्लब की गतिविधियाँ जैसे ललित कला क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, साइंस क्लब, भाषा क्लब, जर्नल क्लब, फ़ोटोग्राफ़ी क्लब, पशु प्रेमी क्लब, और आवश्यकतानुसार अन्य क्लब।

(एम) छात्र सुविधाएं- (i) परिवहन, बैंक या स्वचालित टेलर मशीन, खेल का मैदान (इनडोर और आउटडोर खेल), व्यायामशाला जिम या फिटनेस सेंटर, स्टेशनरी स्टोर, कैफेटेरिया आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी होंगी;

(ii) पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग-अलग उचित और आसानी से सुलभ स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय होंगे;

(iii) महिला शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इंसीनरेटर होंगे ।

(एन) (i) कुल वार्षिक प्रवेश क्षमता का न्यूनतम बीस प्रतिशत की आवास क्षमता वाला कॉमन रूम पर्याप्त क्षेत्र, फर्नीचर और अटैच्ड शौचालय सुविधाओं (पुरुष और महिला छात्रों के लिए अलग-अलग) के साथ होगा;

(ii) महिला स्नातकोत्तर छात्रों के लिए शौचालयों में सेनेटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इंसीनरेटर की सुविधाएं प्रदान की जाएगी ।

(ओ) छात्रावास - लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग एक छात्रावास (प्राथमिकता के आधार पर: एकल आवास हो) होगा जिसमें अटैच्ड स्नानघर और शौचालय की सुविधा हो और इसके साथ-साथ पर्याप्त फर्नीचर, वाचनालय, मनोरंजन सुविधा और सुरक्षा सेवाओं के साथ परिसर के भीतर एक मेस सुविधा भी होगी।

(पी) स्टाफ सुविधाएं.- (i) शिक्षण स्टाफ के लिए अलग से दो कॉमन रुम, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए, पर्याप्त फर्नीचर, बैठने की व्यवस्था, अटैच्ड शौचालय, पीने का पानी और जलपान सुविधाओं के साथ प्रदान किया जाएगा;

(ii) भवन के प्रत्येक तल पर शिक्षण कर्मचारियों (पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग) और गैर-शिक्षण कर्मचारियों (पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग) के लिए अलग से उपयुक्त और आसानी से सुलभ स्थानों पर पर्याप्त संख्या में शौचालय होंगे।

(iii) महिला शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसर और इंसीनरेटर की सुविधा होगी।

(क्यू) कैंटीन - संस्थान की कुल छात्र संख्या के अनुसार पर्याप्त स्थान और बैठने की व्यवस्था के साथ एक कैंटीन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

(आर) हर्बल गार्डन - प्रत्येक संस्थान, संस्थान परिसर के भीतर दो हजार पांच सौ वर्ग मीटर के क्षेत्र में हर्बल गार्डन बनाएगा और उसमें त्वरित प्रतिक्रिया (क्विक रिस्पांस) कोड के साथ लेबल किए गए दो सौ पचास औषधीय पौधों की प्रजातियां होगी।

(एस) क्लोज-सर्किट टेलीविजन - बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम क्षेत्र, कक्षाओं, पुस्तकालय, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल प्रयोगशालाओं, नैदानिक कौशल/सिमुलेशन प्रयोगशाला, गलियारों, बहुउद्देश्यीय हॉल और अन्य क्षेत्रों में संस्थान की आवश्यकता के अनुसार क्लोज-सर्किट टेलीविजन सिस्टम स्थापित किया जाएगा।

(टी) अन्य आवश्यकताएँ- (i) मानव संसाधन विकास सेल - यह प्रत्येक संस्थान में स्थापित किया जाएगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) 2023 विनियमों में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। मानव संसाधन विकास सेल के लिए आवश्यक क्षेत्र न्यूनतम पचास वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।

(ii) फार्माकोविजिलेंस सेल - प्रत्येक संस्थान में एक फार्माकोविजिलेंस सेल होगा जिसमें फार्माकोविजिलेंस कक्ष के लिए न्यूनतम तीस वर्ग मीटर जगह होगी। यह सेल क्षेत्रीय या राष्ट्रीय या केंद्रीय फार्माकोविजिलेंस सेल के साथ मिलकर काम करेगा। संस्थान, फार्माकोविजिलेंस सेल के गठन और उसके कार्य के संबंध में नीतियां और प्रक्रियाएं विकसित करेगी।

(iii) कॉलेज काउंसिल - कॉलेज काउंसिल की स्थापना और कार्य भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। पर्याप्त बैठने की व्यवस्था और रिकॉर्ड रखने की सुविधाओं के साथ कॉलेज काउंसिल रूम के लिए स्थान कम से कम तीस वर्ग मीटर होगा।

(iv) छात्र सहायता और मार्गदर्शन कक्ष, कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल – प्रत्येक संस्थान में छात्रों को शैक्षणिक, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, व्यक्तिगत और कैरियर विकास में समर्थन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहित करने के लिए एक छात्र सहायता और मार्गदर्शन कक्ष, कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल होगा। इसका गठन और कार्य विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा; यदि ऐसे दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं, तो यह संस्थान की नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार होगा। छात्र सहायता और मार्गदर्शन कक्ष के लिए सेल में बैठने की उचित व्यवस्था, रिकॉर्ड रखने की सुविधा और अन्य संबंधित सुविधाओं के साथ कम से कम तीस वर्ग मीटर का स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

(v) शिकायत निवारण कक्ष - प्रत्येक संस्थान में छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण कक्ष होगा। समिति का गठन और कार्य संस्थान की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा। छात्र सहायता और मार्गदर्शन सेल के लिए आवंटित कमरे का उपयोग शिकायत निवारण कक्ष द्वारा अपनी बैठकों और संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए किया जा सकता है।

(vi) यौन उत्पीड़न के विरुद्ध समिति - प्रत्येक संस्थान में यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक समिति का गठन किया जाएगा और एक सुरक्षित, न्यायसंगत और समावेशी परिसर वातावरण के निर्माण के लिए संस्थान की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य किया जाएगा। समिति यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता पैदा करेगी और परिसर में छात्रों, कर्मचारियों और आगंतुकों द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार और यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों या आरोपों से निपटेगी। गोपनीय प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना समिति की जिम्मेदारी है। छात्र सहायता और मार्गदर्शन सेल के लिए आवंटित कमरे का उपयोग यौन उत्पीड़न के विरुद्ध समिति द्वारा अपनी बैठकों और संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए किया जा सकता है।

(vii) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल - प्रत्येक संस्थान में संस्थान की गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता वृद्धि गतिविधियों की योजना, मार्गदर्शन और निगरानी के लिए एक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष होगा। सेल का गठन और कार्य भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार होगा। 30 वर्ग मीटर के न्यूनतम स्थान वाला एक कक्ष उचित बैठने की व्यवस्था के साथ होगा और उसमें रिकॉर्ड रखने की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;

(viii) एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वाड (ए) रैगिंग के खतरे को नियंत्रित करने के लिए कॉलेज अथवा संस्थान के लिए यह अनिवार्य है कि वे "उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए यूजीसी विनियम, 2009" के अनुसार एंटी रैगिंग समिति और एंटी रैगिंग स्क्वाड का गठन करें ताकि सतर्क निगरानी रखी जा सके और नए छात्रों लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

(बी) एंटी रैगिंग कमेटी और एंटी रैगिंग स्क्वाड के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, रैगिंग के निषेध और रोकथाम, निगरानी और परामर्श तंत्र, शिकायत और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं, दंड और गैर-अनुपालन के प्रकरण में परिणाम, आदि के लिए संस्थान द्वारा किए जाने वाले उपाय, (ए) में उल्लिखित विनियमों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीयआयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट संबंधित दिशानिर्देशों, परिपत्रों और संचार के अनुसार होंगे।

(ix) प्रत्येक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में एक साहित्यिक चोरी जांच सेल होगा, और न्यूनतम स्थान की आवश्यकताएं, मानव संसाधन, सुविधाएं और कार्यक्षमता इन नियमों के विनियमन 7 के उप-विनियमन (xx) में निर्दिष्ट होगी।

(यू) शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता - (i) जिस विभाग में स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किया जाता है, उसमें न्यूनतम तीन शिक्षण संकाय होंगे: एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर और एक सहायक प्रोफेसर या व्याख्याता जैसा कि उपखंड vi के नीचे दी गई **तालिका** में दिखाया गया है। शिक्षण स्टाफ की योग्यता और अनुभव इन विनियमों में विनियम 32 के अनुसार होगा;

(ii) एक ही विभाग के अंतर्गत एकाधिक स्नातकोत्तर कार्यक्रम - एकाधिक स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम जैसे कि तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ) और तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) के एक ही विभाग के अंतर्गत तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) के प्रकरण में प्रत्येक स्नातकोत्तर विशेषज्ञता या कार्यक्रम में एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर, एक सहायक प्रोफेसर या व्याख्याता होगा । दो प्रोफेसरों में से एक तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) के स्नातकोत्तर विभाग का प्रमुख होगा ;

(iii) यदि एक ही विभाग में कई स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं और ऐसे प्रकरण में, एक ही विभाग के अंतर्गत स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के बीच शिक्षण कर्मचारियों के अदला-बदली या दोहराव की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(iv) किसी विभाग में एक से अधिक प्रोफेसर होने की स्थिति में, विभाग के प्रमुख विभागाध्यक्ष का पद प्रत्येक प्रोफेसर को रोटेशन के आधार पर तीन वर्ष के लिए दिया जाएगा;

(v) (ए) इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में एक प्रोफेसर होगा और योग्यता और अनुभव विनियम 32 के उप-विनियम (2) के खंड (जी) के उप-खंड (i) में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।

(बी) बायोकैमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, औषधीय वनस्पति विज्ञान (मेडिसिनल बॉटनी) या वनस्पति विज्ञान (बॉटनी) सार्वजनिक स्वास्थ्य के विषयों और विभाग में अतिरिक्त शिक्षण कर्मचारी होंगे, जिन्हें पूर्णकालिक, नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जैसे कि उपखंड vi के नीचे तालिका में दिखाया गया है और जिनकी योग्यता अनुभव और पदोन्नति इन विनियमों में निर्दिष्ट विनियम 32 के उप-विनियम (2) के खंड (जी) के उप-खंड (ii) के अनुसार होंगे।

(सी) एक बायोस्टैटिस्टिशियन को इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा और जिसकी योग्यता और अनुभव इन विनियमों विनियम 32 का उप-विनियम (2) के खंड (जी) के उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट के अनुसार होगा।;

(vi) इन विनियमों के विनियम 32 के उप-विनियम (2) के खंड (एफ) में उल्लिखित योग्यता और अनुभव के साथ एक योग शिक्षक को प्रत्येक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा। वह अस्पताल में तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा। यदि स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में विशिष्ट विभाग या विशेषता उपलब्ध नहीं है, तो योग शिक्षक इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा और शैक्षणिक क्षेत्र के साथ-साथ नैदानिक क्षेत्र में जहां भी आवश्यक हो, अपनी सेवाओं को प्रदान करेगा।

तालिका

स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में विभागों के लिए शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताएं

क्र.सं.	स्नातकोत्तर विभाग या विशेषज्ञता	शिक्षण स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता		
		प्रोफेसर और प्रमुख	एसोसिएट प्रोफ़ेसर	सहायक प्रोफ़ेसर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कुल्लियात (बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ़ यूनानी मेडिसिन)	एक	एक	एक
2	मनाफेउल आज़ा (फ़िज़ियॉलोजी)	एक	एक	एक
3	इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी)	एक	एक	एक
4	इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी)	एक	एक	एक
5	तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन)			
	(ए) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ)	एक	एक	एक
	(बी) तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी)	एक	एक	एक
6	इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स)	एक	एक	एक
7	मोआलाजात (मेडिसिन)	एक	एक	एक
8	माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी)	एक	एक	एक
9	इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी)	एक	एक	एक

10	अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी)	एक	एक	एक
11	तशरीहुल बदन (एनाटॉमी)	एक	एक	एक
12	जराहत (सर्जरी)	एक	एक	एक
13	ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री)	एक	एक	एक
14	कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी)	एक	एक	एक
15	इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च	एक	---	पाँच

नोट: 1. इन विनियमों के विनियमन 14 के उप-विनियमन (2) के खंड (यू) के उप-खंड (ii) और (iv) के अनुसार, तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) और तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) के प्रोफेसरों में से एक तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग का प्रमुख होगा।

2. पूर्णकालिक, नियमति आधार पर, इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में कम से कम पांच सहायक प्रोफेसर (प्रत्येक बायोकैमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिनल बॉटनी या बॉटनी, फार्माकोलॉजी और पब्लिक हेल्थ से) होंगे ।

3. इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर एक बायोस्टैटिस्टिशियन की नियुक्ति की जाएगी।

4. एक पूर्णकालिक योग प्रशिक्षक या शिक्षक की नियुक्ति इन विनियमों के विनियमन 14 के उप-विनियमन (2) के खंड (यू) के उप-खंड (vi) के अनुसार की जाएगी।

5. प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग, विशेषता या कार्यक्रम में विनियमन 4 के उप-विनियमन (2) के खंड (ए) के अनुसार एक प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति की जाएगी और योग्यताएं सातवीं अनुसूची के अनुसार होंगी और भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा उन्हें शिक्षक कोड प्रदान नहीं किया जाएगा।

6. यदि संस्थान तशरीहुल बदन (एनाटॉमी), इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी)और इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी) विभागों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित नहीं कर रहा है, तो उपर्युक्त विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति अंशकालिक आधार पर इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के अतंर्गत की जाएगी।

(vii) गैर-शिक्षण सहित तकनीकी और अन्य स्टाफ की न्यूनतम आवश्यकता: गैर-शिक्षण कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यकता नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगी। उनकी योग्यता और अनुभव भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 की **अनुसूची-VI** के अनुसार होगा ।

तालिका

स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में स्नातकोत्तर विभागों के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों की न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं

क्र.सं.	**स्नातकोत्तर विभाग/अनुभाग/इकाई और आवश्यक गैर-शिक्षण कर्मचारी**	**आवश्यक संख्याएँ**
(1)	**(2)**	**(3)**
I	स्नातकोत्तर विभाग	

1	कुल्लियात (बेसिक प्रिंसिपल ऑफ़ यूनानी मेडिसिन)	
	क्लेरिकल स्टाफ	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ (न्यूनतम 10 वीं कक्षा)	एक
2	तशरीहुल बदन (एनाटॉमी)	
	क्लेरिकल स्टाफ	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एक
	तशरीहुल बदन (एनाटॉमी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला	
	शव उठाने वाला	एक
	प्रयोगशाला सहायक	एक
	लैब अटेंडेंट कम म्यूजियम कीपर	एक
3	मनाफेउल आज़ा (फ़िज़ियॉलोजी)	
	क्लेरिकल स्टाफ	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एक
	फ़िज़ियॉलोजी और बायोकैमिस्ट्री के लिए मनाफेउल आज़ा प्रैक्टिकल प्रयोगशाला	
	प्रयोगशाला तकनीशियन	एक
	प्रयोगशाला सहायक	एक
4	इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी)	
	क्लेरिकल स्टाफ	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एक
	ए) इल्मुल अदविया प्रैक्टिकल प्रयोगशाला	
	लैब इंस्ट्रक्टर (ग्रेजुएशन - बीयूएमएस)	एक
	प्रयोगशाला सहायक	एक
	लैब अटेंडेंट कम म्यूजियम कीपर	एक
	बी) वसफुल अकाक़ीर (फार्माकोग्नॉसी) प्रयोगशाला	
	प्रयोगशाला सहायक	एक
	लैब अटेंडेंट कम हर्बेरियम एंड म्यूजियम कीपर	एक
	सी) फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला	
	लैब प्रभारी (फाइटोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री के साथ)	एक
	लैब तकनीशियन (फाइटोकेमिस्ट्री में स्नातक की डिग्री के साथ)	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
5	इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी)	
	क्लेरिकल स्टाफ	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एक
	ए) इल्मुल सैदला प्रैक्टिकल प्रयोगशाला (शिक्षण फार्मेसी)	
	लैब इंस्ट्रक्टर (ग्रेजुएशन - बीयूएमएस)	एक
	प्रयोगशाला सहायक	एक

	लैब अटेंडेंट कम म्यूजियम कीपर	एक
6	माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी)	
	क्लेरिकल स्टाफ	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एक
	ए) पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के लिए माहियातुल अमराज़ प्रैक्टिकल प्रयोगशाला	
	प्रयोगशाला तकनीशियन	एक
	प्रयोगशाला सहायक	एक
	बी) मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रयोगशाला	
	लैब प्रभारी (मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मास्टर डिग्री के साथ)	एक
	लैब तकनीशियन (मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोलॉजी में स्नातक की डिग्री के साथ)	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
7	तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन)	
	क्लेरिकल स्टाफ	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एक
	ए) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन)प्रैक्टिकल प्रयोगशाला	
	बी) न्यूट्रीशन प्रयोगशाला	
	लैब प्रभारी (पोषण (न्यूट्रीशन) और आहार विज्ञान में मास्टर डिग्री के साथ)	एक
	लैब तकनीशियन	एक
	लैब अटेंडेंट कम म्यूजियम कीपर	एक
	सी) तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी)	
	तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला	
	लैब तकनीशियन (ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री)	एक
	लैब अटेंडेंट कम म्यूजियम कीपर	एक
8	मोआलाजात (मेडिसिन)	प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग के लिए एक क्लेरिकल स्टाफ एवं मल्टी टास्किंग स्टाफ
9	इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी)	
10	जराहत (सर्जरी)	
11	ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री)	
12	कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी)	
13	इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स)	
14	अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी)	
15	इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग	

	क्लेरिकल स्टाफ	दो
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एक
	केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला	
	प्रभारी (किसी भी विभाग के संकाय सदस्य, प्रयोगशाला और विश्लेषणात्मक उपकरणों से भली भांति परिचित)	एक
	लैब तकनीशियन (बीएससी केमिस्ट्री या बीएससी बॉटनी)	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
	गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला	
	प्रभारी (इल्मुल अदविया या इल्मुल सैदला विभाग के संकाय सदस्य)	एक
	विश्लेषणात्मक रसायनज्ञ (बी फार्मा)	एक
	फार्माकोग्नोसिस्ट	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
	क्लेरिकल स्टाफ	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एक
	एनिमल हाउस एंड एक्सपैरिमेंटेशन लैबोरेट्री	
	प्रभारी इल्मुल अदविया या इल्मुल सैदला विभाग के संकाय सदस्य	एक
	लैब तकनीशियन (बीएससी जूलॉजी)	एक
	एनिमल हाउस एंड एक्सपैरिमेंटेशन लैबोरेट्री अटेंडेंट	एक
	नैदानिक अनुसंधान सेल	
	नैदानिक अनुसंधान समन्वयक (स्नातकोत्तर या क्लीनिकल रिसर्च में डिप्लोमा या मास्टर ऑफ़ पब्लिक हेल्थ के साथ बीयूएमएस डिग्री)	एक
	क्लेरिकल स्टाफ	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एक
II	**केंद्रीय पुस्तकालय**	
	पुस्तकालय अध्यक्ष	एक
	सहायक लाइब्रेरियन	एक
	पुस्तकालय परिचारक	एक
III	**हर्बल गार्डन**	
	माली	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	दो
IV	**नैदानिक कौशल/सिमुलेशन प्रयोगशाला**	
	समन्वयक	एक
	क्लेरिकल स्टाफ (कंप्यूटर ज्ञान के साथ स्नातक)	एक
	लैब अटेंडेंट	एक
V	**मानव संसाधन एवं विकास प्रकोष्ठ**	
	समन्वयक (एमबीए के साथ बीयूएमएस स्नातक या एमबीए के साथ बीयूएमएस स्नातक)	एक

	क्लेरिकल स्टाफ	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एक
VI	**आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल**	
	समन्वयकर्ता (गुणवत्ता प्रबंधन में एमबीए)	एक
	क्लेरिकल स्टाफ	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एक
VII	**डिजिटल लाइब्रेरी सहित सूचना प्रौद्योगिकी सेल (आईटी सेल)**	
	आईटी अधिकारी	एक
	आईटी सहायक	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एक
VIII	**केंद्रीय कार्यशाला/रखरखाव सेल**	
	साइट इंजीनियर	एक
	इलेक्ट्रीशियन	एक
	प्लंबर	एक
	बढ़ई (कारपेंटर)	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एक
IX	**सह-पाठयक्रम और पाठ्येतर गतिविधियाँ**	
	शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक (फिजिकल एजुकेशन में न्यूनतम स्नातक की डिग्री)	एक
	मल्टी टास्किंग स्टाफ	एक
X	**छात्र सहायता और कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल**	
	काउंसलिंग के लिए काउंसलर (पार्ट -टाइम बेसिस)	
XI	**कॉलेज स्टोर**	
	क्लीनिकल स्टाफ	एक
	मल्टी- टास्किंग स्टाफ	एक

नोट: 1. अतिरिक्त कर्मचारी जैसे स्वीपर, अटेंडेंट, लिफ्टर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, ड्राइवर, मल्टी-टास्किंग स्टाफ आदि को आवश्यकता के आधार पर आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

2. हर्बल गार्डन इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी) विभाग के अधीन होगा। यदि ऐसा स्नातकोत्तर कार्यक्रम या विभाग उपलब्ध नहीं है, तो यह संस्थान के अधीन होगा।

3. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत किसी भी कौशल विकास एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षित कुशल वृत्तिकों को गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय उपलब्धता के अधीन प्राथमिकता दी जाएगी।

(3) **क्लिनिकल ज़ोन** - (ए) प्रत्येक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में न्यूनतम साठ अंतरंग रोगी विभाग बेड (साठ बिस्तर वाले अस्पताल) के साथ एक संबद्ध अस्पताल होगा। अस्पताल (क्लिनिकल ज़ोन) को सात क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, अर्थात्:

(i) स्वागत एवं पंजीयन क्षेत्र;

(ii) बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र;

(iii) नैदानिक क्षेत्र;

(iv) अंत:रोगी विभाग क्षेत्र;

(v) प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र;

(vi) प्रशासनिक क्षेत्र;

(vii) सेवा क्षेत्र।

(बी) क्लिनिकल ज़ोन के अंतर्गत (ए) में उल्लिखित प्रत्येक ज़ोन में सहायक अनुभाग या इकाइयां या सुविधाएं होंगी और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में (60 छात्र प्रवेश क्षमता के लिए) निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता, उपकरण और सहायक उपकरण के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूर्ण करना होगा।

(सी) (ए) और (बी) में उल्लिखित अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित विभाग-वार न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं को उन विभागों में उपलब्ध कराया जाएगा जिनमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, अर्थात्:

(i) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) का स्नातकोत्तर विभाग:

(ए) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) में स्नातकोत्तर कार्यक्रम या विशेषता में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी विभाग (एक माइनर योग और रियाज़त कक्ष से संलग्न) होगा, जिसमें न्यूनतम पचास व्यक्ति प्रति दिन बाह्य रोगी विभाग में भाग लेंगे। अस्पताल में सामान्य व्यक्तियों को कायाकल्प प्रक्रियाओं और रियाज़त को प्रशासित करने की सुविधाएं इस विभाग के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ) बाह्य रोगी विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पच्चीस वर्ग मीटर होगा।

(बी) तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) में स्नातकोत्तर कार्यक्रम या विशेषज्ञता के लिए स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए इल्मुल समूम (क्लीनिकल टॉक्सिकोलॉजी) एक विशेष बाह्य-रोगी विभाग होगा, जिसमें प्रति दिन न्यूनतम तीस मरीज देखे जाएंगे और मोआलाजात (मेडिसिन) अंत:रोगी विभाग में इल्मुल समूम के रोगियों की भर्ती करने के लिए 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात में अतिरिक्त अंतःरोगी विभाग बिस्तर (अर्थात, एक छात्र के लिए चार बेड) होगा । वार्ड में बैठने की व्यवस्था और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मोआलाजात (मेडिसिन) अंतरंग रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा। इल्मुल समूम (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) बाह्य रोगी विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पच्चीस वर्ग मीटर होगा।

(ii) मोआलाजात (मेडिसिन) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी विभाग होगा, जिसमें प्रति दिन न्यूनतम साठ रोगी देखे जाएंगे और 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात (अर्थात), एक छात्र के लिए चार बिस्तर) में अतिरिक्त अंत:-रोगी विभाग के बिस्तर होंगे । वार्ड में बैठने की व्यवस्था और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। मोआलाजात (मेडिसिन)

अंतरंग रोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा।; मोआलाजात (मेडिसिन) बाह्य रोगी विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पच्चीस वर्ग मीटर होगा।

(iii) इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक बाह्य-रोगी विभाग (माइनर चिकित्सा या प्रक्रिया कक्ष के साथ संलग्न) होगा, जिसमें इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) के लिए प्रति दिन न्यूनतम साठ रोगी होंगे और इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) स्नातकोत्तर कार्यक्रम में छात्र-बिस्तर अनुपात 1:4 (अर्थात एक छात्र के लिए चार बिस्तर) अतिरिक्त अंत:-रोगी विभाग बिस्तर होंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था होगी और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) अंतरंग रोगी विभाग में औसत भरे हुए बिस्तर साठ प्रतिशत से कम नहीं होगी। अस्पताल में पूर्ण रूप से स्थापित फिजियोथेरेपी सुविधा इस विभाग में भी दी जाएगी । इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) बाह्य रोगी विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर होगा।

(iv) जराहत (सर्जरी) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी विभाग (माइनर चिकित्सा या प्रक्रिया कक्ष के साथ संलग्न) होगा, जिसमें प्रति दिन न्यूनतम साठ रोगी होंगे तथा उन्नत नैदानिक सुविधाएं होगी और 1:4 अनुपात में छात्र-बिस्तर (अर्थात एक छात्र के लिए चार बिस्तर) अतिरिक्त अंतरंग रोगी विभाग के बिस्तर होंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था होगी और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। जराहत (सर्जरी) अत:रोगी विभाग में औसत भरे हुए बिस्तर साठ प्रतिशत से कम नहीं होंगे। जराहत (सर्जरी) बाह्य रोगी विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र, जिसमें एक माइनर प्रक्रिया कक्ष भी शामिल है, पचास वर्ग मीटर होगा।

(v) ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए उन्नत नैदानिक सुविधाओं के साथ अमराज़े उज़्न, अनफ़ व हलक (कान, नाक और गले के रोग) के नाम पर एक विशेष बाह्य-रोगी विभाग (माइनर चिकित्सा या प्रक्रिया कक्ष के साथ संलग्न) होगा, जिसमें प्रति दिन न्यूनतम साठ रोगी होंगे और 1:4 के छात्र बिस्तर अनुपात में अतिरिक्त अंत:रोगी विभाग के बिस्तर (अर्थात एक छात्र के लिए चार बिस्तर) उपलब्ध होंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था होगी और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री) में अंत:रोगी विभाग में औसत भरे हुए बिस्तर साठ प्रतिशत से कम नहीं होंगे; अमराज़े उज़्न, अनफ़ व हलक (कान, नाक और गले के रोग) बाह्य रोगी विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र, जिसमें एक माइनर प्रक्रिया कक्ष भी शामिल है, पचास वर्ग मीटर होगा। यह बाह्य रोगी विभाग उज़्न, अनफ़, हलक स्थितियों वाले रोगियों को देखेगा लेकिन ऐन और अस्नान से संबंधित प्रकरणों को नहीं संभालेगा।

(vi) कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी विभाग (अटैच्ड विद एग्जामिनेशन कम प्रोसीजर रूम) होगा, जिसमें प्रति दिन कम से कम साठ रोगी होंगे, और कबालत व निस्वान से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए प्रक्रियात्मक कक्ष में कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) के लिए विशेष ऑपरेशन थियेटर होगा । 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात में अतिरिक्त अंत: रोगी विभाग के बिस्तर (अर्थात एक छात्र के लिए चार बिस्तर) उपलब्ध कराए जाएंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था होगी और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास प्रदान किया जाएगा; कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) अंत:रोगी विभाग में औसत भरे हुए बिस्तर साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा; प्रसूति कक्ष में प्रति माह न्यूनतम 10 प्रसव कराए जाएंगे।

कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) बाह्य रोगी विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र, जिसमें एक एग्जामिनेशन कम प्रोसीजर रूम भी शामिल है, पचास वर्ग मीटर का होगा।

(vii) (ए) इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी विभाग होगा, जिसमें प्रति दिन न्यूनतम साठ मरीज होंगे, और 1:4 के छात्र-बिस्तर अनुपात में (अर्थात एक छात्र के लिए चार बिस्तर) अतिरिक्त अंतःरोगी विभाग के बिस्तर होंगे। वार्ड में बैठने की व्यवस्था होगी और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स) अंतःरोगी विभाग में औसत भरे हुए बिस्तर साठ प्रतिशत से कम नहीं होंगे। इस विभाग में टीकाकरण प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी; इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स)बाह्य रोगी विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पच्चीस वर्ग मीटर होगा।

(बी) इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स) बाह्य रोगी विभाग के लिए आवश्यक उपकरण और सहायक उपकरण, स्तनपान के लिए सीमांकित क्षेत्र, न्यूनतम स्थान और सुविधाओं के साथ नवजात गहन देखभाल इकाई, स्कूल एडॉप्शन और न्यूनतम स्थान और सुविधाओं के साथ बाल विकास क्लिनिक चाइल्ड डेवलपमेंट क्लिनिक इन विनियमों में विनियम 7 के उप-विनियम (xiii) के खंड (बी), (सी), (डी), और (ई) के अनुसार होगा।

(viii) अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी) के स्नातकोत्तर विभाग में स्नातकोत्तर शिक्षकों और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक विशेष बाह्य रोगी विभाग (अटैच्ड विद माइनर थेरेपी कम प्रोसीजर रूम)) होगा, जिसमें प्रति दिन कम से कम साठ रोगी होंगे और 1:4 छात्र-बिस्तर का अनुपात (अर्थात एक छात्र के लिए चार बिस्तर) बिस्तरों की संख्या के साथ अंतःरोगी विभाग होगा। वार्ड में बैठने की व्यवस्था होगी और रात्रि ड्यूटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी) अंतःरोगी विभाग में औसत भरे हुए बिस्तर साठ प्रतिशत से कम नहीं होंगे; अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी) बाह्य रोगी विभाग के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र पचास वर्ग मीटर होगा।

(ix) (ए) माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) विभाग में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के प्रकरण में, स्नातकोत्तर छात्र यूनानी निदान, नैदानिकी और शोध प्रबंध या अनुसंधान कार्य में अपने प्रशिक्षण के लिए अस्पताल के बाह्य रोगी विभागों, अंतःरोगी विभागों और डायग्नोस्टिक ज़ोन का उपयोग या सहयोग कर सकते हैं।

(बी) माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) विभाग के प्रमुख या संस्थान के प्रमुख द्वारा नामित माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) विभाग के एक संकाय सदस्य को यूनानी सिद्धांतों के संदर्भ में शिक्षण और प्रशिक्षण की सीमा तक नैदानिक जांच या परीक्षणों पर हस्ताक्षर करने और प्रमाणित और व्याख्या करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

(x) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) के अंतर्गत तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के स्नातकोत्तर छात्र अपने प्रशिक्षण, सर्वेक्षण शोध प्रबंध या अनुसंधान कार्य के लिए अस्पताल के बाह्य रोगी विभागों, अंतरंग रोगी विभागों, योग और रियाज़त अनुभाग और फिजियोथेरेपी अनुभाग का उपयोग या सहयोग कर सकते हैं।

(xi) अस्पताल में शवों को रखने या संरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज के साथ एक शवगृह हो सकता है, या इसमें उन चिकित्सा प्रतिष्ठानों के साथ समझौता ज्ञापन हो सकता है जिनके पास शवगृह सुविधाएं हैं। शवगृह के कर्मचारियों को आउटसोर्स किया जा सकता है।

(xii) अस्पताल में एक नैदानिक अनुसंधान प्रकोष्ठ होगा, जिसमें विनियम 7 के उप-विनियमन (xix) में निर्दिष्ट स्थान, सुविधाओं और कार्यों के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं होंगी। मानव संसाधन, विनियमन 14 के उप-विनियमन (2), खंड (यू), उप-खंड (vii), के अंतर्गत नीचे प्रदान की गई तालिका में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुसार होंगे।

(डी) **बिस्तरों की संख्या, पेंशेट अटेडेंस और बिस्तर अधिभोग की आवश्यकता-**

(i) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी कॉलेजों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में निर्दिष्ट साठ बिस्तरों वाले अस्पताल (अर्थात साठ छात्र प्रवेश क्षमता के लिए उल्लिखित) प्रत्येक अंतरंग रोगी विभाग के लिए आवश्यक बिस्तरों की संख्या के अतिरिक्त, संबंधित स्नातकोत्तर कार्यक्रम का संचालन करने वाले स्नातकोत्तर विभाग मोआलाजात (मेडिसिन), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स), जराहत (सर्जरी), ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री), कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी), अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी), 1: 4 के छात्र-बिस्तर अनुपात में अतिरिक्त बिस्तर बनाए रखेंगे।

(ii) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) की विशेषज्ञता, इल्मुल समूम के रोगियों की भर्ती के लिए मोआलाजात (मेडिसिन) का अंतःरोगी विभाग छात्र बिस्तर अनुपात में 1:4 अतिरिक्त बिस्तर बनाए रखेगी ।

(iii) सामान्य रूप से, पिछले एक कैलेंडर वर्ष (300 दिन) के दौरान साठ बिस्तरों वाले अस्पताल के बाह्य रोगी विभागों में रोगियों की दैनिक औसत अटेंडेस प्रति दिन न्यूनतम एक सौ बीस रोगियों की होगी; तथापि,

(ए) मोआलाजात (मेडिसिन), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स), जराहत (सर्जरी), ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री), कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) और अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी) के स्नातकोत्तर बाह्य-रोगी विभाग में न्यूनतम बाह्य-रोगी अटेंडेस पिछले एक कैलेंडर वर्ष (300 दिन) के दौरान जैसा कि लागू है प्रतिदिन साठ से कम मरीज नहीं होगी।

(बी) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) की विशेषता के लिए इल्मुल समूम (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) के स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभाग में पिछले एक कैलेंडर वर्ष (300 दिन) के दौरान न्यूनतम बाह्य रोगी अटेंडेस प्रति दिन तीस से कम मरीज नहीं होंगे;

(सी) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ) विशेषज्ञता के स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभाग में पिछले एक वर्ष (300 दिन) के दौरान न्यूनतम दैनिक औसत बाह्य रोगी उपस्थिति प्रतिदिन पचास से कम व्यक्ति नहीं होंगे।

(iv) (ए) मोआलाजात (मेडिसिन), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स), जराहत (सर्जरी), ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री), कबालत व

निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी)और अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी) संबंधित विभाग के अंतरंग रोगी विभाग जिसमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, न्यूनतम वार्षिक औसत बिस्तर अधिभोग पिछले एक कैलेंडर वर्ष (365 दिन और लीप वर्ष के प्रकरण में 366 दिन) के दौरान, साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा;

(बी) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) की विशेषज्ञता विभाग के मोआलाजात के अंतरंग रोगी विभाग (मोलाजत के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आवंटित बेड की संख्या को छोड़कर) में इल्मुल समूम के रोगियों के लिए न्यूनतम वार्षिक औसत बिस्तर अधिभोग पिछले एक कैलेंडर वर्ष (365 दिन और लीप वर्ष के प्रकरण में 366 दिन) साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा;

(सी) हालांकि, जिस विभाग में स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित नहीं होता है, वहां पिछले एक कैलेंडर वर्ष (365 दिन और लीप वर्ष के प्रकरण में 366 दिन) के दौरान संबंधित रोगी विभाग में बिस्तर अधिभोग चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

(ई) **स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए अस्पताल स्टाफ की आवश्यकताएं**- (i) स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थानों में शिक्षण अस्पताल, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में साठ बिस्तरों वाले अस्पताल (साठ छात्रों की क्षमता) के लिए उल्लिखित अस्पताल कर्मचारियों के अतिरिक्त उपखंड (iii) में नीचे दी गई तालिका के अनुसार अस्पताल के कर्मचारियों की संख्या को बनाए रखेगा।

(ii) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के शिक्षण संकाय संबंधित स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता या कार्यक्रम के बाह्य रोगी विभाग और अंतरंग रोगी विभागों के सलाहकार होंगे।

(iii) तथापि, प्रत्येक विभाग [मोआलाजात (मेडिसिन), इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी), इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स), जराहत (सर्जरी), ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री), कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी), अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी) और तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) और तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) की विशेषज्ञता में जिसमें स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम नहीं किया जाता है, में प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर के कैडर में न्यूनतम एक सलाहकार होगा । वह संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होगा और उसे विशिष्ट शिक्षक कोड प्रदान किया जाएगा और अनुभव के वर्ष को इन विनियमों में विनियम 32 के उप-विनियम (7) के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा शिक्षण अनुभव के रूप में गिना जाएगा।

तालिका

अस्पताल स्टाफ की न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताएँ

(साठ बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए निर्दिष्ट अस्पताल स्टाफ के अतिरिक्त स्टाफ)

क्र.सं. (1)	आवश्यक स्टाफ (2)	आवश्यक संख्या (3)
1	नर्सिंग स्टाफ	अंतरंग रोगी विभागों में प्रत्येक दस बेड के लिए एक;

		क़बालत व निस्वान ऑपरेशन थियेटर के लिए दो नर्सें; मोआलाजात (मेडिसिन) विभाग में प्रत्येक गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) बिस्तर के लिए एक नर्स; और इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स) विभाग में नवजात गहन चिकित्सा इकाई के लिए 2 नर्सें।
2	क्लिनिकल रजिस्ट्रार या सीनियर रेजिडेंट या रेजिडेंट डॉक्टर	प्रत्येक बीस बिस्तरों के लिए एक
3	आया	प्रत्येक बीस बिस्तरों के लिए एक

नोट 1 एक दिन में शिफ्ट के अनुसार नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

2. इलाज बित तदाबीर के लिए रोगियों की संख्या के अनुसार चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

3. बाल चिकित्सा चिकित्सक, ऑक्यूपेशनल चिकित्सक और स्पीच चिकित्सक को इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स) विभाग के लिए अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जा सकता है।

4. स्नातकोत्तर छात्रों को नैदानिक रजिस्ट्रार या सीनियर रेजिडेंट या रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते छात्रों को वजीफा या वेतन का भुगतान किया जाएगा।

5. सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, सफाई कर्मचारी, धोबी, माली, ड्राइवर, हाउसकीपिंग स्टाफ, कुक, रखरखाव स्टाफ, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, यदि अतिरिक्त संख्या में आवश्यकता हो, तो आउट-सोर्सिंग द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

6. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत किसी भी कौशल विकास एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षित कुशल वृत्तिकों को अस्पताल के कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय, उपलब्धता के अधीन, वरीयता दी जाएगी।

(4) प्रयोग क्षेत्र: इस क्षेत्र में निम्नलिखित होंगे : -

(ए) (i) केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला: प्रत्येक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान में स्नातकोत्तर छात्रों के साथ-साथ शिक्षण संकाय द्वारा विभिन्न अनुसंधान प्रयोग करने के लिए तीसरी अनुसूची के अनुसार उन्नत अनुसंधान सुविधाओं के साथ एक केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला होगी।

(ii) प्रयोगशाला और विश्लेषणात्मक उपकरणों से भली भांति परिचितकिसी भी विभाग का एक संकाय सदस्य केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला का प्रभारी होगा।

(iii) यह इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के अंतर्गत कार्य करेगी और इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के प्रोफेसर सह प्रमुख केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के प्रमुख होंगे;

(iv) केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र एक सौ पचास वर्ग मीटर होगा;

(बी) गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला: (i) इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी) और इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी) में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रकरण में एक उन्नत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला होगी।

(ii) यह प्रयोगशाला, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 की **अनुसूची - XI** के 'बी' के अंतर्गत निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, उपस्करों, उपकरणों, आदि के साथ-साथ स्नातकोत्तर शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए इन नियमों की **पांचवीं अनुसूची** में उल्लिखित उपकरणों और सहायक उपकरणों की व्यवस्था करेगी।

(iii) यह इंटीग्रेटिवस हैल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च एंड विभाग के अंतर्गत कार्य करेगी और इंटीग्रेटिव हैल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च का विभाग का प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष इस गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला का प्रमुख होगा।

(iv) संस्थान के प्रमुख द्वारा नामित इल्मुल अदविया या इल्मुल सैदला का एक शिक्षण संकाय सदस्य, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला का प्रभारी होगा।

(v) गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र एक सौ वर्ग मीटर होगा।

(सी) स्वीकृत एनिमल हाउस और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन लेबोरेटरी: (i) इसे इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी), इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी), तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) और कुल्लियात (बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ़ यूनानी मेडिसिन) विभाग में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के प्रकरण में उपलब्ध कराया जाएगा।

(ii) इसके पास **चौथी अनुसूची** के अनुसार संबंधित अधिकारियों से उचित अनुमति, पर्याप्त बुनियादी ढांचा, सुविधाएं, होंगे;

(iii) इल्मुल अदविया, इल्मुल सैदला, तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन), या कुल्लियात विभाग के संकाय सदस्य एनिमल हाउस और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन लेबोरेटरी के प्रभारी होंगे।

(iv) एनिमल हाउस और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन लेबोरेटरी इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के अंतर्गत कार्य करेगी और इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के प्रोफेसर सह प्रमुख एनिमल हाउस और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन लेबोरेटरी के प्रमुख होंगे।

(v) एनिमल हाउस और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन लेबोरेटरी के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र दो सौ पचास वर्ग मीटर होगा।

(डी) केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला, एनिमल हाउस और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन लेबोरेटरी को विनियम 14 के उप-विनियम (2), खंड (यू), उप-खंड (vii), के नीचे दी गई तालिका के अनुसार मानव संसाधन प्रदान किए जाएंगे।

15. इन विनियमों की अधिसूचना से पहले स्थापित स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थानों द्वारा अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं का अनुपालन करने की समय-सीमा

(1) स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान द्वारा अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने की समय-सीमा नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगी।

तालिका

इन विनियमों की अधिसूचना से पहले स्थापित स्टैंड-अलोन संस्थानों द्वारा अतिरिक्त न्यूनतम आवश्यक मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने की समय-सीमा।

क्र.सं.	**मानक या इकाई या सेक्शन ग या सुविधा**	**समय-सीमा** (आधिकारिक राजपत्र में इन नियमों के अधिसूचना की तिथि से)
(1)	**(2)**	**(3)**
1	केंद्रीय कार्यशाला या रखरखाव कक्ष	अठारह माह
2	क्लोज सर्किट टेलीविजन	छह माह
3	सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ और अवसंरचना	छह माह
4	फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला (इल्मुल अदविया विभाग)	बारह माह
5	ग्रीन हाउस (इल्मुल अदविया विभाग)	अठारह माह

6	गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में अतिरिक्त उपकरण और सहायक उपकरण	तत्काल
7	माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) प्रैक्टिकल लेबोरेटरी (माहियातुल अमराज़ विभाग) में प्रतिरक्षाविज्ञान और हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षण करने के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रयोगशाला और अतिरिक्त सुविधाएं।	बारह माह
8	तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) की स्नातकोत्तर विशेषता या कार्यक्रम के लिए विष का पता लगाने की उन्नत सुविधा	बारह माह
9	स्नातकोत्तर विभाग के अनुसार सेमिनार हॉल और कॉमन सेमिनार हॉल	अठारह माह
10	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए केंद्रीय पुस्तकालय और विभागीय पुस्तकालय की आवश्यकताएँ	छह माह
11	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए डिजिटल पुस्तकालय सुविधाएं	अठारह माह
12	स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कॉमन रूम (लड़के और लड़कियां अलग-अलग)	अठारह माह
13	शिक्षण स्टाफ के लिए कॉमन रूम (पुरुष और महिला अलग-अलग)	अठारह माह
14	क्लीनिकल स्किल और सिमुलेशन लेबोरेटरी(स्नातकोत्तर विभाग की विशिष्ट आवश्यकताएँ)	अठारह माह
15	मानव संसाधन विकास सेल कक्ष	अठारह माह
16	फार्माकोविजिलेंस सेल रूम	अठारह माह
17	कॉलेज परिषद कक्ष	अठारह माह
18	छात्र सहायता और मार्गदर्शन, कैरियर मार्गदर्शन और प्लेसमेंट सेल, शिकायत निवारण सेल, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध समिति- कॉमन रूम	अठारह माह
19	आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल कक्ष	अठारह माह
20	एंटी-रैगिंग कमेटी और एंटी-रैगिंग स्क्वाड रूम	अठारह माह
21	इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग	बारह माह
22	केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में सुविधाएं	तत्काल
23	एनिमल हाउस और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन लेबोरेटरी में सुविधाएं	अठारह माह
24	नैदानिक अनुसंधान सेल में सुविधाएं	अठारह माह
25	सभी सुविधाओं के साथ साहित्यिक चोरी जांच सेल	छह माह
26	स्नातकोत्तर बाह्य रोगी विभागों में अटैच्ड चिकित्सा / प्रक्रिया कक्ष जैसा कि लागू हो	छह माह
27	नवजात गहन चिकित्सा इकाई, बाल विकास क्लिनिक (इल्मुल अतफ़ाल विभाग)	अठारह माह
28	कन्स्ट्रक्शन (बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर)	अठारह माह
29	स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए विभागवार उपकरण और सहायक उपकरण जिसमें स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं	छह माह
30	मानव संसाधन	बारह माह

नोट: 1. उपर्युक्त समय-सीमा भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास और उपकरण और सहायक उपकरणों को प्राप्त करने के लिए है। हालांकि, इन नियमों में उल्लिखित समितियों का गठन और विभिन्न इकाइयों या सेल के कार्य एक माह के भीतर प्रारंभ किए जाएंगे।

2. स्नातकोत्तर शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान (जैसा लागू हो) के लिए इस विनियमन में निर्धारित बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में अन्य सभी नए मानकों, परिवर्धन या विस्तार को पूर्ण किया जाएगा।

3. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में साठ बिस्तरों वाले अस्पताल (अर्थात साठ छात्रों की प्रवेश क्षमता) के लिए निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में अन्य सभी नए मानक या परिवर्धन या विस्तार, उक्त में विनियमन 15 के उप-विनियमन (3) के अनुसार दी गई समय-सीमा के अनुसार पूर्ण किया जाएगा जिसमें बुनियादि ढांचे का निर्माण भी शामिल है।

(2) उप-विनियमन (1) में उल्लिखित समयसीमा अधिकतम है और उसके बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी।

अध्याय-VI
निरीक्षण या विज़िटेशन या आकलन

16. (1) स्नातकोत्तर संस्थानों में जहां स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है, में पूर्ण रूप से स्थापित मौजूदा स्नातकोत्तर विभागों और स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों का स्वत: निरीक्षण दौरा (विज़िटेशन) या आकलन अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा किया जाएगा ।

(2) स्नातकोत्तर संस्थानों के प्रकरण में जहां एक स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है, स्नातक संस्थान और स्नातकोत्तर विभागों के लिए निरीक्षण, विज़िटेशन , या आकलन या तो एक साथ या पृथक रूप से अलग-अलग समय पर किया जाएगा, जिसमें स्नातकोत्तर विभागों के लिए अनन्य आगंतुक या निरीक्षक या आकलनकर्ता होंगे।

(3) स्नातक महाविद्यालयों और स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थानों में पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभागों का भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा पृथक रूप से निरीक्षण, विज़िटेशन या आकलन (अर्थात, विभाग-वार निरीक्षण या विज़िटेशन) किया जाएगा ।

(4) इन विनियमों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभागों या स्नातकोत्तर विशिष्टताओं के साथ-साथ एक ही विभाग के अंतर्गत एकाधिक कार्यक्रमों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्: (ए) विस्तारित अनुमति और (बी) वार्षिक अनुमति।

(5) (ए) अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत एक पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभाग या विशिष्टता जिसे भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा लगातार पिछले तीन वर्षों के लिए अनुमति दी गई है, को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा "विस्तारित अनुमति" श्रेणी के अंतर्गत स्नातकोत्तर विभाग या विशिष्टता के रूप में माना जाएगा;

(बी) "विस्तारित अनुमति" स्थिति निम्नलिखित स्थितियों में स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं के लिए लागू नहीं होगा, यदि, -

(i) अधिनियम, 2020 की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा जिस स्नातकोत्तर विभाग या विशिष्टता पर कार्रवाई की गई;

(ii) स्नातकोत्तर विभाग, विशिष्टता या संस्थान के विरुद्ध कोई विधिक विषय या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है;

(iii) कॉलेज या संस्थान ने इन नियमों में निर्दिष्ट स्नातकोत्तर छात्रों के प्रवेश संबंधी नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर जारी परामर्श (काउंसलिंग) और प्रवेश दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है;

(iv) यदि स्नातकोत्तर विभाग अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत हैं, तथापि एक ही विभाग के भीतर एकाधिक स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के प्रकरण में, अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत स्नातकोत्तर कार्यक्रम को छोड़कर, कोई अन्य पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर कार्यक्रम जो पहले से ही विस्तारित श्रेणी में है, तब तक विस्तारित अनुमति स्थिति में जारी रहेगा जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

(v) वह संस्थान जिसने आयोग के आधिकारिक बैंक खाते में विस्तारित अनुमति के वर्ष के लिए वार्षिक निरीक्षण या विज़िटेशन शुल्क जमा नहीं किया है।

(6) "विस्तारित अनुमति" की श्रेणी के अंतर्गत स्नातकोत्तर विभाग या विशिष्टता परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से अनुमति प्राप्त किए बिना स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार प्रत्येक वर्ष छात्रों को प्रवेश देने के लिए पात्र है, जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वत: निरीक्षण या आकलन के परिणामस्वरूप ऐसी अनुमति से अस्वीकार या अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए;

(7) (ए) अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभाग या विशिष्टताएं जो उप-विनियमन (5) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा "वार्षिक अनुमति" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

(बी) "वार्षिक अनुमति" श्रेणी के अंतर्गत स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों के स्नातकोत्तर विभाग या विशिष्टता केवल भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही परामर्श प्रक्रिया में भाग लेंगे और प्रत्येक वर्ष छात्रों को प्रवेश देंगे।

(8) (ए) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा किया गया निरीक्षण, विज़िटेशन या आकलन छात्रों को प्रवेश देने के लिए विस्तारित अनुमति जारी रखने या वार्षिक अनुमति देने या अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (एफ), में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे उपाय करने के लिए होगा।

(बी) सभी चिकित्सा संस्थान चाहे कोई भी श्रेणी हो, विस्तारित अनुमति हो या वार्षिक अनुमति के साथ, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा (वास्तविक समय या आवधिक) या सूचना या दस्तावेज अपलोड करते रहेंगे।

(सी) सभी संस्थान, श्रेणी की परवाह किए बिना या तो विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति के साथ, लागू करों के साथ वार्षिक निरीक्षण या विज़िटेशन शुल्क एक लाख प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रम और डिज़िटाइज़ेशन शुल्क पचास हजार रुपये प्रति स्नातकोत्तर कार्यक्रम जमा करेंगे। इन शुल्कों का भुगतान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि के पक्ष में आयोग के आधिकारिक बैंक खाते में ऑनलाइन

भुगतान मोड (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के माध्यम से निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर किया जाएगा।

(डी) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा 'विस्तारित अनुमति' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं के लिए, इन विनियमों में उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों के पूर्ण अनुपालन का उल्लेख करते हुए, संस्थान एक शपथपत्र (भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप और प्रस्तुत करने की अवधि के अनुसार) प्रस्तुत करेगा।

(ई) इन विनियमों में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति का आकलन करने के लिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, विभाग या विशिष्टता या संस्थान का शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष किसी भी समय स्वत: निरीक्षण, विज़िटेशन या आकलन भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके और माध्यम से करेगा;

(एफ) आकलन की अवधि विज़िटेशन, निरीक्षण या आकलन के माह से पहले बारह माह होगी। इस बारह माह की अवधि के लिए संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा का उपयोग आकलन के लिए किया जाएगा।

(जी) आकलन के बाद, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड 'वार्षिक अनुमति' श्रेणी के अंतर्गत स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं वाले संस्थानों के आकलन, निरीक्षण या विज़िटेशन के निर्णय के बारे में सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष, प्रवेश के लिए काउन्सलिंग प्रारंभ होने से साठ दिन पहले सूचित करेगा,

(एच) यदि स्नातकोत्तर विभाग या "विस्तारित अनुमति" श्रेणी के अंतर्गत विशिष्टता को किसी विशेष शैक्षणिक वर्ष के लिए आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति (एएसीसीसी) द्वारा प्रवेश के लिए काउन्सलिंग से प्रारंभ होने के साठ दिन पहले सामान्य रूप से कोई संचार प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि स्नातकोत्तर विभाग या विशिष्टता विस्तारित अनुमति की अपनी स्थिति को बरकरार रखती है और उसे प्रासंगिक नियमों के प्रावधानों के अनुसार परामर्श और प्रवेश प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी;

(आई) (i) आकलन या विज़िटेशन या निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान, दस्तावेजों में या डेटा में या न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति में या स्नातकोत्तर विभाग की कार्यक्षमता में या 'विस्तारित' अनुमति" श्रेणी के अंतर्गत स्नातकोत्तर संस्थानों की विशिष्टता में कोई कमी पाई जाती है। और इसके आधार पर, यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ), के अनुसार न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूर्ण न करने के कारण कोई कार्रवाई प्रारंभ करता है, इस प्रकार के निर्णय को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति (एएसीसीसी) द्वारा प्रवेश हेतु काउंसलिंग से साठ दिन पहले संबंधित कॉलेज या संस्थान को सूचित किया जाएगा;

(ii) ऐसे प्रकरण में, ऐसे स्नातकोत्तर विभाग या विशिष्टता के लिए विस्तारित अनुमति की स्थिति वापस ले ली जाएगी, और 'वार्षिक अनुमति' श्रेणी से संबंधित सभी नियम और विनियम लागू होंगे; ऐसे संस्थान उप-विनियम (5) में निर्दिष्ट शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात ही पुनः 'विस्तारित अनुमति' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं;

(जे) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड को संस्थानों का किसी भी समय पुनः विज़िटेशन करने की और वर्ष में कितनी भी बार आकलन, निरीक्षण या विज़िटेशन करने की शक्ति होगी;

(के) (i) जो संस्थान लगातार तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए छात्रों को प्रवेश नहीं देने की अनुमति चाहते हैं, या जिनके स्नातकोत्तर विभागों, विशिष्टताओं या संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा लगातार तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति से वंचित कर दिया गया

है, उन्हें बंद माना जाएगा और एम. ए. आर. बी. आई. एस. एम, आयोग को ऐसे संस्थानों को बंद करने की सिफारिश करेगा; ।

(ii) यदि ऐसा संस्थान या स्नातकोत्तर विभाग पुनः आरंभ करना चाहता है, तो उसे अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत नई स्थापना की प्रक्रिया से गुजरना होगा;

(एल) (i) "'दोषों को सुधारने' का प्रावधान मौजूदा पूर्ण रूप से स्थापित संस्थानों, स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं पर लागू नहीं होगा।

(ii) चूंकि ये न्यूनतम आवश्यक मानक हैं, अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्थापित मौजूदा चिकित्सा संस्थानों या स्नातकोत्तर विभागों को "दोषों को सुधारने" का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा;

(iii) अनुमति से अस्वीकार करने या सीटों की कटौती आदि का आदेश जारी करने से पहले, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा ऐसे चिकित्सा संस्थानों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा;

(एम) यदि कोई कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड के निर्णय से व्यथित है, तो वह अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (3) के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा दिए गए ऐसे निर्णय की सूचना के तीस दिनों के भीतर ऐसे निर्णय के खिलाफ आयोग को अपील कर सकता है; कोई भी निर्णय लेने से पहले, अपीलकर्ता संस्था को आयोग के निर्णायक प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जा सकता है

अध्याय-VII

स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम की शिक्षा के न्यूनतम मानक

[डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (एमडी) और मास्टर ऑफ सर्जरी (एमएस)]

17. सामान्य विचार - स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन-एमडी और मास्टर ऑफ सर्जरी-एमएस) का उद्देश्य संबंधित स्नातकोत्तर कार्यक्रम के फोकस और दक्षताओं के साथ विशेषज्ञ शिक्षकों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, उद्यमियों को तैयार करना है, अर्थात्:-

(1) कुल्लियाते तिब (बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ़ यूनानी मेडिसिन) -

(ए) यूनानी चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांतों और उसके अनुप्रयोगों को समझने की क्षमता;

(बी) समकालीन वैज्ञानिक आधार पर यूनानी बुनियादी सिद्धांतों को स्थापित करने में दक्षता;

(सी) प्राचीन यूनानी साहित्य की विभिन्न टिप्पणियों को समझने और उन्हें बुनियादी सिद्धांतों की समझ के लिए उचित रूप से लागू करने की क्षमता;

(डी) यूनानी चिकित्सा आधारित अनुसंधान प्रोटोकॉल विकसित करने में कुशल;

(ई) प्राचीन पांडुलिपियों को पढ़ने, यूनानी शब्दावली के साहित्यिक अर्थ को समझने और परिभाषित करने में और सामग्री का वर्णन करने में सक्षम;

(एफ) उचित समझ और अनुप्रयोगों के लिए बुनियादी सिद्धांतों के वैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलुओं को लिखने और उचित ठहराने की क्षमता;

(जी) बायोकैमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स और एप्लाइड फ़िज़ियॉलोजी के उन्नत ज्ञान के साथ कुल्लियात उमूरे तबिया (फिजिक्स के कारक) - अरकान, मिज़ाज, अख़लात, आज़ा, अरवाह, कुवा और अफ़ाल को समझने की क्षमता;

(एच) कुल्लियात -ए-असबाब ओ अलामत को समझने की क्षमता;

(आई) कुल्लियात उसूल-ए-तशख़ीस व तजवीज़ को समझने की क्षमता;

(जे) इत्तालकी कुल्लियात को समझने की क्षमता;

(के) कुल्लियाते तिब में स्नातकोत्तर डिग्री धारक कुल्लियाते तिब (स्पेशलिस्ट ऑफ़ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ़ यूनानी मेडिसिन) में विशेषज्ञ या माहिरे होगा; अर्थात् यूनानी बुनियादी सिद्धांतों और उनके अनुप्रयोगों के महत्वपूर्ण आकलन कार्य में विशिष्ट होगा।"

(2) तशरीहुल बदन (ह्यूमन एनोटॉमी)-

(ए) मानव शरीर की समकालीन संरचना और उसके व्यावहारिक नैदानिक पहलुओं की समझ;

(बी) मानव शरीर को व्यवस्थित रूप से विच्छेदित (डीसेक्ट) करने में सक्षम;

(सी) सर्जिकल एनाटॉमी, सर्जरी, ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी में एप्लाइड एनाटॉमी का प्रदर्शन करने में कुशल;

(डी) यूनानी चिकित्सा आधारित अनुसंधान प्रोटोकॉल विकसित करने की क्षमता;

(ई) "शरीर रचना संग्रहालय के लिए शवों को लेप करने और अंगों और नमूना अंशों को तैयार करने की क्षमता।

(एफ) अंगों और नमूनों के प्लास्टिनेशन के लिए कौशल हासिल करना;

(जी) 3डी एनाटॉमी, वर्चुअल डिसेक्शन टेबल, ई-विच्छेदन (डिसेक्शन) और अन्य सॉफ्टवेयर जैसी उन्नत एनाटॉमिकल एडस को समझने और प्रदर्शित करने की क्षमता;

(एच) तशरीहुल बदन में स्नातकोत्तर डिग्री धारक **तशरीहुल बदन** (यूनानी एनाटोमिस्ट) में विशेषज्ञ या **माहिर** होगा।

(3) मनाफेउल आज़ा (फ़िज़ियॉलोजी) -

(ए) मानव शरीर के शारीरिक कार्यों को समझने और प्रदर्शित करने की क्षमता;

(बी) यूनानी बुनियादी सिद्धांतों के शरीर क्रिया के पहलुओं को समझना, आकलन करना, मूल्यांकन करना और रेटिंग करना;

(सी) शरीर के तरल पदार्थ और अखलात के बीच तुलनात्मक अध्ययन;

(डी) मानव शरीर की जैव रसायन और यूनानी जीव विज्ञान के ज्ञान को समझने और लागू करने में सक्षम;

(ई) अखलात या यूनानी जीनोमिक्स के प्रभुत्व के अनुसार विभिन्न मनोदशाओ में मानव शरीर की शारीरिक विविधताओं का अध्ययन करना;

(एफ) मनाफेउल आज़ा के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान करने की क्षमता;

(जी) शरीर क्रिया परीक्षण और प्रयोग आयोजित करने या प्रदर्शित करने की क्षमता;

(एच) समकालीन वैज्ञानिक तर्ज पर यूनानी फ़िज़ियॉलोजी का सहसंबंध और अनुवाद करने में सक्षम;

(आई) मनाफेउल आज़ा में स्नातकोत्तर डिग्री धारक **मनाफेउल आज़ा** (यूनानी फिजियोलॉजिस्ट) में विशेषज्ञ या **माहिर** होगा।

(4) इल्मुल अदविया (मटेरिया मेडिका, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नॉसी)।-

(ए) हर्बल, खनिज और पशु मूल के कच्चे माल (दवाओं) की पहचान और प्रमाणीकरण की क्षमता विकसित करना;

(बी) कच्ची औषधियों का शुद्धिकरण व्यवस्थित तरीके से करने और इसे वैज्ञानिक रूप से समझाने में सक्षम;

(सी) प्रमाणित प्राचीन यूनानी साहित्य और इसकी वैज्ञानिक भावना की प्रासंगिकता में यूनानी औषधियों के औषधीय गुणों की व्याख्या करने की क्षमता;

(डी) समकालीन तर्ज पर यूनानी दवाओं की औषधीय इवेंटस को समझना और समझाना;

(ई) फाइटोकेमिकल और फार्माकोग्नॉस्टिक प्रयोगों को संचालित करने या प्रदर्शित करने की क्षमता;

(एफ) पशु अध्ययन सहित औषधीय प्रयोगों का संचालन और प्रदर्शन करने की क्षमता;

(जी) मिलावट करने वालों की पहचान करने और विकल्प सुझाने में क्षमता ;

(एच) विवाद को दूर करने और वैकल्पिक औषधियों का सुझाव देने की क्षमता;

(आई) यूनानी चिकित्सा में नई एकल औषधीय या औषधियों के औषधीय गुणों को परिभाषित करने की क्षमता;

(जे) पारंपरिक और वैज्ञानिक मापदंडों पर कच्ची औषधियों की गुणवत्ता परीक्षण करने में सक्षम होना;

(के) फॉर्मालॉजिकल अनुसंधान करने की क्षमता;

(एल) विषाक्तता अध्ययन करने की क्षमता;

(एम) टिशू कल्चर, जैव सूचना विज्ञान, नेटवर्क फार्माकोलॉजी, स्टेम सेल प्रयोग आदि उभरते क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करना;

(एन) औषधि मानकीकरण अध्ययन संचालित करने की क्षमता;

(ओ) औषधि भंडार के विकास के लिए ज्ञान प्राप्त करना;

(पी) इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिग्री धारक इल्मुल अदविया (यूनानी फार्माकोलॉजिस्ट) में विशेषज्ञ या माहिरे होगा जो अनिर्मित सामग्री (जड़ी बूटी, धातु, खनिज और पशु स्रोत) की पहचान, शुद्धिकरण और जैविक कार्यों में विशिष्ट होगा।

(5) इल्मुल सैदला (मटेरिया मेडिका, फार्मास्यूटिक्स और क्लिनिकल फार्मेसी)-

(ए) इल्मुल सैदला में मौलिक और व्यावहारिक ज्ञान;

(बी) रसायन विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी के आलोक में इल्मुल सैदला में वर्णित शुद्धिकरण और औषधि प्रसंस्करण विधियों को समझने की क्षमता;

(सी) यूनानी फॉर्मूलेशन में प्रयुक्त कच्चे माल की प्रामाणिकता का आकलन करने की क्षमता;

(डी) क्लासिकल खुराक फॉर्म तैयार करने की क्षमता;

(ई) नए खुराक रूपों या नई औषधि के विकास की क्षमता;

(एफ) पारंपरिक और वर्तमान उन्नत तरीकों के माध्यम से दवाओं की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए कौशल विकसित करने की क्षमता;

(जी) इल्मुल सैदला में अनुसंधान की आवश्यकता और क्षेत्रों की पहचान करने की क्षमता;

(एच) दवा मानकीकरण, गुणवत्ता परीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन विधियों और संबंधित उपकरणों या यंत्रों या सहायक उपकरणों या उपस्कर का ज्ञान होना;

(आई) सामग्री और परिचालन प्रबंधन, वितरण फार्मेसी, नैदानिक फार्मेसी और फार्मेसी अभ्यास की समझ और अनुप्रयोग;

(जे) मानक दवा डेटाबेस के ज्ञान में सिद्ध और दवा डोजियर तैयार करने में सक्षम। दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और प्रासंगिक कार्यों से परिचित ।

(के) फार्माकोविजिलेंस, इसकी आवश्यकता, दायरे और उद्देश्यों का ज्ञान ।

(एल) फार्मेसी और नैदानिक फार्मेसी के वितरण में अनुभव प्राप्त करना;

(एम) "नई दवाओं या संयोजनों को तैयार करने की क्षमता।

(एन) इल्मुल सैदला के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान करने की क्षमता;

(ओ) इल्मुल सैदला में स्नातकोत्तर डिग्री धारक इल्मुल सैदला (अर्थात यूनानी फार्मास्युटिकल विशेषज्ञ) में विशेषज्ञ होगा। जो यूनानी फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और क्लिनिकल फार्मेसी में विशिष्ट है।

(6) माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक्स) -

(ए) पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, इल्मुल अमराज़ नब्ज़ और बौल- ऑ-बराज़ का पर्याप्त ज्ञान (सैद्धांतिक और प्रायौगिक) प्राप्त करना;

(बी) सीरोलॉजी, जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पर्याप्त ज्ञान (सैद्धांतिक और व्यावहारिक) प्राप्त करना;

(सी) रोगों के निदान और पूर्वानुमान में यूनानी चिकित्सा के पारंपरिक और उन्नत नैदानिक मापदंडों को लागू करने की क्षमता (जैसे नब्ज़, बौल ओ बराज़ आदि);

(डी) जांच करने, यूनानी सिद्धांतों के संदर्भ में परिणामों की व्याख्या करने और जांच या परीक्षण रिपोर्ट को प्रमाणित करने की क्षमता;

(ई) पैथोलॉजी (हेमेटोलॉजी और मूत्र) सीरोलॉजी, जैव रसायन और शरीर के अन्य नमूनों से संबंधित जांच करने के कौशल विकसित करना;

(एफ) इल्मुल अमराज़ के विभिन्न पहलुओं में अनुसंधान करने की क्षमता;

(जी) यूनानी चिकित्सा के साथ-साथ समकालीन चिकित्सा विज्ञान में रोग स्थितियों के पैथोफिज़ियोलॉजी को समझने की क्षमता;

(एच) यूनानी सिद्धांतों के संदर्भ में जांच करने की क्षमता, परिणामों की व्याख्या करना, और शिक्षण और प्रशिक्षण के उद्देश्य से नैदानिक जांच या परीक्षणों की रिपोर्ट करना और प्रमाणित करना।

(आई) "यूनानी फ़िज़ियॉलोजी, यूनानी बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यूनानी जीनोमिक्स और संबंधित क्षेत्रों के माध्यम से पैथोलॉजी का वर्णन और प्रदर्शन करने की क्षमता।

(जे) माहियातुल अमराज़ में स्नातकोत्तर डिग्री धारक माहियातुल अमराज़ (यूनानी पैथोलोजिस्ट) में विशेषज्ञ या माहिर होगा। वह पैथोलॉजी और प्रयोगशाला निदान में विशेषज्ञ होगा।

(7) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ)-

(ए) निवारक, स्वास्थ्य कर और प्रोत्साहन स्वास्थ्य देखभाल के संदर्भ में यूनानी चिकित्सा के सिद्धांतों के आधार पर आहार और जीवनशैली में सुधार की सलाह देने की क्षमता;

(बी) स्वास्थ्य और कल्याण बनाए रखने के लिए नियमित सफाई विधियों पर परामर्श देने की क्षमता;

(सी) मिजाज, जीवन शैली और रोगों के अनुसार यूनानी आहार विकसित करने की क्षमता;

(डी) निवारक उपायों को प्रीस्क्राइव करने और निवारक दवाओं को प्रीस्क्राइव करने की क्षमता;

(ई) महामारी विज्ञान अनुसंधान के लिए अनुसंधान प्रोटोकॉल विकसित करने की क्षमता;

(एफ) पारंपरिक भोजन, यूनानी पोषण, फंक्शनल भोजन और पाक (कलिनरी) चिकित्सा सहित यूनानी आहार विज्ञान में विशेषज्ञ बनना;

(जी) यूनानी आहार प्रीस्क्राइव निर्धारित करने में योग्यता;

(एच) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और संबंधित नियामक दिशानिर्देशों में अद्यतन ज्ञान;

(आई) क्षेत्र सर्वेक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को अपनाने की क्षमता;

(जे) यूनानी के माध्यम से प्लेनेटरी हैल्थ सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान के क्षेत्र की पहचान करने में सक्षम;

(के) वैज्ञानिक तरीके से स्थानिक, महामारी और वैश्विक महामारी स्थितियों में यूनानी दवाईयों का प्रबंधन करने में सक्षम;

(एल) योग (योग सहित रियाज़त) चिकित्सा के लिए उपयुक्त नैदानिक स्थितियों की पहचान करने में सक्षम;

(एम) स्वास्थ्य, कायाकल्प, दीर्घायु और स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए योग (योग सहित रियाज़त) की सलाह देने में सक्षम;

(एन) निवारक, प्रोत्साहन और स्वस्थकर स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए योग (योग सहित रियाज़त) लागू अपनाना;

(ओ) योग और रियाज़त को एकीकृत करने के लिए अन्य विशेषज्ञों के साथ सहयोग करने में सक्षम;

(पी) समसामयिक तर्ज पर योग (योग सहित रियाज़त) से जुड़ी जैविक इवेंटस की व्याख्या करने में सक्षम ;

(क्यू) अनुसंधान हेतु क्षेत्र की पहचान करने और वैज्ञानिक मापदंडों को लागू करने में सक्षम होना;

(आर) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब में स्नातकोत्तर डिग्री धारक तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी आहार विज्ञान, जीवन शैली प्रबंधन, निवारक चिकित्सा और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ) में विशेषज्ञ या माहिरे होगा।

(8) तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी)-

(ए) विषाक्त स्थितियों, काटने या डंक का निदान करने और उनके चिकित्सा और प्रक्रियात्मक प्रबंधन को लागू करने की क्षमता;

(बी) अज्ञात ऑरिजिन मूल की विषाक्त स्थिति को सभालने की क्षमता;

(सी) निदान, आपातकालीन देखभाल और प्रबंधन के संदर्भ में समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान का विषाक्त स्थितियों में प्रयोग करने में सक्षम होना;

(डी) उपयुक्त एंटीडोट्स के निर्माण और विषाक्तता को हटाने में सक्षम;

(ई) चिकित्सा न्यायशास्त्र से संबंधित मामलों को संभालने में सक्षम;

(एफ) यूनानी सूत्रीकरण और औषधियों की सुरक्षा पर प्रयोगात्मक अध्ययन करने में सक्षम;

(जी) फार्माकोविजिलेंस को संभालने की क्षमता;

(एच) विष के कारण उत्पन्न नैदानिक स्थितियों और जटिलताओं का प्रबंधन करने में सक्षम।

(आई) विशेषता से संबंधित स्थितियों पर नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम।

(जे) तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम में स्नातकोत्तर डिग्री धारक तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) और मेडिकल जुरीसप्रूडेंस के विशेषज्ञ होंगे।

(9) मोआलाजात (मेडिसिन)

(ए) यूनानी निदान विधियों को लागू करके सामान्य रोगियों का नैदानिक रूप से निदान करने की क्षमता;

(बी) सामान्य नैदानिक स्थितियों का प्रबंधन करने की क्षमता;

(सी) नैदानिक जांच रिपोर्ट की व्याख्या और सहसंबंध बनाना, निदान पर पहुंचना और रोगियों का उपचार करना;

(डी) सामान्य रोगियों के लिए उपचार की दिशा निर्धारित करने में कुशल;

(ई) खुराक (डोज़) निर्धारित करने और उचित तरीके से लगाने में कुशल;

(एफ) निदान और उपचार में शरीर रचना विज्ञान (एनॉटमी) और शरीर क्रिया विज्ञान (फ़िज़ियॉलोजी) के ज्ञान और अनुभव को लागू करने की क्षमता।

(जी) गंभीर और पुरानी नैदानिक स्थितियों के लिए व्यापक उपचार प्रदान करने या निर्धारित करने की क्षमता

(एच) रोगों के प्रबंधन में सक्षम;

(आई) रोगों के पहचान में यूनानी और समसामयिक निदान लागू करने की क्षमता;

(जे) आपातकालीन चिकित्सा प्रदान करने की क्षमता;

(के) नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम;

(एल) मोआलाजात में स्नातकोत्तर डिग्री धारक मोआलाजात (यूनानी सामान्य चिकित्सा विशेषज्ञ) में विशेषज्ञ या माहिरे होगा।

(10) इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) -

(ए) इलाज बित तदाबीर के लिए उपयुक्त रोग स्थितियों की पहचान करने की क्षमता;

(बी) इलाज बित तदाबीर के माध्यम से मांसपेशियों, न्यूरोलॉजिकल, रुमेटोलॉजिकल, चोटों (ट्रॉमेटिक) स्थितियों और खेल चोटों के प्रबंधन में कौशल प्राप्त;

(सी) बाह्य उपचार प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने या निष्पादित करने की क्षमता;

(डी) आंतरिक मेडिसन और बाह्य मेडिसन को एकीकृत करने की क्षमता;

(ई) इलाज बित तदाबीर के लिए उपकरण या उपस्कर या प्रोसीजर विकसित करने में सक्षम;

(एफ) इलाज बित तदाबीर प्रक्रियाओं के माध्यम से कायाकल्प चिकित्सा करने की क्षमता;

(जी) बच्चों के लिए इलाज बित तदाबीर करने की क्षमता;

(एच) उपशामक देखभाल, दर्द प्रबंधन, पुनर्वास प्रबंधन और इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) के विभिन्न उपचार उपायों या तकनीकों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में प्रवीण।

(आई) संबंधित क्षेत्र में नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम;

(जे) इलाज बित तदाबीर में स्नातकोत्तर डिग्री धारक इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी विशेषज्ञ) में विशेषज्ञ या माहिर होगा।

(11) अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी)।

(ए) विशेषज्ञता से संबंधित नैदानिक परीक्षण करने की क्षमता;

(बी) गंभीर और पुरानी त्वचा विकारों के प्रबंधन या उपचार में सक्षम;

(सी) उचित इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) का उपयोग करके उपचार प्रक्रियाओं या बाहरी दवाएं देने में सक्षम;

(डी) नई रोगों के प्रबंधन के लिए उपचारात्मक उपाय विकसित करने में सक्षम;

(ई) निदान में उचित उपकरणों और तरीकों को संभालने में सक्षम;

(एफ) बुढापा एवं कॉस्मेटिक मुद्दों के लिए यूनानी दवाईयां प्रीस्क्राइव करने या एडमिनिस्टिर करने में दक्षता;

(जी) यूनानी निदान और समकालीन पद्धतियों के माध्यम से त्वचा विकारों का निदान करने की क्षमता;

(एच) संबंधित क्षेत्र में नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम;

(आई) अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत में स्नात्कोत्तर डिग्री धारक अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी) में विशेषज्ञ या माहिरे होगा।

(12) इल्मुल जराहत (सर्जरी)-

(ए) ऑपरेशन थिएटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों या उपस्करों को स्टरलाइज़ करने की क्षमता;

(बी) ऑपरेशन थिएटर में उपकरणों या उपस्करों को उचित रूप से प्रबंधित करने की क्षमता;

(सी) ऑपरेशन थियेटर को उचित रूप से बनाए रखने में सक्षम;

(डी) ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद की देखभाल में कुशल;

(ई) यूनानी सर्जरी करने की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार उपकरण या उपस्कर विकसित करने की क्षमता;

(एफ) संबंधित नैदानिक प्रक्रियाओं को निष्पादित करने और परिणामों की व्याख्या करने की क्षमता;

(जी) नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम;

(एच) प्राप्त शिक्षण और प्रशिक्षण के अनुसार पाठ्यक्रम में उल्लिखित सर्जिकल स्थितियों में सर्जरी करने की क्षमता;

(आई) नैदानिक सर्जरी करने और सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल जटिलताओं का प्रबंधन करने की क्षमता; और

(जे) इल्मुल जराहत में स्नातकोत्तर डिग्री धारक इल्मुल जराहत ' (यूनानी सर्जन) में विशेषज्ञ या माहिरे होगा।

(13) अमराज़े निस्वान वा क़बालत (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी)-

(ए) प्रसवपूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान करने की क्षमता;

(बी) प्रसव कराने और जटिलताओं का प्रबंधन करने की क्षमता;

(सी) स्त्री रोग संबंधी या प्रसूति संबंधी विकारों का निदान करने और उचित उपचार प्रदान करने के लिए शारीरिक ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम

(डी) शिक्षण और प्रशिक्षण के अनुसार स्त्री रोग संबंधी प्रक्रियात्मक उपचार, स्त्री रोग और प्रसूति सर्जरी करने की क्षमता;

(ई) नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम;

(एफ) विशेषज्ञता से संबंधित नैदानिक परीक्षण करने की क्षमता;

(जी) गर्भधारण और गर्भनिरोधक उपाय करने या परामर्श देने की क्षमता;

(एच) भ्रूण के सामान्य विकास और सामान्य प्रसव को सुविधाजनक बनाने के लिए औषधि प्रीस्क्राइव करने और उपाय लिखने में सक्षम;

(आई) संबंधित क्षेत्र में नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम;

(जे) इल्मुल क़बालत वा अमराज़े निस्वान में स्नातकोत्तर डिग्री धारक क़बालत वा अमराज़े निस्वान विशेषज्ञ (यूनानी ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी विशेषज्ञ) का विशेषज्ञ या माहिरे होगा।

(14) अमराज़े अतफाल (पिडियाट्रिक्स) -

(ए) सामान्य रूप से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकारों का उपचार करने की क्षमता;

(बी) 'सामान्य बच्चे' को समझने में सक्षम;

(सी) टीकाकरण अनुसूची या प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाले उपायों के कार्यान्वयन में क्षमता;

(डी) बच्चों को एक्सटर्नल मेडिसन देने या थेरेपी देने की क्षमता;

(ई) संबंधित क्षेत्र में नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम;

(एफ) विशेषज्ञता से संबंधित नैदानिक परीक्षण करने की क्षमता;

(जी) विशेष रूप से दिव्यांग या शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों का उपचार करने की क्षमता;

(एच) यूनानी सिद्धांतों के आधार पर बढ़ते बच्चों के लिए आहार निर्धारित करने में कुशल;

(आई) अमराज़े अतफाल में स्नातकोत्तर डिग्री धारक 'अमराज़े अतफाल (यूनानी पिडियाट्रिक्स विशेषज्ञ) का विशेषज्ञ या **माहिर** होगा।

(15) अमराज़े उज़्न, अनफ़, व हलक (ईयर नोज़ एंड थ्रोट)

(ए) ऑपरेशन थिएटर में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों या उपस्करों को स्टरलाइज़ करने की क्षमता;

(बी) संबंधित नैदानिक प्रक्रियाओं को निष्पादित करने और परिणामों की व्याख्या करने की क्षमता;

(सी) सर्जरी करने की क्षमता;

(डी) नैदानिक अनुसंधान करने में सक्षम;

(ई) शिक्षण और प्रशिक्षण (पाठ्यक्रम) के अनुसार सर्जिकल, पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाएं करने की क्षमता;

(एफ) सर्जिकल जटिलताओं का प्रबंधन करने की क्षमता;

(जी) अमराज़े उज़्न, में स्नातकोत्तर डिग्री धारक अमराज़े उज़्न, अनफ़ व हलक (कान, नाक और गले के रोग) में विशेषज्ञ या माहिरे होगा।

18. **निर्देश का माध्यम -** शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या उर्दू या हिंदी या भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल कोई मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा होगी। ऐसे प्रकरणों में जहां स्नातकोत्तर विभाग या विशेषज्ञता विभिन्न राज्यों के छात्रों को प्रवेश देती है, अंग्रेजी या हिंदी कॉमन भाषा का उपयोग किया जाएगा।

19. **स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश का तरीका**। (1) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में स्नातकोत्तर डिग्री (एमडी और एमएस) कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा या परीक्षा अर्थात राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा होगी। और इसे भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित किया जाएगा; परंतु स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा विदेशी राष्ट्रीय उम्मीदवारों के लिए लागू नहीं होगी।

(2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या चिकित्सा संस्थान से कामिले तिब ओ जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी) (बीयूएमएस) की डिग्री रखने वाला व्यक्ति और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या केंद्रीय पंजीयन (जैसा लागू हो) में एक चिकित्सा व्यवसायी के रूप में वैध पंजीयन प्रमाण पत्र रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होंगे। राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात, वह योग्यता के अनुसार स्नातकोत्तर डिग्री (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन या मास्टर ऑफ सर्जरी) कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हो जाएगा।

(3) स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के प्रकरण में, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की परिषद या बोर्ड से जहां वह स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश लेता है, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के स्थायी पंजीयन के अतिरिक्त, अस्थायी पंजीयन स्नातकोत्तर कार्यक्रम की पूरी अवधि के लिए आवश्यक होगा।

(4) स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र होने के लिए, उम्मीदवार को उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50th प्रतिशत पर्सेन्टाइल प्राप्त करना आवश्यक होगा :

बशर्ते कि,-

(ए) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 40th पर्सेन्टाइल पर होंगे;

(बी) दिव्यांगजन व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्दिष्ट बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 40 th पर्सेन्टाइल होंगे।

(5) राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों या स्कोर के आधार पर पात्र उम्मीदवारों की एक अखिल भारतीय सामान्य योग्यता सूची के साथ-साथ राज्य या केंद्र शासित प्रदेशवार योग्यता सूची तैयार की जाएगी। संबंधित श्रेणियों के भीतर उम्मीदवारों को केवल काउंसलिंग के माध्यम से उक्त मेरिट सूची से स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।

(6) सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान और निजी संस्थान में प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय आरक्षित श्रेणी (कोटा) के लिए पंद्रह प्रतिशत होगी और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आरक्षित श्रेणी (कोटा) के लिए पचासी प्रतिशत होगी:

बशर्ते कि -

(ए) दोनों सरकारी और निजी (केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित) सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों में प्रवेश के उद्देश्य से अखिल भारतीय आरक्षित वर्ग (कोटा) शत-प्रतिशत होगा;

(बी) विश्वविद्यालय और संस्थान जिनके पास पहले से ही पंद्रह प्रतिशत से अधिक है। अखिल भारतीय आरक्षित वर्ग (कोटा) सीटें उस आरक्षित श्रेणी (कोटा) को बनाए रखना जारी रखेंगी;

(सी) सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता के पांच प्रतिशत को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवार से भरा जाएगा।

(7) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, ट्रस्ट, सोसायटी, अल्पसंख्यक संस्थान, निगम या कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी यूनानी शैक्षणिक संस्थान में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आरक्षित श्रेणी (कोटा) की काउंसलिंगके लिए नामित प्राधिकारी जैसा भी प्रकरण हो, संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुसार संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से होगा।

(8) केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित सरकारी और निजी दोनों प्रकार के सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों की शत-प्रतिशत सीटों के स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में सभी प्रवेश के लिए काउंसलिंग अखिल भारतीय आयुष केंद्रीय परामर्श समिति द्वारा आयोजित की जाएगी, जो इस संबंध में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा नामित प्राधिकरण है।

(9) सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, केंद्रीय विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और केंद्र सरकार द्वारा स्थापित यूनानी चिकित्सा संस्थाओं में अखिल भारतीय कोटा के अंतर्गत सीटों के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग अखिल भारतीय आयुष केंद्रीय परामर्श समिति द्वारा आयोजित की जाएगी जो इस संबंध में यह भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा नामित प्राधिकरण है।

(10) विदेशी नागरिकों को छोड़कर प्रबंधन कोटे के अंतर्गत आने वाली सभी सीटों को केवल ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से भरा जाएगा।

(11) केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश काउंसलिंग के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से सीधे प्रवेश को अमान्य माना जाएगा।

(12) संस्थान, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रवेश के लिए कट-ऑफ तिथि पर उससे पहले भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट समय, प्रारूप और मोड में और प्रवेशित छात्रों की सूची सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेंगे। ऐसा न करने पर परीक्षा सेल, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश पर भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा प्रतिदिन एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

(13) परामर्श प्राधिकारी प्रवेशित छात्रों का डेटा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप, मोड और समय सीमा में प्रस्तुत करेंगे।

(14) कोई भी उम्मीदवार जो इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(15) कोई भी प्राधिकारी या संस्थान इन विनियमों और प्रवेश के संबंध में आयोग के संबंधित दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों या प्रक्रिया के उल्लंघन में किसी भी उम्मीदवार को स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा।

(16) इन विनियमों और आयोग द्वारा जारी प्रवेश से संबंधित दिशानिर्देशों में उक्त निर्धारित मानदंड या प्रक्रिया के उल्लंघन में किया गया कोई भी प्रवेश अमान्य होगा और उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

(17) जो प्राधिकारी या संस्था इन विनियमों में निर्धारित मानदंडों या प्रक्रिया के उल्लंघन में किसी भी छात्र को प्रवेश देता है, वह अधिनियम और उसके अंतर्गत विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार परिणाम भुगतने के लिए उत्तरदायी होगा।

(18) यूनानी में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में विदेशी राष्ट्रीय छात्रों के प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया और अन्य आवश्यकताएं भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।

20. वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता और छात्र-गाइड अनुपात – (1) प्रत्येक स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन-एमडी और मास्टर ऑफ सर्जरी-एमएस) में वार्षिक छात्र प्रवेश क्षमता प्रति वर्ष बारह सीटों से अधिक नहीं होगी।

(2) छात्र- स्नातकोत्तर गाइड अनुपात की उपलब्धता के अधीन अर्थात प्रोफेसर के लिए 3:1 (एक प्रोफेसर के लिए तीन छात्र); 2:1 एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर के लिए (एक एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर के लिए दो छात्र); और असिस्टेंट प्रोफेसर या व्याख्याता के लिए 1:1 (एक असिस्टेंट प्रोफेसर या व्याख्याता के लिए एक छात्र)

21. पाठ्यक्रम और उपस्थिति की अवधि.- (1) यूनानी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम [माहिरे तिब (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) और माहिरे जराहत (मास्टर ऑफ सर्जरी)] की अवधि परीक्षाओं सहित तीन वर्ष (36 माह) होगी और स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नामकरण अध्याय-III के अनुसार होगा।

(2) पाठ्यक्रम को पूर्ण करने की अधिकतम अवधि उस बैच के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट आधार आधारित केंद्रीकृत बायोमेट्रिक, या आईरिस डिटेक्शन या फेस रिकग्निशन बायोमेट्रिक उपस्थिति सिस्टम को संस्थान द्वारा स्नातकोत्तर छात्रों की उपस्थिति के लिए बनाए रखा जाएगा।

(4) नीचे उल्लिखित अवकाश नीति स्नातकोत्तर छात्रों के लिए लागू होगी, -

(ए) प्रति शैक्षणिक वर्ष 12 दिन तक की आकस्मिक छुट्टियाँ;

(बी) शैक्षणिक गतिविधियों जैसे सेमिनार, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभिविन्यास कार्यक्रमों, संगोष्ठी आदि में भाग लेने के लिए यात्रा के दिनों सहित "ऑन ड्यूटी" माना जाएगा; और

(सी) मातृत्व और अन्य छुट्टियां संबंधित केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या अनुबंध नियमों के अनुसार प्रदान की जाएंगी।

(5) छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा में उपस्थित होने का पात्र होने के लिए कुल शैक्षणिक गतिविधियों के 80 प्रतिशत में उपस्थित होना होगा, इन शैक्षणिक गतिविधियों में व्याख्यान, व्यावहारिक या नैदानिक सत्र, प्रत्यक्ष शिक्षण, ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यशालाएं, सेमिनार, नैदानिक प्रकरण प्रस्तुतिकरण, समूह चर्चा, जर्नल क्लब आदि शामिल हैं, जैसा कि विभाग या संस्थान द्वारा निर्धारित किया गया है।

(6) अपेक्षित उपस्थिति प्राप्त करना स्नातकोत्तर छात्र की उत्तरदायित्व होगा। उपस्थिति में कमी के प्रकरण में, पाठ्यक्रम की अवधि आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

(7) छात्र अध्ययन के दौरान सौंपे गए अस्पताल, विभाग, प्रयोगशालाओं और अन्य कार्य में भाग लेंगे।

(8) स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों में अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है।

22. अध्ययन और विषयों का पैटर्न-

(1) स्नातकोत्तर कार्यक्रम सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले कार्य दिवस से प्रारंभ होगा।

(2) स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम (सामान्य और विशेषता-विशिष्ट) के साथ प्रारंभ होगा।

(3) तीन वर्ष (छत्तीस माह) के स्नातकोत्तर कार्यक्रम में छह सेमेस्टर होंगे, और प्रत्येक सेमेस्टर छह माह की अवधि का होगा।

(4) प्रत्येक सेमेस्टर में नोशनल क्रेडिट घंटे 750 घंटे से कम नहीं होंगे जो शिक्षण, व्यावहारिक या नैदानिक प्रशिक्षण, प्रायोगिक शिक्षा और शोध प्रबंध अनुसंधान गतिविधियों को पूरा करने के लिए होंगे। स्नातकोत्तर कार्यक्रम के कुल नोशनल क्रेडिट घंटे 4500 घंटे से कम नहीं होंगे। अर्थात 750 घंटे X 6 सेमेस्टर

(5) (ए) प्रत्येक सेमेस्टर में 750 नोशनल शिक्षण घंटे 25 क्रेडिट में संरचित किए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक क्रेडिट में 30 घंटे होते हैं।

(बी) पूरे स्नातकोत्तर कार्यक्रम के कुल 4500 नोशनल शिक्षण घंटों को 150 क्रेडिट (अर्थात 25 क्रेडिट x 6 सेमेस्टर) में संरचित किया गया है।

(सी) प्रत्येक क्रेडिट में 1: 2: 3 के अनुपात में शिक्षण, व्यावहारिक प्रशिक्षण और अनुभवात्मक अधिगम, अर्थात, 5 घंटे का शिक्षण, 10 घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण और 15 घंटे का अनुभवात्मक अधिगम होगा ।

(6) स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर में मुख्य विषय और ऐच्छिक विषय शामिल होंगे, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में विस्तृत है।

(7) (ए) विषयों को मॉड्यूल के रूप में पढ़ाया जाएगा;

(बी) प्रत्येक मॉड्यूल में एक या अधिक क्रेडिट हो सकते हैं;(मॉड्यूलर आधारित)

(सी) प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में, छात्रों को एक रचनात्मक मूल्यांकन से गुजरना होगा।

(8) (ए) ऐच्छिक की दो श्रेणियां होंगी: डोमेन-विशिष्ट ऐच्छिक और क्षमता-वृद्धि ऐच्छिक।

(बी) प्रत्येक स्नातकोत्तर छात्र प्रत्येक सेमेस्टर में डोमेन-विशिष्ट श्रेणी से एक ऐच्छिक और क्षमता-वृद्धि श्रेणी से एक ऐच्छिक पूर्ण करेगा। कुल मिलाकर, एक स्नातकोत्तर छात्र पूरे स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के तीन वर्षों में कम से कम 12 ऐच्छिक (डोमेन -विशिष्ट श्रेणी से छह और क्षमता-वृद्धि श्रेणी से छह) पूर्ण करेगा।

(सी) आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर वैकल्पिक पाठ्यक्रम या तो ऑफ़लाइन या ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे।

(9) पढ़ाए जाने वाले विषय और अन्य गतिविधियां (सेमेस्टर के अनुसार) नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित होंगी, -

तालिका

सेमेस्टर वार विषय और गतिविधियाँ

क्र.सं	**सेमेस्टर**	**पाठ्यक्रम अवधि (36 माह)**	**विषय और गतिविधियाँ**	**क्रेडिट की संख्या**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1	सेमेस्टर-1	(1-6 माह)	ओरिएंटेशन प्रोग्राम (कॉमन)	3
			ओरिएंटेशन प्रोग्राम (विशेषता के लिए विशिष्ट)	1
			मुख्य विषय: रिसर्च मैथेडॉलोजी (मॉड्यूल)	9
			मुख्य विषय: बायोस्टैटिस्टिक्स (मॉड्यूल)	8
			ऐच्छिक: डोमेन विशिष्ट (कोई भी)	2
			ऐच्छिक: क्षमता वृद्धि (कोई भी)	2
			कुल योग	**25**
योगात्मक मूल्यांकन-1				

2	सेमेस्टर-2	(7-12 माह)	सिनोप्सिस तैयार करना और जमा करना	5
			मुख्य विषय: संबंधित विशेषता की एप्लाइड बेसिक्स (मॉड्यूल)	16
			ऐच्छिक: डोमेन विशिष्ट (कोई भी)	2
			ऐच्छिक: क्षमता वृद्धि (कोई भी)	2
			कुल योग	**25**
योगात्मक मूल्यांकन-2				
3	सेमेस्टर-3	(13-18 माह)	शोध प्रबंध गतिविधियाँ	5
			विशेषता (मॉड्यूल) के मुख्य विषय	16
			ऐच्छिक: डोमेन विशिष्ट (कोई भी)	2
			ऐच्छिक: क्षमता वृद्धि (कोई भी)	2
			कुल योग	**25**
4	सेमेस्टर-4	(19-24 माह)	शोध प्रबंध गतिविधियाँ	5
			विशेषता (मॉड्यूल) के मुख्य विषय	16
			ऐच्छिक: डोमेन विशिष्ट (कोई भी)	2
			ऐच्छिक: क्षमता वृद्धि (कोई भी)	2
			कुल योग	**25**
5	सेमेस्टर-5	(25-30 महीने)	शोध प्रबंध गतिविधियाँ	5
			विशेषता (मॉड्यूल) के मुख्य विषय	16
			ऐच्छिक: डोमेन विशिष्ट (कोई भी)	2
			ऐच्छिक: क्षमता वृद्धि (कोई भी)	2
			कुल योग	25
6	सेमेस्टर-6	(31-36 माह)	शोध प्रबंध गतिविधियाँ और शोध प्रबंध प्रस्तुत करना	5
			विशेषता (मॉड्यूल) के मुख्य विषय	16
			ऐच्छिक: डोमेन विशिष्ट (कोई भी)	2
			ऐच्छिक: क्षमता वृद्धि (कोई भी)	2
			कुल योग	**25**
			पूर्ण योग	150
योगात्मक मूल्यांकन-3				

(10) पाठ्यक्रम अधिनियम में प्रावधान के अनुसार योग्यता आधारित पाठयक्रम होगा।

(11) पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की विधि का विवरण दिया जायेगा।

(12) स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के छात्र, अर्थात्- इल्मुल एडविया और इलमुल सैदला समय-समय पर आयोग द्वारा प्रकाशित संबंधित पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट अवधि, निर्देश, दिशानिर्देश आदि के लिए उद्योग पोस्टिंग (दवा निर्माण उद्योग) से गुजर सकते हैं।

23. परीक्षा और आकलन- (1) मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में किया जाएगा।

(2) **योगात्मक मूल्यांकन:** स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में तीन योगात्मक मूल्यांकन (विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाएं) होंगी।

(3) (ए) विश्वविद्यालय पहले सेमेस्टर पाठ्यक्रम के लिए पहले सेमेस्टर के अंत में पहला योगात्मक मूल्यांकन करेगा, दूसरे सेमेस्टर पाठ्यक्रम के लिए दूसरे सेमेस्टर के अंत में दूसरा योगात्मक मूल्यांकन और तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के लिए छठे सेमेस्टर के अंत में तीसरा योगात्मक मूल्यांकन करेगा।

(बी) तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर को एक ब्लॉक अवधि के रूप में रखा गया है ताकि छात्रों द्वारा अनुसंधान गतिविधियों के संचालन, नैदानिक प्रदर्शन, औद्योगिक प्रदर्शन, और अन्य बाहरी पोस्टिंग या अन्य गतिविधियों को बिना किसी रुकावट के किया जा सके।

(4) दूसरे सेमेस्टर के अंत में दूसरे योगात्मक मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने से पहले, छात्र को निर्धारित अवधि के भीतर सारांश (सिनोप्सिस) जमा करना अनिवार्य है।

(5) छठे सेमेस्टर के अंत में तीसरे योगात्मक मूल्यांकन के लिए उपस्थित होने से पहले, छात्र को,-

(ए) स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के पहले और दूसरे सेमेस्टर के सभी मुख्य विषयों में उत्तीर्ण होना होगा;

(बी)"इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम बारह ऐच्छिक (डोमेन-विशिष्ट श्रेणी से छह ऐच्छिक और क्षमता वृद्धि श्रेणी से छह ऐच्छिक) को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया;"

(सी) शोध निबंध जमा किया;

(डी) प्रीप्रिंट रिपॉजिटरी सर्वर जैसे कि बायोरेक्सिव या मेडरेक्सिव में शोध प्रबंध का कम से कम एक प्रीप्रिंट प्रकाशित किया हो या किसी प्रतिष्ठित इंडेक्स्ड शोध पत्रिका (यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स या स्कोप्स) में न्यूनतम एक शोध पत्र प्रकाशित किया हो या स्वीकृत कराया हो; और

(ई) राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी में कम से कम एक पेपर प्रस्तुत किया।

(6) विश्वविद्यालय सामान्यतः प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई माह में संकलन (समेटिव) परीक्षाएँ आयोजित करेगा।

(7) **रचनात्मक मूल्यांकन**: (ए) पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में संबंधित स्नातकोत्तर विभाग द्वारा रचनात्मक मूल्यांकन (मॉड्यूलर आधारित) किया जाएगा।

(बी) सेमेस्टर के अंत में, सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) की गणना इन नियमों में निर्दिष्ट विधि के अनुसार की जाएगी।

(सी) पहले सेमेस्टर के सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत को पहले योगात्मक मूल्यांकन के लिए माना जाएगा; दूसरे सेमेस्टर के सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत को दूसरे योगात्मक मूल्यांकन के लिए माना जाएगा; और तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर के औसत सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत को तीसरे योगात्मक मूल्यांकन के लिए माना जाएगा।

(8) सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) का न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित योगात्मक मूल्यांकन में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड होगा, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है, -

(ए) पहले समेटिव असेसमेंटस में शामिल होने के लिए पहले सेमेस्टर का न्यूनतम साठ प्रतिशत सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत;

(बी) दूसरे समेटिव असेसमेंटस में शामिल होने के लिए दूसरे सेमेस्टर का न्यूनतम साठ प्रतिशत सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत;

(सी) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीसरे योगात्मक मूल्यांकन में शामिल होने का पात्र बनने के लिए तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे सेमेस्टर का औसत सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत न्यूनतम साठ प्रतिशत होगा।; और

(डी) (ए), (बी) और (सी) में निर्दिष्ट सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत कम होने के कारण अयोग्य छात्र, उसी सेमेस्टर के शिक्षण और प्रशिक्षण में भाग लेकर आवश्यक सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत प्राप्त करने के पश्चात ही बाद की परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। ऐसे प्रकरण में, स्नातकोत्तर कार्यक्रम की अवधि आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी।

(9) योगात्मक मूल्यांकन के लिए विषयों या पेपरों की कुल संख्या और अंकों का वितरण नीचे दी गई **तालिका** के अनुसार होगा -

तालिका

समेटिव असेसमेंट, **सेमेस्टर, विषय, पेपरों की संख्या और अंकों का वितरण**

विषय	**सेमेस्टर**	**पेपरों की संख्या**	**अधिकतम अंक**	
			थियोरी	**वाइवा-वॉयस सहित प्रैक्टिकल या क्लिनिकल**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
अनुसंधान क्रियाविधि	पहला	एक	100	----
बायो स्टैटिशियन	पहला	एक	100	----
एप्लाइड बेसिक्स ऑफ स्पेशलिटी	दूसरा	एक	100	200
विशेषता विशिष्ट विषय	छठा	चार	400	200

नोट: व्यावहारिक या नैदानिक परीक्षा के आयोजन, प्रश्न पत्र प्रारूप, खाका आदि जैसे विवरण समय-समय पर आयोग द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रम के अनुसार होंगे

(10) प्रत्येक सेमेस्टर के लिए सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत की गणना पद्धति निम्नानुसार होगी, -

चरण 1: प्रत्येक विषय में मॉड्यूल ग्रेड प्वाइंट (एमजीपी) की गणना

$$\frac{\text{(एक मॉड्यूल में भाग लेने वाले नोशनल क्रेडिट घंटों की संख्या) x (मॉड्यूलर आकलन में प्राप्त अंक)}}{\text{(मॉड्यूल में राष्ट्रीय क्रेडिट घंटों की कुल संख्या) x (मॉड्यूल के अधिकतम अंक)}} \text{X100}$$

चरण 2: प्रत्येक विषय के लिए सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत की गणना:-

(एक सेमेस्टर में मॉड्यूल ग्रेड प्वाइंट का औसत)

(11) सफल घोषित होने के लिए (ए) छात्र को पहली और दूसरी समेटिव परीक्षाओं में, थ्योरी में न्यूनतम पचास प्रतिशत और मौखिक सहित प्रैक्टिकल या क्लिनिकल में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक हासिल करके उत्तीर्ण होना होगा। जहां भी लागू हो।

(बी) तीसरे योगात्मक मूल्यांकन में, छात्र को सभी पेपरों में कुल पचास प्रतिशत, प्रत्येक थ्योरी परीक्षा पेपर में न्यूनतम चालीस प्रतिशत और मौखिक सहित प्रैक्टिकल या क्लिनिकल परीक्षाओं में पचास प्रतिशत अलग-अलग प्राप्त करना होगा ।

(12) पैंसठ प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विषय में प्रथम श्रेणी और पचहत्तर प्रतिशत इससे अधिक अंकों को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विषय में डिस्टिंक्शन प्रदान की जाएगी।

(13) यदि कोई छात्र किसी भी योगात्मक मूल्यांकन में थ्योरी या प्रैक्टिकल/क्लिनिकल, या दोनों में विफल हो जाता है, तो छात्र उस असेसमेंट के सभी विषयों में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों परीक्षाओं सहित उपस्थित होना होगा, जहां भी लागू हो।

(14) असफल छात्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छह माह में आयोजित की जाने वाली आगामी परीक्षाओं में उपस्थित होंगे।

(15) स्नातकोत्तर डिग्री शोध निबंध स्वीकार किए जाने और छात्र द्वारा तीसरा योगात्मक मूल्यांकन उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रदान की जाएगी।

24. परीक्षकों की नियुक्ति.- (1) सेमेस्टर- I और सेमेस्टर- II में प्रत्येक विषय के लिए, योगात्मक मूल्यांकन या आकलन दो परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, जिनमें से एक किसी अन्य चिकित्सा संस्थान से बाहरी परीक्षक होगा और दूसरा आंतरिक परीक्षक के रूप में उसी संस्थान से होगा।

(2) पहले और दूसरे समेटिव आकलन की सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिकाओं के लिए दोहरा आकलन होगा और दोहरे आकलन पद्धति का कार्यान्वयन आयोग द्वारा प्रकाशित दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

(3) छठे सेमेस्टर का योगात्मक मूल्यांकन या परीक्षा चार परीक्षकों की एक टीम द्वारा आयोजित की जाएगी, अर्थात किसी अन्य संस्थान से दो बाहरी परीक्षक (कम से कम एक बाहरी परीक्षक दूसरे राज्य से होगा यदि यूनानी स्नातकोत्तर संस्थान एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्ध हैं) और उसी संस्थान से दो आंतरिक परीक्षक होंगे।

(4) तीसरे आकलन की सैद्धांतिक उत्तर पुस्तिकाओं का आकलन सभी चार परीक्षकों द्वारा किया जाएगा, और सभी चार आकलनों के औसत को अंतिम अंक माना जाएगा, और इसी प्रकार मौखिक सहित प्रैक्टिकल या क्लिनिकल परीक्षाएं सभी चार परीक्षकों द्वारा आयोजित की जाएंगी और सभी चार परीक्षकों के औसत अंकों को मौखिक सहित प्रैक्टिकल या क्लिनिकल के अंतिम अंक माना जाएगा।

(5) उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (असेसमेंट) का कोई प्रावधान नहीं है।

25. पात्र स्नातकोत्तर परीक्षक.- (1) एक शिक्षक जिसके पास संबंधित विशिष्टता में न्यूनतम पांच वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षण अनुभव है और जिसने कम से कम एक स्नातकोत्तर शोध प्रबंध का मार्गदर्शन किया है और शोध प्रबंध स्वीकार कर लिया गया है, उसे सिद्धांत आकलन, मौखिक सहित प्रैक्टिकल या क्लिनिकल संचालन करने के लिए स्नातकोत्तर परीक्षक के रूप में पात्र माना जाएगा।

(2) पात्र स्नातकोत्तर परीक्षक सिनोप्सिस और शोध प्रबंध के आकलन के लिए भी पात्र होंगे।

(3) एक ही बाहरी परीक्षक को पूरक परीक्षाओं को छोड़कर लगातार तीन से अधिक परीक्षाओं के लिए एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

26. शोध प्रबंध.- (1) प्रत्येक स्नातकोत्तर छात्र विभाग के एक पात्र स्नातकोत्तर मार्गदर्शक संकाय की देखरेख में अनुसंधान विषय पर एक शोध प्रबंध कार्य करेगा और स्नातकोत्तर की डिग्री पाने के लिए आंशिक पूर्ति में शोध प्रबंध प्रस्तुत करेगा।

(2) (ए) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान में एक अनुमोदित स्नातकोत्तर गाइड निर्धारण नीति होगी, और नीति शोध प्रबंध गतिविधियों के लिए स्नातकोत्तर गाइड के उचित निर्धारण की सुविधा प्रदान करेगी;

(बी) संस्थान प्रत्येक अनुमोदित स्नातकोत्तर गाइड के लिए इन विनियमों में संबंधित स्नातकोत्तर विभाग, विशिष्टता या कार्यक्रम के लिए निर्दिष्ट अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों को अधिसूचित करेगा, और वह अनुसंधान के उन्ही क्षेत्रों में निर्धारित स्नातकोत्तर छात्रों का मार्गदर्शन करना जारी रखेगा;

(सी) गाइड निर्धारण इन विनियमों में निर्दिष्ट के अनुसार विभाग में छात्र-गाइड अनुपात के अनुसार होगा;

(डी) अंतर-विभागीय, अंतर-विषयक और ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च के प्रकरणों में, न्यूनतम स्नातकोत्तर डिग्री के साथ एक सह-मार्गदर्शक को संबंधित या सहयोगी विशेषज्ञता या इकाई से सहयोजित किया जाएगा।

(ई) उसी स्नातकोत्तर विभाग या विशेषज्ञता से सह-मार्गदर्शक निर्धारण की अनुमति नहीं दी जाएगी और सहयोगात्मक अनुसंधान में अन्य विभाग से मार्गदर्शक लेने की अनुमति दी जाएगी।

(3) (ए) शोध प्रबंध नवीन और ट्रांसलेशनल होगा, और शोध यूनानी चिकित्सा विज्ञान में योगदान देगा और यूनानी चिकित्सा पद्धति के प्रचार के लिए और सहायक होगा;

(बी) इसका टॉपिक विषय विशिष्टता के दायरे में होगा और इन नियमों में निर्दिष्ट संबंधित विभाग या विशिष्टता के शोध के प्रमुख क्षेत्रों से होगा;

(सी) शोध प्रबंध शीर्षक को अधिमानतः आयोग द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा के परिणामों के अनुरूप होना चाहिए जब यह सक्रिय हो जाता है। यह योग्यता परीक्षा संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता के लिए छात्र की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जैसे नैदानिक अभ्यास, शिक्षण, अनुसंधान, तकनीकी विकास या उद्यमिता।

(डी) शोध प्रबंध का शीर्षक सटीक होगा और अध्ययन के उद्देश्यों और तरीकों को प्रतिबिंबित करेगा;

(ई) शोध प्रबंध के चयनित शीर्षक के लिए सिनोप्सिस , संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट विनिर्देशों और प्रारूप के अनुसार विकसित किया जाएगा।

(4) (ए) विनिर्देशों के अनुसार तैयार सिनोप्सिस की विभागीय समीक्षा की जाएगी; विभागीय समीक्षा के बाद, पूरा सिनोप्सिस संबंधित विभाग के प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा;

(बी) विभाग का प्रमुख विभाग के सभी सिनोप्सिस को संस्थान के प्रमुख को अग्रेषित करेगा;

(सी) संस्थान का प्रमुख, बदले में, सभी सिनोप्सिस को अनुमोदन के लिए संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति या संस्थागत वैज्ञानिक समिति को भेजता है;

(डी) उपर्युक्त समिति द्वारा सुझाए गए सुधार या संशोधन, संबंधित विभागाध्यक्षों को भेजे जाएंगे;

(ई) सुझावों को शामिल करके दोष-रहित या संशोधित सिनोप्सिस , छात्र द्वारा संबंधित विभागों के प्रमुखों को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, और फिर विभाग के प्रमुख से संस्थान के प्रमुख को भेज दिया जाएगा।

(एफ) संस्थान का प्रमुख उस सिनोप्सिस को अग्रेषित करेगा जिसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी (नैदानिक अध्ययन या पशु अध्ययन) की आवश्यकता है, जैसा भी प्रकरण हो, मानव विषयों के लिए संबंधित संस्थागत आचार समितियों या पशु अध्ययन के लिए संस्थागत पशु आचार समिति को भेजा जाएगा;

(जी) उपर्युक्त समितियों द्वारा सुझाए गए सुधार या संशोधन संबंधित विभागों को भेजे जाएंगे;

(एच) छात्र द्वारा संबंधित समिति के सुझावों को शामिल करके सही किए गए या संशोधित किए गए सिनोप्सिस को संबंधित विभाग प्रमुख को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा, जो इसे संस्थान के प्रमुख को भेज देगा;

(आई) सभी चरणों में सिनोप्सिस को सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत किया जाएगा; छात्र, मार्गदर्शक, विभाग प्रमुख और संस्थान के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अंतिम सिनोप्सिस की एक हार्ड कॉपी संबंधित विभाग में रखी जाएगी।

(5) (ए) सिनोप्सिस की सॉफ्ट कॉपी, सभी पहलुओं में पूरी की गई और उपयुक्त संस्थागत अनुसंधान और आचार समितियों से अनुमोदन प्राप्त करके, पंजीयन के लिए सेमेस्टर-II के दौरान स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के 9 वे माह के अंतिम कार्य दिवस को या उससे पहले संस्थान के प्रमुख द्वारा विश्वविद्यालय को भेज दी जाएगी।

(बी) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दूसरे सेमेस्टर समेटिव परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित समय के भीतर सिनोप्सिस जमा करना एक अनिवार्य मानदंड है;

(सी) यदि छात्र खंड (ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर शोध प्रबंध और सिनोप्सिस का शीर्षक जमा करने में विफल होता है तो स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के दूसरे सेमेस्टर के लिए उसका कार्यकाल छह माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा, और दूसरी समेटिव परीक्षा में बैठने से पहले सिनोप्सिस जमा किया जाएगा ऐसा न करने पर वह दूसरी समेटिव परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा, और दूसरे सेमेस्टर को अगले छह माह के लिए बढ़ा दिया जाएगा और इसी प्रकार आगे बढ़ाया जाता रहेगा।

(डी) एक बार जब छात्र ने सिनोप्सिस जमा कर दिया, तो संस्थानों के लिए निर्धारित समय में अनुमोदन प्रक्रिया को पूर्ण करना अनिवार्य है। संस्थान सिनोप्सिस अनुमोदन प्रक्रिया के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगा।

(6) (ए) शोध प्रबंध शीर्षक और सिनोप्सिस की प्राप्ति के बाद, विश्वविद्यालय शोध प्रबंध और सिनोप्सिस सारांश का शीर्षक पंजीकृत करेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान करेगा;

(बी) विश्वविद्यालय संबंधित स्नातकोत्तर संस्थान को शोध प्रबंध शीर्षकों और सिनोप्सिस की पंजीकृत सूची सूचित करेगा और उसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा; इसे संस्थान द्वारा संबंधित कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा;

(सी) एक बार जब शोध प्रबंध का शीर्षक विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत हो जाता है, तो छात्र को विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना शोध प्रबंध का शीर्षक बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(7) (ए) शोध प्रबंध शीर्षक और सिनोप्सिस के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन के बाद ही शोध प्रबंध अनुसंधान गतिविधि प्रारंभ की जाएगी;

(बी) विश्वविद्यालय से पंजीयन अधिसूचना प्राप्त करने के बाद, छात्र, संबंधित गाइड के मार्गदर्शन में, अनुसंधान गतिविधि की क्रियाकलापों का एक कैलेंडर तैयार करता है और इसे विभाग के प्रमुख को प्रस्तुत करता है; अध्ययन की प्रगति की समीक्षा करते समय इसे संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति या संस्थागत वैज्ञानिक समिति द्वारा सत्यापित किया जाएगा;

(सी) संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति, या संस्थागत वैज्ञानिक समिति समय-समय पर शोध प्रबंध गतिविधि की निगरानी करेगी:

(i) शोध गतिविधि स्कोलर द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान गतिविधि के कैलेंडर के संबंध में प्रगति कर रही है;

(ii)अनुमोदित सिनोप्सिस के अनुसार अनुसंधान की गुणवत्ता और विधियों और मानकों का पालन।

(8) (ए) विभाग के प्रमुख के माध्यम से एक मार्गदर्शक की सिफारिश के साथ अनुसंधान या शोध प्रबंध गतिविधि के पूरा होने पर, शोध प्रबंध की पूर्व-प्रस्तुति की व्यवस्था स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के 30 वें से 32 वें माह तक की जाएगी जिसमें संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति, या संस्थागत वैज्ञानिक समिति संपूर्ण अध्ययन की समीक्षा करेगी।

(बी) संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति, या संस्थागत वैज्ञानिक समिति सुधार या संशोधन को स्वीकृत या सुझाव दे सकती है, और इसे विभाग के प्रमुख के माध्यम से छात्र को सूचित किया जाएगा;

(सी) संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति, या संस्थागत वैज्ञानिक समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों या सुधारों को शामिल करने के बाद, ड्राफ्ट शोध प्रबंध छात्र द्वारा गाइड और विभाग के प्रमुख के माध्यम से साहित्यिक चोरी जांच सेल को भेजा जाएगा, जैसा कि विनियमन 29 में उल्लेख किया गया है ।

(डी) साहित्यिक चोरी की जांच के बाद, यदि साहित्यिक चोरी जांच सेल को लगता है कि साहित्यिक चोरी अनुमेय सीमा यानी, पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं के भीतर है, तो साहित्यिक चोरी जांच सेल **अनुलग्नक-ए** में साहित्यिक चोरी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगी।;

(ई) यदि साहित्यिक चोरी पंद्रह प्रतिशत से अधिक है तो साहित्यिक चोरी जांच सेल द्वारा साहित्यिक चोरी जांच रिपोर्ट के साथ ड्राफ्ट शोध प्रबंध को संबंधित विभाग को वापस भेजा जाएगा;

(एफ) साहित्यिक चोरी जांच रिपोर्ट की समीक्षा विभागीय अकादमिक इंटीग्रिटी समिति द्वारा की जाएगी जिसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में विभाग प्रमुख, संबंधित विभाग से एक संकाय सदस्य और किसी दूसरे विभाग से एक संकाय सदस्य शामिल होंगे; यदि विभागीय अकादमिक इंटीग्रिटी समिति संतुष्ट है, तो समिति साहित्यिक चोरी क्लीयरेंस प्रमाणपत्र जारी करने के लिए **अनुलग्नक-बी** में साहित्यिक चोरी सेल को सिफारिश करेगी; यदि समिति संतुष्ट नहीं है, तो छात्र को ड्राफ्ट शोध प्रबंध को संशोधित करने और साहित्यिक चोरी जांच सेल को पुनः जमा करने का निर्देश दिया जाएगा;

(जी) पुनः प्रस्तुत मसौदा शोध प्रबंध उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जैसा कि खंड (एफ) में निर्दिष्ट है;

(एच) अंतिम शोध प्रबंध, साहित्यिक चोरी अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रमाणपत्रों के साथ, विभाग के प्रमुख के माध्यम से संस्थान के प्रमुख को स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के 30 $^{वें}$ से 32 $^{वें}$ माह तक; सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत किया जाएगा।

(आई) छात्र, मार्गदर्शक, विभागाध्यक्ष और संस्थान प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित शोध प्रबंध की एक हार्ड कॉपी विभाग में रखी जाएगी;

(जे) साहित्यिक चोरी से संबंधित प्रक्रियाओं को निम्नलिखित इमेज में दिखाया गया है,-

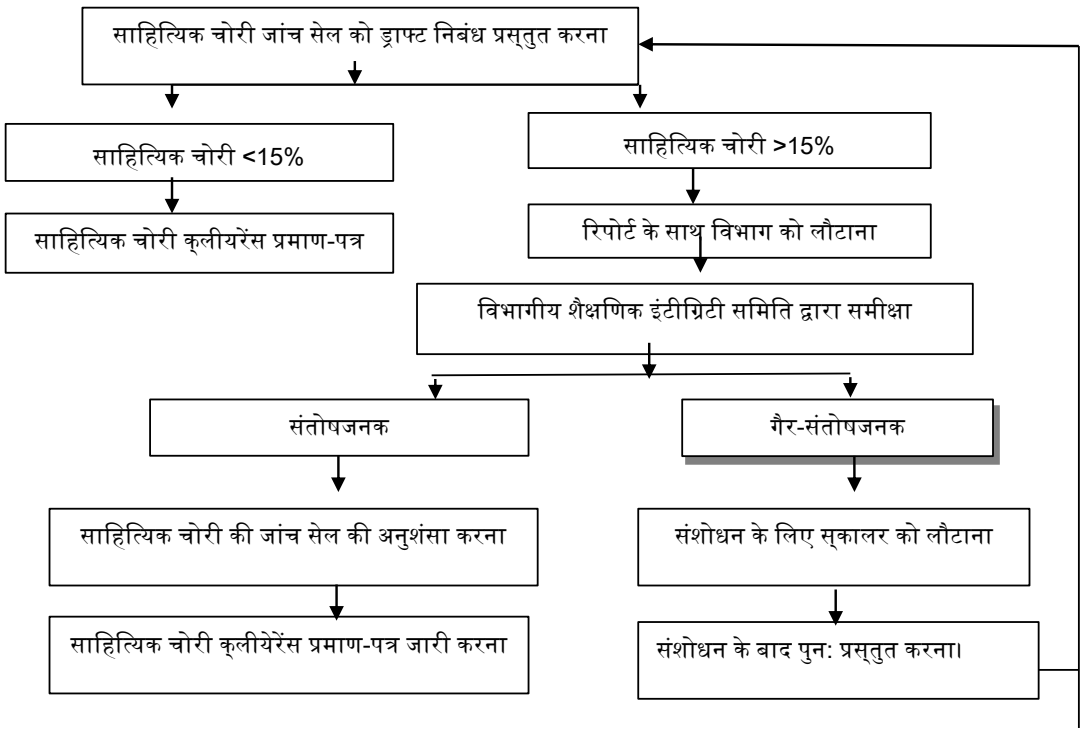

(9) पृष्ठों, शब्दों, फ़ॉन्ट प्रकार, पंक्ति स्पेसिंग आदि के संदर्भ में प्रारूप और विनिर्देश भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे।

(10) (ए) संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, संस्थागत अनुसंधान समिति, या संस्थागत वैज्ञानिक समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा अनुमोदित सभी शोध प्रबंध संस्थान के प्रमुख द्वारा विश्वविद्यालय को सॉफ्ट कॉपी में भेजे जाएंगे।;

(बी) छठे सेमेस्टर के दौरान स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के 33वें माह के दौरान शोध प्रबंध विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किए जाएंगे और (33वें महीने की गणना आयोग द्वारा उस बैच के लिए जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम के शुरू होने के माह से की जाएगी);

(सी) संस्थान के प्रमुख को नीचे उल्लिखित कार्यक्रमों की तिथियों को पहले से ही सूचित करना होगा।

(i) प्री-सबमिशन की तिथि;

(ii) विभाग को शोध प्रबंध जमा करने की तिथि;

(iii) विभागों द्वारा संस्थान प्रमुख को शोध प्रबंध जमा करने की तिथि;

(iv) संस्थान के प्रमुख द्वारा संबद्ध विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करने की तिथि;

(डी) किसी भी छात्र को पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के तीसवें माह से पहले शोध प्रबंध प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और छात्र पाठ्यक्रम के तीन वर्ष पूर्ण करने के लिए शोध प्रबंध जमा करने के बाद संस्थान में अपना नियमित अध्ययन जारी रखेगा।

(11) (ए) शोध प्रबंध का मूल्यांकन या आकलन तीन परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।

(बी) शोध प्रबंध के आकलन परिणाम नीचे दी गई **तालिका** में उल्लिखित स्वीकृत या अस्वीकृत संदर्भ में घोषित किए जाएंगे।

तालिका

शोध प्रबंध का आकलन और परिणाम

मूल्यांकनकर्ता-I	मूल्यांकनकर्ता-II	मूल्यांकनकर्ता-III	परिणाम और टिप्पणियाँ
स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत	स्वीकृत
स्वीकृत	स्वीकृत	अस्वीकृत	स्वीकृत
स्वीकृत	अस्वीकृत	अस्वीकृत	चौथे मूल्यांकनकर्ता को भेजा गया (यदि चौथे मूल्यांकनकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो शोध प्रबंध स्वीकृत माना जाएगा। यदि अस्वीकार कर दिया जाता है, तो शोध प्रबंध अस्वीकृत माना जाएगा और शोध प्रबंध को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी)
अस्वीकृत	अस्वीकृत	अस्वीकृत	अस्वीकृत (शोध प्रबंध को पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता है)

(12) छठे सेमेस्टर के अंत में आयोजित तीसरी विश्वविद्यालय समेटिव परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्रों के लिए शोध प्रबंध प्रस्तुत करना पूर्व-आवश्यकता होगी। छात्र द्वारा शोध प्रबंध प्रस्तुत करने में विलंब की स्थिति में, छात्र शोध प्रबंध जमा करने तक तीसरे समेटिव आकलन या परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं होगा।

(13) शोध प्रबंध की आकलन प्रक्रिया में विलंब की स्थिति में, उन छात्रों के परीक्षा परिणाम उनके शोध प्रबंध के अनुमोदन तक रोक दिए जाएंगे।

(14) सभी स्वीकृत शोध प्रबंध संस्थागत वेबसाइट, विश्वविद्यालय की वेबसाइट और अन्य संबंधित डेटाबेस जैसे शोधगंगा आदि पर या तो शीर्षक के रूप में या पूर्ण शोध प्रबंध के रूप में प्रदर्शित (डिस्प्ले) किए जाएंगे, जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

(15) एक बार सिनोप्सिस के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की शोध प्रबंध प्रबंधन सिस्टम, पोर्टल के साथ-साथ क्रियाशील हो जाने पर, सिनोप्सिस प्रस्तुत करने और अनुमोदन, अनुसंधान प्रगति की निगरानी, शोध प्रबंध प्रस्तुत करने और आकलन इत्यादि की प्रक्रिया भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग पोर्टल के माध्यम से होगी।

27. स्नातकोत्तर गाइड पात्रता- (1) स्नातकोत्तर शिक्षक तीन वर्ष के स्नातकोत्तर शिक्षण के बाद शोध प्रबंध कार्य के लिए संबंधित विशिष्टता के स्नातकोत्तर छात्रों का गाइड करने के लिए पात्र होगा। संबद्ध विश्वविद्यालय पात्र स्नातकोत्तर शिक्षकों को स्नातकोत्तर गाइड अनुमोदन पत्र जारी करेगा।

(2) स्नातकोत्तर गाइड द्वारा गाइड किए जाने स्नातकोत्तर छात्रों और स्नातकोत्तर डॉक्टरेट छात्रों सहित छात्रों की अधिकतम संख्या किसी भी समय दस से अधिक नहीं होगी।

(3) को-गाडड सहयोग के संबंधित अनुसंधान क्षेत्र में स्नातकोत्तर होना चाहिए।

(4) संविदा के आधार पर, तैनात शिक्षण कर्मचारी छात्रों के शोध प्रबंध के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करने के पात्र नहीं होंगे।

(5) एक प्रतिनियुक्त शिक्षक को स्नातकोत्तर छात्रों को शोध प्रबंध मार्गदर्शन के लिए तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रतिनियुक्ति की अवधि छात्र आवंटन की तिथि से कम से कम तीन वर्ष न हो।

28. अनुसंधान समितियाँ - सभी स्नातकोत्तर संस्थान आवश्यकता के अनुसार नीचे उल्लिखित अनुसंधान समितियों का गठन करेंगी, -

(1) (ए) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान एक संस्थागत अनुसंधान समिति, एक संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति या एक संस्थागत वैज्ञानिक समिति का गठन करेगा।

(बी) पाँच स्नातकोत्तर कार्यक्रमों तक एक साझा संस्थागत अनुसंधान समिति होगी। पाँच से अधिक स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की स्थिति में, दो संस्थागत अनुसंधान समितियाँ होंगी, अर्थात्

(i) अवधारणात्मक और प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए संस्थागत अनुसंधान समिति।

(ii) नैदानिक अध्ययन के लिए संस्थागत अनुसंधान समिति।

(सी) निम्न कार्यकलापों का निष्पादन करेगी, अर्थात् –

(i) शोध प्रबंध प्रस्तावों की जांच करेगा और शोध प्रबंध या अनुसंधान गतिविधियों की निगरानी करना;

(ii) सुनिश्चित करना कि चयनित विषय इन विनियमों में आयोग द्वारा निर्दिष्ट अनुसंधान के सूचीबद्ध प्रमुख क्षेत्रों के भीतर हैं;

(iii) अंत:विषय या ट्रांसडिसिप्लिनरी अध्ययन की स्थिति में, सुनिश्चित करें कि सहयोगी विभाग, संस्थान या संगठन से एक को-गाइड नियुक्त किया गया है।

(iv) संस्थागत अनुसंधान समिति, संस्थागत अनुसंधान समीक्षा समिति, या संस्थागत वैज्ञानिक समिति की सभी गतिविधियों का समन्वय इंटीग्रेटिव एंड ट्रांससलेशनल रिसर्च विभाग द्वारा किया जाएगा।

(v) समिति की संरचना नीचे दी गई **तालिका** में दिए गए अनुसार होगी ।

तालिका

संस्थागत अनुसंधान समिति की संरचना

1	संस्था प्रमुख	अध्यक्ष
2	स्नातकोत्तर समन्वयक या डीन-स्नातकोत्तर अध्ययन या डीन-अनुसंधान	सदस्य
3	स्नातकोत्तर विभागों के प्रमुख	सदस्य
4	जैवसांख्यिकीविद्	सदस्य
5	अनुसंधान परिषदों या अन्य चिकित्सा या यूनानी या फार्मेसी संस्थाओं से दो बाहरी सदस्य (एक बेसिक साइंस से और एक चिकित्सा विज्ञान से)	सदस्य
6	इंटीग्रेटिव एंड ट्रांससलेशनल रिसर्च विभाग के प्रमुख	सदस्य सचिव

नोट: 1. प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग से एक प्रतिनिधि सुनिश्चित किया जाएगा;

2. बाहरी सदस्य स्नातकोत्तर विभागों के प्रासंगिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे।

(2) मानव विषयों के लिए संस्थागत आचार समिति: मानव विषयों के लिए संस्थागत आचार समिति का गठन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(3) पशु अध्ययन के लिए संस्थागत पशु आचार समिति: संस्थागत पशु आचार समिति का गठन पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से बनाई गई समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा और पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से बनाई गई समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(4) संस्थान की नैदानिक अनुसंधान गतिविधियों के समन्वय के लिए अस्पताल में नैदानिक अनुसंधान प्रकोष्ठ होगा। सेल में अनुसंधान समन्वय कर्मचारियों को समायोजित करने, रिकॉर्ड, दस्तावेज, अनुसंधान औषधिओं आदि को रखने के लिए पर्याप्त स्थान (न्यूनतम पचास वर्ग मीटर) होगा और कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह सेल रैंडमाइजेशन, बाइंडिंग, रिसर्च ऑडिट परीक्षण औषधिओं, आदि की सुविधा भी प्रदान करता है, और नैदानिक अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों में सहायता करता है।

(5) उप-विनियमन (1) से (4) में उल्लिखित सभी गठित समितियां इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के अंतर्गत कार्य करेंगी और स्पष्ट रूप से मानक संचालन प्रक्रियाओं को परिभाषित किया जाएगा। समितियां, अनुसंधान प्रस्तावों की समीक्षा और अनुमोदन के अतिरिक्त, अध्ययनों की निगरानी भी करेंगी और अनुसंधान के मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगी।

29. **साहित्यिक चोरी जांच सेल और कार्य -** (1) प्रत्येक स्नातकोत्तर संस्थान साहित्यिक चोरी जांच सॉफ्टवेयर से लैस एक साहित्यिक चोरी जांच सेल स्थापित करेगा और साहित्यिक चोरी जांच में प्रशिक्षित एक समन्वयक को नामित करेगा।

(2) साहित्यिक चोरी जांच सेल इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा।

(3) साहित्यिक चोरी जांच सेल अनुमेय सीमा के भीतर शोध प्रबंध में साहित्यिक चोरी की जांच करेगा

(4) यूनानी साहित्य की टिप्पणियों सहित अरबी, उर्दू या फारसी छंदों, कविताओं या उद्धरणों का उल्लेख करना साहित्यिक चोरी नहीं माना जाएगा।

30. **अनुसंधान के क्षेत्र -** प्रत्येक विभाग या विशेषता के अंतर्गत नीचे सूचीबद्ध अनुसंधान के क्षेत्र उस संबंधित विशिष्टता के लिए अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्र होंगे। शोध प्रबंध विषय उस विशेष विशिष्टता के लिए निर्दिष्ट अनुसंधान के किसी एक प्रमुख क्षेत्र के लिए प्रासंगिक होंगे। यह चयनित क्षेत्रों में लोंगीट्यूडिनल अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है और अनुवाद संबंधी अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। नए उभरते क्षेत्रों के आधार पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा पर सूची को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

(1) कुल्लियात (बेसिक प्रिंसिपल ऑफ़ यूनानी मेडिसिन)

(ए) विभिन्न प्राचीन साहित्यों से यूनानी अवधारणा पर उपलब्ध साहित्य की समीक्षा, संकलन और तुलना, परिकल्पनाओं का निर्माण और उनका सत्यापन;

(बी) पांडुलिपियों की समीक्षा, मूल्यांकन और विवेचनात्मक विश्लेषण;

(सी) *मिज़ाज* (मनोदशा) और *मिज़ाज शख़्सी* का मानकीकरण ;

(डी) विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से यूनानी मूल सिद्धांतों या अवधारणाओं का सत्यापन;

(ई) कुल्लियाते तिब के लिए प्रदर्शनात्मक तरीकों या तकनीकों का विकास;

(एफ) यूनानी चिकित्सा की विभिन्न अनूठी अवधारणाओं के आकलन के लिए उपकरण, स्कोर, विधियों या मॉड्यूल का विकास;

(जी) विभिन्न विषयों में यूनानी बुनियादी सिद्धांतों के अनुप्रयोग के तरीके;

(एच) गुणात्मक, मात्रात्मक, विश्लेषणात्मक, नैदानिक और प्रायोगिक अनुसंधान अध्ययनों के लिए यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान पद्धति का विकास;

(आई) यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान करने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान प्रोटोकॉल का विकास;

(जे) अनुसंधान पद्धति का विवेचनात्मक अध्ययन: कुल्लियात (बेसिक प्रिंसिपल ऑफ़ यूनानी मेडिसिन) के विशेष संदर्भ के साथ भारतीय ज्ञान को समझना और पूर्वकथित के लिए उपकरण या सहायक उपकरण विकसित करना।

(के) यूनानी चिकित्सा को समझने और प्रदर्शित करने के लिए प्राचीन उपकरणों का अनुप्रयोग;

(एल) समसामयिक विज्ञान और उनके अनुप्रयोगों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के *कुवा* और *कुव्वत मुदब्बिरा-ए-बदन* की अवधारणा का पता लगाना ;

(एम) यूनानी चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांतों और समकालीन अवधारणाओं का तुलनात्मक अध्ययन या विवेचनात्मक विश्लेषण;

(एन) कुल्लियाते तिब (यूनानी चिकित्सा के आधारभूत सिद्धांत) के लिए शिक्षण विधियों, चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास;

(ओ) नब्ज़ के सिद्धांत और उनके अनुप्रयोग।

(पी) *कुल्लियात उसूल तश्ख़ीस* (नैदानिक सिद्धांत), *कुल्लियात उसूल इलाज* (उपचार के सिद्धांत), *कुल्लियात उसूल ग़िज़ा* (आहार चिकित्सा के सिद्धांत), *इलाज बिद दवा* (फार्माकोथेरेपी) आधुनिक तर्ज पर;

(क्यू) *अखलात* और मानव स्वास्थ्य और रोगों के साथ उनका सक्रिय संबंध;

(आर) यूनानी शब्दावली का विकास और मानकीकरण;

(एस) यूनानी मूल सिद्धांतों के आलोक में नई उभरती बीमारियाँ और उनकी समझ का दायरा;

(टी) विभिन्न शास्त्रीय ग्रंथों में उनकी अनुवाद, टिप्पणियों और तुलना से संबंधित कुल्लियात अध्यायों का परिचय और विशेष समीक्षा।

(2) तशरीहुल बदन (एनाटॉमी) -

(ए) हिजामा, तालेक, *फ़सद* इत्यादि जैसे विभिन्न नियमित उपचारों के लिए एप्लाइड एनॉटमी;

(बी) यूनानी सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं या ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी में सर्जिकल एनॉटमी से संबंधित अध्ययन;

(सी) बोन-सेटिंग में एप्लाइड एनॉटमी;

(डी) यूनानी मौलिक सिद्धांतों और अवधारणाओं से संबंधित एप्लाइड एनॉटमी;

(ई) तशरीहुल बदन से संबंधित अर्थों के साथ शब्दों की शब्दावली का विकास;

(एफ) आधुनिक भ्रूणविज्ञान के संदर्भ में *जेनीन* की समझ ;

(जी) मानव शव को संरक्षित करने की प्राचीन पद्धति और आधुनिक पद्धति के साथ तुलनात्मक अध्ययन;

(एच) एनथ्रोपोमीट्रिक *आधार पर हयाते आज़ा मिज़ाज वर्गीकरण* का शारीरिक सहसंबंध और आंतरिक विसरा का मापन;

(आई) तशरीहुल बदन (मानव शरीर रचना) के लिए शिक्षण विधियों, चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास ;

(जे) यूनानी तशरीहुल बदन अवधारणाओं का पता लगाने के लिए प्रतिरूपों का विकास;

(के) आधुनिक एनाटोमिकल समझ के अनुसार *आज़ा-ए-मुफरदा* और *मुरक्कबा का वर्गीकरण;*

(एल) चिकित्सा इतिहास के उद्देश्य से प्राचीन चिकित्सकों की एनाटोमिकल समझ की सीमा को समझने के लिए शास्त्रीय साहित्य खंगालना।

(3) मनाफेउल आज़ा (फ़िज़ियॉलोजी)-

(ए) समकालीन विज्ञान और उन्नत तकनीकों के संदर्भ में यूनानी चिकित्सा की शारीरिक अवधारणाओं की खोज;

(बी) उमूरे ताबिया और शारीरिक कार्यों और वैज्ञानिक अन्वेषणों के बीच प्रभावशाली संबंध को समझना ;

(सी) शारीरिक और जैव रासायनिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य और भोजन और *अखलात* के रखरखाव के बीच संबंध;

(डी) समकालीन विज्ञान और वैज्ञानिक अन्वेषण के संदर्भ में *हुजूम-ए-अरबा को समझना;*;

(ई) शरीरक्रिया विज्ञान, जैव रसायन और आनुवंशिकी को उपकरण के रूप में उपयोग करके यूनानी चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांतों का सत्यापन;

(एफ) *नब्ज़ की मान्यता,* शारीरिक परिप्रेक्ष्य में प्राचीन नाड़ी अवधारणाएं;

(जी) शारीरिक दृष्टिकोण से *मिज़ाज* पर वैज्ञानिक अध्ययन ;

(एच) स्पोर्ट्स फ़िज़ियॉलोजी में योगदान हेतु यूनानी चिकित्सा की क्षमता तलाशना;

(आई) मनाफेउल आज़ा (ह्युमन फिज़ियोलॉजी) अवधारणाओं के लिए स्केल्स, उपकरणों या उपस्करों का विकास और सत्यापन ;

(जे) मनाफेउल आज़ा (ह्युमन फिज़ियोलॉजी) के लिए शिक्षण विधियों, चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास ;

(के) न्यूरो-बायोलॉजिकल, न्यूरो-एंडोक्राइनल, या न्यूरो-साइको-इलेक्ट्रोबायोलॉजिकल सम्बन्धो के संदर्भ में यूनानी चिकित्सा के समग्र सिद्धांतों की जांच करना ।

(4) इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी)-

(ए) मिज़ाज-ए-अदविया, दर्जात-ए-अदविया का निर्धारण और इसकी वैज्ञानिक खोज और व्याख्याएं; और पूर्वकथित का आकलन या अनुमान लगाने के लिए उपकरणों का विकास

(बी) मिज़ाज-ए-अदविया *का* अनुमान लगाने, आकलन करने या मापने के लिए उपकरणों का विकास ;

(सी) पारंपरिक तरीकों के माध्यम से औषधियों के शुद्धिकरण पर वैज्ञानिक अध्ययन;

(डी) कच्चे माल के क्रय पर वैज्ञानिक अध्ययन;

(ई) नई शुद्धिकरण विधियों का विकास और इसके वैज्ञानिक औचित्य;

(एफ) कच्ची औषधियों या फॉर्मूलेशन की स्थिरता का अध्ययन;

(जी) लुप्तप्राय औषधीय पौधों के समकक्ष विकल्पों की पहचान;

(एच) उत्तम खेती, उत्तम संग्रह, या भंडारण प्रथाएं और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण;

(आई) विकल्पों और मिलावटों पर वैज्ञानिक सत्यापन;

(जे) यूनानी औषधियों के फार्माकोएपिडेमियोलॉजिकल या एथनो फार्माकोलॉजी पहलू;

(के) पारंपरिक और व्यावहारिक तरीकों के माध्यम से औषधि की पहचान और प्रमाणीकरण;

(एल) एकल औषधियों के फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स;

(एम) औषधि मानकीकरण

(एन) औषधियों की गुणवत्ता, प्रभावकारिता और सुरक्षा का पता लगाने हेतु प्रायोगिक अध्ययन;

(ओ) फार्माकोग्नॉसी और फाइटोकेमिस्ट्री अध्ययन;

(पी) पौधे या पशु या खनिज व्युत्पन्न (मिनरल डेरिवेटिव्स) पर प्रयोगात्मक अध्ययन;

(क्यू) *अदविया नबातिया, अदविया मादनिया* और *अदविया हैवानिया का भौतिक-रासायनिक विवरण*;

(आर) इन-सिलिको या कम्प्यूटेशनल अध्ययन के माध्यम से नेटवर्क फार्माकोलॉजी;

(एस) यूनानी औषधियों के मेटाबोलॉमिक और प्रोटिओमिक अध्ययन;

(टी) इल्मुल अदविया (मटेरिया मेडिका, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नॉसी) के लिए शिक्षण विधियों, चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

(5) इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी) -

(ए) विभिन्न अश्क़ाल –ए-अदविया (खुराक फॉर्म) की गुणवत्ता, प्रभावकारिता और सुरक्षा : प्रयोगात्मक अध्ययन;

(बी) मिकदर ख़ुराक (दवा की खुराक), बदरका (वाहन या सहायक), तदाबीर-ए-ग़िज़ा (आहार नियम) और मुद्दत (अवधि) की वैज्ञानिक मान्यता;

(सी) *अदविया नबातिया, अदविया मादनिया* और *अदविया हयवानिया* या चिकित्सा के उच्च क्रम (*दरजा ए चहारुम की दवा*) के भौतिक-रासायनिक विवरण सहित वैज्ञानिक अध्ययन ;

(डी) कुश्ताजात तैयार करने के लिए नवीन तकनीक या तरीके और उनका वैज्ञानिक औचित्य ;

(ई) अमल-ए-तकलीस पर साहित्यिक सर्वेक्षण और विवेचनात्मक समीक्षा;

(एफ) चिकित्सा के उच्च स्तर *(दरजा ए चहारुम की दवाए)* के रसायन विज्ञान और रासायनिक प्रौद्योगिकी को समझना*;*

(जी) यूनानी यौगिक सूत्रीकरण और उसके वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को नया स्वरूप देना;

(एच) प्रयोगात्मक अध्ययन, नई धातु या खनिज आधारित यूनानी चिकित्सा, परिकल्पना और प्रयोगों के निर्माण के माध्यम से नए खुराक रूपों की खोज;

(आई) पारंपरिक तरीकों के माध्यम से यूनानी दवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन, समकालीन तरीकों और उनकी वैज्ञानिक व्याख्याओं पर तुलना;

(जे) दवा तैयारियों में *उल्फत-ए-किमिया और नफ़रत-ए-किमिया अवधारणा की वैज्ञानिक खोज;*

(के) समान संकेतों के लिए विभिन्न तरीकों से तैयार की गई चिकित्सा पर तुलनात्मक अध्ययन;

(एल) विभिन्न प्रणालियों के विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न बदरकाजात के साथ दी जाने वाली एकल दवा- प्रायोगिक अध्ययन;

(एम) यूनानी दवाओं की कार्रवाई तंत्र की सूची;

(एन) यूनानी फार्मास्यूटिकल्स पर नैनो-रसायन विज्ञान अनुप्रयोग;

(ओ) यूनानी दवाओं का फार्माकोविजिलेंस पहलू;

(पी) पारंपरिक और आधुनिक उद्योग विधियों द्वारा तैयार दवाओं के गुणों पर वैज्ञानिक अध्ययन;

(क्यू) फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी का विकास;

(आर) इल्मुल सैदला (मटेरिया मेडिका, फार्मास्यूटिक्स और क्लिनिकल फार्मेसी) के लिए शिक्षण विधियों, चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास ;

(एस) फार्मेसी वितरण के लिए फार्मास्युटिकल उपकरण और प्रौद्योगिकियों या उपकरणों का विकास ;

(टी) फार्माकोपिया में उल्लिखित फॉर्मूलेशन का भौतिक-रासायनिक मानकीकरण;

(यू) दवासाज़ी में प्रयुक्त सैद्धांतिक अवधारणाओं या विधियों का वैज्ञानिक प्रमाणीकरण अध्ययन जैसे विभिन्न शुद्धिकरण तकनीकों, विषहरण प्रक्रियाओं आदि का प्रमाणीकरण ;

(वी) पांडुलिपि, शास्त्रीय पाठ का अनुवाद और विवेचनात्मक समीक्षा करना और पारंपरिक ज्ञान, पहचान के मूल दर्शन, संग्रह, भंडारण, संयोजन, विनिर्माण विधि और ऑर्गेनोलेप्टिक विवरण और आकलन के साथ-साथ आधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों पर उनके मूल्यांकन का पता लगाना ;

(डब्ल्यू) हाइब्रिड (प्राचीन और आधुनिक) विनिर्माण पद्धति का तुलनात्मक मूल्यांकन ;

(एक्स) तदबीर ई अदविया का वैज्ञानिक मूल्यांकन ;

(वाई) भौतिक रासायनिक और विश्लेषणात्मक मापदंडों के साथ विभिन्न खुराक रूपों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का विकास ;

(जेड) प्री-फॉर्मूलेशन, प्रक्रिया में, फॉर्मूलेशन के बाद गुणवत्ता आश्वासन और फार्मास्युटिकल विश्लेषण;

(जेडए) इन-विवो और इन-विट्रो फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक्स अध्ययन;

(जेडबी) यूनानी में नई दवा की खोज और विकास;

(जेडसी) प्राचीन खुराक फॉर्म का पुन: डिज़ाइन या रीमॉडलिंग या पुन: निर्माण;

(जेडडी) एकल दवाओं या मिश्रित दवाओं का स्थिरता अध्ययन और शेल्फ जीवन;

(जेडई) फार्माकोइकोनॉमिक्स पर अध्ययन;

(जेडएफ) फार्मास्युटिकल प्रबंधन और यूनानी दवाओं के नियामक पहलू;

(जेडजी) न्यूट्रास्यूटिकल्स और कॉस्मीस्यूटिकल्स का निर्माण और विश्लेषण।

(6) माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी)।-

(ए) निदान और रोग निदान के मूल्यांकन में यूनानी बुनियादी सिद्धांतों के लागू पहलू;

(बी) समसामयिक विज्ञान के आलोक में यूनानी निदान पद्धतियों (जैसे बौल-व-बराज़) का मानकीकरण;

(सी) नब्ज़, बौल-व- बराज़ आदि की निदान विधियों के मॉड्यूल का विकास ;

(डी) यूनानी सिद्धांतों पर आधारित नए नैदानिक उपकरणों का विकास;

(ई) रोग का दस्तावेजीकरण या रोगनिदान तथा अखलात की प्रधानता से रोग के कारण का पता लगाना ;

(एफ) विभिन्न रोगों में ग़ैर तबई अख़लात के लागू पहलू;

(जी) असाध्य परिस्थितियों में नब्ज़ और बौल- ऑ - बराज़ के व्यावहारिक पहलू और इसके वैज्ञानिक अन्वेषण;

(एच) विभिन्न प्रकार के मिज़ाज या सु'-इ-मिज़ाज का आकलन करने के लिए प्रश्नावली तैयार करना और उनका प्रमाणीकरण ;

(आई) आहार और आदत में परिवर्तन के मनोवृत्ति पर प्रभाव को समझना और इसके मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड विकसित करना;

(जे) निदान और पूर्वानुमान और इसके वैज्ञानिक औचित्य में यूनानी अवधारणाओं का मानवशास्त्रीय अनुप्रयोग;

(के) नब्ज़ (पल्स) और बौल- ऑ - बराज़, लुआब ई दहन आदि के माध्यम से शारीरिक मनोवृत्ति स्थिति और रोग को प्रभावित करने वाली वस्तुओं का आकलन करने के लिए एक प्रश्नावली का सत्यापन;

(एल) संवेदनशीलता, विशिष्टता, परिवर्तनशीलता और विश्वसनीयता के संदर्भ में यूनानी निदान उपकरणों का सत्यापन;

(एम) विभिन्न रोगों में देखे गए विशिष्ट, गैर-विशिष्ट, टिपिकल और एटिपिकल यूरिन परीक्षण पैटर्न और उनके वैज्ञानिक प्रमाणीकरण पर अध्ययन;

(एन) नब्ज़ या ग़लबा-ए-अख़लात की विभिन्न धारणाओं के माध्यम से प्रणालीगत विकृति का निर्धारण ;

(ओ) शरीर पर इस्तिफराग के प्रभावों का वैज्ञानिक अन्वेषण ;

(पी) गर्भावस्था जैसी विशेष शारीरिक स्थिति का चरणों के साथ निदान करना;

(क्यू) नए एटिऑलॉजिकल कारकों और उनके प्रभाव की वैज्ञानिक मान्यता;

(आर) आणविक जीव विज्ञान के संदर्भ में यूनानी पैथोफ़िज़ियॉलोजी पर प्रयोगात्मक अध्ययन;

(एस) विभिन्न रोगों के निदान में पारंपरिक एटिऑलॉजिकल कारकों और असबाब का तुलनात्मक अध्ययन;

(टी) यूनानी मापदंडों जैसे नब्ज़, बौल आदि के माध्यम से शरीर पर मुंजिज वा मुस्हिल के प्रभाव का आकलन;

(यू) हवास -ए- खमसा जाहिरा वा हवास-ए-खमसा बातिना के विशेष संदर्भ में शारीरिक और रोग संबंधी स्थितियों में ग़लबा-ए -अखलात का आकलन करने के लिए प्रशनों का प्रमाणीकरण ;

(वी) यूनानी मापदंडों, जैसे नब्ज़, बौल- ऑ - बराज़; के माध्यम से रोगों का पूर्वानुमान

(डब्ल्यू) माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी एंड लैबोरेट्री डायग्नोस्टिक्स)के लिए शिक्षण विधियों, चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास;

(एक्स) जीनोमिक्स के साथ मिज़ाज/सुइ-मिज़ाज का वैज्ञानिक सहसंबंध।

(वाई) मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पहलुओं में यूनानी पैथोलॉजी ।

(7) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन): तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ)-

(ए) यूनानी आहार विज्ञान और पोषण पर वैचारिक, नैदानिक और वैज्ञानिक अध्ययन;

(बी) यूनानी आहार-वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से स्वास्थ्य सुधार को बढ़ावा देना;

(सी) *दवा-ए-गिजाई* और *गिजाए-दवाई* अवधारणाओं की वैज्ञानिक खोज और प्रयोगात्मक अध्ययन;

(डी) ग़ैर तब्ई ख़िलत पर वैज्ञानिक अध्ययन और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव और भोजन के माध्यम से ख़राब *ख़िल्त को सामान्य बनाना*;

(ई) वैज्ञानिक मापदंडों पर यूनानी आहार के माध्यम से रोग की रोकथाम और स्वास्थय को बढ़ावा देना;

(एफ) रोग की रोकथाम और स्वास्थय में *असबाब–ए-सित्ता-जरुरिया* (छह आवश्यक कारक) की प्रासंगिकता;

(जी) यूनानी में इस्तिफराग या जैव-सफाई प्रक्रियाएं और स्वास्थ्य संवर्धन और रोग की रोकथाम में उनकी वैज्ञानिक प्रासंगिकता;

(एच) पारंपरिक खाद्य पदार्थों या पाक औषधियों का पोषण और औषधीय महत्व: प्रयोगात्मक अध्ययन;

(आई) विभिन्न रोगों में यूनानी आहार विज्ञान और पोषण मॉड्यूल का विकास;

(जे) *असबाब–ए-सित्ता- जरुरिया* (छह आवश्यक कारक) के साथ मनोदैहिक विकारों का प्रबंधन;

(के) संचारी, गैर-संचारी या जीवनशैली संबंधी विकारों की रोकथाम में *असबाब–ए-सित्ता- जरुरिया (छह आवश्यक कारक)* की भूमिका पर नैदानिक अध्ययन ;

(एल) दल्क व-रियाजत के माध्यम से जीवनशैली संबंधी विकारों का प्रबंधन ;

(एम) रोग की रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य के पारंपरिक तरीकों की वैज्ञानिक खोज;

(एन) महामारी विज्ञान सर्वेक्षण या अनुसंधान;

(ओ) यूनानी शास्त्रीय साहित्य के विशेष संदर्भ में विभिन्न रोगों की रोकथाम में प्रतिरक्षा बूस्टर की अवधारणा: वैज्ञानिक अन्वेषण;

(पी) जन स्वास्थ्य में तहफ्फुज़ी व समाजी तिब;

(क्यू) *हरकत-ओ-सुकुन नफ़सानी*, के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य प्रथाएं, औचित्य और वैज्ञानिक मान्यता;

(आर) *असबाब–ए-सित्ता- ज़रुरिया* (छह आवश्यक कारक) के माध्यम से तनाव प्रबंधन ;

(एक्स) संचारी और गैर-संचारी रोगों के लिए एकीकृत अनुसंधान प्रोटोकॉल का विकास;

(टी) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब में नवीन तकनीकों का विकास;

(यू) वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण के प्रबंधन के लिए नवीन यूनानी तकनीक;

(वी) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब के प्रभाव के निर्धारण के लिए वस्तुनिष्ठ मापदंडों का विकास स्वास्थ्य संवर्धन और रोग निवारण के सिद्धांत;

(डब्ल्यू) निवारक स्वास्थ्य देखभाल, प्रचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल, उपचारात्मक और पुठिटकर स्वास्थ्य देखभाल, या पुनर्वास स्वास्थ्य देखभाल के लिए *असबाब–ए-सित्ता-ज़रुरिया (छह आवश्यक कारक);*

(एक्स) निवारक और प्रचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल, बुढ़ापा रोधी, वृद्धावस्था देखभाल, प्रजनन स्वास्थ्य, चयापचय (मेटाबोलिक) संबंधी विकार, या अंतःस्रावी विकारों में *असबाब–ए-सित्ता-ज़रुरिया (छह आवश्यक कारक) की भूमिका;*

(वाई) व्यक्तियों के स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए *शख्सी हिफजान-ए-सेहत (व्यक्तिगत स्वच्छता) के सिद्धांत: वैज्ञानिक पहलू;*

(जेड) कुछ विशेष नैदानिक स्थितियों में रियाज़त *के* माध्यम से नैदानिक सुधार निर्धारित करने हेतु उद्देश्य मापदंडों का विकास ;

(जेडए) चिकित्सीय रियाज़त प्रक्रियाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का विकास ;

(जेडबी) कायाकल्प और दीर्घायु के लिए रियाज़त *;*

(जेडसी) *रियाज़त* या *गिज़ा* पर प्राचीन साहित्य का संग्रह और संकलन और आलोचनात्मक समीक्षा;

(जेडडी) मन से संबंधित विकारों के निदान के लिए आकलन पैमाने या उपकरणों का विकास;

(जेडई) परामर्श तकनीकों का विकास;

(जेडएफ) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ) के लिए शिक्षण विधियों, चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास;

(जेडजी) मेटाबोलिक संबंधी विकारों के निदान या जोखिम के पुर्वानुमान के मूल्यांकन पैमाने या उपकरणों का विकास;

(जेडएच) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय तपेदिक कार्यक्रम, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, आदि जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में यूनानी चिकित्सा पद्धति को एकीकृत करने के लिए अनुसंधान प्रोटोकॉल का विकास;

(जेडआई) यूनानी चिकित्सा पद्धति में इम्युनोमोड्यूलेटर दवाओं की खोज;

(जेडजे) *मिज़ाज-ए-इंसानी* और न्यूरोलॉजिकल मेटाबॉलिक, मस्कुलोस्केलेटल, एंडोक्राइनल विकार आदि जैसे विभिन्न विकारों के बीच संबंध का निर्धारण करना ;

(जेडके) यूनानी चिकित्सा पद्धति में रोगनिरोधी दवाओं की खोज।

(जेडएल) अंतःस्रावी विकारों के लिए चिकित्सीय योग: एकीकृत या सहयोगी अनुसंधान

(जेडएम) मेटाबोलिक संबंधी विकारों के लिए योग: एकीकृत या सहयोगी अनुसंधान

(जेडएन) योग और न्यूरोफिज़ियोलॉजी: एकीकृत या सहयोगी अनुसंधान

(जेडओ) जिरियाट्रिक्स के लिए योग: एकीकृत या सहयोगी अनुसंधान;

(जेडपी) मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग: एकीकृत या सहयोगी अनुसंधान;

(8) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन): तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) ।-

(ए) विषाक्तता की स्थिति के चिकित्सा प्रबंधन पर नैदानिक अध्ययन;

(बी) यूनानी एंटीडोट्स का औषधीय मूल्यांकन;

(सी) यूनानी में विषाक्तता का आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन: प्रायोगिक अध्ययन;

(डी) फार्माकोविजिलेंस;

(ई) यूनानी दवाओं की कच्ची दवाओं के शुद्धिकरण पर वैज्ञानिक अध्ययन;

(एफ) हर्बल, धातु, खनिज और पशु मूल की दवाओं के विषहरण तरीकों पर वैज्ञानिक अध्ययन;

(जी) अकार्बनिक उत्तेजक जहर (धातु और खनिज) और उनका निवारण: प्रयोगात्मक अध्ययन;

(एच) भारी धातुओं से तैयार दवाओं सहित यूनानी फॉर्मूलेशन पर सुरक्षा अध्ययन;

(आई) नशीली दवाओं की लत और यूनानी प्रबंधन;

(जे) ग़ज़ीदगी और उसका प्रबंधन;

(के) यूनानी सिद्धांतों के आधार पर विषाक्त पदार्थों या ज़हर को हटाने के लिए नए तरीके;

(एल) फोरेंसिक मेडिसिन, फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, व्यावसायिक टॉक्सिकोलॉजी, या घरेलू विषाक्तता पर अध्ययन;

(एम) विषाक्तता का निदान करने के लिए वस्तुनिष्ठ मापदंडों, मूल्यांकन पैमानों, उपकरणों या उपस्करों का विकास;

(एन) तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) के लिए शिक्षण विधियों, चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास ;

(ओ) यूनानी कोर्ट फिजिशियन और फोरेंसिक चिकित्सा में उनकी सीमा, सफलता और प्रयोज्यता;

(पी यूनानी चिकित्सा में प्रचलित चिकित्सा कानून और नैतिकता;

(क्यू) एदविया-ए-सम्मी (तीसरी या चौथी डिग्रीकी दवाएं) या खनिज मूल की दवाओं की टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग ;

(आर) खाने-पीने की चीजों और दवाओं से विषाक्तता;

(9) मोआलाजात (मेडिसिन)-

(ए) सामान्य नैदानिक स्थितियों पर नैदानिक अनुसंधान (रोग आधारित);

(बी) मनोरोग संबंधी विकारों का नैदानिक परीक्षण;

(सी) यूनानी दवाओं के साथ तीव्र नैदानिक स्थितियों का आपातकालीन प्रबंधन;

(डी) असाध्य रूप से बीमार रोगियों का यूनानी चिकित्सा प्रबंधन;

(ई) यूनानी चिकित्सा में मुंजिज मुस्हिल थेरेपी का प्रमाणीकरण मान्यता ;

(एफ) यूनानी पैलियेटिव देखभाल;

(जी) संक्रामक रोगों का यूनानी प्रबंधन;

(एच) यूनानी चिकित्सा के माध्यम से वृद्धावस्था देखभाल;

(आई) सिस्टेमेटिक बीमारियों, ऑटोइम्यून विकारों या कैंसर का नैदानिक प्रबंधन;

(जे) विभिन्न रोगों में अहकाम-ए-ग़िज़ा (आहार नियम) को मान्य करने के लिए अध्ययन;

(के) यूनानी चिकित्सा के माध्यम से मेटाबोलिक सिंड्रोम या विकारों का प्रबंधन;

(एल) एकीकृत उपचार प्रोटोकॉल (इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बित तदबीर, इलाज बिल दवा, जो भी लागू हो) के साथ जीवनशैली संबंधी विकारों का प्रबंधन;

(एम) विशेष बीमारी के लिए उपचार प्रोटोकॉल या प्रथम उपचार का मानकीकरण;

(एन) आंतरिक और बाह्य चिकित्सा के साथ संयुक्त चिकित्सा की नैदानिक दक्षता: एक एकीकृत अनुसंधान;

(ओ) शास्त्रीय साहित्य में उल्लेख न किए गए रोगों के लिए उपचार प्रोटोकॉल का मानकीकरण।

(पी) मोआलाजात (मेडिसिन) के लिए शिक्षण विधियों, चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

(10) अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी) -

(ए) त्वचा संबंधी विकारों के प्रबंधन पर नैदानिक अध्ययन;

(बी) त्वचा विकारों के निदान के लिए आकलन पैमानों और उपकरणों का विकास;

(सी) त्वचा विकारों में *मुसफ्फियात चिकित्सा की वैज्ञानिक मान्यता;*

(डी) कॉस्मेटिक त्वचाविज्ञान के प्रबंधन पर नैदानिक अध्ययन;

(ई) त्वचाविज्ञान और कॉस्मेटोलॉजी के प्रबंधन में विभिन्न तदाबीर *पर अध्ययन;*

(एफ) त्वचा और कॉस्मेटिक विकारों के प्रबंधन के लिए यूनानी संदर्भ में नवीन तकनीकों का विकास;

(जी) त्वचा की विषहरण प्रक्रियाएं और उनका वैज्ञानिक प्रमाण;

(एच) मेटाबोलिक, ऑटो-इम्यून, न्यूट्रिशनल, वैस्कुलर, एट्रोफिक, अंतःस्रावी रोग, संक्रमण, जन्मजात, वंशानुगत, एलर्जी और विष के कारण त्वचा विकारों का प्रबंधन;

(आई) गंभीर त्वचा विकारों जैसे स्क्लेरोडर्मा, इचिथोसिस, केलोइड, मेलेनोमा, हेमांगीओमा, आदि का प्रबंधन;

(जे) यूनानी सौंदर्य प्रसाधनों और कास्मेक्यूटिकल्स की वैज्ञानिक मान्यता;

(के) यूनानी सौंदर्य प्रसाधनों की चिकित्सीय दक्षता और सुरक्षा के लिए अध्ययन;

(एल) यूनानी बनाम पारंपरिक कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं पर तुलनात्मक अध्ययन;

(एम) यूनानी साहित्य के संदर्भ में एजिंग और फोटोएजिंग के लिए नए सौंदर्य प्रसाधनों और कॉस्मीस्यूटिकल्स का विकास;

(एन) यूनानी हेयर टॉनिक की प्रभावकारिता पर अध्ययन;

(ओ) बालों के कायाकल्प उपचारों के विकास पर अध्ययन;

(पी) हेयर डाई, कलरिंग और स्टाइलिंग तकनीकों पर अध्ययन;

(क्यू) यूनानी साहित्य में वर्णित इत्र और डिओडोरेंट का विस्तार और विकास;

(आर) विभिन्न त्वचा और कॉस्मेटिक विकारों में *अहकाम-ए-ग़िज़ा (आहार नियम) को मान्य करने के लिए अध्ययन;*

(एस) त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के उपाय;

(टी) अमराज़े जिल्द व तज़ीनियात (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी) के लिए शिक्षण विधियों, चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास;

(11) इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) -

(ए) चिकित्सा और पैरा-सर्जिकल स्थितियों में इलाज बित तदाबीर का नैदानिक अनुप्रयोग और इसकी वैज्ञानिक मान्यता;

(बी) इलाज बित तदाबीर के साथ न्यूरो-मस्कुलो- स्केलेटल विकारों का प्रबंधन;

(सी) खेल चोटों के लिए इलाज बित तदाबीर*;*

(डी) दर्द खत्म करने या उपशामक देखभाल में इलाज बित तदाबीर *;*

(ई) आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में इलाज बित तदाबीर *;*

(एफ) इलाज बित तदाबीर प्रक्रियाओं की उचित समझ के लिए उपकरणों या पैमानों का विकास;

(जी) इलाज बित तदाबीर *प्रक्रियाओं* और औषधियों के साथ संयुक्त चिकित्सा की नैदानिक दक्षता : एकीकृत अनुसंधान;

(एच) बाहरी उपचार के लिए उपकरणों या उपस्करों का विकास;

(आई) इलाज बित तदाबीर प्रक्रियाओं के मेकेनिज्म को स्पष्ट करना;

(जे) इलाज बित तदाबीर प्रक्रियाओं के विभिन्न आहार नियमों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का मानकीकरण और विकास ;

(के) इलाज बित तदाबीर के शास्त्रीय साहित्य का संग्रह, संकलन और विवेचनात्मक समीक्षा ;

(एल) इलाज बित तदाबीर प्रक्रियाओं में नए संशोधन ;

(एम) गैर-संचारी रोगों के लिए विशिष्ट इलाज बित तदाबीर *प्रक्रियाएं स्थापित करना;*

(एन) आर्थोपेडिक और रुमेटोलॉजिक स्थितियों को ठीक करने में इलाज बित तदाबीर पर अध्ययन;

(ओ) इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) के लिए शिक्षण विधियों, चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास;

(पी) जीवनशैली संबंधी विकारों, रुमेटोलॉजिकल स्थितियों या मेटाबोलिक) संबंधी विकारों के लिए इलाज बित तदाबीर*;*

(12) जराहत (सर्जरी)।-

(ए) यूनानी सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से सर्जिकल स्थितियों का प्रबंधन;

(बी) आधुनिक विज्ञान के साथ विभिन्न यूनानी सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का मानकीकरण और विकास;

(सी) विभिन्न सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए उपकरणों और सहायक उपकरणों का विकास;

(डी) आधुनिक समय के अनुसार विभिन्न प्रकार के पारंपरिक यूनानी सर्जिकल उपकरणों का मानकीकरण;

(ई) मौजूदा सर्जिकल प्रथाओं में संशोधन या नई विधियों या प्रौद्योगिकी की खोज;

(एफ) उन शास्त्रीय शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं की खोज और स्थापना जिनका प्रयोग नहीं किया जा रहा;

(जी) पारंपरिक और आधुनिक तर्ज पर पर शल्य चिकित्सा स्थितियों में नैदानिक प्रौद्योगिकी का विकास और वैज्ञानिक व्याख्याएं;

(एच) यूनानी सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं के संदर्भ में प्री-ऑपरेटिव और पोस्ट-ऑपरेटिव प्रक्रियाओं का मानकीकरण;

(आई) नए संकेतों और मानकीकरण के लिए यूनानी पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं का विकास;

(जे) नए संकेतों के लिए नवीन सर्जिकल प्रक्रियाएं;

(के) नैदानिक अनुसंधान (सर्जिकल स्थिति या रोग आधारित);

(एल) प्राचीन शास्त्रीय यूनानी साहित्य से शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का संग्रह, संकलन और विवेचनात्मक समीक्षा;

(एम) इल्मुल जराहत (सर्जरी) के लिए शिक्षण विधियों, चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

(13) ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री)

(ए) यूनानी सर्जिकल शल्य चिकित्सा से आंख, कान, नाक, गले और दंत रोगों को ठीक करना;

(बी) यूनानी पैरा-सर्जिकल आंख, कान, नाक, गले और दंत रोगों का प्रबंधन;

(सी) आधुनिक विज्ञान के साथ विभिन्न यूनानी सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का मानकीकरण और विकास;

(डी) विभिन्न सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए उपकरणों और सहायक उपकरणों का विकास;

(ई) आधुनिक तर्ज पर विभिन्न प्रकार के पारंपरिक यूनानी सर्जिकल उपकरणों का मानकीकरण;

(एफ) मौजूदा सर्जिकल प्रथाओं में संशोधन या नई विधियों या प्रौद्योगिकियों की खोज;

(जी) अव्यवहारिक शास्त्रीय शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं की खोज और स्थापना;

(एच) पारंपरिक और समसामयिक तर्ज पर शल्य चिकित्सा स्थितियों में नैदानिक प्रौद्योगिकी का विकास और वैज्ञानिक व्याख्याएं;

(आई) यूनानी सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं के संदर्भ में प्री-ऑपरेटिव और पोस्ट-ऑपरेटिव प्रक्रियाओं का मानकीकरण;

(जे) नए संकेतों यूनानी सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं का विकास और मानकीकरण;

(के) नैदानिक अनुसंधान (सर्जिकल स्थिति या रोग आधारित);

(एल) अमराज़े उज़्न, अनफ़ व हलक (कान, नाक और गले के रोग) के लिए शिक्षण विधियों, चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

(14) कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी)

(ए) यूनानी में प्रसवपूर्व देखभाल, प्रसव देखभाल और प्रसवोत्तर देखभाल की नैदानिक दक्षता;

(बी) यूनानी में गर्भधारण-पूर्व स्वास्थ्य देखभाल और गर्भधारण-पूर्व परामर्श;

(सी) भ्रूण के सामान्य विकास और सामान्य प्रसव को सुविधाजनक बनाने के लिए यूनानी दवाओं और उपायों की वैज्ञानिक मान्यता;

(डी) प्रसूति विज्ञान में यूनानी चिकित्सा के साथ नैदानिक अध्ययन जिसमें मतली और उल्टी, एनीमिया, गर्भकालीन मधुमेह, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता, इंडक्शन ऑफ लेबर, रिटैंड प्रोडक्टस ऑफ कंसेप्शन या थ्रेटन्ड एर्बोशन या मिस्ड एर्बोशन आदि शामिल हैं;

(ई) यूनानी चिकित्सा में स्तनपान, स्तन रोगों और लैक्टोगॉग्स पर अध्ययन;

(एफ) एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, पॉलीसिस्टिक डिम्बग्रंथि (ओवेरियन) रोग या सिंड्रोम, गर्भाशय प्रोलैप्स, गर्भाशय फाइब्रॉएड, पेल्विक सूजन संबंधी रोग, यौन संचारित रोग, असामान्य योनि स्राव, या बैक्टीरिया वाले वेजिनोसिस स्त्री रोग संबंधी विकारों में यूनानी चिकित्सा की प्रभावोत्पादकता सुरक्षा और तंत्र को मान्य करने के लिए नैदानिक अध्ययन आदि;

(जी) मासिक धर्म संबंधी विकारों का नैदानिक अध्ययन;

(एच) महिला बांझपन के लिए यूनानी प्रबंधन: नैदानिक अनुसंधान;

(आई) यूनानी चिकित्सा के साथ प्रीमेन्स्ट्रुअल, पेरीमेनोपॉज़ल सिंड्रोम, मेनोपॉज़ल सिंड्रोम या ऑस्टियोपोरोसिस पर अध्ययन;

(जे) किशोर लड़कियों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, चिंता और अवसाद, एनीमिया, मासिक धर्म स्वच्छता, कुपोषण, या मोटापा जैसे अध्ययन;

(के) यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर अध्ययन;

(एल) महिला यौन रोगों या विकारों पर शोध;

(एम) अंतःस्रावी विकार और प्रबंधन संबंधी विशिष्टता;

(एन) यूनानी चिकित्सा में गर्भ निरोधकों पर वैज्ञानिक अन्वेषण;

(ओ) गर्भाशय, डिम्बग्रंथि, गर्भाशय ग्रीवा या स्तन कैंसर जैसे जननांग कैंसर के लिए यूनानी चिकित्सा से प्रबंधन;

(पी) यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन्स जैसे यूरोगायनेकोलॉजिकल विकारों का उपचार और नैदानिक अनुसंधान;

(क्यू) स्त्रीरोग संबंधी और प्रसूति संबंधी रोगों में नैदानिक अध्ययन और आहार चिकित्सा;

(आर) स्त्री रोग संबंधी विकारों में लिए इलाज बित तदाबीर का अनुप्रयोग और इसका मानकीकरण;

(एस) स्त्री रोग संबंधी विकारों और प्रसवोत्तर देखभाल के प्रबंधन में योग एवं *रियाज़त* और *दलक* का एकीकरण ;

(टी) स्त्री रोग संबंधी विकारों में तदाबीर की प्रभावकारिता को मान्य करने के लिए अध्ययन ;

(यू) स्त्री रोग संबंधी प्रक्रियात्मक प्रबंधन का मानकीकरण जैसे कि वैजिनल डूश, *हुमूल, फरजजा, फतीला, मरहम, ज़िमाद, टकोर, हुकना, या आबज़न* आदि;

(वी) टैबलेट, सपोसिटरी और पेसरी फॉर्म में वैजिनल डोज़ के परिवर्तन के लिए नैदानिक अध्ययन;

(डब्ल्यू) यूनानी दवाओं के साथ प्रसवोत्तर रक्तस्राव प्रबंधन पर अध्ययन;

(एक्स) पोस्टमेनोपॉज़ल विकारों में यूनानी निर्मित फाइटोएस्ट्रोजन क्रीम के उपयोग की प्रभावकारिता को मान्य करने के लिए अध्ययन;

(वाई) स्तन विकारों के प्रबंधन में यूनानी चिकित्सा और प्रक्रियाओं पर अध्ययन;

(जेड) हिस्टीरिया और प्रसवोत्तर मनोविकृति के लिए यूनानी नैदानिक उपचार;

(जेडए) अमराज़े निस्वान वा क़बालत (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) के लिए शिक्षण विधियों, चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

(15) इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स)

(ए) अठारह वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए यूनानी इम्यून बूस्टर;

(बी) विशेष बच्चों, स्पास्टिक बच्चों, ऑटिज़्म और अटेंशन डेफेसिट हाइपर एक्टीविटी डिस्आर्डर के लिए यूनानी प्रबंधन;

(सी) यूनानी दवाओं और प्रोसीजरल इलाज-नैदानिक अध्ययन के साथ बाल रोगों का प्रबंधन;

(डी) बाल विकारों के प्रबंधन में योग और रियाजात का एकीकरण;

(ई) यूनानी मेमोरी बूस्टर;

(एफ) बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए यूनानी दवाएं और उपाय;

(जी) पिडियाट्रिक्स में आहार संबंधी एलर्जी और उनका प्रबंधन;

(एच) बच्चों में पोषण संबंधी विकार और प्रबंधन;

(आई) बचपन का मोटापा और प्रबंधन;

(जे) किशोर स्वास्थ्य- यूनानी दवाएं और उपाय;

(के) एक सामान्य बच्चे के पैरामीटर;

(एल) गैजेट की लत और व्यवहार संबंधी समस्याएं और प्रबंधन;

(एम) वैक्सीन एडजूवेंटस;

(एन) आनुवंशिक, जन्मजात और संज्ञानात्मक विकार और प्रबंधन;

(ओ) बच्चों में एनीमिया और प्रबंधन;

(पी) बच्चों में कृमि संक्रमण और प्रबंधन;

(क्यू) बार-बार होने वाले संक्रमण और प्रबंधन;

(आर) सामाजिक और निवारक चिकित्सा के बाल चिकित्सा क्षेत्र- वैज्ञानिक अध्ययन;

(एस) बाल चिकित्सा में आवश्यकता के अनुसार प्राचीन यूनानी दवाओं के खुराक रूपों को फिर से डिजाइन करना;

(टी) बच्चों में मायोपैथी के लिए यूनानी प्रबंधन;

(यू) बाल चिकित्सा उपचार में इलाज बित तदाबीर की भूमिका ;

(वी) बाल चिकित्सा प्रकरणों के निदान के तरीके;

(डब्ल्यू) अमराज़े अतफाल (पिडियाट्रिक्स) के लिए शिक्षण विधियों, चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरणों का विकास।

[**नोट:** संस्थान द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में से किसी एक से केवल एक छात्र को "शिक्षण विधियों, प्रौद्योगिकी और उपकरणों के विकास" के प्रमुख क्षेत्र में शोध प्रबंध कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।

31. स्नातकोत्तर छात्रों के लिए वृत्तिका - केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के संस्थानों से संबंधित स्नातकोत्तर छात्रों के लिए, **वृत्तिका** का भुगतान संबंधित सरकारों के अंतर्गत अन्य चिकित्सा पद्धतियों के बराबर किया जाएगा, और चिकित्सा पद्धतियों के बीच कोई विसंगति नहीं होगी।

32. स्नातकोत्तर शिक्षण संकाय की अहर्ता एवं अनुभव-

(1) (ए) संबंधित विशिष्टता या विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में शामिल या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 35 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री होना, और संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद के साथ अथवा भारतीय चिकित्सा पद्धति आचार एवं पंजीयन बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केंद्रीय या राष्ट्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र; तथापि, पंजीयन प्रमाणपत्र गैर-चिकित्सा अर्हता वाले शिक्षकों के लिए लागू नहीं है।

(बी) **तालिका** के कॉलम दो में उल्लिखित स्नातकोत्तर डिग्री कोर्सस के लिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची में शामिल या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 35 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कॉलम तीन में उल्लिखित संबंधित विशिष्टता में यूनानी चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री वाले को नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा और यह स्टेटस कॉलम दो में उल्लिखित संबंधित विशिष्टता से पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों के मिलने तक बनाए रखा जाएगा।

तालिका
स्नातकोत्तर विशिष्टताओं के लिए पात्र शिक्षक

क्र.सं. (1)	स्नातकोत्तर विशिष्टता या कार्यक्रम (2)	संबंधित विशेषता/संबद्ध विषय (3)
1	तशरीहुल बदन	इल्मुल जराहत या कुल्लियाते तिब
2	मनाफेउल आज़ा	कुल्लियाते तिब
3	इल्मुल सैदला	इल्मुल अदविया
4	तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम	तहफ्फुज़ी व समाजी तिब या मोआलाजात या इल्मुल अदविया या इल्मुल सैदला
5	माहियातुल अमराज़	मोआलाजात या कुल्लियाते तिब
6	इलाज बित तदाबीर	मोआलाजात या तहफ्फुज़ी व समाजी तिब
7	अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत	मोआलाजात
8	अमराज़े उज़्न, अनफ़ व हलक	इल्मुल जराहत या मोआलाजात
9	इल्मुल अतफ़ाल	मोआलाजात या क़बालत वा अमराज़े निस्वान

नोट 1: संबद्ध विषयों / विशिष्टता के प्रावधान को इन विनियमों के प्रारंभ होने की तिथि से पांच वर्षों के लिए अनुमति दी जा सकती है।

नोट 2: संबद्ध विषयों में नियुक्त शिक्षक, यदि मूल विभाग में वापस जाना चाहते हैं, तो वे इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष के भीतर वापस आ सकते हैं और ऐसी स्थिति में, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के अनुमोदित शिक्षकों को संबद्ध विषय का अनुभव मूल विभाग में नियमित अनुभव के रूप में माना जाएगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुमोदित शिक्षक जो संबद्ध विषयों में बने रहे, उन्हें संबंधित विभाग के नियमित शिक्षक के रूप में माना जाएगा और इन नियमों में निर्दिष्ट अनुसार नियमित शिक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

नोट 3: जिन शिक्षकों को पूर्व में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर शिक्षा) विनियम, 1979, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम, 2007 और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर यूनानी चिकित्सा शिक्षा) विनियम, 2016, के आधार पर पात्र माना गया था। इन विनियमों की अधिसूचना के बाद उन्हें अपात्र नहीं माना जाएगा।

(2) अनुभव- (ए) (i) संस्थान के प्रमुख (प्रिंसिपल या डीन या निदेशक) के पद के लिए योग्यता और अनुभव वही योग्यता और अनुभव होगा जो इन नियमों में प्रोफेसर के पद के लिए निर्धारित है और न्यूनतम तीन वर्ष

का प्रशासनिक अनुभव (उप प्राचार्य या विभागाध्यक्ष या उप चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा अधीक्षक आदि) होगा;

(ii) उसे संस्थान के प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा संचालित 'शैक्षिक प्रशासन' पर संस्थानों के प्रमुख के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम पूर्ण करना होगा;

(iii) संस्थान के प्रमुख का पद संभालने के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिक्षा प्रशासन पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करना एक अनिवार्य आवश्यकता है। ऐसा न करने पर, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा संस्थान के प्रमुख के पद के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

(बी) प्रोफेसर के पद के लिए: (i) संबंधित विषय में नियमित शिक्षक के रूप में दस वर्ष का कुल शिक्षण अनुभव या संबंधित विषय में नियमित आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर के रूप में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव; या

(ii) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर शिक्षण में नियमित शिक्षक के रूप में दस वर्षों का कुल शिक्षण अनुभव, या संबंधित विषय में नियमित आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर के रूप में स्नातकोत्तर शिक्षण में पांच वर्ष का शिक्षण अनुभव; या

(iii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थानों या राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के अनुसंधान परिषद या अनुसंधान संस्थानों में नियमित नियुक्ति के आधार पर संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद पूर्णकालिक शोधकर्ता के रूप में कुल दस वर्षों का शोध अनुभव,-

(ए) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण; और

(बी) इंडैक्सड पत्रिकाओं में प्रकाशित न्यूनतम पांच शोध पत्र (यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस में इंडैक्सड); या

इंडैक्सड पत्रिकाओं में प्रकाशित न्यूनतम तीन शोध पत्र (यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस में इंडैक्सड) और यूनानी से संबंधित एक प्रकाशित पुस्तक या मैनुअल; या

स्वीकृत पत्र के अनुसार परियोजना की अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक के साथ किसी भी प्रमुख अनुसंधान परियोजना के लिए अन्वेषक।

(सी) एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए: (i) संबंधित विषय में नियमित शिक्षक के रूप में पांच वर्ष का कुल शिक्षण अनुभव; या

(ii) संबंधित विषय में स्नातकोत्तर शिक्षण में नियमित शिक्षक के रूप में पांच वर्षों का कुल शिक्षण अनुभव; या

(iii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थानों या राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में नियमित नियुक्ति पर संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता रखने के बाद पूर्णकालिक शोधकर्ता के रूप में कुल पांच वर्ष का शोध अनुभव,-

(ए) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण; और

(बी) इंडैक्स्ड पत्रिकाओं में न्यूनतम तीन शोध पत्र प्रकाशित हो (यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस में इंडैक्स्ड); या

इंडैक्स्ड पत्रिकाओं में न्यूनतम एक शोध पत्र प्रकाशित हो (यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस में इंडैक्स्ड) और यूनानी से संबंधित एक प्रकाशित पुस्तक या मैनुअल; या

किसी भी प्रमुख अनुसंधान परियोजना के लिए अन्वेषक (स्वीकृत पत्र के अनुसार परियोजना की अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक); या

लघु अनुसंधान परियोजना अन्वेषक (स्वीकृत पत्र के अनुसार परियोजना की अवधि तीन वर्ष से कम)।

(डी) सहायक प्रोफेसर के पद के लिए: कोई शिक्षण अनुभव आवश्यक नहीं है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा।

(ई) नियमित पूर्णकालिक डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) कार्यक्रम के दौरान अर्जित वास्तविक शोध अनुभव, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से थीसिस जमा करने की तिथि तक और अधिकतम तीन वर्ष को शिक्षण अनुभव के रूप में माना जाएगा और पीएचडी सीट आवंटन पत्र, पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम में ज्वाइन होने का प्रमाण और विश्वविद्यालय में थीसिस जमा करने के प्रमाण को इस संबंध में साक्ष्य के रूप में माना जाएगा।

(एफ) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में उल्लिखित योग्यता और अनुभव वाले एक योग शिक्षक को प्रत्येक स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्था में पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा। वह तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत कार्य करेगा और उसे एक विशिष्ट शिक्षक कोड जारी नहीं किया जाएगा।

(जी) इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग के लिए: (i) यूनानी में स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता वाला एक प्रोफेसर (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन-एमडी या मास्टर ऑफ सर्जरी-एमएस) अधिमानतः स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री (पीएचडी) के साथ उप-विनियमन (2) के खंड (बी) में उल्लिखित अनुभव के साथ पूर्णकालिक, नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा और वह विभाग का प्रमुख होगा। उसे भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा विशिष्ट शिक्षक कोड प्रदान किया जाएगा और वह संस्थान के प्रमुख पद के लिए पात्र होगा।

(ii) इंटीग्रेटिव एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में बायोकैमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिनल बॉटनी या बॉटनी पब्लिक हेल्थ विषयों में शिक्षण स्टाफ होगा और उस को पूर्णकालिक, नियमित आधार पर नियुक्त किया जाएगा, और जिनकी योग्यता, अनुभव और पदोन्नति भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट अनुसार होगी। उन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा यूनीक शिक्षक कोड प्रदान किया जाएगा और वे विभाग के प्रमुख या संस्थान के प्रमुख (प्रिंसिपल या डीन या निदेशक) का पद धारण करने के पात्र नहीं हैं;

(iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 में उल्लिखित योग्यता, और अनुभव रखने वाले एक बायोस्टैटिस्टिशियन को इंटीगेटिव हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च विभाग में पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाएगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा विशिष्ट (यूनीक) शिक्षक कोड प्रदान नहीं किया जाएगा।

(3) अस्थायी नियुक्ति या संविदा नियुक्ति की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, सरकारी संस्थानों के प्रकरण में, संविदात्मक नियुक्तियों को निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति दी जा सकती है:

(ए) एक स्टॉप गैप व्यवस्था होगी;

(बी) विशेष विभाग में किसी विशेष पद के लिए दो वर्ष से अधिक नहीं होगा;

(सी) राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

(4) (ए) इन विनियमों के अनुसार प्रत्येक पात्र शिक्षक को भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा यूनीक शिक्षक कोड प्रदान किया जाएगा।

(बी) यूनीक शिक्षक कोड प्राप्त करने की प्रक्रिया और यूनीक शिक्षक कोड वापस लेने का विवरण भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

(5) शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु- शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के आदेश के अनुसार होगी, और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को पूर्णकालिक नियमित शिक्षक के रूप में पैंसठ वर्ष की आयु तक फिर से नियोजित किया जा सकता है।

(6) शिक्षक की उपस्थिति- (ए) प्रत्येक शिक्षक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या आकलन वर्ष के कार्य दिवसों के दौरान कम से कम पचहत्तर प्रतिशत उपस्थिति बनाए रखेगा, जैसा लागू हो।

(बी) शिक्षण कर्मचारियों की उपस्थिति की गणना "शिक्षक दिवस" के संदर्भ में की जाएगी जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम 2023 में निर्दिष्ट है।

(7) शिक्षण कर्मचारियों की कार्यमुक्ति और प्रतिस्थापन, शिक्षण कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और अनुमति पत्र जारी करने से पहले परामर्शदाताओं और शिक्षण कर्मचारियों के अनुभव संबंधी नियम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम 2023 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होंगे।।

(8) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना यूनानी मेडिकल कॉलेजों या संस्थानों में शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए पहली बार एक अनिवार्य आवश्यकता होगी, चाहे उनका कैडर कुछ भी हो।

(9) संकाय विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम: प्रत्येक शिक्षण संकाय को तीन वर्ष में एक बार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा संचालित चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी या गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम से गुजरना होगा।

33. ट्यूशन शुल्क - राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन या विश्वविद्यालय द्वारा गठित संबंधित शुल्क निर्धारण समिति या शुल्क नियामक समिति या गवर्निंग समिति द्वारा निर्धारित ट्यूशन शुल्क केवल तीन वर्ष की पाठ्यक्रम अवधि के लिए लिया जाएगा और परीक्षा में असफल होने या किसी अन्य कारण से अध्ययन की विस्तारित अवधि के लिए ट्यूशन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

34. पाठ्यक्रम प्रारंभ होने और प्रवेश की कट-ऑफ तिथि- (1) प्रथम वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के अगस्त से शुरू होगा और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश की कट-ऑफ तिथि सामान्यतः प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की 31 जुलाई या भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अनुसार होगी।

(2) प्रत्येक संस्थान नीचे दी गई **तालिका** में निर्दिष्ट शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों या कार्यक्रमों का संचालन करेगा।

तालिका

स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों के लिए संभावित शैक्षणिक कैलेंडर

(डॉक्टर ऑफ मेडिसिन-एमडी या मास्टर ऑफ सर्जरी-एमएस)

(कार्यक्रम की कुल अवधि - 36 माह)

क्र.सं (1)	शैक्षणिक गतिविधि या कार्यक्रम (2)	समय-सीमा (3)
1	कार्यक्रम का शुभारंभ	अगस्त माह का पहला कार्य दिवस
2	स्नातकोत्तरओरिएंटेशन प्रोग्राम	15-20 कार्य दिवस
3	स्नातकोत्तर शोध प्रबंध गतिविधि के लिए गाइड आवंटन	अक्टूबर (तीसरा माह)
4	विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम (समेटिव) आकलन	जनवरी (छठा माह) (पहले सेमेस्टर के अंत में) (जनवरी का तीसरा और चौथा सप्ताह)
5	सिनोप्सिस जमा करना	अप्रैल (9 वां माह)
6	विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय समेटिव आकलन	जुलाई (12 वां माह) (दूसरे सेमेस्टर के अंत में) (जुलाई के तीसरे या चौथे सप्ताह)
7	प्रथम प्रगति समीक्षा	जनवरी (अठारहवा माह)
8	द्वितीय प्रगति समीक्षा	जुलाई (24 वां माह)
9	तृतीय प्रगति समीक्षा	जनवरी (30 वां माह)
10	शोध निबंध कार्य का पूर्व-प्रस्तुतीकरण	जनवरी-मार्च (30-32 माह)
11	विभाग द्वारा संस्थान के प्रमुख को शोध प्रबंध प्रस्तुत करना	जनवरी-मार्च (31-33 माह)
12	संस्थान के प्रमुख द्वारा विश्वविद्यालय को शोध प्रबंध प्रस्तुत करना	अप्रैल (तैंतीसवां माह)
13	विश्वविद्यालय द्वारा तृतीय समेटिव आकलन	जुलाई (36 वां माह) (छठे सेमेस्टर के अंत में)

नोट: तीसरे समेटिव आकलन (सिद्धांत, व्यावहारिक, या नैदानिक, जैसा लागू हो) के अंतिम दिन को स्नातकोत्तर कार्यक्रम का अंतिम कार्य दिवस माना जा सकता है।

35. अनुमति प्रक्रिया पूरी होने की तिथि - स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए यूनानी संस्थानों को अनुमति देने या अस्वीकार करने की प्रक्रिया भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा काउंसलिंग प्रारंभ होने से साठ दिन पहले पूरी की जाएगी। प्रत्येक वर्ष यूनानी स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के लिए काउंसलिंग आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति द्वारा आयोजित की जाएगी।

अध्याय VIII

नए स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन-एमडी या मास्टर ऑफ सर्जरी-एमएस) का प्रारंभ स्टैंडअलोन स्नात्कोत्तर संस्था की स्थापना और मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि

36. (1) कोई भी व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए प्रस्तुत आवेदन के जवाब में भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड से अनुमति प्राप्त किए बिना एक नया चिकित्सा संस्थान स्थापित नहीं करेगा, कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेगा, या छात्र सेवन क्षमता, सीटें या प्रवेश क्षमता नहीं बढ़ाएगा।

(2) नई चिकित्सा संस्थाओं की शुरुआत, स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रमों की शुरुआत और छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 की धारा 29 के अनुसार होगी।

37. सामान्य विचार -

(1) नई योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी ।

(2) किसी भी व्यक्ति (एक विश्वविद्यालय, सोसाइटी, ट्रस्ट, या अन्य निकाय सहित, लेकिन इसमें केंद्र सरकार शामिल नहीं है), या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, द्वारा प्रस्तुत आवेदन इन विनियमों के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में होंगे: यूनानी में एक नया स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान स्थापित करने के लिए **(फॉर्म-ए),** एक नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए **(फॉर्म-बी)**, और सीटें, छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए **(फॉर्म-सी)**। इन आवेदनों के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क होगा जैसा कि इन नियमों में भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

(3) अधूरे आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(4) अंतिम तिथि के बाद आवेदन वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

(5) अंतिम तिथि से पहले आवेदन वापस लेने की स्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

(6) स्थानीय भाषा में कोई भी दस्तावेज़ हिंदी और/या अंग्रेजी की प्रतिलेख (ट्रांसक्रिप्ट) में प्रस्तुत किया जाएगा;

(7) यह स्पष्ट है कि, आवेदन जमा करने से पहले, आवेदक को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 और संबंधित नियमों को पढ़ना और समझना चाहिए।

38. पूर्व-अपेक्षाएँ- (1) चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए **फॉर्म- डी),** एक नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करने **(फॉर्म- ई),** और सीटें या छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने **(फॉर्म- एफ)**, इन विनियमों से जुड़े निर्धारित प्रारूप में आवेदन के समय संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) इन विनियमों से जुड़े निर्धारित प्रारूप **(फॉर्म- जी)** में शैक्षणिक वर्ष या संबद्धता के वर्षों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता की सहमति-पत्र एक नई चिकित्सा संस्था की स्थापना, एक नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने और सीटें या छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने, से पहले जैसा भी प्रकरण हो, प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) एक ही ट्रस्ट, सोसायटी या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किन्हीं दो यूनानी मेडिकल कॉलेजों के बीच की दूरी पच्चीस किलोमीटर से कम नहीं होगी।

(4) (ए) एक स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्था के प्रकरण में, आवेदन, प्रस्ताव या योजना प्रस्तुत करते समय, उसके पास पूर्ण रूप से कार्यात्मक साठ बिस्तरों वाला यूनानी अस्पताल होगा जिसने उचित पंजीयन के साथ स्थापना के बाद अस्तित्व के न्यूनतम चौबीस माह (अर्थात, कार्यक्षमता के दो वर्ष) पूरे किए हों;

(बी) अस्पताल में आवेदन जमा करते समय साठ छात्र प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज या संस्थान से जुड़े शिक्षण अस्पताल के लिए निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, कार्यक्षमता, सुविधाओं सहित उपकरण और सहायक उपकरणों आदि के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा किया होगा जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

(स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में निर्दिष्ट है।

(सी) अस्पताल को चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जा सकता है जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 के अध्याय- VIII में उल्लिखित है।

(5) अस्पताल की दो वर्षों की कार्यक्षमता के लिए निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

(ए) अस्पताल के नाम पर एक स्वतंत्र खाते में एक राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा अनुमोदित कमर्शियल बैंक में परामर्शदाताओं और अन्य अस्पताल कर्मचारियों के वेतन को दर्शाने वाले बैंक लेनदेन;

(बी) अस्पताल की कार्यक्षमता को दर्शाने वाले बैंक लेनदेन, जैसे दवाओं और अस्पताल उपभोग्य सामग्रियों की आवधिक खरीद, उपयुक्त करों का भुगतान, अस्पताल की आय, आदि;

(सी) अच्छी तरह से प्रलेखित (भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक) अस्पताल रिकॉर्ड, जिसमें बाह्य-रोगी विभागों और अंतःरोगी विभागों में पेशेंट अटैडेस, अस्पताल के रखरखाव को दर्शाने वाले दस्तावेज़ और स्थानीय या संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमतियों का नवीनीकरण शामिल है;

(डी) अस्पताल के पास आवेदन के समय कम से कम प्रवेश स्तर का अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

39. किसी स्नातक महाविद्यालय या संस्थान में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन करने की पात्रता.-

(1) यह भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 की धारा 28 के तहत एक पूर्ण रूप से स्थापित स्नातक महाविद्यालय या संस्थान होगा।

(2) कॉलेज या संस्थान ने बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को पूरा किया हो।

(3) कॉलेज या संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या तत्कालीन भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या केंद्र सरकार द्वारा यूनानी (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी) में स्नातक पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई हो और पहली अनुमति के बाद कम से कम चार वर्ष और छह माह पूर्ण किए गए हो।

(4) कॉलेज या संस्थान को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के स्वामित्व या प्रबंधन के लिए आयोग द्वारा खंड (3) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने से छूट दी गई है;

(5) साठ या सौ या एक सौ या एक सौ या दो सौ की छात्र प्रवेश क्षमता वाले कॉलेज या संस्थान 'विस्तारित अनुमति श्रेणी' के अंतर्गत होंगे और आवेदन या प्रस्ताव या योजना प्रस्तुत करने के समय भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा की गई रेटिंग प्रक्रिया में कॉलेज या संस्थान को ग्रेड "ए" या "बी" दर्जा दिया जाएगा।

(6) विभागवार पूर्वापेक्षाएँ-

(ए) मोआलाजात (मेडिसिन) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए मोआलाजात (मेडिसिन) इन-पेशेंट विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगी;

(बी) इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए इलाज बित तदाबीर इन-पेशेंट विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगी;

(सी) जराहत (सर्जरी) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रति दिन औसतन न्यूनतम दस यूनानी सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं को करने के लिए ऑपरेशन थिएटर, मेजर ऑपरेशन थिएटर और माइनर ऑपरेशन थिएटर सुविधा के साथ-साथ जराहत (सर्जरी) में रोगी विभाग औसत बिस्तर ओक्यूपेंसी साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा।;

(डी) अमराज़े उज़्न अनफ़ व हलक (ईयर नोज़ एंड थ्रोट) में स्नातकोत्तर डिग्री प्रोग्राम शुरू करने के लिए कम से कम औसतन दस यूनानी सर्जिकल और पैरा-सर्जिकल प्रक्रियाओं को करने के लिए ऑपरेशन थिएटर, (मेजर और माइनर) सुविधा के साथ-साथ ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री) इन-पेशेंट विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(ई) कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रति माह न्यूनतम दस प्रसव की औसत के साथ; कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) इन-पेशेंट विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगा।

(एफ) इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स) अंतःरोगी विभाग में औसत बिस्तर अधिभोग साठ प्रतिशत से कम नहीं होगी;

(जी) अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी) बाह्य रोगी विभाग में प्रति दिन साठ पेशेंटस अटेंडेस की औसत होनी चाहिए।

(एच) तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) की विशेषता के लिए बाह्य रोगी विभाग में प्रतिदिन कम से कम तीस पेशेंट अटेंडेस होनी चाहिए;

(आई) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (यूनानी डायटेटिक्स लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) बाह्य रोगी विभाग में प्रति दिन पचास व्यक्तियों की औसत उपस्थिति आवश्यक है;

(जे) इल्मुल अदविया (मटेरिया मेडिका, फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नॉसी) में स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए, विभाग में एक फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला, एक ग्रीनहाउस और एक वस्फुल अकाकीर (फार्माकोग्नोसी) प्रयोगशाला होगी, साथ ही एक इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी प्रयोगशाला और एक संग्रहालय भी होगा।

(के) इल्मुल सैदला (मटेरिया मेडिका, फार्मास्यूटिक्स और क्लिनिकल फार्मेसी) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए इल्मुल सैदला विभाग में इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी) व्यावहारिक प्रयोगशाला या शिक्षण फार्मेसी और संग्रहालय के अतिरिक्त उन्नत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला होगी;

(एल) माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी एंड लैबोरेट्री डायग्नोस्टिक्स) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) विभाग में माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला, माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला और संग्रहालय के अतिरिक्त मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रयोगशाला होगी;

(एम) कुल्लियाते तिब (बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ़ यूनानी मेडिसिन) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए कुल्लियात (बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ़ यूनानी मेडिसिन) विभाग में कुल्लियाते उमूर ताबिया प्रैक्टिकल लेबोरेटरी सह ट्यूटोरियल रूम और संग्रहालय सह ट्यूटोरियल रूम के अतिरिक्त उन्नत भाषा प्रयोगशाला होगी।;

(एन) तशरीहुल बदन (ह्यूमन एनाटॉमी) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए तशरीहुल बदन (ह्यूमन एनाटॉमी) विभाग में विच्छेदन हॉल, व्यावहारिक प्रयोगशाला के अतिरिक्त आभासी विच्छेदन टेबल (डाइसेक्शन) और ई-विच्छेदन सॉफ्टवेयर होगा।;

(ओ) मनाफेउल आज़ा (ह्युमन फिज़ियोलॉजी) में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए, मनाफेउल आज़ा (फ़िज़ियॉलोजी) प्रैक्टिकल प्रयोगशाला, मनाफेउल आज़ा (फ़िज़ियॉलोजी) विभाग में बायोकैमिस्ट्री प्रैक्टिकल प्रयोगशाला होगी।;

(7) शिक्षण अस्पताल के पास कम से कम अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) की प्रवेश स्तर की मान्यता होनी चाहिए।

40. स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान की स्थापना के लिए आवेदन करने की पात्रता. - इन विनियमों के अंतर्गत आवेदन करने के लिए, एक सोसायटी या ट्रस्ट या विश्वविद्यालय या संस्थान या कोई अन्य निकाय पात्र होगा यदि,-

(1) आवेदक का उद्देश्य भारतीय चिकित्सा पद्धति में शिक्षा प्रदान करना होगा।

(2) न्यूनतम आवश्यक भूमि और अन्य विशिष्टताएँ इन विनियमों के विनियम 12 में उल्लिखित के अनुसार होंगी।

(3) भूमि के लिए पट्टा (लीज़) करार वाले संस्थाओं के प्रकरण में, संस्थान को पट्टा (लीज़) की अवधि के पिछले तीन वर्षों के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि संस्थान प्रत्येक वर्ष एक नोटरीकृत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता जिसमें उल्लेख किया गया हो कि पट्टा (लीज़) की समाप्ति से पहले पट्टे का नवीनीकरण किया जाएगा और बाद में पट्टा (लीज़) अवधि की समाप्ति से पहले नवीनीकृत पट्टा (लीज़) करार प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) पूर्ण रूप से स्थापित कार्यशील यूनानी अस्पताल, जिसके पास कम से कम साठ बिस्तरों वाले अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की प्रवेश स्तर की मान्यता हो और जिसमें न्यूनतम साठ प्रतिशत बिस्तर अधिभोग हो और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम 2023 में निर्दिष्ट साठ छात्र प्रवेश क्षमता वाले अंडर-ग्रेजुएट कॉलेज या संस्थान से जुड़े शिक्षण अस्पताल के लिए उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों के साथ स्थापित किया गया है।

(5) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, कर्मचारियों, स्थान, उपकरण और अन्य बुनियादी ढांचे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम।

(6) एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है कि, स्नातकोत्तर विभागों के लिए नामित भूमि और भवन विशेष रूप से स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टता के लिए बनाए रखा जाएगा और कोई अन्य पाठ्यक्रम या कॉलेज या कार्यक्रम संचालित नहीं किए जाएंगे।

(7) एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है कि विदेशी नागरिकों और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को छोड़कर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को ही केवल योग्यता के आधार पर केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश परामर्श के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।

(8) एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है कि स्नातकोत्तर डिग्री का नाम और शिक्षक-छात्र अनुपात नामकरण इन नियमों में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

(9) इन विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से बुनियादी ढांचे और जनशक्ति स्थापित करने की स्थिति हो।

41. मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम में सीटें या छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन करने की पात्रता - आवेदन करने के लिए, एक सोसायटी या ट्रस्ट या विश्वविद्यालय या संस्थान या कोई अन्य निकाय पात्र होगा यदि, -

(1) आवेदन या प्रस्ताव या योजना प्रस्तुत करने के समय भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा या नामित प्राधिकारी द्वारा की गई रेटिंग प्रक्रिया में स्नातकोत्तर विभाग या विशिष्टता को ग्रेड "ए" या "बी" दर्जा दिया गया है और वह विस्तारित अनुमति श्रेणी के अंतर्गत हो।

(2) इन विनियमों के विनियम 38 के अंतर्गत उप-विनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट पूर्व-अपेक्षाओं को पूरा किया है।

(3) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (जिसमें प्रवेश क्षमता बढ़ाई जानीहै) चलाने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या तत्कालीन भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद या केंद्र सरकार द्वारा अनुमति दी गई है और पहली अनुमति के बाद तीन वर्ष पूरे किए गए हैं।

(4) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के स्वामित्व या प्रबंधन के लिए उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने से केंद्र सरकार द्वारा छूट दी गई है।

(5) एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है कि विदेशी नागरिकों, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को छोड़कर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को केवल योग्यता के आधार पर केवल केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश परामर्श के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।

(6) एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षक-छात्र अनुपात इन नियमों में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

(7) इन विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से बुनियादी ढांचे और जनशक्ति स्थापित करने की स्थिति में हो।

42. आवेदन की विधि- (1) इन विनियमों में निर्दिष्ट पूर्व-अपेक्षा और पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला आवेदक, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट मोड (ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों) और समय-सीमा के अनुसार आवेदन या प्रस्ताव या योजना प्रस्तुत कर सकता है।

(2) प्रत्येक स्नातकोत्तर विशिष्टता या कार्यक्रम के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे;

(3) गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क और लागू करों के साथ प्रोसेसिंग शुल्क, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका** में दिखाया गया है, का भुगतान ऑनलाइन मोड (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के खाते में "भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि के पक्ष" में किया जाएगा।;

तालिका
आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क

मद	**शुल्क विवरण रुपये में**	
	आवेदन शुल्क	**प्रोसेसिंग शुल्क**
(1)	**(2)**	**(3)**
स्नातकोत्तर संस्थाएं जहां स्नातक कार्यक्रम अस्तित्व में है		
स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ करना	प्रति कार्यक्रम दो लाख रुपये	प्रति कार्यक्रम दस लाख रुपये
मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाना	प्रति कार्यक्रम दो लाख रुपये	प्रति सीट पांच लाख रुपये
स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान		
स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान शुरू करना	दो लाख रुपये	प्रति कार्यक्रम दस लाख रुपये
अतिरिक्त स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम	प्रति कार्यक्रम दो लाख रुपये	प्रति कार्यक्रम दस लाख रुपये

प्रारंभ करना		
मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाना	प्रति कार्यक्रम दो लाख रुपये	प्रति सीट पांच लाख रुपये

(4) इन विनियमों में निर्दिष्ट सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट समय सीमा और मोड (ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों) के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

43. आवेदन की प्रोसेसिंग - सभी प्राप्त आवेदनों की निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी:-

(1) आवेदक की पात्रता

(2) पूर्वावश्यकताएँ

(3) इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति

(4) लागू करों के साथ आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क

(5) सहायक दस्तावेज़

(6) अस्पताल डेटा

(7) राष्ट्रीयकृत बैंकों या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित वाणिज्यिक बैंक में आधिकारिक बैंक खातों (अस्पताल और कॉलेज के लिए अलग खाता) में लेनदेन

(8) भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य।

44. आशय पत्र जारी करना.- (1) जांच के बाद, आवेदनों पर निम्नलिखित श्रेणियों (ए) और (बी) के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, अर्थात्, -

(ए) न्यूनतम आवश्यक मानकों और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने वाले आवेदन: (i) इन नियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों और अन्य अपेक्षित मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदक संस्थानों का भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निरीक्षण या दौरा किया जाएगा;

(ii) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड संस्थान द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए डेटा और निरीक्षण या दौरे के दौरान निरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों का सत्यापन करेगा और यदि संतोषजनक पाया गया, तो संस्थान को अधिनियम की धारा 29 के अनुसार आशय-पत्र जारी किया जाएगा।;

(iii) यदि निरीक्षण या विजिट के दौरान कोई कमी पाई जाती है, तो उसे सूचित किया जाएगा और उप-विनियमन (2) में उल्लिखित गैर-सुधार योग्य कमियों को छोड़कर सुधार के लिए एक अवसर दिया जाएगा;

(iv) उन संस्थानों जिन्हें सुधार का अवसर दिया गया है, द्वारा प्रस्तुत आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अनुपालन रिपोर्ट, की निर्दिष्ट कमियों के लिए जांच की जाएगी और यदि संतोषजनक पाया गया तो आवेदन को मंजूरी दे दी जाएगी और आशय पत्र जारी किया जाएगा; यदि संतोषजनक नहीं पाया जाता है या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट नियत तिथि के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो आवेदन नामंजूर और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(बी) कमियों वाले आवेदन: (i) कमियों वाले पाए गए आवेदनों को सुधार के लिए आवेदक को सूचित किया जाएगा;

(ii) संस्थानों द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों के साथ अनुपालन रिपोर्ट की भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा एक बार फिर से जांच की जाएगी; संतोषजनक पाए जाने पर संस्थान का निरीक्षण किया जाएगा या दौरा किया जाएगा;

(iii) कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट और निरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड जांच करेगा; संतोषजनक पाए जाने पर संस्थान को आशय पत्र जारी किया जाएगा; यदि संतोषजनक नहीं पाया गया तो आवेदन अस्वीकृत एवं नामंजूर कर दिया जाएगा।

(2) सुधार न किए जाने योग्य कमियाँ: हालाँकि, गंभीर प्रकृति की कमियाँ जैसे इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों में कमियाँ जैसे अस्पताल की कार्यक्षमता, भूमि की उपलब्धता या विवाद, कार्यरत अस्पताल की अपर्याप्त समय अवधि,राज्य सरकार से प्राप्त अनिवार्यता प्रमाणपत्र का न होना, विश्वविद्यालय से संबद्धता की सहमति का न होना, कॉलेज और अस्पताल के निर्माण क्षेत्र में कमी आदि दोषों को सुधारने का अवसर नहीं दिया जाएगा और ऐसे आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे;

(3) मौजूदा कॉलेजों पर लागू छूट नीति नए आवेदनों के लिए लागू नहीं होगी जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए;

(4) आशय पत्र केवल उस विशेष वर्ष के लिए वैध होगा।

45. अनुमति पत्र जारी करना- (1) आशय पत्र प्राप्त करने वाले संस्थान सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा करके अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे; इन विनियमों में निर्दिष्ट शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और अस्पताल कर्मचारियों का विवरण देंगे और भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर आयोग को निश्चित सुरक्षा जमा और देंगे सुरक्षा जमा राशि निम्नलिखित होगी:

(ए) एक नया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कोर्स या कार्यक्रम शुरू करने के लिए: प्रति पाठ्यक्रम पचास लाख रुपये;

(बी) सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए: प्रति सीट पांच लाख रुपये;

बशर्ते कि यह केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शासित कॉलेजों या संस्थानों पर लागू नहीं होगा यदि वे अपने योजना बजट में उनके द्वारा बताए गए समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित सुविधाएं पूर्ण रूप से प्रदान किए जाने तक नियमित रूप से तब तक धन प्रदान करने का वचन देते हैं।

(2) सुरक्षा जमा राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान मोड (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के खाते में "भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि" के पक्ष में किया जाएगा।

(3) संबंधित स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू होने के तीन वर्ष बाद निर्धारित सुरक्षा जमा राशि बिना ब्याज के कॉलेज या संस्थान के खाते में वापस कर दी जाएगी। भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण कॉलेज या संस्थान के खिलाफ कोई वित्तीय शिकायत लंबित नहीं होगी या जुर्माना राशि लंबित नहीं होगी।

(4) सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड निरीक्षण या दौरा करेगा;

(5) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड अनुपालन रिपोर्ट और निरीक्षण या दौरे के दौरान निरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की जांच करेगा और यदि पाया जाता है कि आवेदक सभी अपेक्षित न्यूनतम मानकों को पूरा कर रहा है, तो संस्थान को अनुमति का पत्र जारी किया जाएगा;

(6) आवेदक को आवेदन या प्रस्ताव या योजना जमा करने की अंतिम तिथि से छह माह के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा आवेदन या प्रस्ताव या योजना की मंजूरी या अस्वीकृति के बारे में सूचित किया जाएगा।

(7) भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड पारदर्शिता सुनिश्चित के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आवेदन, सत्यापन, आकलन और रेटिंग के लिए उपर्युक्त सिस्टम को बदलने का अधिकार होगा।

46. अपील- भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 की धारा 29 के अनुसार, व्यथित आवेदक निम्नलिखित स्थितियों में नीचे निर्दिष्ट तरीके से अपील कर सकते हैं:

(1) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड, द्वारा अनुमति से इनकार करने के प्रकरण में या किसी योजना को प्रस्तुत करने के छह माह के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो व्यथित आवेदक अस्वीकृति की सूचना के पंद्रह दिनों के भीतर या छह माह की समाप्ति अवधि के बाद पंद्रह दिनों के भीतर जैसा भी प्रकरण हो, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग में प्रथम अपील कर सकता है;

(2) प्रथम अपील ऑनलाइन या ऑफलाइन या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट तरीके से प्रस्तुत की जा सकती है;

(3) अपील प्राप्त होने पर, आयोग अपील की जांच करेगा और व्यथित आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा;

(4) यदि आयोग को ज्ञात होता है कि आवेदक सभी न्यूनतम आवश्यक मानक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो आयोग आवेदन पर विचार करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड को निर्देश दे सकता है;

(5) यदि आवेदक न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा नहीं कर रहा है, तो आयोग आवेदन को अननुमोदित और अस्वीकार कर देगा;

(6) किसी भी प्रकरण में आयोग अपील की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर आवेदक को निर्णय की सूचना देगा।

(7) आयोग द्वारा अस्वीकृति के प्रकरण में या ऐसी अपील की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर आयोग द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, व्यथित आवेदक सात दिन के भीतर केंद्र सरकार (आयुष मंत्रालय) के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।

47. अनुमति का नवीनीकरण- (1) एक बार जारी किया गया अनुमति पत्र एक वर्ष (अर्थात 12 माह) के लिए वैध होगा और वार्षिक आधार पर (पहला नवीनीकरण और दूसरा नवीनीकरण) नवीनीकृत किया जाएगा जब तक कि स्थापना के अंतर्गत स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता पूरी तरह से स्थापित स्टेटस प्राप्त न कर ले जैसा कि उप-विनियमन (7) के नीचे दी गई तालिका में उल्लेख किया गया है।

(2) अनुमति पत्र जारी करने वाले संस्थान इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति के संबंध में अनुपालन (स्नातकोत्तर विभाग या विशेषज्ञता वार) प्रस्तुत करेंगे। अनुमति पत्र की अवधि समाप्ति से छह माह पहले संस्थान द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड निरीक्षण या दौरा करेगा और कॉलेज द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट और निरीक्षण या दौरा के दौरान निरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की जांच करेगा और न्यूनतम आवश्यक मानकों की पूर्ति पर, संस्थान को अनुमति का पहला नवीनीकरण जारी किया जाएगा, जैसा कि उप-विनियमन (7) के नीचे तालिका में दिखाया गया है।

(4) अनुमति के दूसरे नवीनीकरण के लिए, पहले नवीनीकरण के लिए अपनाई गई विधि ही अपनाई जाएगी।

(5) दूसरे नवीनीकरण के बाद, स्नातकोत्तर विभाग या विशेषज्ञता को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 2020 की धारा 28 के अंतर्गत 'पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता' के रूप में माना जाएगा, बशर्ते कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के अनुसार अन्यथा कार्रवाई नहीं की जाती है।

(6) संस्थान की स्थापना के किसी भी चरण में न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा न करने और वार्षिक लक्ष्य प्राप्त न करने की स्थिति में, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड उस विशेष शैक्षणिक सत्र के लिए किसी विशेष स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता के लिए प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर देगा।

(7) पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभाग या विशेषज्ञता भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा रेटिंग के लिए पात्र है।

तालिका

अनुमति और स्नातकोत्तर विभाग या विशेषज्ञता की श्रेणी

क्र.सं (1)	धारा 28 और धारा 29 (2)	अनुमति या अनुमति का नवीनीकरण (3)	श्रेणी (4)	बैच (5)
1	29	आशय पत्र	विचाराधीन	कोई प्रवेश नहीं
2		अनुमति पत्र	स्थापना के अंतर्गत संस्थान	पहला बैच
3		अनुमति का प्रथम नवीनीकरण		दूसरा बैच
4		अनुमति का दूसरा नवीनीकरण		तीसरा बैच
5	28	विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति	पूर्णतः स्थापित स्नातकोत्तर विभाग या विशेषज्ञता। रेटिंग के लिए पात्र / हकदार	चौथा बैच

अध्याय IX

स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर विभागों जहां स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है और स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थानों की रेटिंग

48. स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर विभागों की रेटिंग जहां स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है और स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान (1) स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों में "विस्तारित अनुमति" स्थिति रखने वाले स्नातकोत्तर विभाग जहां एक स्नातक कार्यक्रम अस्तित्व में है और स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष रेटिंग दी जाएगी।

(2) स्नातकोत्तर संस्थानों के प्रकरण में जहां स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है, रेटिंग पूर्ण रूप से स्थापित स्नातक संस्थान और पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभागों के लिए अलग की जाएगी।

(3) स्नातक महाविद्यालयों में पूर्ण रूप से स्थापित स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं और स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थानों को अलग-अलग से रेटिंग दी जाएगी (अर्थात स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता वार रेटिंग)।

(4) निम्नलिखित स्नातकोत्तर संस्थान या स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता रेटिंग के लिए पात्र नहीं होंगे:

(ए) अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत स्थापना की प्रक्रिया से गुजर रहा है;

(बी) "वार्षिक अनुमति" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत;

(सी) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुमति देने से अस्वीकार कर दिया गया;

(डी) अधिनियम की धारा 28, उप-धारा (1) के खंड (एफ) में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा किए गए उपाय।

(5) रेटिंग प्रक्रिया, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, या अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा नामित किसी भी एजेंसी द्वारा, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रमुख क्षेत्रों और मानकों के आधार पर एक प्रक्रिया के माध्यम से, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से की जाएगी।

(6) ऐसे प्रकरण में, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित एक समिति के माध्यम से स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों की पहचान करेगा और रेटिंग एजेंसियों की सूची बनाएगा।

(7) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों की सूची को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा ताकि सूची को अंतिम रूप देने और "मार्बिज्म -इम्पैनल्ड रेटिंग एजेंसियों" की रुपरेखा तैयार करने के लिए और संबंधित वित्तीय निहितार्थों के लिए भी आयोग की स्वीकृति मिल सके।

(8) उप-विनियम (1) में उल्लिखित रेटिंग के लिए पात्र ऐसे स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों या स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं के लिए ऐसी रेटिंग एजेंसियों तक पहुंच प्रदान करना अनिवार्य होगा।

(9) स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं का आकलन इन विनियमों में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यक मानकों से ऊपर के मानकों के आधार पर किया जाएगा।

(10) संस्थानों द्वारा समय-समय पर अपलोड किए गए डेटा (स्व-प्रकटीकरण) को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर – (पिछले माह से संबंधित डेटा के लिए प्रत्येक माह की दस तिथि को या उससे पहले) रेटिंग और अन्य उद्देश्यों के लिए विचार किया जाएगा।

(11) रेटिंग के लिए ऑनलाइन डेटा सत्यापन और भौतिक सत्यापन या आकलन के बीच वेटेज का अनुपात 70:30 होगा (अर्थात सत्तर प्रतिशत ऑनलाइन डेटा सत्यापन और तीस प्रतिशत भौतिक सत्यापन या आकलन);

(12) रेटिंग के लिए आकलन के बाद, विस्तारित अनुमति श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता को स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता द्वारा प्राप्त आकलन स्कोर के आधार पर ग्रेड 'ए', ग्रेड 'बी', ग्रेड 'सी' या ग्रेड 'डी' में वर्गीकृत किया जाएगा।

(13) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड परामर्श शुरू होने से पहले स्नातकोत्तर विभागों या स्नातकोत्तर संस्थानों की विशिष्टताओं का आकलन / रेटिंग आयोग की वेबसाइट या पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध कराएगा।

(14) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग वेबसाइट पर आकलन और रेटिंग के ऐसे डेटा को अपलोड करने के लिए प्रारूप और प्रक्रिया तैयार करेगा।

(15) ग्रेड ए' वाले वर्षों के दौरान प्रवेश प्राप्त छात्रों से केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंधित शुल्क निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क से पांच प्रतिशत अधिक विकास शुल्क लेने का हकदार है।

(16) ग्रेड 'ए' या 'बी' वाला एक स्नातक कॉलेज भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम को शुरू करने के लिए पात्र होगा।

(17) स्नातक संस्थान के प्रकरण में, जहां स्नातकोत्तर कार्यक्रम पहले से मौजूद हैं, सभी मौजूदा स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं के पास भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम को शुरू करने के लिए 'ए' या 'बी' ग्रेड होगा।

(18) 'ए' या 'बी' ग्रेड वाले सभी मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम रखने वाली स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान केवल भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम को शुरू करने के लिए आवेदन करने का पात्र होगा।

(19) 'ए' या 'बी' ग्रेड वाले स्नातकोत्तर विभाग या विशिष्टताएं ही संबंधित विभाग या विशेषता में छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(20) किसी भी ग्रेड का कॉलेज या संस्थान या स्नातकोत्तर विभाग या विशेषज्ञता पर, अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ), के प्रावधानों अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जाती है, यह माना जाएगा कि ग्रेड वापस ले लिया गया है, और ग्रेड वापस लेने के लिए कोई सूचना पत्र नहीं भेजा जाएगा; यदि ऐसा कोई कॉलेज, संस्थान या विभाग ग्रेड का उपयोग करना जारी रखता है, तो ऐसे संस्थानों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(21) चिकित्सा संस्थानों या स्नातकोत्तर विभागों को, संस्थान द्वारा प्राप्त रेटिंग स्कोर के आधार पर वर्गीकृत (ग्रेड) किया जाएगा, जैसा कि नीचे दी गई **तालिका** में बताया गया है।

तालिका

रेटिंग स्कोर और ग्रेड

रेटिंग स्कोर (1)	**श्रेणी** (2)
75 और उससे अधिक	ए
50-74	बी
25-49	सी
24 तक	डी

(22) वार्षिक रेटिंग शुल्क का भुगतान लागू करों के साथ ऑनलाइन (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के खाते में भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग निधि के पक्ष में किया जाएगा और शुल्क विवरण निम्नानुसार हैं।

(ए) स्नातकोत्तर संस्थान जहां स्नातक पाठ्यक्रम अस्तित्व में है, वहां स्नातक कॉलेज (छात्र प्रवेश क्षमता के आधार पर) और स्नातकोत्तर विभाग दोनों के लिए रेटिंग शुल्क का निम्नानुसार अलग-अलग भुगतान किया जाएगा। ये शुल्क भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संलग्न शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में निर्दिष्ट हैं।

(i) स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं की संख्या पांच तक : एक लाख रुपये

(ii) स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं की संख्या छह से दस तक : दो लाख रुपये

(iii) स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं की संख्या ग्यारह से पंद्रह तक : तीन लाख रुपये

(iv) स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं की संख्या सोलह और उससे अधिक : चार लाख रुपये

(बी) "स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान साठ बिस्तरों वाले अस्पतालों के लिए 2,50,000 रुपये (दो लाख और पचास हजार रुपये) के मूल शुल्क का भुगतान करेंगे, जैसा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संलग्न शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2023 में निर्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त, उन्हें स्नातकोत्तर विभागों या विशिष्टताओं के लिए विशिष्ट रेटिंग शुल्क का

भुगतान करना होगा जैसा कि विनियमन 48 के उप-विनियमन (22) के खंड (ए) के उप-खंड (i) से (iv) में उल्लिखित है। संपूर्ण रेटिंग शुल्क का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

तालिका
यूनानी स्नातकोत्तर संस्थानों की रेटिंग के लिए शुल्क

संस्थान	स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की संख्या और वार्षिक रेटिंग शुल्क रुपये में			
	5 तक	6 से 10 तक	11 से 15 तक	16 और ऊपर
स्नातक संस्थानों में स्नातकोत्तर विभाग	Rs. 1,00,000/-	Rs. 2,00,000/-	Rs. 3,00,000/-	Rs. 4,00,000/-
स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान	Rs. 3,50,000/- (2,50,000*+1,00,000)	Rs. 4,50,000/- (2,50,000*+2,00,000)	Rs. 5,50,000/- (2,50,000*+3,00,000)	Rs. 6,50,000/- (2,50,000*+4,00,000)
* स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थानों में साठ बिस्तर वाले अस्पताल के लिए				

अध्याय- X
डॉक्टरेट की डिग्री (पीएचडी) (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी) के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक

49. **सामान्य विचार-** (1) संबंधित विषय में या डिसिप्लिनरी या इंट्रा डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी मल्टी - डिसिप्लिनरी या ट्रांस डिसिप्लिनरी क्षेत्रों में किए गए शोध कार्य को प्रदान की गई डॉक्टरेट की डिग्री समान मानी जाएगी।

(2) एक डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम में कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि और अधिकतम छह वर्ष की अवधि होगी। अधिकतम अवधि के अतिरिक्त, कोई भी विस्तार डिग्री देने वाले संस्थानों या विश्वविद्यालयों के क़ानूनों या अध्यादेशों में निर्धारित प्रासंगिक खंडों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, परंतु यह दो वर्ष से अधिक नहीं होगा (अर्थात, डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम की कुल अवधि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम में प्रवेश की तिथि से आठ वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

(3) महिला उम्मीदवारों और दिव्यांगजन (चालीस प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले) को पीएचडी के लिए अधिकतम अवधि में दो अतिरिक्त वर्षों तक की छूट की अनुमति दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, महिला उम्मीदवारों को स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम की पूरी अवधि के दौरान एक बार 240 दिनों तक मातृत्व अवकाश या चाइल्डकेयर अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

(4) पीएचडी कार्यक्रम एक पूर्णकालिक अनुसंधान कार्यक्रम होगा और इसे यूनानी में स्नातकोत्तर डिग्री प्रोग्राम (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन-एमडी या मास्टर ऑफ सर्जरी-एमएस) पूरा होने के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा।

(5) पीएचडी कार्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा यदि,

(ए) शोध अवधि के दौरान पी. एच. डी. छात्र और पी. एच. डी. पर्यवेक्षक अलग-अलग स्थानों पर होते हैं।

(बी) पी. एच. डी. स्कॉलर का कार्यस्थल और पी. एच. डी. के लिए पंजीकृत शोध स्थल अलग-अलग हैं।

(6) जिन लोगों ने इन विनियमों की अधिसूचना से पहले स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम के लिए पंजीयन कराया है, वे अपने पंजीयन के समय प्रचलित प्रावधानों को जारी रखेंगे।

(7) स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होगा।

(8) स्नातकोत्तर डॉक्टरेट डिग्री कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान स्थान यूनानी संस्था में एक स्वतंत्र स्नातकोत्तर विभाग, एक अनुसंधान प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्थाओं या केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर विभाग होगा। एक स्नातक यूनानी शिक्षण संस्थान पीएचडी कार्यक्रम के लिए अनुसंधान स्थल के रूप में नहीं माना जाएगा।

(9) इंटर डिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी और मल्टी - डिसिप्लिनरी अनुसंधान के लिए, संबंधित विषय में एक स्नातकोत्तर संस्थान जो संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पर्याप्त अनुसंधान सुविधाओं के साथ मान्यता प्राप्त है, या राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, या राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता का कोई केंद्र, या राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त संगठनों के अनुसंधान संस्थान, और इसी प्रकार के संस्थानों, एक अनुसंधान स्थल के रूप में माना जाएगा।

अध्याय XI

दंड और अनुशासनात्मक कार्रवाइयां

50. (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी नियमों, निर्देशों, निर्देशों का अनुपालन और समय-सीमा का पालन करना संस्थानों की जिम्मेदारी होगी।

(2) गैर-अनुपालन कार्रवाई में शामिल है, अर्थात्, -

(ए) स्वायत्त बोर्डों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों, दिशानिर्देशों और किसी भी अन्य प्रकार के पत्राचार का अनुपालन न करना;

(बी) संस्थानों की कोई भी गतिविधि, जो स्नातकोत्तर यूनानी चिकित्सा शिक्षा के उद्देश्यों एवं कार्य पद्धति और शुल्क के संबंध में छात्रों का शोषण, उपस्थिति की गलत प्रथाओं आदि जैसी प्रथाओं के अनुरूप नहीं है;

(सी) बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, नैदानिक सामग्री, प्रैक्टिकल सामग्री, अनुसंधान सुविधाओं आदि की पूर्ति न करना और अन्य संस्थागत कार्य करना जो इन नियमों के अनुरूप नहीं हैं;

(डी) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड के आकलन और रेटिंग या किसी भी अन्य गतिविधियों के लिए निरीक्षण या विज़िटेशन प्रक्रिया में असहयोग या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी;

(ई) स्वायत्त बोर्डों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को झूठी जानकारी या मनगढ़ंत डेटा या सूचना या साक्ष्य प्रदान करना;

(एफ) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के आकलनकर्ताओं या अधिकारियों या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा नामित अधिकारियों को प्रभावित करने, दबाव डालने, रिश्वत देने या धमकी देने का कोई भी प्रयास।

(3) जैसा कि उप-विनियम (2) में उल्लिखित है चिकित्सा संस्थान द्वारा किसी भी गैर-अनुपालन या जानबूझकर गैर-अनुपालन कार्य या चूक के प्रयास के लिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या तो चिकित्सा संस्थान को दंडित करेगा या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खंड (एफ) में उल्लिखित ऐसे उपाय करेगा और/या ऐसी घटनाओं की आगे की जांच करेगा, अर्थात्, -

(ए) एक करोड़ तक का मौद्रिक जुर्माना लगाया जाऐगा।

(बी) चेतावनी जारी करना;

(सी) किसी नई योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया को उस शैक्षणिक वर्ष या कुछ वर्षों के लिए रोकना;

(डी) आगामी शैक्षणिक वर्ष में चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रवेश दी जाने वाली सीटों की संख्या कम करना;

(ई) आगामी या बाद के शैक्षणिक वर्षों में एक या अधिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश रोकना;

(एफ) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को मान्यता वापस लेने के लिए सिफारिश करना;

(जी) चिकित्सा संस्थानों की रेटिंग को पांच शैक्षणिक वर्षों तक की अवधि के लिए रोकना और वापस लेना;

(4) यदि संस्थान की ओर से किसी व्यक्ति या एजेंसी के माध्यम से भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग पर दबाव डालने का कोई प्रयास किया जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप संस्थान के आवेदन या अनुरोध को तत्काल रोकने, अनुमति वापस लेने, छात्र प्रवेश क्षमता काम करने मौद्रिक दण्ड लगाया जा सकता है ।

(5) इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग उस समय लागू आपराधिक कानून के अनुसार झूठी जानकारी प्रस्तुत करने, या झूठे दस्तावेजों को तैयार करने के लिए आपराधिक कार्यवाही भी प्रारंभ कर सकता है।

(6) जब आयोग को यह ज्ञात होता है कि एक स्नातकोत्तर छात्र, जिसे संबंधित संस्थान में भौतिक उपस्थिति के साथ तीन वर्ष का अध्ययन करना अनिवार्य है, वह धोखाधड़ी, गलत बयानी, या आवश्यक उपस्थिति को पूर्ण किए बिना शारीरिक रूप से अनुपस्थित रहकर, या इस संबंध में मिथ्या सूचना प्रदान करके, या तो संबंधित संस्थान के साथ मिलीभगत करके या अन्यथा या इन नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण किए बिना या आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी भी दिशानिर्देश को पूर्ण किए बिना, स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर रहा है, ऐसे स्नातकोत्तर छात्र को उनके स्नातकोत्तर अध्ययनों के अस्थायी निलंबन, न्यूनतम एक वर्ष के लिए राज्य या राष्ट्रीय पंजीयन से अस्थायी निलंबन, और न्यूनतम पांच लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाएगा; दूसरी बार दोषी पाए जाने की स्थिति में, उसके स्नातकोत्तर अध्ययन का अस्थायी निलंबन न्यूनतम दो वर्ष, साथ ही राज्य या राष्ट्रीय पंजीयन का अस्थायी निलंबन न्यूनतम दो वर्ष, और दस लाख रुपये का न्यूनतम जुर्माना लगाया जाएगा और तीसरी या बाद में दोषी पाए जाने की स्थिति में, स्नातकोत्तर अध्ययन में उसके प्रवेश को स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही न्यूनत्तम पांच वर्ष के लिए राज्य या राष्ट्रीय पंजीयन को निलंबित कर दिया जाएगा।

पहली अनुसूची

(विनियम 7 और 14 देखें)

इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी) के स्नातकोत्तर विभाग के अंतर्गत फाइटोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएँ

क्रम सं.	उपस्कर, उपकरण, रसायन और अभिकर्मक
(1)	(2)
	I. उपस्कर और उपकरण
1.	स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
2.	हाई-प्रोफार्मेस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी (एचपीएलसी):
3.	गैस क्रामैटोग्राफी
4.	न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस (एनएमआर) स्पेक्ट्रोमीटर
5.	पराबैंगनी-दृश्यमान (यूवी-विज़) स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
6.	सेंट्रीफ्यूज
7.	रोटरी इवेपोरेटर
8.	माइक्रोस्कोप

9.	पीएच मीटर
10.	आटोक्लेव
11.	ओखली और मूसल
12.	फ़्रीज़ ड्रायर (लियोफ़िलाइज़र)
13.	इन्क्यूबेटर
14.	शेकर
15.	वाटर बाथ
16.	फ्रैक्शन कलेक्टर
17.	माइक्रोबैलेंस
18.	होमोजेनाइजर
19.	हीटिंग मेंटल
20	डिजिटल थर्मामीटर
II. ग्लासवेयर	
21.	बीकर
22.	फ्लास्क (एर्लेनमेयर, राउंड बॉटम)
23.	परीक्षण नलियाँ
24.	वायल्स
25.	पिपेट और पिपेटर्स
26.	ब्यूरेट्स
27.	ग्रेजुएटेड सिलेंडर
28.	सेपरेटरी फ़नल
29.	कंडेंसर
30.	क्रोमैटोग्राफी कॉलम
31.	पेट्री डिशेस
32.	डेसकेटर
33.	फ़िल्टर फ्लास्क और बुचनर फ़नल
34.	माइक्रोस्कोप स्लाइड और कवर स्लिप
35.	ड्राइंग ओवन ग्लासवेयर
36.	वाच ग्लासिस
37.	रिएक्शन ट्यूब
38.	केजेल्डहल फ्लास्क
39.	सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन एपराटस
40.	नेस्लर ट्यूब्स
41.	टीएलसी किट
III. रसायन, अभिकर्मक (रिएजेंट्स) आदि	

	ए. सॉल्वैंट्स:
42	मेथनॉल
43	इथेनॉल
44	एसीटोन
45	क्लोरोफार्म
46	हेक्सेन
47	डायथाइल
48	टॉल्यूइन
49	इथाइल एसीटेट
50	पानी (डिस्टिल्ड या डी-आयोनाइज्ड)
	बी. अभिकर्मक रिएजेंट्स:
51	फोलिन-सियोकाल्टेउ रिएजेंट्स (कुल फेनोलिक सामग्री निर्धारण के लिए)
52	ड्रैगेंडोर्फ रिएजेंट्स (एल्कलॉइड के लिए)
53	वैनिलिन रिएजेंट्स (फ्लेवोनोइड्स के लिए)
54	अनिसलडिहाइड-सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट्स (टेरपेनोइड्स के लिए)
55	मोलिश रिएजेंट्स (कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए)
56	लिबरमैन-बर्चर्ड रिएजेंट्स (स्टेरोल्स के लिए)
57	एर्लिच रिएजेंट्स (इंडोल एल्कलॉइड के लिए)
58	शिनोडा परीक्षण रिएजेंट्स (फ्लेवोनोइड्स के लिए)
59	साल्कोव्स्की रिएजेंट्स (टेरपेनोइड्स का पता लगाने के लिए)
60	आयोडीन सॉल्यूशन (स्टार्च)
61	फ़्लोरोग्लुसीनोल
62	फीलिंग सॉल्यूशन
63	वैगनर
	सी. मानक स्टैंडर्ड:
64	विश्लेषणात्मक तकनीकों में अंशांकन के लिए ज्ञात यौगिकों के मानक सॉल्यूशन (जैसे, एचपीएलसी, जीसी-एमएस)
	डी. अम्ल और क्षार:
65	हाइड्रोक्लोरिक एसिड (एचसीएल)
66	सल्फ्यूरिक एसिड (एच 2 एस ओ 4)
67	नाइट्रिक एसिड (एचएनओ 3)
68	एसीटिक एसिड
69	सोडियम हाइड्रॉक्साइड (एन ए ओ एच
	ई. क्रोमैटोग्राफी सामग्री:
70	सिलिका जेल (कॉलम क्रोमैटोग्राफी के लिए)
71	सेफैडेक्स (जेल फिल्ट्रेशन क्रोमैटोग्राफी के लिए)

72	टीएलसी प्लेटें (पतली परत क्रोमैटोग्राफी के लिए)
73	विभिन्न क्रोमैटोग्राफ़िक तकनीकों के लिए अवशोषक और एलुएंट्स
	एफ. विविध:
74	हाइड्रोजन पेरोक्साइड (ऑक्सीडेटिव एंजाइम एसेयस के लिए)
75	धातु केलेशन के लिए (ईडीटीए) (एथिलीनडायमिनेटेट्राएसिटिक एसिड)।
76	एंटीऑक्सीडेंट परीक्षण के लिए डीपीपीएच (2,2-डाइफेनिल-1-पिक्रिलहाइड्राजाइल)।
नोट:	इस अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुएँ न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएँ हैं। हालांकि, विभाग पाठ्यक्रम. शिक्षण. प्रशिक्षण और अनुसंधान की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं या सुविधाओं को बढ़ा सकता है।

दूसरी अनुसूची
(विनियम 7 और 14 देखें)

माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी) **के स्नातकोत्तर विभाग के अंतर्गत मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताएँ**

क्रम सं.	**उपकरण, उपस्कर, रसायन और अभिकर्मक**
(1)	**(2)**
	I. उपस्कर और उपकरण
1.	माइक्रोपाइपेट
2.	पीसीआर मशीन
3.	यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
4.	हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज (हाई वॉल्यूम)
5.	हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज (स्मॉल वॉल्यूम)
6.	यूवी ट्रांसिल्यूमिनेटर
7.	हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम (पावर सप्लाई फॉर जेल)
8.	मल्टी टेम्परेचर वाटर बाथ
9.	37 डिग्री इन्क्यूबंटर
10	माइक्रोस्कोप
11	वाटर प्यूरीफायर (मिलिपोर वाटर सिस्टम)
12.	लेबोरेटरी हुड/ कल्चर हुड
13.	तौल मशीन
14.	वार्टेक्सर
15.	थर्मोमिक्सर
16.	रेफ्रिजरेटर
17.	वैक्यूम कॉन्सेंट्रेटर
18.	न्यूटेटर, रॉकिंग प्लेटफॉर्म, ऑर्बिटल शेकर
19.	इमेजिंग सिस्टम (केमिलुमिनसेंस, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोइमेज)
20.	आटोक्लेव

21.	लैमिनायर के साथ स्टेराइल रूम
22.	कोल्ड रूम
23.	- 20 डिग्री सेल्सियस फ्रीजर
II. उपभोग्य सामान	
24.	मिडिया
25.	अगारोज
26.	ऐथिडियम ब्रोमाइड
27.	मॉलिक्यूलर वेट मार्कर
28.	टिप्स और एपेंडॉर्फ्स
29.	नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन
30.	डीएनए और आरएनए आइसोलेशन किट
31.	एंजाइम
32.	एक्रिलामाइड
33.	रिएजेंट
34.	पेट्री डिश
35.	एंटीबायोटिक
36.	जेल डाइज
37.	स्टेराइल ट्यूब
38.	प्लास्टिकवेयर
39.	आइस बकेट
40	ग्लासवेयर
41	रसायन
42	किट्स
नोट:	इस अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुएँ न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएँ हैं। हालांकि, विभाग पाठ्यक्रम, शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की आवश्यकता के अनुसार सुविधाओं में वृद्धि कर सकता है।

तीसरी अनुसूची

(विनियम 7 और 14 देखें)

केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएँ

क्रम संख्या	आवश्यकताएँ या सुविधाएँ
(1)	(2)
1	फिजियो केमिकल टेस्ट
2	फाइटोकेमिकल परीक्षण:-
	जैविक परीक्षण
	अकार्बनिक परीक्षण
	पाउडर का फ्लुओरेसेन्स विश्लेषण
	क्रोमैटोग्राफी - थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, नम्बूरी फेज्ड स्पॉट टेस्ट और कॉलम क्रोमैटोग्राफी

3	फार्माकोग्नॉस्टिक अध्ययन:-
	प्रमाणीकरण
	मैक्रोस्कोपिक स्टडी
	सेक्शन माइक्रोस्कोपी
	पाउडर माइक्रोस्कोपी
	माइक्रोटोम सेक्शन
	मल्टीप्ल स्टैनिंग एंड परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन
	डिजिटल माइक्रोस्कोपी
	मात्रात्मक माइक्रोस्कोपी (स्टोमेटा नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, पैलिसेड नंबर, वेन आइलेट नंबर)
4	माइक्रोबायोलोजिकल टेस्ट:-
	माइक्रोबियल सीमाएं
	एंटी -माइक्रोबियल अध्ययन
	माइक्रोबियल कल्चर
5	इन-विट्रो अध्ययन:-
	एंटीऑक्सीडेंट
	इम्यूनोमॉड्यूलेटरी अध्ययन
	एंटी -माइक्रोबियल अध्ययन
6	मात्रात्मक अध्ययन
	फ्लेम फोटोमेट्री (कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम आदि)
	अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री (कार्बोहाइड्रेट, फ्लेवोनोइड, प्रोटीन, फिनोल आदि)
	टिटरिमेट्रिक क्वांटिटेटिव स्टडीज (जस्ता, तांबा, सीसा आदि)
7	एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स या इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थिरता अध्ययन:-
	दीर्घकालिक
	त्वरित

नोट: I. इस अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तुएं न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं हैं। हालांकि, संस्थान शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की आवश्यकता के अनुसार सुविधाओं में वृद्धि कर सकता है।

2. उन्नत उपकरणों, उपस्करों, या सहायक उपकरणों जैसे हाई परफॉरमेंस थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, हाई परफॉरमेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, सेल लाइन फैसिलिटी, जेनेटिक (डीएनए) फिंगरप्रिंटिंग, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा-ऑप्टिकल एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्स-रे डिफ्रेक्शन, एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स-रे एनालिसिस, डायनामिक लाइट स्कैटरिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, गैस क्रोमैटोग्राफी/मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आदि से जुड़े अध्ययनों के लिए, संस्थान परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं या अनुसंधान और विकास केंद्रों के साथ समझौता ज्ञापन कर सकते हैं।

चौथी अनुसूची

(विनियम 7 और 14 देखें)

एनिमल हाउस एंड एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन लेबोरेटरी के लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं

क्रम संख्या	आवश्यकताएं

(1)	(2)
1.	सुरक्षा और विषाक्तता अध्ययन सुविधा
2	व्यवहार और न्यूरो-फार्माकोलॉजिकल अध्ययन सुविधा
3.	ऐंटी-कन्वल्सिवअध्ययन सुविधा
4.	एंटी-इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक अध्ययन सुविधा
5	एंटी-पाइरेटिक स्टडीज सुविधा
6	एंटी-एलर्जिक, एंटीहिस्टामाइन और एंटी-अस्थमेटिक अध्ययन सुविधा
7	इम्यूनो-मॉड्यूलेटरी, एंटीऑक्सीडेंट अध्ययन सुविधा
8	घाव भरने की अध्ययन सुविधा
9	एंटी-डायरिया अध्ययन सुविधा
10	डायरेक्टिक अध्ययन सुविधा
11	एंटीडाइबिटिक अध्ययन सुविधा
12	एंटी ओबेसिटीअध्ययन सुविधा
13	असे विथ ऑर्गन बाथ या टिश्यू बाथ
14	डिजिटल इलेक्ट्रोकनवल्सियोमीटर
15	मेटाबोलिक केज
16	हिस्टामाइन चैम्बर
17	सॉफ्टवेयर के साथ डिजिटल रोटार्ड ऐपरैटस
18	सॉफ्टवेयर के साथ डिजिटल एक्टिमीटर (एक्टिविटी केज)
19	प्लेथीस्मोग्राफी
नोट: इस अनुसूची में निर्दिष्ट आइटम न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं हैं। हालांकि, संस्थान शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान की आवश्यकता के अनुसार सुविधाओं में वृद्धि कर सकता है।	

पांचवी अनुसूची

(विनियम 7 और 14 देखें)

गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के लिए न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकताएं

[**नोट:** 1 विभाग स्नातकोत्तर शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग यूनानी) विनियम, 2023 की अनुसूची XI के 'बी' के अंतर्गत निर्धारित मदों के अतिरिक्त, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में पांचवीं अनुसूची में सूचीबद्ध उपकरण, उपस्कर और सहायक उपकरण बनाए रखेगा।

2. विभाग शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए आवश्यकतानुसार गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला में वस्तुओं की संख्या में वृद्धि कर सकता है।

क्र.सं.	**वस्तुओं की आवश्यकता**
(1)	(2)
1.	सॉफ्टवेयर के साथ फ्लोरोसेंस इनवर्टेड माइक्रोस्कोप

2	अल्ट्रावायलेट विज़िबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
3.	माइक्रो कंट्रोलर-आधारित फ्लेम फोटोमीटर
4.	रोटा एवापोरेटर
5	स्टेबिलिटी चैम्बर
6	फ्रीज ड्रायर
7	सॉफ्टवेयर, कैमरा और प्रोजेक्शन सुविधा के साथ ट्रिनोकुलर माइक्रोस्कोप
8	पोलरीमीटर
9	ऑर्बिटल शेकिंग इनक्यूबेटर
10	कार्बन डाइऑक्साइड इनक्यूबेटर
11	ऑप्टिक एब्बे रिफ्रैक्टोमीटर
13	लैमिनेर एयर फ्लो
12	स्टिल वाटर
14.	ऑर्बिटल शेकर
15	टैबलेट काउंटर - छोटे आकार का
16	एनालिटिकल बैलेंस डिजिटल हाई प्रिसिशन (0.0001G-220g)
17	इनक्यूबेटर
18	क्लैरिटी टेस्ट ऐपरैटस
19	ह्यूमिडिटी कंट्रोल ओवन
20	कार्ल फिशर ऐपरैटस
21	ग्रनुलेटिंग सीव सेट
22	थर्मामीटर
23	फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट
24	सक्शन पंप
25	सोनिकेटर
26	रिओमीटर
27	पोटैन्शियोमीटर
28	कंडक्टिविटी मीटर
29	क्लेवेंजर का ऐपरैटस
30	ग्लासवेयर, रीएजेंट, और आवश्यक रसायन

छठी अनुसूची

(विनियम 8 और 14 देखें)

क्लीनिकल स्किल और सिमुलेशन लेबोरेटरीके लिए न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं

[**नोट:** 1. स्नातकोत्तर विभाग स्नातकोत्तर शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग यूनानी) विनियम, 2023 की अनुसूची-XIV में निर्धारित संबंधित विभाग विशिष्ट मैनकिन, सिमुलेटर और उपकरणों के अतिरिक्त इन विनियमों की छठी अनुसूची में उल्लिखित क्लीनिकल स्किल और सिमुलेशन लेबोरेटरीमें विभाग विशिष्ट मैनकिन, सिमुलेटर और उपकरणों का रखरखाव करेगा।

2. विभाग शिक्षण और प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार मेडिकल मैनिकिन या सिमुलेटर की संख्या और विविधता में वृद्धि कर सकता है।

क्रम संख्या **(1)**	**आवश्यक मैनिकिन्स या सिमुलेटर या उपकरण** **(2)**
ए. मोआलाजात (मेडिसिन) विभाग	
1.	डेक्यूबिटस के लिए नर्सिंग प्रशिक्षक
2	रक्त नमूनाकरण
3.	राइल एस ट्यूब सम्मिलन प्रशिक्षक
4.	ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ट्रेनर
5	यूरिनरी कैथेटेराइजेश (पुरुष)
6	यूरिनरी कैथेटेराइजेश (महिला)
7	लम्बर पंक्चर ट्रेनर
8	पैरासेंटेसिस प्रशिक्षक
9	प्लूरल टैपिंग ट्रेनर
बी. इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) विभाग	
1.	चेस्ट ऑस्क्युलटेशन - ट्रेनर
2	डेक्यूबिटस के लिए नर्सिंग प्रशिक्षक
3.	कार्डियोपल्मोनरी रिससिसिटेशन ट्रेनर
4.	रक्त नमूनाकरण
5	राइल एस ट्यूब सम्मिलन प्रशिक्षक
6	ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ट्रेनर
7	ऑक्सीजन थेरेपी
8	यूरिनरी कैथेटेराइजेश (पुरुष)
9	यूरिनरी कैथेटेराइजेश (महिला)
10	साइकोमेट्रिक स्केल और टूल्स
सी. जराहत (सर्जरी) और ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, , ईयर, नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री) विभाग	
1.	चेस्ट ऑस्क्युलटेशन - ट्रेनर
2	डेक्यूबिटस के लिए नर्सिंग प्रशिक्षक

3.	कार्डियोपल्मोनरी रिससिसिटेशन ट्रेनर
4.	रक्त नमूनाकरण
5	ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ट्रेनर
6	ऑक्सीजन थेरेपी
7	एंडोट्रेचियल इंट्यूबेशन प्रशिक्षक
8	स्तन गांठ की जांच
9	सूजन की जांच
10	अपवर्तन प्रशिक्षक
11	दृश्य तीक्ष्णता प्रशिक्षण
12	डिजिटल टोनोमेट्री
13	एपिलेशन
14.	नेत्र सिंचाई
15	नेत्र औषधि का संरोपण
16	नेत्र पट्टी
17	आँख, कान, नाक, दंत और गले के अनुप्रयोगों के लिए मणिकिन हेड (त्रि-आयामी मॉडल)
18	ओटोस्कोपी
डी.	कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) विभाग
1.	चेस्ट ऑस्क्युलटेशन - ट्रेनर
2	डेक्यूबिटस के लिए नर्सिंग ट्रेनर
3.	कार्डियोपल्मोनरी रिससिसिटेशन ट्रेनर
4.	रक्त नमूनाकरण
5	राइलस ट्यूब इंसर्शन ट्रेनर
6	ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ट्रेनर
7	ऑक्सीजन थेरेपी
8	यूरिनरी कैथेटेराइजेश (महिला)
9	एंडोट्रेचियल इंट्यूबेशन ट्रेनर
10	लम्बर पंक्चर ट्रेनर
ई.	इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स) विभाग
1.	शिशु श्रवण प्रशिक्षक
2	डेक्यूबिटस के लिए नर्सिंग ट्रेनर
3.	चाइल्ड कार्डियोपल्मोनरी रिससिसिटेशन ट्रेनर और एयरवे प्रबंधन
4.	रक्त नमूनाकरण
5	राइलस ट्यूब इंसर्शन ट्रेनर
6	ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ट्रेनर

7	ऑक्सीजन थेरेपी
8	यूरिनरी कैथेटेराइजेशन (पुरुष)
9	यूरिनरी कैथेटेराइजेशन (महिला)
10	पेडियेट्रिक इंट्रा वेनस इनफ्यूज़न स्थापित करना और ड्रिप दर की गणना करना
11	लम्बर पंक्चर ट्रेनर
12	इंटेलिजेंस क्वोसेंट, ऑटिज्म, अटेन्शन डेफिसिट हाइपरैक्टिविटी डिसऑर्डर, एकाग्रता, अवसाद, चिंता, मानसिक मंदता का आकलन करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण बैटरी
13	बाल चिकित्सा पुरमारुथुवम प्रक्रियाओं के अभ्यास या प्रदर्शन के लिए पूर्ण शरीर (बाल चिकित्सा) मैनिकिन और त्रि-आयामी मैनिकिन
एफ. माहियातुल अमराज (पैथोलॉजी) विभाग	
1.	चेस्ट ऑस्क्युलटेशन - ट्रेनर
2	स्पाइरोमेट्री
3.	कार्डियोपल्मोनरी रिससिसिटेशन ट्रेनर
4.	लम्बर पंक्चर ट्रेनर
5	राइलस ट्यूब इंसर्शन ट्रेनर
6	ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ट्रेनर
7	ऑक्सीजन थेरेपी
8	यूरिनरी कैथेटेराइजेशन (पुरुष)
9	यूरिनरी कैथेटेराइजेशन (महिला)
जी.	तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग के अंतर्गत तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी)
1.	चेस्ट ऑस्क्युलटेशन - ट्रेनर
2	डेक्यूबिटस के लिए नर्सिंग ट्रेनर
3.	कार्डियोपल्मोनरी रिससिसिटेशन ट्रेनर
4.	रक्त नमूनाकरण
5	राइलस ट्यूब इंसर्शन ट्रेनर
6	ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ट्रेनर
7	ऑक्सीजन थेरेपी
8	यूरिनरी कैथेटेराइजेशन (पुरुष)
9	यूरिनरी कैथेटेराइजेशन (महिला)
10	शव परीक्षण सिम्युलेटर या डिजिटल शव परीक्षण

सातवीं अनुसूची

(विनियम 4, 10 और 14 देखें)

न्यूनतम आवश्यक आवश्यकताएं: प्रैक्टिस के प्रोफेसर के लिए आवश्यक (स्नातकोत्तर विभाग या विशेषता या कार्यक्रम के अनुसार)

क्र. सं.	स्नातकोत्तर विभाग	अंशकालिक आधार पर प्रैक्टिस के प्रोफेसर की आवश्यक संख्या और योग्यता
1.	मोआलाजात (चिकित्सा)	एक (एमडी-जनरल मेडिसिन)
2	इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी)	प्रत्येक (इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) व्यवसायी या एमडी (यूनानी), एमडी-फिजिकल मेडिसिन और पुनर्वास के साथ विशेषज्ञ) और एक (फिजियोथेरेपी के मास्टर)
3.	इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स)	एक (एम.एस.सी.- नैदानिक मनोविज्ञान)
4.	तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन) विभाग	
	तिब्बुल क़ानून व इल्मुल समूम (फोरेंसिक मेडिसिन और क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी)	एक (एमडी- फोरेंसिक मेडिसिन और विषाक्तता विज्ञान)
	तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन)	प्रत्येक में एक (मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी या नेशनल एपिडेमियोलॉजी साइंस मेडिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट / इंडियन कौंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जैसे अनुसंधान निकायों के वैज्ञानिक)
6	जराहत (सर्जरी)	सर्जिकल और पैरासर्जिकल प्रक्रियाओं में एमएस योग्यता और अनुभव के साथ एक यूनानी प्रतिनिधि
7	ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री) विभाग	उज़्न से संबंधित यूनानी सर्जिकल और पैरासर्जिकल प्रक्रियाओं में एमएस योग्यता और अनुभव के साथ एक यूनानी प्रतिनिधि। अनफ व हलक
8	कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी)	निस्वान और कबालत से संबंधित यूनानी सर्जिकल और पैरासर्जिकल प्रक्रियाओं में एमएस योग्यता और अनुभव के साथ एक यूनानी प्रतिनिधि
9	माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी)	प्रत्येक (एमडी-पैथोलॉजी, एमडी-रेडियोडायग्नोसिस)
10	इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी)	प्रत्येक (एम. फार्माकोलॉजी, फार्माकोगनोसी / फाइटोकेमिस्ट्री में मास्टर डिग्री
11	इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी)	प्रत्येक एक (एम. फार्मा- फार्मास्यूटिक्स, एमएससी - रसायन विज्ञान या नैनोसाइंस/नैनोटेक्नोलॉजी, एमडी यूनानी के साथ प्रैक्टिशनर, यूनानी उच्च स्तर की औषधियों की तैयारी में व्यापक अनुभव रखने वाले या एमडी यूनानी के साथ यूनानी फार्मा उद्योग से विशेषज्ञ)
12	कुल्लियात (बेसिक प्रिंसिपल ऑफ़ यूनानी मेडिसिन)	आवश्यकतानुसार
13	तशरीहुल बदन (एनाटॉमी)	आवश्यकतानुसार
14.	मनाफेउल आज़ा (फ़िज़ियॉलोजी)	आवश्यकतानुसार
15	अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी)	एक (एमडी-डर्मेटोलॉजी)
16	इंटेग्रटीवे हेल्थ एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च	वैज्ञानिक सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी या

		किसी प्रतिष्ठित यूनानी अनुसंधान और विकास विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं।
नोट: प्रत्येक विभाग यूनानी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षण के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में कम से कम दस वर्ष के अनुभव के साथ प्रैक्टिस के प्रोफेसरों को नियुक्त करेगा, जैसे कि उद्योग, अनुसंधान संस्थानों, तकनीकी सलाहकारों, या प्रसिद्ध चिकित्सकों के व्यक्ति, अंशकालिक आधार पर जैसा कि कॉलम (3) में निर्दिष्ट है। यदि आवश्यक हो तो संस्थान या विभाग विभाग या विशेषता संबंधी क्षेत्र में अधिक संख्या में प्रैक्टिस के प्रोफेसरों की नियुक्ति कर सकता है।		

अनुबंध ए

(विनियम 26 देखें)

विभागीय शैक्षणिक सत्यनिष्ठा समिति

साहित्यिक चोरी अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने की अनुशंसा

विभागीय शैक्षणिक सत्यनिष्ठा समिति ने डॉ. ..... (शोध स्कोलर) ..... विश्वविद्यालय पंजीयन संख्या बैच के अंतर्गत, डॉ. .....विभाग के पर्यवेक्षण या मार्गदर्शन में प्रस्तुत शोध प्रबंध के प्रारूप .....की ..... (तिथि) को साहित्यिक चोरी की जाँच पर रिपोर्ट की समीक्षा की है और पाया गया कि आवश्यक संशोधन या सुधार किए गए है, और साहित्यिक चोरी अनुमेय सीमा के भीतर है। इसलिए, विभागीय शैक्षणिक सत्यनिष्ठा समिति ने साहित्यिक चोरी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए शोध प्रबंध की सिफारिश की है।

अध्यक्ष

विभागाध्यक्ष

(नाम और हस्ताक्षर)

स्थान:

तिथि :

अनुबंध बी

(विनियम 26 देखें)

साहित्यिक चोरी जांच कक्ष

साहित्यिक चोरी अनापत्ति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ..... विश्वविद्यालय पंजीयन संख्या ..... बैच ..... द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट शोध प्रबंध का शीर्षक .....डॉ. ....विभाग के मार्गदर्शन में साहित्यिक चोरी से मुक्त है।

समन्वयक

साहित्यिक चोरी जांच सेल

स्थान:

तिथि:

फार्म ए

यूनानी में एक नया स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्था स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन

(विनियम 37 देखें)

क्रम संख्या	विवरण	ब्यौरा
	भाग- I: आवेदकों का ब्यौरा	
1	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
2	पिन कोड सहित पूरा पता	
3	आधिकारिक टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर	
4	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
5	आवेदक की स्थिति कि वह राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या ट्रस्ट या सोसायटीस है।	
6	ट्रस्ट या सोसायटी की संरचना	
7	आवेदक निकाय के ट्रस्ट या सोसायटी का पंजीयन या निगमन (पंजीयन संख्या, तिथि और अन्य विवरण)	
8	संस्थान का प्रकार (सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या निजी या डीम्ड विश्वविद्यालय)	
9	क्या यूनानी में कोई अन्य यूनानी मेडिकल कॉलेज या स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान है जो उसी ट्रस्ट या सोसाइटी या विश्वविद्यालय द्वारा चलाया जाता है ?	हां / नहीं
	यदि हां, तो दो कॉलेजों या संस्थान के बीच की दूरी का उल्लेख करें	
	पूर्वोक्त प्रिंट कॉपी के साथ कॉलेज का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लिंक प्रदान करें	
10	वित्तीय क्षमता: यदि आवेदक एक ट्रस्ट या सोसायटी है तो पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट दें। वित्तीय संसाधनों का विवरण प्रस्तुत करें।	
11	वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट (पिछले तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट की प्रति संलग्न करें)	
12	परियोजना के वित्तपोषण के साधन: आवेदक का योगदान (प्रमाण संलग्न करें)	
	अनुदान (प्रमाण संलग्न करें)	
	दान (प्रमाण संलग्न करें)	
	इक्विटी (प्रमाण संलग्न करें)	
	सावधि ऋण (प्रमाण संलग्न करें)	
	अन्य स्रोत, यदि कोई हो (प्रमाण संलग्न करें)	
	भाग- II: शुल्क विवरण	
13	आवेदन शुल्क ट्रांजेक्शन आईडी	
	प्रोसेसिंग शुल्क ट्रांजेक्शन आईडी	
	भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य शुल्क	
	भाग-III: अनिवार्य आवश्यक विवरण	
14	योजना या प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' या 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की तिथि	
15	अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र की वैधता	से --------तक.....
16	संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता	
	योजना या प्रस्ताव के लिए संबद्धता की सहमति की तिथि	
	योजना या प्रस्ताव के लिए संबद्धता की सहमति के वर्ष	से --------तक.....

भाग – IV : यूनानी में प्रस्तावित स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान का विवरण		
17	प्रस्तावित स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान का नाम	
18	पिन कोड सहित पूरा पता	
19	प्रस्तावित स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान के संस्थान प्रमुख (प्रिंसिपल या निदेशक या डीन) का नाम	
20	आधिकारिक टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर	
21	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
22	संस्थान और संलग्न शिक्षण अस्पताल का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम लिंक उसकी प्रिंट प्रति के साथ प्रदान करें।	
23	प्रस्तावित स्नातकोत्तर विशिष्टताएँ या कार्यक्रम (नाम निर्दिष्ट करें)	
24	भूमि का कुल क्षेत्रफल	
25	भूमि लीज़ पर है या स्वयं की है	
	यदि यह लीज़ पर है, तो लीज़ के वर्ष	
	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से दो वर्ष पहले, भूमि की कर भुगतान रसीद	
	भारमुक्ति प्रमाण पत्र	
26	भूमि की श्रेणी (टियर I और टियर II) - स्थानीय प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र संलग्न करें।	
27	संबंधित प्राधिकारियों से प्रासंगिक भवन निर्माण की उपयुक्त अनुमति	
28	स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और वास्तुकार द्वारा समर्थित भवन योजना की सही (प्रामाणिक) प्रति संलग्न करें	
भाग-V: स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान की स्थापना का विवरण		
29	**प्रशासनिक क्षेत्र**	
30	**शैक्षणिक क्षेत्र**	
	ए. स्नातकोत्तर विभाग	
	स्नातकोत्तर विभाग विवरण (अनिवार्य)	
	(1) इंटीग्रेटिव हेल्थ एंड ट्रांस्लेशनल रिसर्च अनुसंधान विभाग	
	स्नातकोत्तर विभाग विवरण (जैसा लागू हो)	
	(2) कुल्लियात (बेसिक प्रिंसिपल ऑफ़ यूनानी मेडिसिन)	
	(3) मनाफेउल आज़ा (फ़िज़ियॉलोजी)	
	(4) इल्मुल अदविया (फार्माकोलॉजी)	
	(5) इल्मुल सैदला (यूनानी फार्मेसी)	
	(6) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन)	
	(7) इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स)	
	(8) मोआलाजात (मेडिसिन)	
	(9) माहियातुल अमराज़ (पैथोलॉजी)	
	(10) इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी)	
	(11) अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी)	
	(12) तशरीहुल बदन (एनाटॉमी)	
	(13) जराहत (सर्जरी)	
	(14) ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट	

	एंड डेंटिस्ट्री)	
	(15) कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी)	
	बी. स्नातकोत्तर कक्षाएँ	
	सी. विभागवार सेमिनार हॉल	
	डी. कॉमन सेमिनार हॉल	
	ई. सेंट्रल लाइब्रेरी	
	एफ. विभागीय पुस्तकालय	
	जी. डिजिटल लाइब्रेरी	
	एच. बहुउद्देशीय हॉल या परीक्षा हॉल या योग और रियाज़त हॉल	
	आई. नैदानिक कौशल या सिमुलेशन प्रयोगशाला	
	जे. छात्र सुविधाएं	
	के. स्नातकोत्तर छात्रों के लिए कॉमन रुम (पुरुष और महिला अलग-अलग)	
	एल. शिक्षण संकाय के लिए कॉमन रुम (पुरुष और महिला अलग-अलग)	
	एम. कैंटीन	
	एन. हर्बल गार्डन	
	ओ. अन्य आवश्यकताएँ	
	(1) मानव संसाधन एवं विकास रुम	
	(2) फार्माकोविजिलेंस रुम	
	(3) कॉलेज या इंस्टीट्यूशन काउंसिल रूम	
	(4) छात्र सहायता और मार्गदर्शन कक्ष, शिकायत निवारण कक्ष और यौन उत्पीड़न समिति के लिए कक्ष	
	(5) आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल कक्ष	
31	**प्रयोग क्षेत्र**	
	ए. केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला	
	बी. गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला	
	सी. स्वीकृत पशु गृह एवं पशु प्रयोग प्रयोगशाला	
32	कॉलेज की वेबसाइट	
33	बॉयोमीट्रिक उपस्थिति सिस्टम	
34	छात्रावास (लड़के और लड़कियाँ अलग-अलग)	
35	केंद्रीय कार्यशाला	
36	सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना	
37	क्लोज़्ड सर्किट टेलीविज़न	
38	महाविद्यालय के मानव संसाधन:-	
	शिक्षण कर्मचारी	
	गैर-शिक्षण कर्मचारी	
भाग-VI: स्नातकोत्तर संस्थान का बैंकिंग विवरण		
39	खाते का नाम	

	कॉलेज या संस्थान के नाम से खाता संख्या	
	बैंक का नाम	
	आईएफएससी कोड सहित बैंक की शाखा का नाम	
भाग-VII: स्नातकोत्तर संस्थान से जुड़े शिक्षण अस्पताल का विवरण		
40	प्रस्तावित संस्थान से संबद्ध अस्पताल का नाम	
41	अस्पताल की स्थापना की तिथि	
42	अस्पताल का पंजीयन प्रमाणपत्र (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
43	मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण (प्रतिलिपि संलग्न करें)	
44	पंचायत लाइसेंस	
45	अस्पताल भवन अधिभोग प्रमाण पत्र	
46	अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र	
47	प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र	
48	अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र	
49	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन समझौता	
50	स्थानीय या संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमति का नवीनीकरण और वैधता अवधि (प्रमाण संलग्न करें)	
51	राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड (स्तर, वैधता और तिथि) (प्रमाण संलग्न करें)	
52	एक्स-रे यूनिट या इमेजिंग अनुभाग के लिए अनुमति	
53	**क्लिनिकल जोन**	
	अंत:रोगी विभाग और बिस्तर की संख्या:-	
	(1) मोआलाजात (मेडिसिन)	
	(2) इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी)	
	(3) इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स)	
	(4) अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी)	
	(5) जराहत (सर्जरी)	
	(6) ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक व अस्नान (ऑप्थल्मोलॉजी, ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री)	
	(7) कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी)	
54	बाह्य रोगी विभाग:-	
	(1) मोआलाजात (मेडिसिन) बाह्य रोगी विभाग	
	(2) इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) माइनर प्रोसीजर रुम सहित बाह्य रोगी विभाग	
	(3) इल्मुल अतफ़ाल (पिडियाट्रिक्स)	
	(4) अमराज़े जिल्द व तज़ीनियत (डर्माटोलोजी और कॉस्मेटोलॉजी) माइनर प्रोसीजर रुम सहित	
	(5) जराहत (सर्जरी) लघु प्रक्रिया कक्ष सहित	
	(6) अमराज़े ऐन, उज़्न, अनफ़, हलक (ईयर नोज़ , थ्रोट एंड डेंटिस्ट्री मेडिसिन) माइनर प्रोसीजर रुम सहित	
	(7) कबालत व निस्वान (ऑब्सटेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी) माइनर प्रोसीजर रुम सहित	
	(8) इल्मुल समूम (क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी) बाह्य रोगी विभाग	

	(9) तहफ्फुज़ी व समाजी तिब (प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन)	
	(10) इसाबात (आपातकालीन या हताहत) बाह्य रोगी विभाग	
	(11) स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग	
	(12) विशेष बाह्य रोगी विभाग (यदि कोई हो, निर्दिष्ट करें)	
55	आवेदन की तिथि से पिछले दो वर्षों में बाह्य रोगी विभाग के मरीजों की अटैडेंस की कुल संख्या	
56	आवेदन की तिथि से पिछले दो वर्षों में प्रतिदिन बाह्य रोगी विभाग के रोगियों की औसत संख्या	
57	आवेदन की तिथि से पिछले दो वर्षों में औसत बिस्तर अधिभोग	
58	नैदानिक प्रयोगशाला	
59	रेडियोलॉजी या इमेजिंग अनुभाग	
60	फार्मेसी या ड्रग स्टोर या डिस्पेंसरी	
61	इलाज बित तदाबीर (रेजिमेनल थेरेपी) प्रक्रिया अनुभाग,	
62	मसरा अमलिया (ऑपरेशन थिएटर) जिसमें माइनर ऑपरेशन थिएटर भी शामिल है	
63	गुर्फतुल विलादा विलादा (प्रसूति ऑपरेशन थियेटर के साथ प्रसव कक्ष)	
64	फिजियोथेरेपी अनुभाग	
65	योग और रियाज़त अनुभाग	
66	अस्पताल में मानव संसाधन	
	ए. आवेदन जमा करने से पहले दो वर्ष के लिए मौजूदा और कार्यमुक्त अस्पताल कर्मचारी (नाम, पदनाम, अनुभाग या इकाई, योग्यता, अनुभव, नियुक्ति आदेश, कार्यभार ग्रहण पत्र और तिथि, कार्यमुक्ति पत्र और तिथि, राज्य पंजीयन प्रमाण पत्र या शिक्षक कोड के विवरण के साथ) जोन-वार,-	
	(1) प्रशासन क्षेत्र	
	(2) स्वागत एवं पंजीकरण क्षेत्र	
	(3) बाह्य रोगी विभाग क्षेत्र	
	(4) अंत:रोगी विभाग क्षेत्र	
	(5) डायग्नोस्टिक क्षेत्र	
	(6) प्रक्रियात्मक प्रबंधन क्षेत्र	
	(7) सर्विस क्षेत्र	
	बी. आधुनिक मेडिकल स्टाफ विवरण	
67	अस्पताल रिकॉर्ड (जो लागू हो उस पर निशान लगाएं)	कम्प्यूटरीकृत या मैनुअल
भाग-VIII: अस्पताल का बैंकिंग विवरण		
68	खाते का नाम	
	अस्पताल के नाम पर खाता संख्या	
	बैंक का नाम	
	बैंक की शाखा का नाम और भारतीय वित्तीय सिस्टम कोड	
	आवेदन जमा करने की तिथि से दो वर्ष या 24 माह पहले तक निम्नलिखित विवरण आवश्यक हैं: -	
	ए. अस्पताल के कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन का विवरण (माहवार)	
	बी. दवाओं की खरीद का विवरण (इंडेंट और भुगतान प्रमाण संलग्न करें)	

<table>
<tr><td></td><td colspan="4">सी. अस्पताल उपभोग्य सामग्रियों की खरीद का विवरण (इंडेंट और भुगतान प्रमाण संलग्न करें)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">डी. प्रासंगिक करों के भुगतान का विवरण (प्रति संलग्न करें)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">ई. अस्पताल की आय का विवरण (प्रति संलग्न करें)</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">एफ. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) विवरण</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">69</td><td colspan="3">क्या अस्पताल चरणबद्ध रूप से स्थापित या विकसित किया गया है</td><td colspan="2">हां या नहीं</td></tr>
<tr><td colspan="3">यदि हाँ तो चरणवार विवरण उपलब्ध कराये</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">चरण या स्टेज</td><td colspan="2">अवधि</td><td rowspan="2">विकास की स्थापना का विवरण</td><td rowspan="2">कार्य निष्पादन या कार्यक्षमता</td></tr>
<tr><td>से</td><td>को</td></tr>
<tr><td>पहला</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>दूसरा</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>तीसरा</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>चौथी</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

आवेदक के हस्ताक्षर
पूरा नाम

स्थान:
तिथि:

अनुलग्नकों की सूची:

1. उपनियमों या ज्ञापन और संस्थान के अंतर्नियम या ट्रस्टियों के नाम के साथ ट्रस्ट डीड की प्रमाणित प्रति।
2. ट्रस्ट या सोसायटी के पंजीयन या निगमन के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
3. पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित बैलेंस शीट।
4. स्वामित्व/पट्टा समझौता विलेख के प्रमाण के रूप में कुल उपलब्ध भूमि के स्वामित्व विलेख की प्रमाणित प्रति।
5. उपलब्ध स्थलों के भूमि उपयोग को दर्शाते हुए ज़ोनिंग योजनाओं की प्रमाणित प्रति।
6. अस्पताल पंजीयन प्रमाणपत्र और इसकी वैधता अवधि के साथ मौजूदा अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण।
7. लागू शैक्षणिक सत्र के लिए एक नया स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान स्थापित करने के लिए प्रस्तावित स्थल पर संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' या 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की प्रमाणित प्रति।
8. लागू शैक्षणिक सत्र के लिए एक नए स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए किसी केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कानून के तहत स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी 'संबद्धता की सहमति' की प्रमाणित प्रति।
9. अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा जारी संबद्ध शिक्षण अस्पताल का मान्यता प्रमाण पत्र।
10. आवेदक के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के संबंध में स्वतंत्र जांच करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत करने वाले आवेदक के बैंकरों को संबोधित प्राधिकरण पत्र।

11. शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि नए स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान और संलग्न शिक्षण अस्पताल के लिए नामित भूमि और भवन विशेष रूप से, यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त यूनानी स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के संचालन के लिए हैं। .

12. शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि छात्रों को केवल राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा की योग्यता के आधार पर और काउंसलिंग (केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जैसा भी प्रकरण हो) के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा और प्रवेश भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं दिया जाएगा।

13. शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि पाठ्यचर्चा और पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम का नाम, बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और छात्र-शिक्षक अनुपात सहित मानव संसाधनों को संबंधित विनियमों में निर्दिष्ट भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के विनिर्देशों के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

14. शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित नए स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान के किसी भी कक्षा या मानक या पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में पहले से ही छात्र को प्रवेश नहीं दिया गया है।

15. एक शपथ पत्र (वचनबद्ध) प्रस्तुत करें कि संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीयआयोग के पक्ष में तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध निश्चित सुरक्षा जमा राशि जमा करने की स्थिति में है।

16. आवेदन शुल्क और प्रेषित प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क का प्रमाण।

17. आधिकारिक बैंक खाते के पिछले दो वर्षों के बैंक लेनदेन की प्रतिलिपि: कॉलेज और अस्पताल

18. पिछले दो वर्षों के लिए अस्पताल कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की प्रतिलिपि।

19. आवेदन पत्र के विभिन्न भागों के अनुसार अनुलग्नक और अन्य विवरण संलग्न करें:-

ए. सर्वे संख्या सहित भूमि का वितरण।

बी. भूमि की श्रेणी जैसे टियर I और टियर II शहर (X और Y श्रेणियां), उत्तर-पूर्वी राज्य, पहाड़ी क्षेत्र और अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रमाण, स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त प्रमाण पत्र।

सी. भारमुक्ति प्रमाण पत्र।

डी. भूमि और अस्पताल भवन के लिए कर भुगतान की रसीद।

ई. स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित बिल्डिंग प्लान और वास्तुकार द्वारा समर्थित।

एफ. वास्तुकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र विवरण प्रमाणपत्र।

जी. अस्पताल की स्थापना के लिए पंचायत लाइसेंस।

एच. अस्पताल भवन अधिभोग प्रमाणपत्र।

आई. अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र।

जे. अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र।

के. आपदा प्रबंधन प्रमाणपत्र (यदि कोई हो)।

एल. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र।

एम. अस्पताल में रेडियोलॉजी यूनिट की अनुमति।

एन. बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन समझौता।

ओ. कॉलेज और अस्पताल भवन अधिभोग प्रमाण पत्र।

पी. कॉलेज एवं अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र।

20. भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

(**नोट:** सभी प्रतियां स्वप्रमाणित होंगी)

फार्म-बी

(विनियम 37 देखें)

यूनानी में आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नए स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति के लिए आवेदन

(नोट: प्रत्येक स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए अलग आवेदन जमा किया जाएगा)

क्रम संख्या	ब्यौरा	विवरण
(1)	(2)	(3)
	आवेदक का मूल ब्यौरा	
1	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
2	पिन कोड, आधिकारिक टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर और आधिकारिक ई-मेल आईडी के साथ पूरा पता	
3	आवेदक की स्थिति कि वह राज्य सरकार हो या केंद्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या ट्रस्ट या सोसायटी है।	
4	ट्रस्ट या सोसायटी का पंजीयन या निगमन (संख्या, तिथि और अन्य विवरण)।	
5	यूनानी मेडिकल कॉलेज या यूनानी स्नातकोत्तर संस्थान का नाम और पता	
6	राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' की तिथि।	
7	i. संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता ii. विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रथम सम्बद्धता की तिथि iii. विश्वविद्यालय द्वारा जारी नई योजना या प्रस्ताव के लिए प्रथम संबद्धता की तिथि	
8	**ए. कॉलेज या संस्थान के लिए, स्नातक कार्यक्रम आयोजित करना और स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए पहली बार आवेदन करना**	
	स्नातक कार्यक्रम के लिए छात्रों के पहले बैच के प्रवेश का माह और वर्ष	
	स्नातक कार्यक्रम के छात्रों के पहले बैच के पाठ्यक्रम पूरा होने का माह और वर्ष	
	क्या कॉलेज या संस्थान को आवेदन या योजना या प्रस्ताव जमा करते समय कॉलेज या संस्था को स्नातक कार्यक्रम के लिए 'विस्तारित अनुमति' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है?	
	क्या संस्थान को आवेदन या योजना या प्रस्ताव जमा करते समय संस्थान को स्नातक कार्यक्रम के लिए ग्रेड 'ए' या ग्रेड 'बी' की रेटिंग की गई है (यदि हां, तो ग्रेड निर्दिष्ट करें)	
	प्रस्तावित नये स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम	
	छात्र-स्नातकोत्तर गाइड अनुपात के अनुसार प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए आवेदन की गई सीटों की संख्या	

9	**बी. नई स्टैंड-अलोन स्नातकोत्तर संस्थान के लिए, स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए पहली बार आवेदन करना**	
	प्रस्तावित नये स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम	
	छात्र-स्नातकोत्तर गाइड अनुपात के अनुसार प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए आवेदन की गई सीटों की संख्या	
10	**सी. उन कॉलेजों या संस्थानों के लिए जो पहले से ही स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं और नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं।**	
	क्या संस्थान को आवेदन या योजना या प्रस्ताव जमा करते समय मौजूदा स्नातक कार्यक्रम और प्रत्येक स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति दी गई है?	
	क्या संस्थान को आवेदन या योजना या प्रस्ताव जमा करने के समय मौजूदा स्नातक कार्यक्रम और मौजूदा प्रत्येक स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए ग्रेड 'ए' या ग्रेड 'बी' रेटिंग दी गई है।	
	प्रस्तावित नये स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम	
	छात्र-स्नातकोत्तर गाइड अनुपात के अनुसार प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए आवेदन की गई सीटों की संख्या	
11	अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा शिक्षण अस्पताल को मान्यता (स्तर, तिथि और वैधता विवरण)	
12	निम्नलिखित का विवरण : (ए) अतिरिक्त वित्तीय आवंटन - (बी) अतिरिक्त स्थान, उपकरण और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रावधान - (सी) अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती का प्रावधान -	
13	शुल्क विवरण:-	
	आवेदन शुल्क लेनदेन आईडी	
	प्रोसेसिंग शुल्क लेनदेन आईडी	
14	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	

आवेदक के हस्ताक्षर
पूरा नाम
पद का नाम
कार्यालय सील

स्थान:
तिथि:

अनुलग्नकों की सूची:

1. नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' या 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' की सत्यापित प्रति।
2. नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने के लिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी 'संबद्धता की अनुमति' या 'संबद्धता की सहमति' की सत्यापित प्रति।
3. मेडिकल कॉलेज या संस्थान के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत करने वाले आवेदक के बैंकर्स को संबोधित प्राधिकार पत्र।

4. कॉलेज या संस्थान की मान्यता की सत्यापित प्रति, यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या तत्कालीन भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा पहले से ही अनुमोदित या अनुमति दी गई हो।
5. शपथ पत्र प्रस्तुत करें है कि छात्रों को केवल राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा मेरिट के आधार पर और केवल काउंसलिंग (केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश काउंसलिंग) के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।
6. शपथ पत्र जिसमें वयक्त किया गया है कि कार्यक्रम का नाम और छात्र-शिक्षक अनुपात को संबंधित नियमों के अनुसार बनाए रखा जाएगा।
7. एक शपथ पत्र जिसमें वयक्त किया गया है कि संस्थान 'भारतीय चिकित्सा पद्धतिराष्ट्रीय आयोग कोष' के पक्ष में तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध निश्चित जमानत राशि जमा करने में सक्षम है।
8. एक शपथ पत्र जिसमे कहा गया हो कि संस्थान ने इन विनियमों में उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा किया है
9. जमा की गई प्रोसेसिंग शुल्क के साथ आवेदन शुल्क का प्रमाण।
10. भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

ध्यान दें: सभी प्रतियां स्व-सत्यापित होंगी।

फार्म-सी

(विनियम 37 देखें)

आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त यूनानी में मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम में सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता बढ़ाने की अनुमति के लिए आवेदन

नोट: अलग आवेदन प्रत्येक स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए प्रस्तुत किया जाएगा

क्रम संख्या	ब्यौरा	विवरण
(1)	(2)	(3)
1	आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में)	
2	पिन कोड सहित पूरा पता	
	आधिकारिक टेलीफोन नंबर और आधिकारिक मोबाइल नंबर	
	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
3	आवेदक की स्थिति: राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, विश्वविद्यालय, ट्रस्ट या समाज।	
4	ट्रस्ट या सोसायटी का पंजीयन या निगमन (पंजीयन संख्या, तिथि और अन्य विवरण)	
5	यूनानी मेडिकल कॉलेज या यूनानी स्नातकोत्तर संस्थान का नाम और पता	
6	सीटों या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए लागू स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम	
7	छात्र-स्नातकोत्तर गाइड अनुपात के अनुसार सीटों या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए आवेदन की गई सीटों की संख्या निर्दिष्ट करें	
8	अनुमति की स्थिति की श्रेणी: स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए विस्तारित अनुमति या वार्षिक अनुमति जिसके लिए आवेदन या योजना या	

	प्रस्ताव जमा करने के समय लागू सीटों की संख्या में वृद्धि होती है।	
9	स्नातकोत्तर कार्यक्रम जिसके लिए आवेदन की गई सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है, को आवेदन या योजना या प्रस्ताव जमा करते समय ग्रेड 'ए' या ग्रेड 'बी' रेटिंग की गई है।	
10	सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' या 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की तिथि।	
11	संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम और पता मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए पहली संबद्धता की तिथि, जिसमें सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन किया गया है। मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए संबद्धता की तिथि, जिसमें सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन किया गया है।	
12	स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए छात्रों के पहले बैच के प्रवेश का माह और वर्ष, जिसमें लागू सीटों की संख्या में के लिए आवेदन किया गया है।	
13	स्नातकोत्तर कार्यक्रम के छात्रों के पहले बैच के पाठ्यक्रम पूरा होने का माह और वर्ष, जिसमें सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन किया गया है।	
14	चिकित्सा आकलन एवं रेटिंग बोर्ड या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या और मान्यता की तिथि, जिसके लिए सीटों की संख्या में वृद्धि के लिए आवेदन किया गया है।	
15	निम्नलिखित का विवरण: ए. अतिरिक्त वित्तीय आवंटन बी. छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के संबंध में अतिरिक्त स्थान, उपकरण और अन्य ढांचागत सुविधाएं सी. छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के संबंध में अतिरिक्त स्टाफ (शिक्षण स्टाफ, गैर-शिक्षण स्टाफ और अस्पताल स्टाफ) की भर्ती	
16	शुल्क विवरण:-	
	आवेदन शुल्क ट्रांजेक्शन आईडी	
	प्रोसेसिंग शुल्क ट्रांजेक्शन आईडी	
17	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	

आवेदक के हस्ताक्षर
पूरा नाम
पद का नाम

स्थान:
तिथि:

संलग्नकों की सूची:

1. निर्धारित प्रारूप में संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी 'अनिवार्यता प्रमाणपत्र' या 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की सत्यापित प्रति।

2. जिस मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कॉलेज या संस्थान संबद्ध है, उससे निर्धारित प्रारूप में 'संबद्धता की सहमति' की प्रमाणित प्रति ।

3. मेडिकल कॉलेज या संस्थान के वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड के संबंध में स्वतंत्र जांच करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को अधिकृत करने वाले आवेदक के बैंकर्स को संबोधित प्राधिकार पत्र।

4. भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग या पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा कॉलेज या संस्थान की मान्यता को स्वीकृति देने वाले पत्र की सत्यापित प्रति, यदि कॉलेज या संस्थान के पास पहले से ही स्नातक डिग्री और स्नातकोत्तर कार्यक्रम के संचालन की अनुमति है ।

5. शपथ पत्र जिसमें कहा गया है कि छात्रों को पोस्ट-ग्रेजुएट नेशनल एंट्रेंस टेस्ट मेरिट के आधार पर और केवल काउंसलिंग (केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो) के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा, और आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए निर्दिष्ट स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता से अधिक नहीं होगा।

6. शपथ पत्र में कहा गया है कि छात्र प्रवेश क्षमता में वृद्धि के संबंध में छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार मानव संसाधन बनाए रखा जाएगा।

7. आवेदन शुल्क और प्रासेसिंग प्रसंस्करण शुल्क का प्रमाण।

8. अन्य अनुलग्नक-

ए. उपनियमों या मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या ट्रस्टियों के नाम के साथ ट्रस्ट डीड की प्रमाणित प्रति और ट्रस्ट या सोसायटी पंजीयन या निगमन की नवीनीकृत प्रति।

बी. स्वामित्व या लीज़ समझौते के प्रमाण के रूप में भूमि दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति।

सी. मौजूदा शिक्षण अस्पताल के स्वामित्व के प्रमाण के रूप में पहला अस्पताल पंजीयन प्रमाणपत्र या नवीनीकृत प्रमाणपत्र।

डी. अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र।

ई. आपदा प्रबंधन प्रमाणपत्र (यदि कोई हो)।

एफ. प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र।

जी. बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन समझौता।

एच. कॉलेज या संस्थान का भवन पूर्णता प्रमाण पत्र और भवन अधिभोग प्रमाण पत्र।

आई. अस्पताल भवन पूर्णता प्रमाण पत्र और भवन अधिभोग प्रमाण पत्र।

जे. बिल्डिंग प्लान स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और वास्तुकार द्वारा समर्थित।

के. वास्तुकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र विवरण प्रमाणपत्र।

एल. मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए उपकरण, सहायक उपकरण आदि का क्रय बिल ।

एम. पिछले एक वर्ष में तैयार या क्रय की गई औषधियों की सूची तथा उनके बिल।

एन. पिछले एक वर्ष में क्रय की गई कच्ची औषधियों की सूची तथा उनके बिल।

ओ. पिछले एक वर्ष (कॉलेज और अस्पताल) के लिए इंटेंट रजिस्टर।

पी. पिछले एक वर्ष (कॉलेज और अस्पताल) का स्टॉक रजिस्टर।

क्यू. अस्पताल का समेकित डेटा: पिछले एक वर्ष के लिए रोगी डेटा (बाह्य रोगी विभाग, आंतरिक रोगी विभाग और बिस्तर अधिभोग)

आर. अस्पताल भवन सहित भवन, भूमि के लिए भुगतान की गई कर रसीद।

एस. यह कहते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि संस्थान 'भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग कोष' के पक्ष में तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध निश्चित जमानत राशि जमा करने में सक्षम है।

टी. यह कहते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि संस्थान ने इन विनियमों में उल्लिखित सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को पूरा किया है।

9. भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट दस्तावेजों के अन्य संलग्नक।

ध्यान दें: सभी प्रतियां स्व-सत्यापित होंगी।

फार्म-डी

(विनियम 38 देखें)

(राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, जो भी लागू हो, द्वारा जारी किया जाएगा)

अनिवार्यता प्रमाणपत्र या अनापत्ति प्रमाणपत्र

एक नए यूनानी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान स्थापित करने के लिए

संदर्भ संख्या..... दिनांक**.....**

आवेदक का मूल विवरण		
1	आवेदक का नाम (पते सहित)	
2	संस्थान का प्रकार (सरकारी या सहायता प्राप्त या निजी या डीम्ड विश्वविद्यालय)	
3	प्रस्तावित स्टैंड-अलोन यूनानी स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान का नाम	
	प्रस्तावित संस्थान का पता	
4	क्या आवेदक पहले से ही यूनानी मेडिकल कॉलेज या यूनानी स्नातकोत्तर संस्थान चला रहा है	हां या नहीं
5	यदि हां, तो निकटतम कॉलेज या संस्थान और प्रस्तावित कॉलेज या संस्थान के बीच की दूरी क्या है (यदि दूरी 25 या 25 किमी से कम है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा)	
अन्य विवरण		
6	राज्य में पहले से विद्यमान यूनानी संस्थानों की संख्या	
7	राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या अनुपात में चिकित्सक (सभी पद्धतियों के पंजीकृत चिकित्सक)।	
8	राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या अनुपात में चिकित्सक (पंजीकृत यूनानी चिकित्सा व्यवसायी)।	
9	नए यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्तावित क्षेत्र में चिकित्सीय सामग्री (मरीजों) की उपलब्धता की संभावना	ख़राब या पर्याप्त
10	अस्पताल का पंजीयन क्रमांक	
11	जो छात्र राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उनके राज्य में प्रवेश प्राप्त करने पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, यदि कोई हों, को निर्दिष्ट करना होगा।	

अनिवार्यता प्रमाण-पत्र या अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र ---------- (आवेदक का नाम) को---------- ---------- (प्रस्तावित कॉलेज या संस्थान का पता) में ---------- (प्रस्तावित संस्थान का नाम) की स्थापना के लिए और स्नातकोत्तर कार्यक्रम ---------- (स्पैशलिटीके अनुसार) संचालित करने के लिए जारी किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र उपर्युक्त विवरण, तथ्यों और निम्नलिखित नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए वैध है।

अनिवार्यता प्रमाण-पत्र या अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर जारी किया जाता है:

1. संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देगा, केवल भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग के भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद।

2. संस्थान उसी परिसर में कोई अन्य पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए।

3. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।

4. संस्थान अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के पात्र छात्रों को राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग द्वारा तैयार विनियमन, दिशानिर्देशों और नीति के अनुसार स्वीकार करेगा।

5. संस्थान हर समय स्वायत्त बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेगा।

6. संस्थान को अन्य सोसायटी या ट्रस्ट में बदलने की स्थिति में, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, जैसा भी प्रकरण हो, से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

7. यदि आवेदक संस्था भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं को बनाने या बनाए रखने में विफल रहती है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाएंगे और विश्वविद्यालय भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति के साथ पहले से ही स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेशित छात्रों के लिए जिम्मेदारी ग्रहण करेगा।

8. आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन न करने के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा संस्था को अनुमति देने से इनकार करने या स्थायी अस्वीकृति जारी करने की स्थिति में, राज्य सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति से संस्थान में पहले से प्रवेशित छात्रों की जिम्मेदारी ग्रहण करेगी।

(सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

पूरा नाम

पद का नाम

कार्यालय सील

तिथि:

स्थान:

फार्म-ई

(विनियम 38 देखें)

(राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, जो भी लागू हो, द्वारा जारी किया जाएगा)

नए स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनिवार्यता प्रमाण-पत्र या अनापत्ति प्रमाण-पत्र

संदर्भ संख्या ..... दिनांक.....

आवेदक का मूल विवरण		
1	आवेदक का नाम (पते सहित)	
2	संस्थान का प्रकार (सरकारी या सहायता प्राप्त या निजी या डीम्ड विश्वविद्यालय)	
3	यूनानी मेडिकल कॉलेज या स्टैंड-अलोन यूनानी स्नातकोत्तर संस्थान का नाम	
	यूनानी मेडिकल कॉलेज या स्टैंड-अलोन यूनानी स्नातकोत्तर संस्थान का पता	
4	शुरू किये जाने वाले नये स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम	
5	उस विभाग का नाम जिसमें नया स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू किया जाना है	
6	स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के साथ संस्थान में पहले से मौजूद स्नातकोत्तर कार्यक्रम (कार्यक्रमों) का नाम, यदि कोई हो	
7	अस्पताल की पंजीयन संख्या	

अनिवार्यता प्रमाण-पत्र या अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अनिवार्यता प्रमाण-पत्र या अनापत्ति प्रमाण-पत्र ---------- (आवेदक का नाम) को ---------- (प्रस्तावित कॉलेज या संस्थान का पता) में नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम ----------(प्रस्तावित संस्थान का नाम) की स्थापना के लिए स्नातकोत्तर कार्यक्रम .....(स्पैशलिटी के अनुसार) संचालित करने के लिए जारी किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र उपर्युक्त विवरण, तथ्यों और निम्नलिखित नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए वैध है।

प्रमाण-पत्र निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर जारी किया जाता है:

1. कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देगा।
2. कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति के अतिरिक्त एक ही परिसर में कोई पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा।
3. कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।
4. कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा बनाए गए विनियमन, दिशानिर्देशों और नीति के अनुसार राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा योग्यता के आधार पर छात्रों को प्रवेश देगा।
5. संस्थान हमेशा स्वायत्त बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे।
6. यदि आवेदक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीयआयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों के अनुसार बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं को बनाने या बनाए रखने में विफल रहता है, तो चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाएंगे और विश्वविद्यालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति के साथ पहले से ही स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेशित छात्रों के लिए जिम्मेदारी ग्रहण करेगा।

7. आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुपालन न करने के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा संस्थान को अनुमति देने से इनकार करने या स्थायी अस्वीकृति जारी करने की स्थिति में, राज्य सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति से संस्थान या कॉलेज में पहले से प्रवेशित छात्रों की जिम्मेदारी ग्रहण करेगी।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पूरा नाम
पद का नाम
कार्यालय सील

तिथि:
स्थान:

फार्म एफ

(विनियम 38 देखें)

(राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, जो भी लागू हो, द्वारा जारी किया जाएगा)

आयोग द्वारा यूनानी में मान्यता प्राप्त मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम में सीटों की संख्या या प्रवेश क्षमता या छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र

संदर्भ संख्या ..... दिनांक.....

आवेदक का मूल विवरण		
1	आवेदक का नाम	
2	पता	
3	उस कॉलेज या संस्थान का नाम और पता जिसमें आवेदक छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाना चाहता है।	
4	मौजूदा स्नातकोत्तर कार्यक्रम का नाम जिसमें आवेदक छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने में इच्छुक है।	
5	सीटों की संख्या में वृद्धि विवरण	छात्र प्रवेश क्षमता को --- से ---- तक बढ़ाना
6	महाविद्यालय या संस्थान की स्थापना का वर्ष	
अन्य विवरण		
7	राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या अनुपात में डॉक्टर (सभी पद्धतियों के पंजीकृत चिकित्सक)।	
8	राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या अनुपात में डॉक्टर (पंजीकृत यूनानी चिकित्सा व्यवसायी)।	
9	यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्तावित क्षेत्र में नैदानिक सामग्री (मरीजों) की उपलब्धता की संभावना	कम या पर्याप्त

अनिवार्यता प्रमाण-पत्र या अनापत्ति प्रमाण-पत्र

अनिवार्यता प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र ---------- (आवेदक का नाम) को ---------- (कॉलेज या संस्थान का पता) स्थित----------(कॉलेज या संस्थान का नाम) में मौजूदा संचालित स्नातकोत्तर कार्यक्रम ----------(स्नातकोत्तर कार्यक्रम या स्पैशलिटीका नाम) में सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता -------- से ------- तक बढ़ाने के लिए जारी किया जाता है।

यह प्रमाण-पत्र उपर्युक्त विवरण, तथ्यों और निम्नलिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

यह प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से लगातार दो शैक्षणिक सत्रों के लिए वैध है।

अनिवार्यता प्रमाण-पत्र या अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर जारी किया जाता है:

1. कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड से उचित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृत छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार छात्रों को प्रवेश देगा।

2. कॉलेज या संस्थान उसी परिसर में कोई अन्य कॉलेज, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा जब तक कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा अन्यथा अनुमति न दी जाए।

3. कॉलेज या संस्थान, छात्र प्रवेश क्षमता के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगा।

4. कॉलेज समय-समय पर आयोग द्वारा तैयार किए गए विनियमन, दिशानिर्देशों और नीति के अनुसार अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा पात्र छात्रों को स्वीकार करेगा।

5. कॉलेज या संस्थान को हमेशा स्वायत्त बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, भारत सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

6. यदि आवेदक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों के अनुसार बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं को बनाने या बनाए रखने में विफल रहता है, तो चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा नए प्रवेश रोक दिए जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति के साथ पहले से ही स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेशित छात्रों के लिए जिम्मेदारी ग्रहण करेगा।

7. आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों के लिए कॉलेज या संस्थान द्वारा अनुपालन न करने के कारण भारतीय चिकित्सा पद्धति आकलन और रेटिंग बोर्ड द्वारा कॉलेज या संस्थान को अनुमति देने से इनकार करने या स्थायी अस्वीकृति जारी करने के प्रकरण में, राज्य सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति चिकित्सा आकलन और रेटिंग बोर्ड की अनुमति से संस्थान या कॉलेज में पहले से प्रवेशित छात्रों की जिम्मेदारी ग्रहण करेगी।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पूरा नाम
पद का नाम
कार्यालय सील

तिथि:
स्थान:

फॉर्म-जी

(विनियम 38 देखें)

संबद्धता की सहमति

(संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाएगा)

यूनानी कॉलेज की स्थापना के लिए या यूनानी मेडिकल कॉलेज में मौजूदा स्नातक कार्यक्रम में छात्र प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन जमा करने के लिए पूर्व-आवश्यकता)

क्र.सं.	**विश्वविद्यालय विवरण**	
(1)	**(2)**	
1	विश्वविद्यालय का नाम	
2	पता	
3	विश्वविद्यालय का प्रकार	केंद्र या राज्य या मानित-सरकारी या डीम्ड-निजी या निजी राज्य
4	सम्पर्क करने का विवरण	
5	संपर्क व्यक्ति	

	(नाम एवं पदनाम)	
	आधिकारिक मोबाइल नंबर	
	आधिकारिक ई-मेल आईडी	
6	स्थापना वर्ष	
7	मौजूदा संकाय	
8	मान्यता यदि कोई हो	
9	अभी तक, विश्वविद्यालय से संबद्ध यूनानी, यूनानी और सोवा-रिग्पा कॉलेजों या संस्थानों की संख्या।	

संबद्धता की सहमति

विश्वविद्यालय स्थानीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर ----------(कॉलेज या स्टैंडअलोन स्नातकोत्तर संस्थान का नाम) को स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित करने के लिए और स्नातकोत्तर कार्यक्रम ---------- ---------- (विशेषता-वार नाम) शुरू करने के लिए छात्र प्रवेश क्षमता ---------- (विशेषता-वार सीटें) के साथ या पहले से मौजूद स्नातकोत्तर कार्यक्रम ---------- (विशेषता का नाम) में सीटों की संख्या या छात्र प्रवेश क्षमता या प्रवेश क्षमता में ..... से ..... तक वृद्धि करने के लिए सहबद्धता की सहमति जारी करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है।
संबद्धता की सहमति शैक्षणिक वर्ष (ओं) के लिए जारी की जाती है.....

संबद्धता की सहमति निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर जारी की जाती है:

1. कॉलेज या संस्थान भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और कार्यक्षमता के संदर्भ में सभी न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखेगी।
2. कॉलेज या संस्थान राष्ट्रीय स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा के पात्र छात्रों को केवल भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा संबंधित नियमों और दिशानिर्देश में निर्दिष्ट परामर्श प्रक्रिया (जैसा भी प्रकरण हो) के माध्यम से प्रवेश देगी ।
3. कॉलेज या संस्थान, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के अनुसार शिक्षण और प्रशिक्षण के निर्धारित समय का संचालन सुनिश्चित करेगा।
4. कॉलेज या संस्थान को काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से कम से कम तीन माह पहले प्रत्येक वर्ष संबद्धता को नवीनीकृत करना होगा।
5. अन्य विश्वविद्यालय से संबद्धता बदलने या डीम्ड स्थिति के लिए आवेदन करने की स्थिति में वर्तमान संबद्ध विश्वविद्यालय से पूर्व 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त किया जाएगा।
6. वर्तमान विश्वविद्यालय से असंबद्धता की स्थिति में, मौजूदा बैच अंतिम छात्र को डिग्री प्रदान होने तक वर्तमान विश्वविद्यालय के साथ जारी रहेंगे।

रजिस्ट्रार
(मुहर सहित हस्ताक्षर)

स्थान:
तिथि:

परिशिष्ट "ए"
(विनियम 19 देखें)

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 2 के खंड (य ग) में संदर्भित "विनिर्दिष्ट दिव्यांगता" से संबंधित अनुसूची में निम्नानुसार प्रावधान है:-

1. शारीरिक दिव्यांगता-

ए. लोकोमोटर दिव्यांगता (एक व्यक्ति की स्वयं और वस्तुओं की गतिविधि से जुड़ी अलग-अलग गतिविधियों को करने में असमर्थता, जो मस्कुलस्केलेटल या नर्वस सिस्टम, या दोनों के रोग के परिणामस्वरूप होती है), जिसमें शामिल हैं

(ए) "कुष्ठ रोग-उपचारित व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ रोग से रोग मुक्त / स्वस्थ हो चुका है, परंतु निम्नलिखित से पीड़ित है-

(i) हाथों या पैरों में सनसनी के अनुभव का अभाव, साथ ही साथ नेत्र और पलक में सनसनी और पेरेसिस के अनुभव का अभाव, परंतु बिना किसी स्पष्ट विकृति के;

(ii) स्पष्ट विकृति तथा आंशिक पक्षाघात परंतु उनके हाथों तथा पैरों में पर्याप्त गतिशीलता हो जिससे उन्हें सामान्य आर्थिक कार्यों में लगाने हेतु सक्षम बनाया जा सके;

(iii) अत्यधिक शारीरिक विकृति और बढ़ती हुई आयु जो व्यक्ति को किसी भी लाभकारी व्यवसाय को करने से रोकती है, और "कुष्ठ रोग का उपचार "शब्द की व्याख्या तदनुसार की जाएगी।

(बी) "सेरेबल पाल्सी" से तात्पर्य है नॉन प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल परिस्थिति का समूह जो कि शारीरिक संचलन तथा मांसपेशीय समन्वय को प्रभावित करता है, मस्तिष्क के एक अथवा अधिक विशिष्ट भागों की क्षति के कारण, प्रायः जन्म के पूर्व, के दौरान अथवा तुरंत बाद होता है;

(सी) "बौनापन (छोटे कद का व्यक्ति)" का अर्थ है एक चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणामस्वरूप एक वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम होती है;

(डी) मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशी रोगों के एक समूह से है जो मानव शरीर को गतिविधि करने के लिए महत्वपूर्ण मांसपेशियों को निर्बल करता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले व्यक्तियों के जीन में अशुद्ध या मिसिंग डेटा होता है, जो उन्हें (जीन) स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन का उत्पादन करने से रोकती है। इसके लक्षण है प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल्स की कमजोरी, मांसपेशीय प्रोटीन में कमियां, तथा मांसपेशीय सेल एवं टिश्यूज का समाप्त हो जाना;

(ई) "एसिड अटैक विक्टिम्स" से तात्पर्य है तेजाब अथवा उसके समान संक्षारक पदार्थ फेंक कर किये गए आक्रामक हमले के कारण विकृत एक व्यक्ति ।

बी. दृष्टि लोप-

(ए) "दृष्टीलोप" दृष्टीहीनता से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें किसी व्यक्ति को सर्वोत्तम सुधार के बाद भी निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति होती हैः

(i) दृष्टि की पूर्णतः अनुपस्थिति; अथवा

(ii) सबसे अच्छे सुधार के साथ अच्छे नेत्र में 3/60 से कम अथवा 10/200 (स्नेल्लेन) से कम दृश्य तीक्ष्णता; अथवा

(iii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण के सामने हो।

(बी) "निम्न दृष्टि" से तात्पर्य है, एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति निम्न में से कोई एक स्थिति रखता हो:-

(i) सबसे अच्छे सुधार के साथ अच्छे नेत्र में 6/18 से अनधिक अथवा 20/60 से 3/60 अथवा 10/200 (स्नेल्लेन) से कम दृश्य तीक्ष्णता।

(ii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक कम के कोण के सामने हो।

सी. श्रवण क्षति-

(ए) "बधिर का अर्थ उन व्यक्तियों से है जिनके दोनों कानों में भाषण आवृत्ति में 70 डेसिबल (डीबी) हियरिंग लॉस है।

(बी) "सुनने में कठिनाई" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसके दोनों कानों से सुनने की आवृत्ति में 60 डेसिबल से 70 डेसिबल का हियरिंग लॉस है।

डी. "वाक् एवं भाषा दिव्यांगता" से तात्पर्य है स्वरयंत्र छिद्रीकरण अथवा वाचाघात जो कि वाक् तथा भाषा को प्रभावित करने वाली जैविक अथवा तंत्रिका संबंधित स्थिति जिसके कारण स्थाई विकृत पैदा हो।

(सी) "भाषण और भाषा की दिव्यांगता" का अर्थ है लेरिन्जेक्टोमी या अफेसिया जैसी स्थितियों से उत्पन्न होने वाली स्थायी अक्षमता जो आर्गेनिक या न्यूरोलॉजिकल संबंधी कारणों से भाषण और भाषा के एक या अधिक घटकों को प्रभावित करती है।

2. बौद्धिक दिव्यांगताएं, दोनों बौद्धिक कार्य प्रणाली की स्थिति जिसमें (तर्क, सीखने, समस्या समाधान करने) और अनुकूल व्यवहार जो प्रत्येक दिन की सीमाओं को शामिल करता है सामाजिक तथा प्रायोगिक कौशल, की चारित्रिक स्थिति व सीमाएं जिसमें शामिल है;

(ए) "विशिष्ट ज्ञार्नाजन दिव्यांगता" विजातीय परिस्थिति समूह जिसमे बोलने अथवा लिखने में अथवा भाषा प्रसंस्करण की कमी पायी जाती है जिससे भाषा की बोध गम्यता, बोलने, लिखने, वर्तनी अथवा गणतीय गणना तथा ऐसी परिस्थितियां जिसमें अवधारणात्मक दिव्यांगताएं, वाक् विकार (डिस्लेक्सिया), डिस्याफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया तथा विकासात्मक मूकरोग शामिल हैं:

(बी) "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" का अर्थ है एक न्यूरोडेवलपमेंटल स्थिति जो सामान्य रूप से जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, संबंधों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यह अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होता है।

3. मानसिक व्यवहार : "मानसिक रोग" का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को पूर्ण रूप से बाधित करता है। तथापि, इसमें मंदता शामिल नहीं है, जो किसी व्यक्ति के मन के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति है, विशेष रूप से सामान्य बुद्धि की विशेषता है।

4. निम्न के कारण उत्पन्न दिव्यांगता:-

(ए) क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल संबंधी स्थितियां, जैसे कि-

(i) "मल्टीपल स्क्लेरोसिस" का अर्थ है एक सूजन तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) का रोगी जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में नर्व सेल्स के एक्सॉन के आसपास माइलिन आवरण क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे डिमाइलिनेशन होता है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में नर्व सेल्स की एक दूसरे के साथ जुड़ा होने की क्षमता प्रभावित होती है।

(ii) "पार्किंसंस रोग" का अर्थ है तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) का एक प्रगतिशील रोग जो कंपकंपी, मांसपेशियों की कठोरता, और धीमी, अस्पष्ट गति द्वारा चिह्नित होती है, मुख्य रूप से मध्यम आयु वर्ग के और बुजुर्ग लोगों को प्रभावित करती है, और मस्तिष्क के बेसल गैन्गिलया के अध: पतन और न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी से जुड़ी होता है।

(बी) रक्त विकृतियां -

(i) "हीमोफीलिया" का अर्थ है एक वंशानुगत रोग, जो सामान्य रूप से केवल पुरुषों को प्रभावित करती है, परंतु महिलाओं द्वारा उनके पुरुष शिशुओं में फैलती है, जिसकी विशेषता रक्त के सामान्य थक्के बनाने की क्षमता में कमी या क्षति है जिससे एक मामूली घाव के परिणामस्वरूप घातक रक्तस्राव हो सकता है।

(ii) थैलेसीमिया का अर्थ है वंशानुगत विकारों का एक समूह जिसकी विशेषता हीमोग्लोबिन की कम या अनुपस्थित मात्रा है।

(iii) "सिकल सेल रोग" का अर्थ है एक हेमोलिटिक विकार जो पुरानी एनीमिया, पीड़ायुक्त प्रकिया और संबंधित ऊतक (टिश्यू) और अंग (ऑर्गन) क्षति के कारण विभिन्न जटिलताओं की विशेषता है। "हेमोलिटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नष्ट होने को संदर्भित करता है, जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन रिलीज़ होता है।

5. मूक बधिरता सहित बहुविध दिव्यांगताएं (उपर्युक्त निर्दिष्ट दिव्यांगों में से एक से अधिक) बधिरता, अंधता सहित शामिल है जिसका तात्पर्य ऐसी परिस्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति को श्रवण और दृष्टि क्षति का संयोजन हो सकता है जिसमें गंभीर संचार, विकासात्मक और शैक्षणिक समस्याएं हो सकती हैं।

6. अन्य कोई श्रेणी जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की गई हों।

परिशिष्ट "बी"

(विनियम 19 देखें)

स्नातकोत्तर कार्यक्रम (यूनानी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और मास्टर ऑफ सर्जरी) में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत "निर्दिष्ट दिव्यांगता" वाले छात्रों के प्रवेश के संबंध में दिशा निर्देश।

1. " दिव्यांगता का प्रमाण पत्र" भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा, संख्या जीएसआर 591 (ई), दिनांक 15 जून, 2017 के तहत। "

2. किसी व्यक्ति में 'विनिर्दिष्ट दिव्यांगता की सीमा, "भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड -(ii) में संख्या का.आ. 76 (ई) दिनांक 04 जनवरी, 2018 में प्रकाशित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल किए गए किसी व्यक्ति में विशिष्ट दिव्यांगता की सीमा आंकने के उद्देश्य के लिए दिशा निर्देशों" के अनुसार आंकी जाएगी।

3. विशिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से दिव्यांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (बेचमार्क दिव्यांग) होनी चाहिए।

4. "शारीरिक रूप से दिव्यांग' (पीएच) शब्द के बजाए 'दिव्यांग व्यक्ति' (पीडब्ल्यूडी) शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

तालिका

क्र.सं.	**दिव्यांगता श्रेणी**	**दिव्यांगताओं का प्रकार**	**निर्दिष्ट दिव्यांगता**	**दिव्यांगता की रेंज**		
				(5)		
				स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए पात्र, किन्तु पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए पात्र नहीं	स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए पात्र, पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए पात्र	स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)			
1.	शारीरिक दिव्यांगता	ए. विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं सहित लोको मोटर दिव्यांगता (ए से एफ)	(ए) कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति*	40% से कम दिव्यांगता	40-80% दिव्यांगता 80% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को भी, प्रकरण के आधार	80% से अधिक
			(बी) सेरेबल पाल्सी **			
			(सी) बौनापन			
			(डी) मांसपेशीय डिस्ट्राफी			

			(ई) एसिड अटैक विक्टिम (एफ) अन्य *** जैसे अंगविच्छेदन, पोलियोम्येलाइटिस आदि		पर, अनुमति प्राप्त होगी तथा उनकी कार्य करने की क्षमता का निर्धारण सहयोगी सयंत्र की सहायता से किया जाएगा, यदि इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो देखें कि क्या यह 80% के नीचे लाया गया है तथा क्या उन्हें संतोषजनक रूप से कोर्स करने तथा उसे पूरा करने हेतु यथा अपेक्षित पर्याप्त गतिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है।	
			• ऊंगलियों, हाथों में संवेदन की क्षति, अंगविच्छेद और आंखों की इन्वॉल्वमेंट पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा तद्नुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। ** दृष्टि, श्रवण संज्ञानात्मक कार्य की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तदनुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। *** यूनानी में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथों का, अक्षुण्ण संवेदनाओं, पर्याप्त शक्ति और गति के रेंज के साथ साथ अक्षुण्ण होना आवश्यक है।				
		(बी) दृष्टि क्षति (*)	(ए) नेत्रहीनता (बी) निम्न दृष्टि	40% से कम दिव्यांगता (अर्थात श्रेणी '0 (10%)', 'I (20%)' और 'II (30%)'	-	40% के बराबर या इससे अधिक दिव्यांगता (अर्थात श्रेणी III और उससे ऊपर)
		(सी) श्रवण क्षति @	(ए) बहरा (बी) कम सुनाई देना	40% से कम दिव्यांगता	-	40% के बराबर या उससे कम दिव्यांगता

			(*) 40% से अधिक की दृष्टि क्षति/ दृष्टि दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को यूनानी में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम करने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि दृष्टि दिव्यांगता को आधुनिक निम्न दृष्टि सहायक उपकरण जैसे कि टेलीस्कोप / मैग्नीफायर इत्यादि की सहायता से 40% बेचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए। @ 40% से अधिक की श्रवण दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को यूनानी में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम करने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि श्रवण दिव्यांगता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के बेचमार्क से कम के स्तर तक लाया जाए। इसके अतिरिक्त, व्यक्ति के पास 60% से अधिक का वाक् विवेक स्कोर होना चाहिए।			
		(डी) वाक् एवं भाषा दिव्यांगताएं $	आर्गनिक/तंत्रीय कारण	40% से कम दिव्यांगता	-	40% के बराबर या उससे अधिक दिव्यांगता
		$ यह प्रस्ताव दिया जाता है कि यूनानी में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश हेतु वाक् बुद्धिमता प्रभावित (एस आई ए) स्कोर 3 से अधिक नहीं होगा (जो कि 40% से कम होगी) ताकि यूनानी में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हुआ जा सके। इस स्कोर से अधिक के व्यक्ति यूनानी में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। 40% तक वाचाघात (एफ़ेसिया) लब्धि वाले व्यक्ति यूनानी में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम करने के लिए पात्र हो सकते हैं, लेकिन इससे अधिक वाले व्यक्ति यूनानी में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम करने के लिए पात्र नहीं होंगे और न ही उन्हें कोई आरक्षण प्राप्त होगा।			
2.	बौद्धिक दिव्यांगता		(ए) विशिष्ट ज्ञानार्जन दिव्यांगताएं (बोधात्मक दिव्यांगता, डिस्लेक्सिया डिस्केलकुलिया डिस्प्राक्सिया और विकासात्मक एल्फासिया) #	# वर्तमान में एसपीएलडी की गंभीरता का आंकने के लिए कोई मात्राकरण पैमाना नहीं है, इसलिए 40% का कट ऑफ, मनमाना है और इसके लिए अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है।		
				40% से कम दिव्यांगता	40% के बराबर या इससे अधिक दिव्यांगता - परंतु इनका चयन, रिमेडिएशन सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी/ उपकरणों / विशेषज्ञ पैनल द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से आकलन की गई	80% से अधिक या गंभीर स्वरूप या पर्याप्त संज्ञानात्मक/ बौद्धिक दिव्यांगता

					ज्ञानार्जन सक्षमता पर आधारित होगा।	
			(बी)ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर	दिव्यांगता का अभाव या मामूली दिव्यांगता अस्परजर सिंड्रोम (आईएसएएके अनुसार 40% - 60% दिव्यांगता), जहां व्यक्ति को विशेषज्ञ पैनल द्वारा यूनानी में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम के लिए उपयुक्त माना जाता है।	मानसिक रोग की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की ऑब्जेक्टिव पद्धति के अभाव के कारण वर्तमान में संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर दिव्यांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात विचार किया जा सकता है।	60% के बराबर या उससे अधिक दिव्यांगता या संज्ञानात्मक/बौद्धिक दिव्यांगता की उपस्थिति और/या यदि व्यक्ति को विशेषज्ञ पैनल द्वारा यूनानी में स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम में पढ़ने के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है।
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	दिव्यांगता का अभाव या मामूली दिव्यांगता 40% से कम (आईडीईएएस के अंतर्गत)	मानसिक रोग की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण वर्तमान में संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, दिव्यांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात् विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या इससे अधिक दिव्यांगता या यदि व्यक्ति को अपनी ड्यूटियां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। 'मेडिसिन में प्रैक्टिस करने के लिए फिटनेस' की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जाए जिनका जैसे कि भारत के अतिरिक्त अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा प्रयोग किए जाता है।

4.	आगे उल्लेखित के कारण दिव्यांगता	(ए) न्यूरोलॉजिकल संबंधी स्थितियां	(i) मल्टीपल स्क्लेरोसिस (ii)पार्किंनसेनिज्म	40% से कम दिव्यांगता	40-80% दिव्यांगता	80% से अधिक
		(बी) रक्त विकृतियां	(i) हीमोफीलिया (ii) थैलेसीमिया (iii) सिक्कल सैल रोग	40% से कम दिव्यांगता	40-80% दिव्यांगता	80% से अधिक
5.	मूक बधिरता नेत्रहीनता सहित बहुल दिव्यांगताएं		उपर्युक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट दिव्यांगताएं	व्यक्तिगत प्रकरणों के लिए सिफारिशें / अनुशंसा करते समय उपर्युक्त सभी कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से निम्नलिखित में से किसी की उपस्थिति के संबंध में: दृश्य, श्रवण, भाषण और भाषा दोष, बौद्धिक दोष और मानसिक रोग कई दिव्यांग के घटकों के रूप में। भारत सरकार द्वारा जारी प्रासंगिक राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित सूत्र का संयोजन। ए+ बी (90-ए) 90 (जहां ए = दिव्यांगता के % का उच्च मूल्य और बी = दिव्यांगता के % का निम्न मूल्य जो भिन्न-भिन्न दिव्यांगताओं के लिए परिकलित किया गया हो।)		

टिप्पणी : शारीरिक दिव्यांग श्रेणी के अन्तर्गत चयन के लिए, अभ्यर्थी को उनकी काउंसलिंग की निश्चित तिथि से पूर्व भारत सरकार के संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किसी एक दिव्यांगता आकलन बोर्ड द्वारा जारी दिव्यांगता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

सच्चिदानंद प्रसाद, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./533/2024-25]

नोट: यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकोत्तर संस्थानों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग और स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2024 के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा

THE NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2024

F. No. BUSS/Unani PG Regul./2023.—In exercise of the powers conferred by section 55 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), and in supersession of the Indian Medicine Central Council(Post-Graduate Unani Medical Education) Regulations, 2016, the Establishment of New Medical College, Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College Regulations, 2019 and the Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Diploma Course in Unani medicine) Regulations, 2015 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commission hereby makes the following regulations, namely.-

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Postgraduate Institutions and Minimum Standards of Postgraduate Unani Education) Regulations, 2024;

(2) Save as other wise provided, they shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

CHAPTER-I

PRELIMINARY

2. Definitions.-(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020);

(b) "Annexure" means an annexure annexed to these regulations;

(c) "Appendix" means an appendix appended to these regulations;

(d) "applicant" means a person namely a society, trust, University, or any legal person but does not include the Central Government;

(e) "assessment" of an Institution means the act of verifying the availability of minimum essential standards as specified in these regulations in terms of the infrastructure, human resources and functionality of an institution and its attached teaching hospital by the MARBISM ;

(f) "attached teaching hospital" means an Unani Medical Hospital that offers standard healthcare services, attached to an Unani Medical Institution for the purpose of teaching and training to the students of Unani system of Medicine;

(g) "Doctor of Philosophy" means doctoral degree (Ph.D) awarded or granted to a research work carried out for not less than three years of duration after postgraduation, either in the subject concerned or in inter-disciplinary, intra-disciplinary, or trans-disciplinary or multi-disciplinary research areas;

(h) "extended permission" means permission is extended to fully established Unani medical institutions fulfilling the criteria for "extended permission" status as laid down in these regulations, and such institutions are allowed to participate in the counselling process for admitting students to Postgraduate programmes as per the sanctioned student intake capacity without waiting for permission from the MARBISM every year unless otherwise denied or specified or communicated by the MARBISM

(i) "fully established institute" means the institute with either extended permission or yearly permission from the year after second renewal of permission granted by the MARBISM;

(j) "letter of intent" means preliminary approval along with conditions and timelines issued by the MARBISM to the applicant through the procedure specified in these regulations to establish a new Unani Medical Institution, or to start any new Postgraduate programme recognised by the Commission or to increase student intake capacity in existing Postgraduate programme;

(k) "letter of permission" means approval granted to the applicant by the MARBISM through the procedure determined in these regulations to establish Unani medical institution or to start any new Postgraduate programme recognised by the Commission or to increase student intake capacity in existing Postgraduate programme and to admit the students as per the sanctioned student intake capacity specified by the MARBISM;

(l) "MARBISM" means Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(m) "minimum essential standards" means the mandatory minimum requirements in terms of infrastructure, human resources, and functionality, quality and standards that are essential and below the minimum essential standards, which is unacceptable;

(n) "NCISM-UG MES Regulations, 2023" means the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment, and Rating for Undergraduate Unani Colleges and Attached Teaching Hospitals) Regulations, 2023;

(o) "Postgraduate education" means that include Postgraduate degree programmes (Doctor of medicine-M.D. and Master of Surgery-M.S.), doctoral degree programme (Doctor of Philosophy-Ph.D.), and super-specialty degree programme (Doctorate of Medicine-D.M.);

(p) "Postgraduate degree" in Unani means a Postgraduate degree namely "Mahire Tib" (Doctor of Medicine-M.D.) and Mahire Jarahat (Master of Surgery-M.S.)" of three years duration granted or awarded after graduation in Unani;

(q) "professor of practice" means a person having a minimum of ten years of experience in the field other than teaching in Unani medical colleges, like a person from an industry or research institute, a technical consultant, a renowned practitioner, or a scientist and the like;

(r) "rating' of Postgraduate Department means a score or measurement of how good a Postgraduate Department is; rating of a fully established Postgraduate Department through a rating procedure carried out by the MARBISM or any designated rating agency based on the standards and parameters laid down by the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa and rating shall be on the basis of infrastructure, human resources, and functionality over and above the minimum essential standards specified in these regulations;

(s) "renewal of permission" means permission renewal granted by MARBISM to a new Postgraduate institution or department or speciality undergoing establishment under section 29 of the Act through the procedure mentioned in these regulations during the following academic years after the issuance of a letter of permission for admitting students as per the sanctioned student intake capacity specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, and such renewal of permission shall be

mandatory until it attains the fully established institution or department or speciality status, under section 28 of the Act;

(t) "stand alone Postgraduate institution" means a teaching institution with an attached teaching hospital dedicated for conducting Postgraduate programme only;

(u) "sanctioned intake capacity" means number of seats sanctioned by MARBISM to a Postgraduate programme for admission of students based on infrastructure, human resources and functionality of the institution or department and the teaching hospital;

(v) "yearly permission" means fully established medical institutions or Postgraduate departments that are not fulfilling the criteria for "extended permission" status as laid in these regulations, and such institutions shall participate in the counselling process for admitting students to Postgraduate programmes as per the sanctioned student intake capacity only after obtaining permission from the MARBISM every year.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, rules or regulations made thereunder shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act, rules or regulations.

CHAPTER-II

GENERAL

3. General considerations. —(1) The Postgraduate medical education in Unani shall produce competent specialists in respective specialties with profound knowledge, skill, attitude, value and ethics;

(2) Every institution shall maintain minimum essential infrastructural standards, qualified and skilled human resources and a functional education ecosystem as specified in these regulations.

4. Acamedic hierarchy. – (1) The academic hierarchy of the postgraduation programmes shall be in the descending order from super specialty degree (D.M.) to doctoral degree (Ph.D.) to Postgraduate degree (M.D. or M.S.) to Postgraduate diploma (P.G. Diploma).

(2) (a) The Unani Postgraduate Medical institution shall appoint Professor of Practice on a part-time basis in the concerned subject with the qualification as mentioned in the **Seventh Schedule** in these regulations; such professors shall not be provided with the unique teacher code by the MARBISM;

(b) he or she shall have a minimum of ten years of experience in the concerned field other than teaching in Unani colleges, like a person from an industry or research institute, a technical consultant, a renowned practitioner, or a scientist and the like.

(3) (a) On and from the date of publication of these regulations, the Postgraduate diploma programme shall stand abolished and no Postgraduate diploma course or programme shall be conducted by any Unani Medical College or Institution from the date of commencement of the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Postgraduate institutions and Minimum Standards of Postgraduate Unani Education) Regulations, 2024;

However, already admitted students in the Postgraduate diploma course or programme, before the commencement of these regulations, if any, shall continue and complete the course as per the provisions under "Indian Medicine Central Council (Post-Graduate Diploma Course in Unani medicine) Regulations, 2015";

(b) the seats in existing Postgraduate diploma programmes permitted by the MARBISM that are recognised in the "Indian Medicine Central Council (Postgraduate Diploma Course in Unani Medicine) Regulations, 2015";, may be converted to the Postgraduate degree programme seats of the parent department in the ratio of 2:1, i.e., every two Postgraduate diploma seats may be converted to one Postgraduate degree seat subject to the availability of student-Postgraduate guide ratio as specified in regulation 20 for Postgraduate degree programmes**.**

(4) (a) Each institution shall install online platforms or systems such as Learning Management Systems, Hospital Information and Management systems (compatible with Ayushman Bharat Health Account, Health Professional Registry, Health Facility Registry, and Unique Health Identification Number), Aadhaar enabled biometric attendance system or iris detection or face recognition attendance system and the like as directed by the commission, Closed-Circuit Television Systems, and any other system specified by the Commission from time to time and shall align or interface to the online platforms or information technology system run by the commission or central server designated by the commission and shall provide real time data or relevant data to the commission and its autonomous boards as required;

(b) biometric attendance data shall be made available to the concerned regulatory body or the Commission or autonomous boards of the Commission on real time basis throughout the year through any agency as designated or assigned by the Commission;

(c) all Unani medical institutions shall connect with centralised Aadhar Enabled Biometric Attendance System for marking attendance of teaching staff, non-teaching staff, hospital staff and Postgraduate students and the Commission or autonomous boards of the Commission shall be the authority to access and analyse attendance data online from centralised Aadhar Enabled Biometric Attendance System;

(d) the authentication of the patients in the hospital shall be made through the Ayushman Bharat Health Account number.

(5) (a) teachers shall be accommodated in respective departments with adequate space and privacy in a separate room or cubicle for each teacher;

(b) the minimum area for the room or cubicle for the professor, associate professor, and assistant professor shall be fifteen, thirteen, and ten square metres, respectively;

(c) an open seating arrangement for multiple teachers in a common room, hall, or department shall not be permitted;

(d) every teacher shall be provided with a computer, printer, and internet facility;

(e) the departments and associated sections or units shall have proper ventilation and lighting;

(f) each Postgraduate Department shall accommodate teaching staff, non-teaching staff, a departmental library, a departmental computer, a printer, internet access, and an e-facility to display video, images, charts, information etc.

(6) There shall be a hostel for girls and boys separately for Postgraduate students (preferably single accommodation) along with a mess facility within the campus provided with adequate furniture, reading room, recreational facility, and security services.

(7) Each institution shall offer teaching and training to Postgraduate students as per the course curriculum and syllabus prescribed by the Commission shall ensure that all the stakeholders of the institution, all the departments, sections, and units of the institution, function in coordination and collaboration with each other to provide a comprehensive or inclusive education ecosystem to the Postgraduate students for pursuing their studies, training, and research work in an appropriate academic environment and the institution shall be ready to impart education over and above the minimum essential standards prescribed by the Commission in these regulations

(8) The hospital attached to the institution shall be a fully functional hospital that shall remain open for twenty-four hours a day every week and shall be ready to treat or attend any type of patient at any point in time with its manpower and infrastructure.

(9) The fully functional hospital shall offer clinical training to medical students and provide medical services to the public at out-patient departments and in-patient departments, including consultation, diagnosis (clinical and investigational), treatment (medical, procedural, and surgical and maternity), preventive, promotive, and rehabilitative health care, medical advice, medical counseling, nursing care, emergency care, medicine dispensing, public outreach activities with proper documentation, and maintaining the hospital management system, and hospital related expenses shall be reflected in the official bank account of the hospital.

(10) In order to maintain the quality standards, the instruments, equipment, chemicals, reagents, furniture, electronic appliances etc with Bureau of Indian Standards certification may be used to the extent of availability.

(11) Each Postgraduate institution irrespective of the Postgraduate programmes being conducted, shall establish the Department of Integrative Health and Translational Research. The Central Research Laboratory, Quality Testing Laboratory, Animal House and Animal Experimentation Laboratory, and Research committees such as Institutional Research Committee, Institutional Ethics committee for Human Subjects, Institutional Animal Ethics Committee, Clinical Research Cell, and Plagiarism Scrutiny Cell shall function under this Department.

(12) In the case of multiple Postgraduate degree programmes under the same department (i.e., Postgraduate programmes of Tahaffuzi wa Samaji Tib and Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom under the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib) mentioned in these regulations, it shall not be mandatory for the Postgraduate institution or department to conduct all two programmes, it may be one or both Postgraduate programmes as per the requirements of the institution.

CHAPTER-III

POSTGRADUATE DEGREE PROGRAMMES

5. (1) On and from the date of publication of these regulations, there shall be fifteen Postgraduate degree programmes in Unani from the date of notification of these regulations and the list of Postgraduate degree programmes or specialties, nomenclature of Postgraduate degree programmes, nomenclature of Postgraduate specialist with

equivalent modern terminologies and respective departments in which Postgraduate degree programmes are to be conducted shall be as per **Table** below to sub-regulation (4).

(2) The nomenclature of the Postgraduate degree in the degree certificate shall be as per the third column of the below **Table** in the following pattern: -

(a) Unani Mahire Tib (Doctor of Medicine) M.D. (Moalajat)

(b) Unani Mahire Jarahat (Master of Surgery) M.S. (Ilmul Jarahat**)**

(3) On and from the publication of these regulations, the nomenclature and equivalent modern terminologies of the Postgraduate degree programmes under the "Indian Medicine Central Council (Postgraduate Unani Medical Education) Regulations 2016" shall be continued as it is for the batches admitted under Indian Medicine Central Council (Postgraduate Unani Medical Education) Regulations 2016.

(4) The Postgraduate degree programme in Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) is introduced newly and it shall be conducted under the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) from the date of notification of these regulations with the qualified teachers in accordance with regulation 32 as mentioned in these regulations;

Table

Postgraduate Degree Programmes or Specialities, Nomenclature of Postgraduate degree Programme, Nomenclature of Specialists and Respective Departments

Sl. No **(1)**	**Postgraduate degree Programme or Specialities and Equivalent terms** **(2)**	**Nomenclature of Postgraduate degree Programme** [see Sub-regulation (2) of regulation 5] **(3)**	**Nomenclature of Specialists with Equivalent Modern Terminology** **(4)**	**Department in which Postgraduate degree Programme shall be conducted** **(5)**
		Unani Mahire Tib (Doctor of Medicine)		
1	Kulliyate Tib (Basic Principles of Unani Medicine)	M.D. (Kulliyate Tib)	Mahir Kulliyate Tib (Unani Medicine Basic Principles Specialist)	Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine)
2	Manafeul Aza (Human Physiology)	M.D. (Manafeul Aza)	Mahir Manafeul Aza (Unani Physiologist)	Manafeul Aza (Physiology)
3	Ilmul Advia (Materia Medica, Pharmacology and Pharmacognosy)	M.D. (Ilmul Advia)	Mahir Ilmul Advia (Unani Pharmacologist)	Ilmul Advia (Pharmacology)
4	Ilmul Saidla (Materia Medica, Pharmaceutics and Clinical Pharmacy)	M.D. (Ilmul Saidla)	Mahir Ilmul Saidla (Unani Pharmaceutical Specialist)	Ilmul Saidla (Unani Pharmacy)
5	Tahaffuzi wa Samaji Tib (Unani Dietetics Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health)	M.D. (Tahaffuzi wa Samaji Tib)	Mahir Tahaffuzi wa Samaji Tib (Unani Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health Specialist)	Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine)
6	Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology)	M.D. (Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom)	Mahir Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Unani Forensic Medicine Specialist and Clinical Toxicologist)	Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine)
7	Amraze Atfal (Paediatrics)	M.D. (Amraze Atfal)	Mahir Amraze Atfal (Unani Paediatrician)	Ilmul Atfal (Paediatrics)
8	Moalajat (Medicine)	M.D. (Moalajat)	Mahir Moalajat (Unani Medicine Specialist)	Moalajat (Medicine)
9	Mahiyatul Amraz (Pathology and Laboratory Diagnosis)	M.D. (Mahiyatul Amraz)	Mahir Mahiyatul Amraz (Unani Pathologist)	Mahiyatul Amraz (Pathology)
10	Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy)	M.D. (Ilaj bit Tadabeer)	Mahir Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy Specialist)	Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy)
11	Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology)	M.D. (Amraze Jild wa Tazeeniyat)	Mahir Amraze Jild wa Tazeeniyat (Unani Dermatologist and Cosmetologist)	Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology)
		Unani Mahire Jarahat (Master of Surgery)		
12	Tashreehul Badan (Human Anatomy)	M.S. (Tashreehul Badan)	Mahir Tashreehul Badan (Unani Anatomist)	Tashreehul Badan (Anatomy)

13	Ilmul Jarahat (Surgery)	M.S. (Ilmul Jarahat)	Mahir Ilmul Jarahat (Unani Surgeon)	Jarahat (Surgery)
14	Amraze Uzn, Anaf wa Halaq (Diseases of Ear, Nose and Throat)	M.S. Amraze Uzn, Anaf wa Halaq	Mahir Amraze Uzn, Anaf wa Halaq (Unani Ear, Nose and Throat Surgeon)	Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry)
15	Amraze Niswan wa Qabalat (Gynaecology and Obstetrics)	M.S. Amraze Niswan wa Qabalat	Mahir Amraze Niswan wa Qabalat Specialist (Unani Gynaecologist and Obstetrician)	Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology)

CHAPTER-IV

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS FOR POSTGRADUATE INSTITUTION, WHERE UNDERGRADUATE COURSE OR PROGRAMME IS IN EXISTENCE

6. General .- (1) To run a Postgraduate degree programme along with an undergraduate programme, there shall be an independent Postgraduate Department in the concerned subject.

(2) The college or institution conducting both undergraduate programme and Postgraduate programmes shall fulfil all minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources, and functionality equipment and instruments as specified in the as specified in NCISM-UG MES Regulations, 2023, for undergraduate teaching and training in accordance with student intake capacity and minimum essential standards mentioned in these regulations, including additional requirements specified for the Postgraduate institution and concerned Postgraduate Department in which Postgraduate programme(s) is conducted.

(3) In case of any action taken against undergraduate institution by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine under clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act, similar action shall be applicable to the corresponding Postgraduate department or programme.

(4) If any Postgraduate department fails to maintain the minimum essential standards specified in these regulations, the MARBISM-shall deny permission for admission in the concerned Postgraduate degree programme or specialty or take such measures as per the clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act.

7. Department-wise Minimum Essential Standards for Postgraduate Teaching and Training.- In addition to the minimum essential requirement mentioned under the NCISM-UG MES Regulations, 2023, the infrastructural facilities in respect to each Postgraduate Department as under shall also be maintained in the department in which Postgraduate programme is conducted namely:—

(i) Postgraduate Department of Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine) shall have upgraded facilities at Postgraduate level in the already existing Language Laboratory for undergraduate for Arabic, Persian, Urdu or English and other languages. Additional computer systems to the existing undergraduate Language laboratory shall be made available for the Postgraduate students in the ratio of 1:1 as per the sanctioned student intake capacity. The minimum area required for this Postgraduate department shall be fifty square metres.

(ii) Postgraduate Department of Tashreehul Badan (Anatomy) shall be provided with three-dimensional virtual dissection table and e-dissection software. This department also facilitates practice of surgical techniques through cadaveric surgery for Postgraduate students of Jarahat (Surgery) and Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology). The minimum area required for this Postgraduate Department shall be fifty square metres.

(iii) Postgraduate Department of Manafeul Aza (Physiology) shall have additionally digital spirometry, personality assessment scales, trichoscope, digital skinfold calliper, auto measuring tool for height, weight, and body mass index calculator and Nabz recording equipment (if any related to Unani) along with relevant software accessories and shall also have requirements for biochemistry with advanced facilities at Postgraduate level as per the requirement of the syllabus. The minimum area required for this Postgraduate Department shall be fifty square metres.

(iv) Postgraduate Department of Ilmul Advia (Pharmacology) shall have Phytochemistry Laboratory and relevant equipment and instruments as per the **First Schedule** and Green house**.** The minimum area required for this Postgraduate Department shall be fifty square metres and for the Phytochemistry Laboratory and Green house, it shall be fifty square metres each.

(v) Postgraduate Department of Ilmul Saidla (Unani Pharmacy) shall have petrographic microscope, programmable muffle furnace, upgraded and advanced facilities as per the **Fifth Schedule** additionally for Postgraduate training and research in the already existing Quality Testing Laboratory for undergraduates. The minimum area required for this Postgraduate Department shall be fifty square metres.

(vi) Postgraduate Department of Mahiyatul Amraz (Pathology) shall have Molecular Biology Laboratory and advanced diagnostic facilities as per the **Second Schedule.** The already existing Mahiyatul Amraz Laboratory shall be provided with facilities to carry out immunology and histopathology related tests for Postgraduate students including chemiluminescence. The minimum area required for this Postgraduate Department shall be fifty square metres and for Molecular Biology Laboratory, it shall be fifty square metres.

(vii) the Postgraduate programme or speciality in Tahaffuzi wa Samaji Tib (Unani Dietetics Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health) under the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social medicine):

(a) the Postgraduate programme or speciality in Tahaffuzi wa Samaji Tib shall have an exclusive Out-Patient Department (attached with minor yoga and riyazat room) for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of fifty persons per day. Exclusive departmental vehicle for field visits, advanced facilities for Postgraduate training and research in the already existing Nutrition Laboratory for the undergraduate, facilities to administer rejuvenation procedures and riyazat to normal individuals with day care facility shall be made available for this department in the hospital; The space required for this Postgraduate Department shall be a minimum of fifty square metres and for Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) out-patient department shall be a minimum of twenty-five square metres.

(b) the Postgraduate programme or speciality in Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) under the department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social medicine) shall have advanced poison detection facility in the Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) Practical Laboratory. An exclusive Out-Patient Department in the name of Ilmul Samoom (Clinical Toxicology) for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of thirty patients per day and additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e., four beds for one student) in Moalajat (Medicine) In-Patient Department shall be made available. Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be provided. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Moalajat (Medicine) In-Patient Department. The minimum area required for this Postgraduate Department shall be fifty square metres. The minimum area required for the Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) out-patient department shall be twenty-five square metres.

(viii) Postgraduate Department of Moalajat (Medicine) shall have an exclusive Out-Patient Department for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of 60 patients per day and additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e., four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be provided. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Moalajat In-Patient Department. The space required for the Postgraduate teaching department shall be a minimum of twenty-five square metres and for Moalajat (Medicine) out-patient department shall be a minimum of twenty-five square metres.

(ix) Postgraduate Department of Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) have an exclusive Out-Patient Department (attached with minor therapy or procedure room) for Postgraduate teachers and Postgraduate students, additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) In-Patient Department. Fully established physiotherapy facility in the hospital shall be extended to this department. The space required for the Postgraduate teaching department shall be a minimum of twenty-five square metres and the minimum requirement of space for out-patient department of Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) attached with minor therapy or procedure room shall be fifty square metres each.

(x) Postgraduate Department of Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry) shall have an exclusive Out-Patient Department (attached with minor therapy or procedure room) in the name of Amraze Uzn, Anaf wa Halaq (Diseases of Ear, Nose and Throat) for Postgraduate teachers and Postgraduate students, with advanced diagnostic facilities with minimum of 60 patient per day and additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry) In-Patient Department. The space required for the Postgraduate teaching department shall be a minimum of twenty-five square metres and for the Amraze Uzn, Anaf wa Halaq (Diseases of Ear, Nose and Throat) out-patient department (attached with minor procedure room) shall be a minimum of fifty square metres. This out-patient department shall attend the patients of Uzn, Anaf wa Halaq but not Ain and Asnan related cases.

(xi) Postgraduate Department of Jarahat (Surgery) shall have an exclusive Out-Patient Department (attached with minor therapy or procedure room) for Postgraduate teachers and Postgraduate students, with advanced diagnostic facilities with minimum sixty patients per day and additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty

Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Jarahat (Surgery) In-Patient Department. The space required for the Postgraduate teaching department shall be a minimum of twenty-five square metres and for the out-patient department (attached with minor procedure room) shall be a minimum of fifty square metres.

(xii) Postgraduate Department of Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) shall have an exclusive Out-Patient Department (attached with examination cum procedure room to carry out Qabalat wa Niswan related procedural treatment and diagnostic procedures; for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of sixty patients per day, an exclusive Operation Theatre for Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) to carry out Qabalat wa Niswan related surgeries Additional In-Patient Department beds in the student- bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student) shall be made available. Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be provided. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) In-Patient Department; A minimum of ten deliveries per month shall be conducted. The area required for the Postgraduate teaching department shall be a minimum of twenty-five square metres and Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) out-patient department (attached with examination cum procedure room) shall be a minimum of fifty square metres.

(xiii) (a) Postgraduate Department of Ilmul Atfal (Paediatrics) shall have an exclusive Out-Patient Department for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of sixty patients per day, additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Ilmul Atfal (Paediatrics) In-Patient Department. Immunisation providing facility shall be made available in this department. The space required for the Postgraduate teaching department shall be a minimum of twenty-five square metres and for Ilmul Atfal (Paediatrics) out-patient department shall be a minimum of twenty-five square metres;

(b) the out-patient department shall be provided with paediatric ear-nose-throat kit, caliper for measuring skinfold thickness, tape for measuring mid arm and head circumferences, magnifying lens for skin examination, rectal thermometer, and toys of different colour, shape, illumination and sounds;

(c) demarcated area for breast-feeding adjacent to Ilmul Atfal (Paediatrics) out-patient department shall be made available;

(d) the Neonatal Care room in the hospital shall be functioning under the department of Ilmul atfal. If the Institution is conducting postgraduate program in Amraze Niswan wa Qabalat (Gynaecology and Obstetrics), the neonatal care room attached with labour room which is already existing or functioning in the hospital (as per sub-clause (ii) of clause (c) of subregulation (6) of Regulation 14 specified in NCISM-UG MES Regulations, 2023) shall be upgraded as Neonatal Intensive Care Unit with Facilities such as (i) radiant warmer with open care access with multi-channel monitor, time sensor, heat sensor, oxygen and suction facility and adjustable baby tilt (ii) phototherapy unit with two surfaces expandable to three to four surfaces (iii) infusion pump (two numbers) (iv) facility for intra-venous cannulation, blood sampling, drip infusion (v) continuous positive airway pressure (vi) warm chain box for baby transport etc.

(e) the institution with this Postgraduate Department shall adapt at least two schools with schooling from nursery to tenth standard. The department shall run ‘child development clinic’ to assess health, growth and psychological development periodically. At-least two such assessments shall be done per year with proper health records of the child. The minimum space requirement for child development clinic shall be twenty-five square metres.

(xiv) Postgraduate Department of Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology) shall have an Out-Patient Department (attached with minor therapy or procedure room) for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of sixty patients per day and additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology) In-Patient Department. The space required for the Postgraduate teaching department shall be a minimum of twenty-five square metres and out-patient department shall be a minimum of fifty square metres;

(xv) (a) Every Postgraduate institution irrespective of the Postgraduate programmes being conducted, shall establish the Department of Integrative Health and Translational Research to support, coordinate, monitor and guide dissertation or research activities.

(b) this department shall coordinate guide allotment process, alternate guide arrangement in case of emergencies, research monitoring and the like activities;

(c) the Central Research Laboratory, quality testing laboratory, animal house and animal experimentation laboratory, Clinical Research Cell and plagiarism scrutiny cell as applicable shall function under this department;

(d) research committees such as institutional research committee, institutional ethics committee for human subjects, institutional animal ethics committee and the like shall function under this department;

(e) the Department shall be provided with adequate teaching and non-teaching staff, and seating arrangements and other facilities shall be made available as specified in these regulations;

(f) The minimum area required for this department shall be seventy-five square metres.

(xvi) (a) Every Postgraduate institution shall have a Central Research Laboratory with advance research facilities as per the **Third Schedule** for carrying out various research experiments by Postgraduate students as well as teaching faculty;

(b) the minimum area required for Central Research Laboratory shall be one hundred and fifty square metres and the human resources for Central Research Laboratory shall be made available as specified in these regulations;

(c) faculty member of any department well-versed with laboratory and analytical equipment shall be the in-charge of Central Research Laboratory and it shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and the professor cum head of the Department of Integrative Health and Translational Research shall be the head of Central Research Laboratory.

(xvii) (a) Advanced Quality Testing Laboratory as mentioned in (v) shall be made available in case of Postgraduate programme in Ilmul Advia and Ilmul Saidla;

(b) this laboratory shall fulfil the infrastructure, facilities, equipment, instruments, etc specified under 'B' of the **Schedule-XI** of the NCISM-UG MES Regulations, 2023, along with the instruments and equipment mentioned in the **Fifth Schedule** of these regulations for Postgraduate teaching, training and research;

(c) it shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and the professor cum head of the Department of Integrative Health and Translational Research shall be the head of Quality Testing Laboratory; faculty member of department of Ilmul Advia or Ilmul Saidla shall be the in-charge of quality testing laboratory.

(xviii) (a) Approved Animal House and Animal Experimentation Laboratory shall be made in case of Postgraduate degree programme in the departments of Ilmul Advia (Pharmacology), Ilmul Saidla (Unani Pharmacy), Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) and Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine) and the minimum area required for animal house and animal experimentation laboratory shall be two hundred and fifty square metres;

(b) it shall have proper permission or approval from concerned authorities, and provided with adequate infrastructure, facilities as per the **Fourth Schedule** human resources as specified in these regulations for effective functioning;

(c) Ilmul Advia (Pharmacology), Ilmul Saidla (Unani Pharmacy), Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) and Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine) shall be the in-charge of animal house and animal experimentation laboratory and it shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and the professor cum head of the Department of Integrative Health and Translational Research shall be the head of animal house and animal experimentation laboratory;

(xix) There shall be a Clinical Research Cell in the hospital to coordinate the clinical research activities. The minimum requirement of space for Clinical Research Cell shall be fifty square metres and human resources shall be as mentioned in these regulations. The Unani graduate (B.U.M.S) with postgraduation degree or diploma in clinical research or master's degree in public health shall be the coordinator of Clinical Research Cell. The cell shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and the professor cum head of the Department of Integrative Health and Translational Research shall be the head of Clinical Research Cell;

(xx) There shall be Plagiarism Scrutiny Cell in every Postgraduate institution and this cell shall be provided with computer, printer, internet and suitable software programme for checking plagiarism. A teaching faculty trained in plagiarism checking, nominated by the head of the institution shall be the coordinator of this cell It shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and the professor cum head of the Department of Integrative Health and Translational Research shall be the head of plagiarism scrutiny cell;

(xxi) (a) In case of Postgraduate degree programme in the Department of Mahiyatul Amraz (Pathology) the Postgraduate students may utilise or collaborate with Out-Patient Departments, In-Patient Departments and Diagnostic zone of the hospital for their training and dissertation or research work;

(b) the head of the department of Mahiyatul Amraz (Pathology) or a faculty member from the department of Mahiyatul Amraz (Pathology) designated by the head of the institution shall be authorised to sign and authenticate and interpret diagnostic investigations or tests to the extent of teaching and training in terms of Unani principles

(xxii) The Postgraduate students of Postgraduate degree programme in Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) may utilise or collaborate with Out-Patient Departments, In-Patient Departments, Yoga and Riyazat Section of the hospital for their training, survey and dissertation or research work.

8. Additional Minimum Essential Standard Requirements for Postgraduate Education.-

(1) Postgraduate Classrooms.- There shall be minimum two classrooms (Information and Communication Technologies enabled Smart classrooms) for each Postgraduate programme adjacent to the concerned Postgraduate Department with the constructed area not less than forty square metres each with adequate seating arrangements.

(2) Postgraduate Seminar Halls.- (a) There shall be one seminar hall for each Postgraduate degree programme or specialty having minimum constructed area of eighteen square feet per student with seating capacity of twenty per cent. addition to the total Postgraduate students (i.e., all students of three years of that particular Postgraduate Department or specialty or programme);

(b) one common seminar hall with twenty per cent. additional seating capacity (i.e. minimum six and half square feet per student) to the total strength of Postgraduate students of all three batches of all Postgraduate specialties or programmes of the Unani Postgraduate teaching institution;

(c) Postgraduate seminar halls shall be Information Communication Technology (ICT) enabled with suitable seating arrangements.

(3) Central Library.- (a) Additional seating arrangements as per the Postgraduate student intake capacity (1:2, one seat for every two Postgraduate students of yearly intake capacity) shall be provided in central library;

(b) in addition to total number of books for undergraduate programme, a minimum of two hundred additional books for each Postgraduate Department or programme or specialty shall be made available. These additional books shall be specific to the Postgraduate Department or programme or specialty and shall be kept in separate shelves; there shall be at least ten per cent. of yearly addition of books;

(c) in addition to the journals specified for undergraduate programme, a minimum of four indexed journals specific to the Postgraduate programme or specialty shall be made available in the central library.

(4) Departmental Library.- (a) A minimum of one hundred books shall be made available for each Postgraduate Departmental library;

(b) a Postgraduate Department with multiple Postgraduate programmes shall maintain minimum one hundred books for each Postgraduate programme or specialty.

(5) Digital Library.- (a) Additional computer systems for Postgraduate students in the ratio of 1:5 i.e., one system for five Postgraduate students, in respect of the total annual student intake capacity of all Postgraduate programmes shall be provided;

(b) software or programmes such as Grammarly, plagiarism check, statistical programs, citation or bibliography maker or generator etc. shall be made available in the digital library.

(6) (a) Common room for Postgraduate students with accommodation capacity of minimum twenty per cent. of total annual student intake capacity (for male and female students separately) of all Postgraduate programmes with adequate space, furniture and attached toilet facilities shall be provided;

(b) toilets for female Postgraduate students shall be provided with the facilities of sanitary napkin dispensers and incinerator.

(7) Clinical Skill or Simulation Laboratory.- The department Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology), Ilmul Atfal (Paediatrics), Jarahat (Surgery) Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry), Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) , Mahiyatul Amraz (Pathology) in which Postgraduate programme is conducted and Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) for the post-graduate speciality or Programme of Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology), shall maintain department specific manikins, simulators, and devices additionally as per the **Sixth Schedule** of these regulations in addition to the department specific simulators or manikins as per the **Schedule- XIV** specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2023 for Postgraduate teaching and training.

9. Requirement of Number of Beds, Patient Attendance and Bed Occupancy.- (1) (a) In addition to the number of beds specified for each In-Patient Department mentioned in the NCISM-UG MES Regulations, 2023 for undergraduate training in accordance with student intake capacity, the concerned Postgraduate Department i.e. Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology), Ilmul Atfal (Paediatrics), Jarahat (Surgery) Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry) and Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) shall maintain additional beds in respect of student-bed ratio of 1:4;

(b) the speciality of Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) under the department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine), shall maintain additional beds in respect of students- bed ratio of 1:4 in the In-patient department of Moalajat to admit the patients of Ilmul Samoom.

(2) (a) The minimum annual average bed occupancy in the In-Patient Department of the concerned department i.e. Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology), Ilmul Atfal (Paediatrics), Jarahat (Surgery), Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry), and Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) during the last one calendar year (365 days and 366 days in case of a leap year) shall not be less than sixty percent. In the In-Patient Departments in which a Postgraduate programme is not conducted during the last one calendar year (365 days and 366 days in case of a leap year) shall not be less than forty per cent.;

(b) the speciality of Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) under the department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine), shall have minimum annual average bed occupancy for the patients of Ilmul Samoom (Clinical Toxicology) in the In-Patient Department of Moalajat (excluding the number of beds allotted for the Postgraduate students of Moalajat) during the last one calendar year (365 days and 366 days in case of a leap year) shall not be less than sixty per cent.

(3) The hospital shall maintain the average out-patient attendance in accordance with student intake capacity as per the NCISM-UG MES Regulations, 2023; However, (a) the minimum out-patient attendance in the Postgraduate Out-patient Department in Moalajat (Medicine),Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology), Ilmul Atfal (Paediatrics), Jarahat (Surgery), Amraze Uzn, Anaf wa Halaq (Diseases of Ear, Nose and Throat) and Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) during the last one calendar year (300 days) shall not be less than sixty patients per day;

(b) the minimum out-patient attendance in the Postgraduate Out-Patient Department of Ilmul Samoom (Clinical Toxicology) for the speciality of Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) under Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) department during the last one calendar year (300 days) shall not be less than thirty patients per day;

(c) the minimum daily average out-patient attendance in the Postgraduate Out-Patient Department for the Postgraduate speciality of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) under Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) department of during the last one calendar year (300 days) shall not be less than fifty persons or per day.

10. Minimum Essential Requirement of Human Resources.-

(1) Teaching staff.- (a) (i) there shall be minimum of one professor, one associate professor or reader and one assistant professor or lecturer for each Postgraduate Department or programme or specialty except for the department of Integrative Health and Translational Research and the requirement of teaching staff in Postgraduate Department shall be as per Table below to the clause (g);

(ii) Professor cum Head of the Department may be common for both undergraduate and Postgraduate Department of the concerned subject, provided the professor shall be possessing Postgraduate degree in the concerned subject. In case if the professor of undergraduate department is not possessing Postgraduate degree in concerned subject, an additional professor with Postgraduate qualification and experience as provided in these regulations shall be required for Postgraduate speciality or programme;

(iii) Associate professor or reader, assistant professor or lecturer shall be exclusive for Postgraduate Department in addition to the teaching staff provided for the concerned undergraduate department as laid down in the NCISM-UG MES Regulations, 2023;

(iv) in the event of the availability of more than one professor in a department, the position of head of the department shall be given to each professor for a period of three years on a rotation basis; and

(v) duplication of the faculties between the undergraduate department and the Postgraduate Department of the concerned subject shall not be accepted in any case;

(b) multiple Postgraduate programmes under the same department: each Postgraduate degree programme of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Unani Dietetics Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health) and Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) under the same department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) shall have one Associate Professor or Reader, one Assistant Professor or Lecturer additionally in addition to the teaching staff specified for the concerned undergraduate department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) in NCISM-UG MES Regulations, 2023:

Provided that the Professor cum Head of the Department may be the common for both undergraduate and above-mentioned Postgraduate degree programmes under the Postgraduate Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib provided the Professor shall be possessing Postgraduate degree in the concerned subject. In case, if the Professor of undergraduate department is not possessing Postgraduate degree in the concerned subject, additional Professor with Postgraduate qualification and experience as provided in these regulations shall be required for Postgraduate department. He or she shall be eligible to have only three Postgraduate students every year as per the student-guide ratio in any one of the specialities under the department; for other Postgraduate programmes or speciality in the same department, the institution may have additional Professor to admit the students as per student-guide ratio; as mentioned in these regulations;

(c) in such multiple Postgraduate programme in the same department as mentioned in clause (b) the duplication of teaching staff between Postgraduate programmes under the same department and duplication of the faculties between the undergraduate department and the Postgraduate Department of the same subject shall not be accepted in any case;

(d) the qualification and experience of teaching staff shall be as per regulation 32 in these regulations;

(e) (i) the Department of Integrative Health and Translational Research, shall have one Professor on a full-time, regular basis as shown in **Table** below clause (g) and ones' qualifications and experience shall be as per sub-clause (i) of clause (g) of sub-regulation (2) of regulation 32 specified in these regulations;

(ii) the department shall have additional teaching staff in the subjects of Biochemistry, Pharmacology, Microbiology, Medicinal Botany or Botany and Public Health on a full-time, regular basis as shown in **Table** below to clause (g) and whose qualifications and experience and promotion shall be as per sub-clause (ii) of clause (g) of sub-regulation (2) of regulation 32 specified in these regulations;

(iii) One Bio-statistician shall be appointed on full-time or part-time basis in the Department of Integrative Health and Translational Research as shown in **Table** below to clause (g) and the qualification shall be as per sub-clause (iii) of clause (g) of sub-regulation (2) of regulation 32 specified in these regulations.

(f) in the event of the availability of more than one professor in a department, the position of head of the department shall be given to each professor for the period of three years on rotation basis.

(g) part-time teachers shall attend a minimum of thirty hours per month with at least four hours per visit, preferably on fixed days.

Table

Minimum Essential Requirements of Teaching Staff for Postgraduate departments in Undergraduate College or Institution

[In addition to the teaching staff specified for the undergraduate department as per the student intake capacity in NCISM-UG MES Regulations, 2023 the following requirements also shall be fulfilled]

Sl. No	Postgraduate Department	Minimum Requirement of Teaching Staff		
		Professor cum Head	Associate Professor	Assistant Professor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine)	One	One	One
2	Manafeul Aza (Physiology)	One	One	One
3	Ilmul Advia (Pharmacology)	One	One	One
4	Ilmul Saidla (Unani Pharmacy)	One	One	One
5	Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social medicine)			
	a) Tahaffuzi wa Samaji Tib (Unani Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health)	One	One	One
	b) Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic		One	One

	Medicine and Clinical Toxicology)			
6	Ilmul Atfal (Paediatrics)	One	One	One
7	Moalajat (Medicine)	One	One	One
8	Mahiyatul Amraz (Pathology)	One	One	One
9	Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy)	One	One	One
10	Amraz e Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology)	One	One	One
11	Tashreehul Badan (Anatomy)	One	One	One
12	Jarahat (Surgery)	One	One	One
13	Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry)	One	One	One
14	Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology)	One	One	One
15	Integrative and Translational Research	One	---	Five

Note: 1. Professor cum Head of the Department specified in column (3) shall be the common for both under-graduate and Postgraduate departments in the concerned subject.

2 There shall be a Professor cum Head for the Department of Integrative Health and Translational Research as a teaching faculty.

3. There shall be a minimum of five Assistant Professors in the Department of Integrative Health and Translational Research (each one from Biochemistry, Microbiology, Medicinal Botany or Botany, Pharmacology and Public Health) as teaching faculties as full-time, regular basis.

4. The Department of Integrative Health and Translational Research shall have one Biostatistician on full-time or part-time basis.

5. Professor of Practice shall be appointed in each Postgraduate Department or specialty or programme as per clause (a) & (b) of sub-regulation (2) of regulation 4 and the qualification shall be as per the **Seventh Schedule**, and they shall not be provided with teacher's code by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System of Medicine.

(2) Non-Teaching including Technical and Other Staff.- (a) each institution shall provide non-teaching staff additionally in the concerned department in which Postgraduate programmes are conducted as shown in **Table** below to clause (c);

(b) their qualification and experience for non-teaching staff shall be as per the Schedule-VI of the NCISM-UG MES Regulations, 2023;

(c) the minimum requirement of staff for department of Integrative Health and Translational Research, the Central Research Laboratory, Animal Experimentation Laboratory and Animal House, Clinical Research Cell and Internal Quality Assurance Cell shall be as per the below **Table**.

Table

Minimum Essential Requirements of Non-Teaching Staff for Postgraduate departments in Undergraduate College or Institution

[In addition to the non-teaching staff specified for the undergraduate department as per the student intake capacity in the NCISM-UG MES Regulations, 2023, the following requirements also shall be fulfilled]

Sl. No	Department or Section or Unit and Required Non-Teaching Staff	Required Numbers
(1)	**(2)**	**(3)**
I	**Postgraduate Departments**	
1	**Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine)**	
	Multi-tasking staff (with minimum 10th standard)	One
2	**Tashreehul Badan (Anatomy)**	
	Multi-tasking staff	One
3	**Manafeul Aza (Physiology)**	
	Multi-tasking staff	One
4	**Ilmul Advia (Pharmacology)**	
	Multi-tasking staff	One
	a) Ilmul Advia Practical Laboratory	
	Lab Technician (with bachelor's degree in biology or botany)	One
	b) Wasful Aqaqir (Pharmacognosy) Laboratory	
	Lab Attendant	One
	c) Phytochemistry Laboratory	
	Lab in-charge (with master's degree in phytochemistry)	One
	Lab Technician (with bachelor's degree in phytochemistry)	One

	Lab Attendant	One
5	**Ilmul Saidla (Unani Pharmacy)**	
	Multi-tasking staff	One
6	**Mahiyatul Amraz (Pathology)**	
	Multi-tasking staff	One
	a) Mahiyatul Amraz Practical laboratory for Pathology and Microbiology	
	Lab Technician	One
	b) Microbiology Practical Laboratory	
	Lab Technician	One
	c) Molecular Biology Laboratory	
	Lab in-charge (with master's degree in molecular biology)	One
	Lab Technician (with bachelor's degree in molecular biology or biology)	One
	Lab Attendant	One
7	**Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine)**	
	Multi-tasking staff	One
	b) Nutrition Laboratory	
	Lab in-charge (with master's degree in nutrition and dietetics)	One
	c) Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) Practical Laboratory	
	Lab Assistant	One
	Lab Attendant	One
8	**Moalajat (Medicine)**	One multi-tasking staff for each Postgraduate Department
9	**Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy)**	
10	**Jarahat (Surgery)**	
11	**Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry)**	
12	**Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology)**	
13	**Ilmul Atfal (Paediatrics)**	
14	**Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology)**	
15	**Integrative and Translational Research**	
	Clerical staff (graduate with computer knowledge)	Two
	Multi-tasking staff (with minimum 10th standard)	One
	Quality Testing Laboratory	
	In-Charge (Faculty member of Ilmul Advia and Ilmul Saidla)	One
	Clerical staff	One
	Central Research Laboratory	
	In-charge (Faculty member of any department, well-versed with laboratory and analytical equipment)	One
	Lab Technician (B.Sc Chemistry or B.Sc Botany)	One
	Lab Attendant	One
	Animal House and Animal Experimentation Laboratory	
	In-charge (Faculty member of Department of Ilmul Advia and Ilmul Saidla)	One
	Lab Technician (B.Sc Zoology)	One
	Animal House and Lab Attendant	One
	Clinical Research Cell	
	Clinical Research Coordinator (BUMS degree with Postgraduation or Diploma in Clinical Research or Master of Public Health)	One
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
II	**Internal Quality Assurance Cell**	
	Coordinator (with MBA in quality management)	One
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One

Note: 1. Additional staff like sweeper, attendant, lifter, data entry operator, security guards, electrician, plumber, carpenter, driver, multi-tasking staff, etc may be appointed by outsourcing based on the requirement.

2. Skilled professionals trained by any of the skill development agency under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship shall be given preference to the extent of availability while appointing the non-teaching staff.

(3) Hospital Staff: For additional beds increased for Postgraduate programme and specific units in the hospital, additional staff as shown in **Table** below shall be maintained.

Table

Minimum Essential Requirements of Hospital Staff

[In addition to the hospital staff specified for undergraduate institution as per student intake capacity in the NCISM-UG MES Regulations, 2023]

Sl. No	Required Staff	Required Numbers
(1)	(2)	(3)
1	Nursing staff	One for every ten beds in in-patient departments; Two nurses for Qabalat wa Niswan Operation Theatre; One nurse for each Intensive Care Unit (ICU) bed in Moalajat Department; and 2 nurses for Neonatal Intensive Care Unit in Ilmul Atfal Department.
2	Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor	One for every twenty beds
3	Ayah	One for every twenty beds

Note: 1. Nursing staff numbers may be increased as per the shift in a day.
2. Number of therapists may be increased in accordance with number of patients for Ilaj bit tadabeer.
3. Paediatric therapist, occupational therapist and speech therapist may be appointed on a part-time basis for Department of Ilmul Atfal.
4. Postgraduate students may be appointed as clinical registrar or senior resident or resident doctor, provided the students shall be paid stipend or salary.
5. Security guards, electrician, plumber, sanitation workers, washer man, gardener, driver, housekeeping staff, cook, maintenance staff, multipurpose worker, if additionally needed, may be obtained by out-sourcing.
6. Skilled professionals trained by any of the skill development agency under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship shall be given preference to the extent of availability while appointing the hospital staff.

11. The timeline to comply additional minimum essential standard requirements by Postgraduate institutions or departments established before notification of these regulations.- (1) Separate Postgraduate departments shall be established in the departments in which Postgraduate programmes are conducted within twelve months period from the date of notification of these regulations.

(2) The timeline to comply additional requirements by Postgraduate institutions or departments established before notification of these regulations as per the **Table** below.-

Table

Timeline to comply with additional minimum essential standards requirements by the Postgraduate institutions (where undergraduate programme is in existence) established before notification of these regulations.

Sl. No	Standard or Unit or Section or Facility	Timeline (From the date of notification of these regulations in the official Gazette)
(1)	(2)	(3)
1	Phytochemistry laboratory (Department of Ilmul Advia)	Twelve months
2	Green House (Department of Ilmul Advia)	Eighteen months
3	Molecular Biology Laboratory and additional facilities to carry out Immunology and Histopathology tests in the Mahiyatul Amraz (Pathology) Practical Laboratory (Department of Mahiyatul Amraz)	Twelve months
4	Advanced poison detection facility (Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib)	Twelve months
5	Postgraduate Department wise Seminar halls and common Seminar hall	Eighteen months
6	Central library requirements for Postgraduate students and Departmental library	Six months

	requirements	
7	Digital library facilities for Postgraduate students	Eighteen months
8	Postgraduate Department specific additional requirements in Clinical Skill or Simulation laboratory	Eighteen months
9	Common room for Postgraduate students (boys and girls separately)	Eighteen months
10	Common room for Postgraduate students (boys and girls separately)	Eighteen months
11	Clinical Skill or Simulation Laboratory (Postgraduate Department requirements)	Eighteen months
12	Department of Integrative Health and Translational Research	Twelve months
13	Facilities in Central Research Laboratory	Immediate
14	Additional instruments and equipments in Quality Testing Laboratory for Postgraduate teaching, training, and research	Immediate
15	Facilities in Animal House and Animal Experimentation Laboratory	Eighteen months
16	Clinical Research Cell with all facilities	Eighteen months
17	Plagiarism Scrutiny Cell with all facilities	Six months
18	Attached therapy/ procedure room in Postgraduate out-patient departments as applicable	Six months
19	Neonatal Intensive Care Unit, Child Development Clinic (Department of Ilmul Atfal)	Eighteen months
20	Construction (building infrastructure)	Eighteen months
21	Department wise equipment and instruments for Postgraduate teaching in which Postgraduate programme are conducted	Six months
22	Human resources	Twelve months

Note: 1. The above-mentioned timelines are for developing physical infrastructure and acquiring equipment and instruments. However, the constitution of committees and functions of various units or cells shall be started within a month.

2. All other new standards or additions or expansions prescribed in this regulation for Postgraduate education, teaching, training, and research (as applicable) shall be fulfilled.

3. All other new standards or additions or expansions specified for campus, college, hospital in the NCISM-UG MES Regulations, 2023 in accordance with student intake capacity shall be fulfilled as per the timeline provided in the said regulations including building infrastructure.

(3) The timeline provided in sub-regulation (1) and (2) is the maximum and no relaxation shall be given thereafter.

CHAPTER-V

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS FOR STANDALONE POSTGRADUATE INSTITUTIONS

12. Land Requirement.- (1) The requirement of land shall be a minimum five acres. In the case of specific categories of land, such as Tier I and II cities (X and Y categories), North-Eastern States, hilly areas and notified tribal areas, the minimum requirement of land shall not be less than three and a half acres and in such case, the institution shall have a certificate obtained from the concerned local authorities to establish the specific category of land as a proof.

(2) The land shall be on one piece of land or plot. If the plot is separated by a road or canal or rivulet but connected with a bridge, shall be treated as one piece of land.

(3) The designated land for a standalone Postgraduate institution, its attached teaching hospital and hostels shall be clearly demarcated and should not be used for any other purpose other than activities of standalone Postgraduate institution.

(4) The land shall be owned by the institution on lease, in the name of the institution, for a period not less than thirty years or the maximum permissible period as per rules or regulations of the respective State Government or Union territory Administration and the renewal of lease shall, however, be required on expiry of lease.

(5) In case of institutions having Lease agreement for land, the institute shall not be granted permission for admission for the last three years of Lease period unless the institute submit a notarised affidavit every year mentioning the lease shall be renewed before the expiry of the lease and subsequently submit the renewed lease agreement before expiry of lease period.

13. The Campus in General.-(1)The campus designated for standalone Postgraduate institution and attached teaching hospital shall have proper approach road, well-constructed compound wall with proper arrangements for security.

(2) The campus designated for standalone Postgraduate institution shall accommodate, -

(a) Administration zone;

(b) Academic zone;

(c) Clinical zone; and

(d) Experimentation zone.

(3) For administration purposes, the campus is divided into the above-mentioned zones.

(4) The institution and hospital shall be constructed in separate buildings with its departments, and ancillary units and sections with adequate infrastructure, human resources, and facilities as specified in these regulations.

(5) Each standalone Postgraduate institution shall have attached with fully functional sixty bedded hospital having National Accreditation Board for Hospitals Accreditation (at least entry level) and shall fulfil all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources, functionality, facilities including equipment and instruments etc. specified for sixty bedded teaching hospital (for sixty students intake capacity) attached to the college or institution in NCISM-UG MES Regulations, 2023. If any Postgraduate Department or specialty fails to maintain the minimum essential standards as specified in these regulations, the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall deny permission or take measures as per the clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act. against the concerned Postgraduate degree programme or specialty.

(6) All the buildings shall have all relevant permissions from concerned authorities.

(7) There shall be fire safety, sewage treatment plan, pollution control facilities, disaster management measures, bio-medical waste management etc. with proper permission from concerned authorities as per extant norms.

(8) Institution must provide a barrier free environment for the independence, convenience, and safety of the physically challenged persons.

(9) The campus shall have an appropriate layout plan for free vehicular movement and demarcated parking area.

(10) The parking area shall be labeled or marked for higher officials, employees, and students.

(11) The campus shall have adequate water supply, proper drainage system, and electricity supply including power back-up system.

(12) There shall be a central workshop or maintenance cell in the campus, equipped suitably as per the requirements of the college or institution, along with appropriate technical staff or outsourced staff for the maintenance-related works in areas such as electrical, plumbing, carpentry, sanitary, civil works, water supply, waste management, drainage, housekeeping, and other matters.

(13) The institution shall maintain the following as specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2023,-

(a) official contact details;

(b) official bank accounts;

(c) information technology (IT) infrastructure;

(d) biometric attendance system; and

(e) institution website

(14) The institution shall install and maintain all online systems specified by the commission and shall align or interface to the online systems of the commission as provided in (a), (b) and (c) of sub-regulation (4) of regulation 4 of these regulations.

14. Minimum Essential Standard Requirements Zone-Wise.-(1) **Administration Zone.-** (a) The minimum area required for administration zone is two hundred square metres. This zone shall accommodate sub-units such as office of the head of the institution including anteroom and attached toilet, office of the personal assistant, office of the institution (establishment, accounts and cash) etc., staff committee or college council room, waiting room for visitors to the head of the institution and office separately, central store, record room, pantry, toilets etc., as shown in the **Table** below;

Table

Minimum Requirement of Space for Administrative Zone in Standalone Postgraduate institution

Sl. No	Units or Sections	Minimum Required Area in Sq.Mt.
(1)	**(2)**	**(3)**
1	Head of the Postgraduate institution (Director or Dean or Principal) Office including anteroom and attached toilet	50
2	Personal Assistant to head of the institution	10
3	Staff committee or meeting room/College council meeting room	30
4	Visitors longue for visitors to head of the institution	10
5	College Office (seating arrangement to superintendent, clerical staff, accountants, cashier, record room & visitors lounge for office visitors)	55
6	Pantry	05
7	Central store	30
8	Toilet for office staff	10
	Total	**200**

(b) Human Resources.- the administration section shall be provided with an adequate number of staff as per the **Table** below with the qualifications and experience mentioned in the Schedule -VI of the NCISM-UG MES Regulations, 2023.

Table
Minimum Essential Requirements of Non-Teaching staff in Administration Zone in Standalone Postgraduate institution

Sl. No	Required Non-Teaching Staff	Required Numbers
(1)	**(2)**	**(3)**
1	Personal Assistant or Personal Secretary for the Head of the Institution	One
2	Office Superintendent	One
3	Clerical staff (Establishment, Accounts and Cash)	Three
4	Attendant or Multi-tasking staff	Two

Note:- 1. Non-teaching staff prescribed above for administration zone is minimum, however the institution may appoint more number of staff as per requirement

2. Skilled professionals trained by any of the skill development agency under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship shall be given preference to the extent of availability while appointing the non-teaching staff

(2) **Academic Zone.-** (a) Academic zone is comprising of Postgraduate departments and their associated units including department specific laboratories and departmental library, classrooms, seminar halls, multi-purpose hall (for conducting various programmes, conference, examination, etc), central library, digital library, clinical skill or simulation laboratory, human resource and development cell, pharmacovigilance cell room, college council room, student support and guidance cell including career guidance and placement cell room, common rooms for Postgraduate students and teaching staff, facilities for extra-curricular activities, student amenities, and teaching staff amenities, herbal garden, hostel and canteen;

(b) those departments in which Postgraduate programmes are conducted shall be established with their associated units or sections as mentioned in the **Table** below to clause (d);

(c) the department of Integrative Health and Translational Research is the mandatory department and it shall be established in every standalone Postgraduate institutions; this department shall function as per clause (xv) of regulation 7 in these regulations and shall have teaching staff as per **Table** below to sub-clause (vi) and non-teaching staff as per **Table** below to sub-clause (vii) of clause (u) of sub-regulation (2) of regulation 14;

(d) (i) seating arrangements, and other facilities for staffs in each Postgraduate Department shall be as mentioned in the sub-regulation (5) of regulation 4 in these regulations;

(ii) the minimum constructed area required for each Postgraduate Department and their associated units are as shown in **Table** below:—

Table

Department wise Requirement of Minimum Constructed Area in Standalone Postgraduate institution

Sl. No	Departments and Specifications	Minimum Constructed Area in Sq. Mt
(1)	(2)	(3)
1	Department of Integrative Health and Translational Research	75
2	Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine) Department with a. Kulliyat Umoore Tabiya Practical Laboratory cum Tutorial Room b. Museum cum tutorial room c. Advanced Language laboratory	150
3	Tashreehul Badan (Anatomy)Department with a. Dissection Hall (with embalming room, cadaver storage tank or freezer, adequate ventilation and exhaust facility, hand wash facility) b. Practical Laboratory c. Virtual dissection table and e-dissection software d. Museum cum tutorial room	175
4	Manafeul Aza (Physiology) Department with Manafeul Aza Practical Laboratory for Physiology and Biochemistry	125
5	Ilmul Advia (Pharmacology) Department with a. Ilmul Advia (Pharmacology) Practical Laboratory b Wasful Aqaqir (Pharmacognosy) Practical Laboratory c. Phytochemistry Laboratory d. Herbarium cum Museum cum tutorial room e. Green house f. Advanced Quality Testing Laboratory	300
6	Ilmul Saidla (Unani Pharmacy) Department with a. Ilmul Saidla (Unani Pharmacy) Practical Laboratory or Teaching Pharmacy b. Quality Testing Laboratory (with advanced facilities) c. Museum cum tutorial room	250
7	Mahiyatul Amraz (Pathology) Department with a. Mahiyatul Amraz Practical Laboratory for Pathology and Microbiology b. Molecular Biology Laboratory c. Museum cum tutorial room	175
8	Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) Department	
	a. Tahaffuzi wa Samaji Tib (Unani Dietetics,,Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health) (i) Tahaffuzi wa Samaji Tib Practical Laboratory, (ii) Nutrition Laboratory (with advanced facilities) (iii) Museum cum tutorial room	150
	b. Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) (i) Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom Practical Laboratory with advanced Poison Testing facilities (ii) Museum cum tutorial room	100
9	Moalajat (Medicine) Department with Museum	75
10	Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) Department with Museum cum tutorial room	75
11	Jarahat (Surgery) Department with Museum cum tutorial room	75
12	Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Opthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry) Department with Museum cum tutorial room	75
13	Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology) Department with Museum cum tutorial room	75
14	Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) Department with Museum cum tutorial room	75
15	Ilmul Atfal (Paediatrics) Department with Museum cum tutorial room	75
16	Herbal Garden with 250 species of herbs labelled with Quick Response (QR) codes	2500

Note: 1.The department requirements including departmental library, computer, printer, internet facility, electronic display facilities, seating arrangements for teaching staff etc., shall be as per sub-regulation (5) of regulation 4,

2.The list of instruments, equipment, chemical, reagents etc. in the laboratories and specimens etc. in museums of the concerned department shall be as per the concerned schedules specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2023 in accordance with Postgraduate seats in the concerned specialty or department.

3. Instruments, equipment, and other facilities as mentioned under clauses (i), (ii), (iii), (iv) and (v) of regulation 7 in these regulations shall be fulfilled in the concerned Postgraduate Department or specialty additionally.

4. Instruments, equipment, chemicals, and reagents etc. shall be made available in the Phytochemistry Laboratory and Molecular Biology Laboratory as per the **First Schedule** and the **Second Schedule** respectively.

5. Tahaffuzi wa Samaji Tib Department shall have an exclusive departmental vehicle for field visits.

6. The Quality Testing Laboratory comes under Experimentation Zone shall be a common facility for both Ilmul Advia (Pharmacology) and Ilmul Saidla Postgraduate programmes and it shall be functioning under the Department of Integrative Health and Translational Research.

7. Mahiyatul Amraz (Pathology) Practical laboratory shall provide the facilities to carryout immunology and histopathology tests for Postgraduate teaching, training and research.

8. Every standalone Postgraduate institution irrespective of Postgraduate programmes being conducted, shall establish the Department of Integrative Health and Translational Research and function as per clause (xv) of regulation 7 in these regulations.

(e) Classrooms: there shall be minimum two classrooms for each Postgraduate programme or specialty as per the specifications mentioned under the sub-regulation (1) of regulation 8 in these regulations;

(f) Seminar Halls: each standalone Postgraduate institution shall have Postgraduate degree programme or specialty wise seminar hall and common seminar hall as per the specifications mentioned under the sub-regulation (2) of regulation 8 in these regulations;

(g) Central Library.- (i) the area of the central library shall not be less than one hundred and fifty square metres, and the minimum number of books, journals and other specifications, requirements, library functioning, and facilities in the central library shall be as specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2023, mentioned for sixty student intake capacity;

(ii) seating arrangements for the Postgraduate students shall be as per Postgraduate student intake capacity (1:2, one seat for every two Postgraduate students of yearly intake capacity) shall be provided in central library;

(iii) the number of books and journals required for each Postgraduate Department or programme, or specialty shall be as per clause (b) and (c) of sub-regulation (3) of regulation 8 in these regulations;

(h) Departmental Library: the number of books maintained shall be as per the specifications mentioned in clause (a) and (b) of sub-regulation (4) of regulation 8 in these regulations;

(i) Digital Library.- digital library shall have the total constructed area not less than forty square metres and computer systems for Postgraduate students in the ratio of 1:5 that is, one computer system for five students in respect of total annual student intake capacity of all Postgraduate programmes shall be provided. Software or programmes such as Grammarly, plagiarism check, statistical programmes, citation or bibliography maker or generator etc. shall be made available in the digital library.

(j) Examination or Multipurpose or Yoga and Riyazat Hall.- a large hall of having area of two square metres per Postgraduate student (twenty per cent. additional to the total Postgraduate students of three years), with appropriate seating arrangement shall be made available. This multi-purpose hall shall be used for conduction of functions, meetings, seminars, conferences, examinations, yoga and riyazat training etc. It shall be provided with audio-visual facility, closed -circuit television and toilet facility.

(k) each Postgraduate institution shall have a Clinical Skill or Simulation Laboratory for the departments viz. Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology), Ilmul Atfal (Paediatrics), Jarahat (Surgery), Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry) and Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology), Mahiyatul Amraz (Pathology) in which Postgraduate programme is conducted and Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) for the post-graduate speciality or Programme of Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic

Medicine and Clinical Toxicology) (as applicable) with a minimum area of forty square metres each and provided with the department specific medical manikins or simulators as per the Schedule- XIV specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2023 along with department specific simulators or manikins as prescribed in the **Sixth Schedule** of these regulations for Postgraduate level training;

(l) Facility for Co and Extra-curricular Activities.- Adequate facilities shall be provided by the institution for conduction of co-curricular and extra-curricular activities as under, namely:-

(i) physical educational facility;

(ii) recreational facility;

(iii) club activities such fine-arts club, sports club, science club, language club, journal club, photography club, animal lovers club and other clubs as per the requirement.

(m) Student amenities.- (i) facilities like transportation, Bank or Automated Teller Machine, playground (indoor and outdoor games), gymnasium or fitness centre, stationery store, cafeteria etc. are to be made available;

(ii) adequate number of toilets at appropriate and easily accessible places separately for male and female students shall be provided;

(iii) sanitary napkin dispenser and incinerator shall be provided in female toilets.

(n) (i) common room with accommodation capacity of minimum twenty per cent. of total annual student intake capacity (for male and female students separately) with adequate area, furniture and attached toilet facilities shall be provided;

(ii) toilets for female Postgraduate students shall be provided with the facilities of sanitary napkin dispensers and incinerator.

(o) Hostels.- there shall be a hostel for girls and boys separately (preferably single accommodation) with attached bath and toilet facility along with a mess facility within the campus provided with adequate furniture, reading room, recreational facility, room attached bath and toilet facility and security services.

(p) Staff Amenities.- (i) two common rooms for teaching staff one for males and one for females separately, shall be provided with adequate space furniture, seating arrangements, attached toilets, drinking water and refreshment facilities;

(ii) adequate number of toilets at appropriate and easily accessible places separately for teaching staff (male and female separately) for non-teaching staff (male and female separately) shall be provided in each floor of the building;

(iii) sanitary napkin dispenser and incinerator shall be provided in female toilets.

(q) Canteen.- a canteen facility shall be made available with adequate space and sitting arrangements in accordance with total student strength of the institution.

(r) Herbal Garden.- each institution shall establish herbal garden with area of two thousand and five hundred square metres within the institution campus and shall accommodate two hundred and fifty medicinal plant species labelled with Quick Response Codes.

(s) Closed-Circuit Television.- closed-circuit television shall be installed at biometric attendance system area, classrooms, library, digital library, practical laboratories, clinical skill or simulation laboratory, corridors, multi-purpose hall and other areas as per the requirement of the institution.

(t) Other requirements.- (i) Human Resource Development Cell.- it shall be established in each institution and shall function as per the specifications prescribed in the NCISM-UG MES Regulations, 2023. The area required for the Human Resource Development Cell shall not be less than a minimum of fifty square metres.

(ii) Pharmacovigilance Cell.- each institution shall have a pharmacovigilance Cell with a minimum of thirty square meters of space for a pharmacovigilance room. This cell will function in association with the Regional or National or Central Pharmacovigilance cell. The institution shall develop policies and procedures on the constitution of the pharmacovigilance cell and its function.

(iii) College Council.- the college council shall be established and function as per the specifications prescribed in the NCISM-UG MES Regulations, 2023. The space for the college council room shall be a minimum of thirty square metres with adequate seating arrangements and records-keeping facilities.

(iv) Student Support and Guidance Cell, Career Guidance and Placement Cell - each institution shall have a Student Support and Guidance Cell, Career Guidance and Placement Cell to support, guide, and encourage the students in academic, scholastic, social, emotional, personal, and career developments. It shall be

constituted and functioned as per the university guidelines; if such guidelines are not available, it shall be constituted and functioned as per the institution policy and procedures. The room for the Student Support and Guidance Cell shall be provided with space not less than thirty square metres with proper seating arrangements, a record-keeping facility, and other related facilities.

(v) Grievance Redressal Cell.- each institution shall have a Grievance Redressal Cell to address the grievances of the students. The committee shall be constituted and functioned as per the institution's policies and procedures. The room allotted for the Student Support and Guidance Cell can be utilised by the Grievance Redressal Cell for their meetings and maintaining related records.

(vi) Committee Against Sexual Harassment.- each institution shall have an Internal Complaint Committee Against Sexual Harassment constituted and functioning as per the institution's policies and procedures for the creation of a safe, equitable, and inclusive campus environment. The committee shall create awareness about sexual harassment and shall deal with complaints or grievances pertaining to sexual harassment, sexual misconduct, and sexual assault committed by the students, staff, and visitors on campus. It is the responsibility of the committee to ensure that the confidential procedures are followed. The room allotted for the Student Support and Guidance Cell can be utilised by the Committee Against Sexual Harassment for their meetings and maintaining related records.

(vii) Internal Quality Assurance Cell.- each institution shall have an Internal Quality Assurance Cell for planning, guiding, and monitoring quality assurance and quality enhancement activities of the institution. The constitution and function of the cell shall be as per the specifications mentioned in the NCISM-UG MES Regulations, 2023 as applicable. A room with a minimum space of thirty square metres with proper seating arrangements, and record-keeping facilities shall be provided;

(viii) Anti-Ragging Committee and Anti-Ragging Squad: (A) To curb the menace of ragging, it is mandatory for the college or institution to constitute an Anti-Ragging Committee and an Anti-Ragging Squad as per the University Grants Commission Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions Regulations, 2009 for vigilant monitoring and ensuring a safe environment for the freshers;

(B) the duties and responsibilities of the anti-ragging committee and squad, measures to be taken by the institution for prohibition and prevention of ragging, monitoring, and counselling mechanisms, complaining and reporting procedures, punishments, consequences in case of non-compliance etc, shall be as per the regulations as mentioned in (A) and related guidelines, circulars, communications as specified by University Grants Commission and the Commission from time to time.

(ix) There shall be a Plagiarism Scrutiny Cell in every standalone Postgraduate institution and the minimum space requirement, human resources, facilities and functionality shall be as per the clause (xx) of regulation 7 in these regulations.

(u) Minimum Requirement of Teaching Staff.- (i) the department in which Postgraduate programme is conducted shall have minimum three teaching faculties: one Professor, one Associate Professor or Reader and one Assistant Professor or Lecturer as shown in **Table** below to sub-clause (vi). The qualification and experience of teaching staff shall be as per regulation 32 in these regulations;

(ii) multiple Postgraduate programme under the same department.- in case of multiple Postgraduate degree programme viz. Tahaffuzi wa Samaji Tib (Unani Dietetics Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health) and Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) under the same department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social medicine) each Postgraduate specialty or programme shall have one Professor, one Associate Professor or Reader, one Assistant Professor or Lecturer. One among two professors shall be the head of the Postgraduate Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social medicine);

(iii) if multiple Postgraduate programmes are conducted in the same department and in such case, the interchange or duplication of teaching staff between Postgraduate programmes under the same department shall not be permitted;

(iv) in the event of the availability of more than one professor in a department, the position of head of the department shall be given to each professor for three years on a rotation basis;

(v) (A) the Department of Integrative Health and Translational Research shall have one Professor and the qualification and experience shall be as per sub-clause (i) of clause (g) of sub-regulation (2) of regulation 32 specified in these regulations;

(B) the department shall have additional teaching staff in the subjects of Biochemistry, Pharmacology, Microbiology, Medicinal Botany or Botany and Public Health shall be appointed on a full-time, regular basis, as shown in **Table** below to sub-clause (vi). and whose qualifications, experience and promotion

shall be as per sub-clause (ii) of clause (g) of sub-regulation (2) of re gulation 32 laid down in these regulations;

(C) one Biostatistician shall be appointed on full-time or part-time basis in the Department of Integrative Health and Translational Research and the qualification and experience shall be as per sub-clause (iii) of clause (g) of sub-regulation (2) of regulation 32 in these regulations;

(vi) one Yoga teacher with the qualification and experience as mentioned in clause (f) of sub-regulation (2) of regulation 32 in these regulations shall be appointed in each standalone Postgraduate institution on a full-time basis. He or she shall work under the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social medicine) in the hospital. If the specific department or specialty is not available in the standalone Postgraduate institution, the yoga teacher shall work under Department of Integrative Health and Translation Research and extend his/her service in the academic zone as well as in the clinical zone wherever required.

Table

Minimum Essential Requirements of Teaching Staff for Departments in Standalone Postgraduate institution

Sl. No	Postgraduate Department or Specialty	Minimum Requirement of Teaching Staff		
		Professor and Head	Associate Professor	Assistant Professor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine)	One	One	One
2	Manafeul Aza (Physiology)	One	One	One
3	Ilmul Advia (Pharmacology)	One	One	One
4	Ilmul Saidla (Unani Pharmacy)	One	One	One
5	Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social medicine)			
	a. Tahaffuzi wa Samaji Tib (Unani Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health)	One	One	One
	b. Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology)	One	One	One
6	Ilmul Atfal (Paediatrics)	One	One	One
7	Moalajat (Medicine)	One	One	One
8	Mahiyatul Amraz (Pathology)	One	One	One
9	Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy)	One	One	One
10	Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology)	One	One	One
11	Tashreehul Badan (Anatomy)	One	One	One
12	Jarahat (Surgery)	One	One	One
13	Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry)	One	One	One
14	Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology)	One	One	One
15	Integrative and Translational Research	One	---	Five

Note: 1. One among the professors of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) and Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) shall be the Head of the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine). as per sub-clauses (ii) and (iv) of clause (u) of sub-regulation (2) of regulation 14 of these regulations.

2. There shall be minimum five Assistant Professors in the Department of Integrative Health and Translational Research (each one from Biochemistry, Microbiology, Medicinal Botany or Botany, Pharmacology and Public Health) on full-time, regular basis.

3.One Biostatistician on full-time or part-time basis shall be appointed in the Department of Integrative Health and Translational Research

4. One Yoga instructor or teacher on a full-time basis shall be appointed and shall as per sub-clause (vi) of clause (u) of sub-regulation (2) of regulation 14 of these regulations .

5. Professor of practice shall be appointed in each Postgraduate Department or specialty or programme as per clause (a) of sub-regulation (2) of regulation 4 and the qualification shall be as per the **Seventh Schedule**, and they shall not be provided with teacher's code by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System of Medicine.

6. In-case, the institute is not conducting the Postgraduate programmes in the department of Tashreehul Badan (Anatomy), Ilmul Advia (Pharmacology)and Ilmul Saidla (Unani Pharmacy), the teacher in the aforesaid concerned subjects on part-time basis may be appointed under the Department of Integrative Health and Translational Research.

(vii) Minimum Requirement of Non-Teaching Including Technical and other Staff: Minimum requirement of non-teaching staff shall be as per the **Table** below. Their qualification and experience shall be as per the Schedule-VI of the NCISM-UG MES Regulations, 2023.

Table

Minimum Essential Requirements of Non-Teaching Staff for Postgraduate departments in Standalone Postgraduate institution

Sl. No	Postgraduate Department/ Section/Unit and Required Non-Teaching Staff	Required Numbers
(1)	(2)	(3)
I	**Postgraduate Departments**	
1	Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine)	
	Clerical staff	One
	Muti-tasking staff (minimum 10th standard)	One
2	Tashreehul Badan (Anatomy)	
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
	Tashreehul Badan (Anatomy) Practical laboratory	
	Cadaver Lifter	One
	Lab Assistant	One
	Lab Attendant cum Museum keeper	One
3	Manafeul Aza (Physiology)	
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
	Manafeul Aza Practical Laboratory for Physiology and Biochemistry	
	Lab Technician	One
	Lab Attendant	One
4	Ilmul Advia (Pharmacology)	
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
	a) Ilmul Advia Practical Laboratory	
	Lab Instructor (Graduation-BUMS)	One
	Lab Assistant	One
	Lab Attendant cum Museum keeper	One
	b) Wasful Aqaqir (Pharmacognosy) Laboratory	
	Lab Assistant	One
	Lab Attendant cum Herbarium and Museum Keeper	One
	c) Phytochemistry Laboratory	
	Lab in-charge (with master's degree in phytochemistry)	One
	Lab Technician (with bachelor's degree in phytochemistry)	One
	Lab Attendant	One
5	Ilmul Saidla (Unani Pharmacy)	
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
	a) Ilmul Saidla Practical Laboratory (Teaching Pharmacy)	
	Lab Instructor (Graduation-BUMS)	One
	Lab Assistant	One
	Lab Attendant cum Museum keeper	One

6	Mahiyatul Amraz (Pathology)	
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
	a) Mahiyatul Amraz Practical laboratory for Pathology and Microbiology	
	Lab Technician	One
	Lab Attendant	One
	b) Molecular Biology Laboratory	
	Lab in-charge (with master's degree in molecular biology)	One
	Lab Technician (with bachelor's degree in molecular biology or biology)	One
	Lab Attendant	One
7	Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine)	
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
	a) Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) Practical Laboratory	
	b) Nutrition Laboratory	
	Lab in-charge (with master's degree in nutrition and dietetics)	One
	Lab Technician	One
	Lab Attendant cum Museum Keeper	One
	c) Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology)	
	Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) Practical Laboratory	
	Lab Technician (graduation in chemistry)	One
	Lab Attendant cum Museum Keeper	One
8	Moalajat (Medicine)	One Clerical staff, One Multi-tasking staff for each Postgraduate Department
9	Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy)	
10	Jarahat (Surgery)	
11	Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry)	
12	Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology)	
13	Ilmul Atfal (Paediatrics)	
14	Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology)	
15	Integrative and Translational Research	
	Clerical staff	Two
	Multi-tasking staff	One
	Central Research Laboratory	
	In-charge (Faculty member of any department, well-versed with laboratory and analytical equipment)	One
	Lab Technician (B.Sc Chemistry or B.Sc Botany)	One
	Lab Attendant	One
	Quality Testing Laboratory	
	In-Charge (Faculty member of Ilmul Advia or Ilmul Saidla)	One
	Analytical chemist (B.Pharm)	One
	Pharmacognosist	One
	Lab Attendant	One
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
	Animal House and Animal Experimentation Laboratory	
	In-charge (Faculty member of Department of Ilmul Advia or Ilmul Saidla)	One
	Lab Technician (B.Sc Zoology)	One
	Animal house and Experimentation Lab Attendant	One
	Clinical Research Cell	
	Clinical Research Coordinator (BUMS degree with Postgraduation or Diploma in Clinical Research or Master of Public Health)	One
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
II	**Central Library**	
	Librarian	One
	Assistant Librarian	One
	Library Attendant	One
III	**Herbal Garden**	
	Gardener	One

	Multi-Purpose Worker	Two
IV	**Clinical Skill/Simulation Laboratory**	
	Coordinator	One
	Clerical staff (Graduation with computer knowledge)	One
	Lab Attendant	One
V	**Human Resources and Development Cell**	
	Coordinator (BUMS graduate with MBA or any graduate with MBA in Human Resource Management)	One
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
VI	**Internal Quality Assurance Cell**	
	Coordinator (MBA in Quality Management)	One
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One
VII	**Information Technology Cell (IT Cell) including Digital Library**	
	Information Technology Officer	One
	Information Technology Assistant	One
	Multi-tasking staff	One
VIII	**Central Workshop/Maintenance Cell**	
	Site Engineer	One
	Electrician	One
	Plumber	One
	Carpenter	One
	Multi-tasking staff	One
IX	**Co-curricular and extracurricular activities**	
	Physical Education Instructor (minimum bachelor degree in physical education)	One
	Multi-tasking staff	One
X	**Student Support and Career Guidance and Placement Cell**	
	Counsellor for counselling (part-time basis)	One
XI	**College store**	
	Clerical staff	One
	Multi-tasking staff	One

Note:1. Additional staff like sweeper, attendant, lifter, data entry operator, security guards, electrician, plumber, carpenter, driver, multi-tasking staff, etc may be appointed by outsourcing based on the requirement.

2. Herbal Garden shall be under the Department of Ilmul Advia. If such a Postgraduate programme or department is not available, it shall be under the institution.

3. Skilled professionals trained by any of the skill development agency under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship shall be given preference to the extent of availability while appointing the non-teaching staff.

(3) Clinical Zone.- (a) each standalone Postgraduate institution shall have attached hospital having minimum sixty in-patient beds (sixty bedded hospital), and the hospital (clinical zone)shall be divided into seven zones, namely-

(i) Reception and Registration zone;

(ii) Out-Patient Department zone;

(iii) Diagnostic zone;

(iv) In-Patient Department zone;

(v) Procedural Management zone;

(vi) Administrative zone;

(vii) Services zone.

(b) each zone as mentioned in clause (a) under clinical zone shall have the ancillary sections or units or facilities and shall fulfil all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and

functionality facilities including equipment, instruments and the like as provided for sixty bedded hospital (sixty students intake capacity) in the NCISM-UG MES Regulations, 2023.

(c) in addition to the facilities available in the hospital as mentioned in (a) and (b), the following department-wise minimum essential standards requirements shall be made available in the departments in which Postgraduate programmes are being conducted namely,-

(i) Postgraduate Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social medicine).- (A) the Postgraduate programme or speciality in Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social medicine) shall have an exclusive Out-Patient Department (attached with minor yoga and riyazat room) for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of fifty persons attending the Out-patient department per day, facilities to administer rejuvenation procedures and Riyazat to normal individuals in the hospital shall be made available for this department; The minimum area required for Tahaffuzi wa Samaji Tib (Unani Detetics Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health) Out-Patient Department shall be twenty-five square meters.

(B) the Postgraduate programme or Speciality in Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) shall have an exclusive Ilmul Samoom (Clinical Toxicology) Out-Patient Department for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of thirty patients per day and additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e., four beds for one student) shall be made available in Moalajat (Medicine) In-Patient Department to admit the patients of Ilmul Samoom . Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be provided. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Moalajat (Medicine) In-Patient Department. The minimum area required for Ilmul Samoom (Clinical Toxicology) Out-Patient Department shall be twenty-five square meters.

(ii) Postgraduate Department of Moalajat (Medicine) shall have an exclusive Out-Patient Department for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of sixty patients per day and additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e., four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be provided. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Moalajat (Medicine) In-Patient Department; The minimum area required for Moalajat (Medicine) Out-Patient Department shall be twenty-five square meters

(iii) Postgraduate Department of Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) shall have an Out-Patient Departments (attached with minor therapy or procedure room) for Postgraduate teachers and Postgraduate students, with minimum of sixty patients per day for Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) and additional In-Patient Department beds for Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) Postgraduate programme in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) In-Patient Department. Fully established physiotherapy facility in the hospital shall be extended to this department. The minimum area required for Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) Out-Patient Department shall be fifty square meters.

(iv) Postgraduate Department of Jarahat (Surgery) shall have an exclusive Out-Patient Department (attached with minor therapy or procedure room) for Postgraduate teachers and Postgraduate students provided with advanced diagnostic facilities with minimum of sixty patients per day and additional In-Patient Department beds in the student- bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Jarahat (Surgery) In-Patient Department. The minimum area required for Jarahat (Surgery) Out-Patient Department attached with minor procedure room shall be fifty square meters.

(v) Postgraduate Department of Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry) shall have an exclusive Out-Patient Department (attached with minor therapy or procedure room) in the name of Amraze Uzn, Anaf wa Halaq (Diseases of Ear, Nose and Throat) for Postgraduate teachers and Postgraduate students, provided with advanced diagnostic facilities with minimum of sixty patients per day and additional In-Patient Department beds in the student bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry) In-Patient Department; The minimum area required for Amraze Uzn, Anaf wa Halaq (Diseases of Ear, Nose and Throat) Out-Patient Department attached with minor procedure room shall be fifty square meters. This out-patient department shall attend the patients of Uzn, Anaf wa Halaq but not Ain and Asnan related cases.

(vi) Postgraduate Department of Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) shall have an exclusive Out-Patient Department (attached with examination cum procedure room) for Postgraduate teachers and Postgraduate students, with minimum of sixty patients per day, exclusive Operation Theatre for Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) and Procedural Room to carry out Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) related procedures. Additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student) shall be made available. Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be provided; Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) In-Patient Department; A Minimum of ten deliveries per month shall be conducted in the labour room. The minimum area required for Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) Out-Patient Department attached with examination cum procedure room shall be fifty square meters.

(vii) (A) the Postgraduate Department of Ilmul Atfal (Paediatrics) shall have an exclusive Out-Patient Department for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of sixty patients per day, and additional In-Patient Department beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Ilmul Atfal (Paediatrics) In-Patient Department; Immunisation providing facility shall be made available in this department; The minimum area required for Ilmul Atfal (Paediatrics) Out-Patient Department shall be twenty-five square meters;

(B) the instruments and equipment required for Ilmul Atfal (Paediatrics) out-patient department, demarcated area for breast feeding, neonatal intensive care unit with minimum space and facilities, school adoption, child development clinic with minimum space and facilities shall be as per items (b), (c), (d) and item (e) of clause (xiii) of regulation 7 in these regulations.

(viii) Postgraduate Department of Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology) shall have an exclusive Out-Patient Department (attached with minor therapy or procedure room) for Postgraduate teachers and Postgraduate students with minimum of sixty patients per day and In-Patient Department with number of beds in the student-bed ratio of 1:4 (i.e. four beds for one student). Seating arrangement in the ward and accommodation for night duty Postgraduate students shall be made available. Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology) In-Patient Department; The minimum area required for Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology) Out-Patient Department shall be fifty square meters;

(ix) (A) in case of Postgraduate degree programme in the Department of, Mahiyatul Amraz (Pathology) the Postgraduate students may utilise or collaborate with Out-Patient Departments, In-Patient Departments and Diagnostic zone of the hospital for their training in Unani diagnosis, diagnostics and dissertation or research work;

(B) the head of the department of Mahiyatul Amraz (Pathology)or a faculty member from the department of Mahiyatul Amraz (Pathology) designated by the head of the institution shall be authorised to sign, authenticate and interpret diagnostic investigations or tests to the extent of teaching and training in terms of Unani principles;

(x) The Postgraduate students of Postgraduate degree programme in Tahaffuzi wa Samaji Tib (Unani Dietetics Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health) under the Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) department may utilise or collaborate with Out-Patient Departments, In-Patient Departments, Yoga and Riyazat section, of the hospital for their training, survey and dissertation or research work.

(xi) The hospital may have a mortuary with cold storage to keep or preserve dead bodies or may have a memorandum of understanding with medical establishments that have mortuary facility and the staff for the mortuary may be outsourced.

(xii) There shall be a Clinical Research Cell in the hospital and the minimum essential requirement of space, facilities and function shall be as per clause (xix) of regulation 7 and human resources as per **Table** provided below to sub-clause (vii), clause (u), sub-regulation (2) of regulation 14.

(d) Requirement of Number of Beds, Patient Attendance and Bed Occupancy.-

(i) in addition to the number of beds specified for each In-Patient Department in the NCISM-UG MES Regulations, 2023 for sixty bedded hospital (i.e. mentioned for sixty student intake capacity), the concerned Postgraduate Department Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Ilmul Atfal (Paediatrics), Jarahat (Surgery), Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry), Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology), Amraze Jild wa Tazeeniyat

(Dermatology and Cosmetology), conducting Postgraduate programme shall maintain additional beds in respect of students-bed ratio of 1:4.

(ii) The speciality of Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) under the department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine), shall maintain additional beds in respect of students- bed ratio of 1:4 in the In-Patient Department of Moalajat (Medicine) to admit the patients of Ilmul Samoom.

(iii) generally, the daily average attendance of patients in the Out-Patient Departments of the sixty bedded hospital during the last one calendar year (300 days) shall be a minimum of one hundred and twenty patients per day; However,

(A) the minimum out-patient attendance in the Postgraduate Out-Patient Department in (Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Ilmul Atfal (Paediatrics), Jarahat (Surgery), Amraze Uzn, Anaf wa Halaq (Diseases of Ear, Nose and Throat), Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) and Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology) as applicable during the last one calendar year (300 days) shall not be less than sixty patients per day;

(B) the minimum out-patient attendance in the Postgraduate Out-Patient Department of Ilmul Samoom (Clinical Toxicology) for the speciality of Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) under Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) department during the last one calendar year (300 days) shall not be less than thirty patients per day;

(C) the minimum daily average out-patient attendance in the Postgraduate Out-Patient Department in Tahaffuzi wa Samaji Tib (Unani Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health) under Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) department for the speciality of during the last one calendar year (300 days) shall not be less than fifty persons per day.

(iii) (A) the minimum annual average bed occupancy in the In-Patient Department of the concerned department Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Ilmul Atfal (Paediatrics), Jarahat (Surgery), Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry), Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology)and Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology) in which a Postgraduate programme is conducted during the last one calendar year (365 days and 366 days in case of a leap year) shall be not less than sixty percent;

(B) the speciality of Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) under the department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine), shall have minimum annual average bed occupancy for the patients of Ilmul Samoom in the In-Patient Department of Moalajat (excluding the numbers of beds allotted for the Postgraduate students of moalajat) during the last one calendar year (365 days and 366 days in case of a leap year) shall be not less than sixty percent;

(C) however, in the Department in which a Postgraduate programme is not conducted, the bed occupancy in the concerned In-Patient department during the last one calendar year (365 days and 366 days in case of a leap year) shall not be less than forty per cent.

(e) Requirements of Hospital Staff for Postgraduate programme.- (i) teaching hospital in standalone Postgraduate institutions shall maintain hospital staff as shown in **Table** below to sub-clause (iii) in addition to the hospital staff mentioned for sixty bedded hospital (sixty student intake capacity) in the NCISM-UG MES Regulations, 2023,

(ii) the teaching faculties of Postgraduate programme shall be the consultants of the out-patient department and in-patient departments of the concerned Postgraduate Department or specialty or programme;

(iii) however, there shall be minimum one consultant in the cadre of Professor or Associate Professor or Assistant Professor in each Department [Moalajat (Medicine), Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy), Ilmul Atfal (Paediatrics), Jarahat (Surgery), Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat, Dentistry), Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology), Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology) and in the specialities of Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) and Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) under the department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) in which the Postgraduate degree programme is not conducted. He or she shall be a Postgraduate in the concerned subject and provided with unique teacher's code and the year of experience shall be counted as teaching experience by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine as per sub-regulation (7) of regulation 32 in these regulations.

Table

Minimum Essential Requirements of Hospital Staff

(in addition to the hospital staff specified for sixty bedded hospital)

Sl. No	Required Staff	Required Numbers
(1)	(2)	(3)
1	Nursing staff	One for every ten beds in in-patient departments; Two nurses for Qabalat wa Niswan Operation Theatre; One nurse for each Intensive Care Unit (ICU) bed in Moalajat Department; and 2 nurses for Neonatal Intensive Care Unit in Ilmul Atfal Department.
2	Clinical Registrar or Senior Resident or Resident Doctor	One for every twenty beds
3	Ayah	One for every twenty beds

Note: 1. Nursing staff number may be increased as per the shift in a day.

2. Number of therapists may be increased in accordance with number of patients for Ilaj bit tadabeer.

3. Paediatric therapist, occupational therapist and speech therapist may be appointed on a part-time basis for Department of Ilmul Atfal.

4. Postgraduate students may be appointed as clinical registrar or senior resident or resident doctor, provided the students shall be paid stipend or salary.

5. Security guards, electrician, plumber, sanitation workers, washer man, gardener, driver, housekeeping staff, cook, maintenance staff, multipurpose worker, if additionally needed, may be obtained by out-sourcing.

6. Skilled professionals trained by any of the skill development agency under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship shall be given preference to the extent of availability while appointing the hospital staff.

(4) Experimentation Zone: This zone shall accommodate the following:-

(a) Central Research Laboratory: (i) every standalone Postgraduate institution shall have a Central Research Laboratory with advance research facilities as per the **Third Schedule** for carrying out various research experiments by Postgraduate students as well as teaching faculty.

(ii) a faculty member of any department well-versed with laboratory and analytical equipment shall be the in-charge of Central Research Laboratory.

(iii) It shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and the Professor cum Head of the Department of Integrative Health and Translational Research shall be the head of Central Research Laboratory;

(iv) the minimum area required for Central Research Laboratory shall be one hundred and fifty square metres;

(b) Quality Testing Laboratory: (i) an advanced Quality Testing Laboratory shall be made available available in case of Postgraduate programme in Ilmul Advia (Pharmacology) and Ilmul Saidla (Unani Pharmacy);

(ii) this laboratory shall fulfil the infrastructure, facilities, equipment, instruments, etc specified in under 'B' of the Schedule- XI of the NCISM-UG MES Regulations, 2023 along with the instruments and equipment as mentioned in the **Fifth Schedule** of these regulations for Postgraduate teaching, training and research;

(iii) it shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and the Professor cum Head of the Department of Integrative Health and Translational Research shall be the head of Quality Testing Laboratory.

(iv) a teaching faculty member of Ilmul advia or Ilmul saidla nominated by head of the institution shall be in-charge of quality testing laboratory.

(v) the minimum area required for quality testing laboratory shall be one hundred square metres;

(c) Approved Animal House and Animal Experimentation Laboratory: (i) It shall be made available in case of Postgraduate degree programme in the department of Ilmul Advia (Pharmacology), Ilmul Saidla (Unani Pharmacy), Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) and Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine);

(ii) It shall have proper permission from concerned authorities, adequate infrastructure, facilities as per the **Fourth Schedule**

(iii) faculty member of department of Ilmul Advia or Ilmul Saidla or Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) or Kuliyat shall be the in-charge of animal house and animal experimentation laboratory;

(iv) Animal House and Animal Experimentation Laboratory shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research and the Professor cum Head of the Department of Integrative Health and Translational Research shall be the head of Animal House and Animal Experimentation Laboratory.

(v) The minimum area required for animal house and animal experimentation laboratory shall be two-hundred and fifty square metres.

(d) the Central Research Laboratory, quality testing laboratory, Animal Experimentation Laboratory and Animal House shall be provided with human resources as per the **Table** provided below the sub-clause (vii), clause (u), sub-regulation (2) of regulation 14.

15. The timeline to comply additional minimum essential standard requirements by standalone Postgraduate institutions established before the notification of these regulations. -(1) The timeline to comply the additional minimum essential standards requirements by the standalone Postgraduate institution shall be as per the below **Table.**

Table

Timeline to comply with additional minimum essential standards requirements by standalone institutions established before notification of these regulations.

Sl. No	Standard or Unit or Section or Facility	Timeline (From the date of notification of these regulations in the official Gazette)
(1)	(2)	(3)
1	Central Workshop or Maintenance Cell	Eighteen months
2	Closed Circuit Television	Six months
3	Information Technology Cell and Infrastructure	Six months
4	Phytochemistry Laboratory (Department of Ilmul advia)	Twelve months
5	Green House (Department of Ilmul advia)	Eighteen months
6	Additional instruments and equipments in Quality Testing Laboratory	Immediate
7	Molecular Biology Laboratory and additional facilities to carry out immunology and histopathology tests in the Mahiyatul Amraz (Pathology) Practical laboratory (Department of Mahiatul Amraz)	Twelve months
8	Advanced poison detection facility for the Postgraduate Speciality or programme of Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) under the department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine)	Twelve months
9	Postgraduate Department wise Seminar halls and common Seminar hall	Eighteen months
10	Central Library requirements for Postgraduate students and Departmental Library	Six months
11	Digital Library facilities for Postgraduate students	Eighteen months

12	Common room for Postgraduate students (boys and girls separately)	Eighteen months
13	Common room for teaching staff (male and female separately)	Eighteen months
14	Clinical Skill or Simulation Laboratory (Postgraduate Department specific requirements)	Eighteen months
15	Human Resource Development Cell Room	Eighteen months
16	Pharmacovigilance Cell Room	Eighteen months
17	College Council Room	Eighteen months
18	Student Support and Guidance, Career Guidance and Placement Cell, Grievance Redressal cell, Committee Against Sexual Harassment- common room	Eighteen months
19	Internal Quality Assurance Cell Room	Eighteen months
20	Anti-Ragging Committee and Anti-Ragging Squad Room	Eighteen months
21	Department of Integrative Health and Translational Research	Twelve months
22	Facilities in Central Research Laboratory	Immediate
23	Facilities in Animal House and Animal Experimentation Laboratory	Eighteen months
24	Facilities in Clinical Research Cell	Eighteen months
25	Plagiarism Scrutiny Cell with all facilities	Six months
26	Attached therapy/ procedure room in Postgraduate out-patient departments as applicable	Six months
27	Neonatal Intensive Care Unit, Child Development Clinic (Department of Ilmul Atfal)	Eighteen months
28	Construction (Building infrastructure)	Eighteen months
29	Department wise equipment and instruments for Postgraduate teaching in which Postgraduate programme are conducted	Six months
30	Human resources	Twelve months

Note: 1. The above-mentioned timelines are for developing infrastructure including building and acquiring equipment and instruments. However, constitution of committees and functions of various units or cells mentioned in these regulations shall be started within a month.

2. All other new standards or additions or expansions in terms of infrastructure, human resources and functionality prescribed in this regulation for Postgraduate education, teaching, training, and research (as applicable) shall be fulfilled.

3. All other new standards or additions or expansions in terms of infrastructure, human resources and functionality specified for the sixty bedded hospital (i.e. sixty students intake capacity) in the NCISM-UG MES Regulations, 2023 shall be fulfilled as per the timeline provided below to sub-regulation (3) of regulation 15 in the said regulations including building infrastructure.

(2) The timeline mentioned in sub-regulation (1) is the maximum and no relaxation shall be given thereafter.

CHAPTER-VI

INSPECTION OR VISITATION OR ASSESSMENT

16. Inspection or visitation or assessment.- (1) The *suo-moto* inspection, visitation, or assessment of fully established existing Postgraduate departments in Postgraduate institutions where undergraduate course is in existence and standalone Postgraduate medical institutions shall be carried out by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine every year under section 28 of the Act.

(2) In the case of Postgraduate institutions where an undergraduate course is in existence, the inspection, visitation, or assessment shall be carried out for undergraduate institution and Postgraduate departments either

simultaneously or separately at different time having exclusive visitors or inspectors or assessors for Postgraduate departments.

(3) Fully established Postgraduate departments in undergraduate colleges and standalone Postgraduate institutions shall be inspected, visited, or assessed individually by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine that is, department-wise inspection or visitation.

(4) The fully established Postgraduate departments or Postgraduate specialties and multiple programmes under the same department shall be categorised into two categories based on the criteria mentioned in these regulations, namely: - (a) Extended Permission and (b) Yearly Permission.

(5) (a) A fully established Postgraduate Department or specialty under section 28 of the Act, that has been permitted by the MARBISM consecutively for the preceding or previous three years shall be considered as the Postgraduate Department or specialty under the "Extended Permission" category, by the MARBISM;

(b) the "extended permission" status shall not be applicable for the Postgraduate departments or specialties under the following conditions, if:-

(i) the Postgraduate Department or specialty acted upon by the MARBISM under the provisions mentioned in clause (f), sub-section (1) of section 28 of the Act,;

(ii) there are any pending legal issues or disciplinary actions against the Postgraduate Department, specialty, or institution;

(iii) the college or institution violated the provisions of regulations on admission of Postgraduate students as specified in these regulations and violated the counselling and admission guidelines issued by the Commission from time to time;

(iv) If the Postgraduate departments are under section 29 of the Act; however, in case of multiple Postgraduate programmes in a single department, except the Postgraduate programme under section 29 of the Act, the other fully established Postgraduate programme that is already in extended category shall be continued in extended permission status unless otherwise specified by the MARBISM;

(v) the institution that has not deposited the annual inspection or visitation fee for the year of extended permission to the official bank account of the commission.

(6) The Postgraduate Department or specialty under the category of "extended permission" is eligible to participate in the counselling process and admit students every year as per the sanctioned student intake capacity without obtaining permission from the MARBISM unless otherwise denied or specified by the MARBISM as a result of *suo-moto* visitation or assessment;

(7) (a) Fully established Postgraduate departments or specialties under section 28 of the Act, that are not fulfilling the criteria specified in sub-regulation (5) shall be categorised under the "Yearly Permission' category by MARBISM;

(b) the Postgraduate Department or specialty of Postgraduate medical institutions under the "yearly permission" category shall participate in counselling process and admit students every year only after receiving permission for admission from the MARBISM.

(8) **(**a) Inspection, visitation, or assessment carried out by the MARBISM shall be for continuation of extended permission or granting of yearly permission for admitting students or for taking such measures under the provisions mentioned in clause (f), sub-section (1) of section 28 of the Act;

(b) all the medical institutions, irrespective of category, either extended permission or yearly permission, shall keep uploading real time data or periodical data or information or documents on the Commission online portal in the format specified by the MARBISM;

(c) all the institutions irrespective of category, either extended permission or yearly permission, shall deposit the annual inspection or visitation fee of one lakh per Postgraduate programme) alongwith digitization fee of rupees fifty thousand per Postgraduate programme along with applicable taxes within the time period through online payment mode (National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement) to the official bank account of the Commission in favour of National Commission Fund for Indian System of Medicine;

(d) for the Postgraduate departments or specialties categorised under the 'Extended Permission' category by the MARBISM, the institution shall submit an affidavit (as per the format and period of submission specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine) stating full compliance with all minimum essential standards mentioned in these regulations;

(e) the MARBISM shall conduct *suo-moto* inspection, visitation, or assessment in the manner and mode as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine every year at any time

during the academic year to assess the fulfilment of the minimum essential standards by the department, or specialty, and institution as specified in these regulations;

(f) the period of assessment shall be twelve months preceding the month of visitation, inspection, or assessment; the data disclosed by the institute for the said twelve-month period shall be taken up for the assessment;

(g) after assessment, the MARBISM shall communicate the decision of the assessment, inspection, or visitation to the institutions having Postgraduate departments or specialties under the "Yearly Permission" category, ordinarily sixty days before the commencement of counseling for admission every year;

(h) if the Postgraduate Department or specialty under the "Extended Permission" category did not receive any communication ordinarily sixty days before the commencement of counselling by AYUSH Admissions Central counselling Committee for admission for that particular academic year, then it is presumed that the Postgraduate Department or specialty holds its status of extended permission for that particular academic session and shall be allowed to participate in counselling and admission processes as per the provisions of the relevant regulations;

(i)*(i)* during the process of assessment or visitation or inspection, any deficiency is found either in the documents or in the data or in the fulfilment of minimum essential standards or in the functionality of Postgraduate Department or specialty of the Postgraduate institutions under the 'Extended Permission" category and based on this, if MARBISM initiates any action due to non-fulfilment of minimum essential standards as per the clause (f), sub-section (1) of section 28 of the Act, such decision shall be communicated by the MARBISM to the respective college or institution ordinarily sixty days before the commencement of counselling for admission by AYUSH Admissions Central Counseling Committee,

(ii) in such case, the extended permission status shall stand withdrawn for such Postgraduate Department or specialty, and all rules and regulations related to the 'Yearly Permission' category shall be applicable; such institutions may again attain 'Extended Permission' status only after fulfilling the conditions specified in sub-regulation (5);

(j) in case of any complaint, the MARBISM shall have the power to re-visit the Institutions for assessment, inspection, or visitation at any time and any number of times in the year;

(k) *(i)* the institutions seeking permission to not admit students, for three consecutive academic sessions or the Postgraduate Department, specialty, or institution that has been denied permission to admit students consecutively for three academic sessions by the MARBISM, shall be treated as deemed to be closed and the MARBISM shall recommend the closure of such institutions to the commission;

(ii) if such institution or Postgraduate Department would like to restart, it shall undergo the process of new establishment under section 29 of the Act;

(l) *(i)* the provision to "rectify the defects" shall not be applicable to the existing fully established institutions or Postgraduate departments or specialties;

(ii) as these are the minimum essential standards, no chance to "rectify the defects" shall be given to the fully established existing medical institutions or Postgraduate departments under section 28 of the Act;

(iii) before issuing the order of denial of permission or reduction of seats, and the like., an opportunity for hearing shall be given to such medical institutions by the MARBISM;

(m) in case, aggrieved by the decision of the MARBISM, it may prefer an appeal to the Commission against such decision within thirty days of the communication of such decision by the MARBISM as per sub-section (3) of section 24 of the Act; before taking any decision, appellant institution may be provided an opportunity of hearing by the adjudicating authority of the commission.

CHAPTER-VII

MINIMUM STANDARDS OF EDUCATION OF POSTGRADUATE DEGREE PROGRAMMES

[DOCTOR OF MEDICINE (M.D.) AND MASTER OF SURGERY (M.S.)]

17. General Considerations.- Postgraduate degree programmes (Doctor of Medicine-M.D. and Master of Surgery-M.S.) are aimed at producing specialists teachers, researchers, scientists, entrepreneurs with the focus and competencies of the respective Postgraduate programme as under namely:–

(1) Kulliyate Tib (Basic principles of Unani Medicine):–

(a) ability to understand the basic principles of Unani Medicine and its applications;

(b) proficient to establish Unani basic principles and generate proof on contemporary scientific lines;

(c) ability to understand different commentaries of ancient Unani literatures and apply them appropriately to an understanding of basic principles;

(d) proficient to develop Unani Medicine based Research Protocol;

(e) competent to read ancient manuscripts, understand and define the literary meaning of Unani terminology; and describe the contents;

(f) ability to write and justify the scientific and applied aspects of basic principles for proper understanding and applications;

(g) ability to understand the Kulliyat Umoore Tabiya (factors of physis)- Arkan, Mizaj, Akhlat, Aza, Arwah, Quwa & Afal with advanced knowledge of Biochemistry, Biophysics and Applied Physiology;

(h) ability to understand the Kulliyat-e-Asbab o Alamat;

(i) ability to understand the Kulliyat Usool-e-Tashkhees wa Tajweez;

(j) ability to understand the Itlaqi Kulliyat; and

(k) the Postgraduate degree holder in Kulliyate Tib shall be the specialist in Kulliyate Tib (Unani

Medicine Basic Principles Specialist) i.e. Critical appraisal of Unani basic principles and its applications.

(2) Tashreehul Badan (Human Anatomy):–

(a) understand appropriately the structure of the human body on contemporary lines and its applied aspects clinically;

(b) capable to dissect the human body systematically;

(c) skilled to demonstrate surgical anatomy, applied anatomy in surgery, obstetrics and gynaecology;

(d) ability to develop Unani Medicine based Research Protocol;

(e) ability for embalming the cadaver and preparation of organs and section of specimens for the anatomy museum;

(f) to acquire skills for plastination of organs and specimens;

(g) ability to understand and demonstrate advance anatomical aids like 3D anatomy virtual dissection table, e-dissection and other software; and

(h) the Postgraduate degree holder in Tashreehul Badan shall be the specialist in Tashreehul Badan (Unani Anatomist).

(3) Manafeul Aza (Human Physiology):–

(a) ability to understand and demonstrate physiological functions of the human body;

(b) understand, assess, evaluate and appraise the physiological aspects of Unani basic principles;

(c) comparative study between the body fluids and Akhlat;

(d) capable to understand and apply the Knowledge of biochemistry, bioinformatics and Unani biology of the Human body;

(e) to study the physiological variations of human body in different temperaments as per domination of Akhlat or Unani genomics;

(f) ability to carry out research in the various aspects of Manafeul Aza;

(g) ability to conduct or demonstrate physiological tests and experiments;

(h) able to correlate and translate Unani physiology on contemporary scientific lines;

(i) the Postgraduate degree holder in Manafeul Aza shall be the specialist in Manafeul Aza (Unani Physiologist).

(4) Ilmul Advia (Materia Medica, Pharmacology and Pharmacognosy):–

(a) to develop ability for identification and authentication of the raw materials (drugs) of herbal, mineral and animal origin;

(b) able to do the purification of raw drugs in a systematic way and explain it scientifically;

(c) ability to explicate medicinal properties of Unani drugs in relevance to authenticated ancient Unani literature and its scientific spirit;

(d) understand and explain the pharmacological events of Unani drugs and explicate on contemporary lines;

(e) ability to conduct or demonstrate phytochemical and pharmacognostic experiments;

(f) ability to conduct and demonstrate pharmacological experiments, including animal studies;

(g) shows ability in identification of adulterants and suggesting substitutes;

(h) ability to clear controversy and suggest substitute drugs;

(i) ability to define Unani pharmacological properties of new herbs or new single drugs;

(j) be able to do quality testing of raw drugs on traditional and scientific parameters;

(k) ability to conduct pharmacological research;

(l) ability to conduct the toxicity study;

(m) acquire knowledge of tissue culture, bioinformatics, network pharmacology, stem cell experiment etc. emerging areas;

(n) ability to conduct drug standardisation studies;

(o) to acquire knowledge for the development of drug depository;

(p) the Postgraduate degree holder in Ilmul Advia shall be the specialist in Ilmul Advia (i.e Unani Pharmacologist), specialised in Identification, Purification and Biological Actions of Raw Materials (Herbs, Metals, Minerals and Animal Sources)

(5) Ilmul Saidla (Materia Medica, Pharmaceutics and Clinical Pharmacy) :–

(a) fundamental and applied knowledge in Ilmul Saidla in detail;

(b) ability to understand the purification and drug processing methods described in Ilmul Saidla in the light of Chemistry and Chemical Technology;

(c) ability to appraise authenticity of raw materials used in Unani formulations;

(d) ability to prepare classical dosage forms;

(e) ability to develop novel dosage forms or new drug development;

(f) ability to develop skills for quality assessment of drugs through traditional and current advanced methods;

(g) ability to identify the need and areas of research in Ilmul Saidla;

(h) become familiar with drug standardisation, quality testing, quality control, and quality assurance methods and related instruments or devices or equipment;

(i) understanding and application of material and operational management, dispensing pharmacy, clinical pharmacy, and pharmacy practice;

(j) accomplish knowledge of standard databases pertaining to drug and ability for preparation of drug dossier, familiar with drugs and cosmetics and relevant acts;

(k) acquire knowledge of pharmacovigilance along with its need. Scope and objectives;

(l) attain experience in dispensing pharmacy and clinical pharmacy;

(m) ability to formulate and prepare new drugs or combinations; and

(n) ability to carry out research in the various aspects of Ilmul Saidla;

(o) the Postgraduate degree holder in Ilmul Saidla shall be the specialist in ‘Ilmul Saidla (i.e. Unani Pharmaceutical Specialist), specialised in Unani Pharmaceutics, Pharmaceuticals and Clinical pharmacy.

(6) Mahiyatul Amraz (Pathology and Laboratory Diagnosis) :–

(a) to acquire the sound knowledge (theoretical and practical) of pathology, histopathology, Ilmul Amraz Nabz and Baul wa Baraz;

(b) to acquire the sound knowledge (theoretical and practical) of serology, biochemistry, microbiology;

(c) ability to apply the traditional and advanced diagnostic parameters of Unani Medicine in the (like Nabz, Baul o Baraz etc.) diagnosis and prognosis of diseases;

(d) ability to carry out investigations, interpret the results in terms of Unani principles and authenticate investigatory or test reports;

(e) to develop the competency in conducting the investigation pertaining to pathology (haematology and urine) serology, biochemistry and other specimens of the body;

(f) ability to carry out research in the various aspects of Ilmul Amraz;

(g) ability to Understand pathophysiology of diseased conditions in Unani Medicine as well as contemporary medical science;

(h) ability to carry out investigations, interpret the results in terms of Unani principles, report and authenticate diagnostic investigations or tests to the extent of teaching and training';

(i) ability to describe and demonstrate pathology through Unani physiology, Unani biology, molecular biology, Unani genomics etc;

(j) the Postgraduate degree holder in Mahiyatul Amraz shall be the specialist in Mahiyatul Amraz (i.e Unani Pathologist), specialised in Pathology and Laboratory Diagnosis.

(7) Tahaffuzi wa Samaji Tib (Unani Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health) :–

(a) ability to advice diet and lifestyle modifications based on principles of Unani Medicine in the context of preventive, restorative and promotive healthcare;

(b) ability to advise on regular cleansing methods to maintain health and wellness;

(c) ability to develop Unani diet according to Mizaj, life style and diseases;

(d) ability to prescribe preventive measures and prescribe preventive medicines;

(e) ability to develop research protocol for epidemiological research;

(f) become an expert in Unani dietetics, including traditional food, Unani nutrition, functional food, and culinary medicine and able to interpret on contemporary lines;

(g) competency in prescribing Unani diets;

(h) acquire updated knowledge in the national health programme and related regulatory guidelines;

(i) ability to conduct field surveys, health awareness programmes and inculcate public health measures;

(j) be able to identify the area of research to ensure planetary health through Unani;

(k) able to manage with Unani interventions in endemic, epidemic, and pandemic situations in a scientific way;

(l) able to identify clinical conditions appropriate for yoga and riyazat therapy;

(m) able to advise yoga and riyazat for maintenance of health, rejuvenation, longevity, and wellbeing;

(n) apply yoga and riyazat for preventive, promotive, and restorative healthcare and public health;

(o) capable of collaborating with other specialists to integrate yoga and riyazat;

(p) competent to explain biological events connected with yoga and riyazat on contemporary lines;

(q) be able to identify the area for research and apply scientific parameters;

(r) the Postgraduate degree holder in Tahaffuzi wa Samaji Tib shall be the specialist in Tahaffuzi wa Samaji Tib (Unani Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health Specialist).

(8) Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) :–

(a) ability to diagnose poisonous conditions, bites or stings and apply their medical and procedural management;

(b) ability to manage poisonous condition of unknown origin;

(c) be able to apply contemporary scientific knowledge to poisonous conditions in terms of diagnosis, emergency care and management;

(d) become competent in the preparation of appropriate antidotes and removal of toxicity;

(e) able to deal with medical jurisprudence;

(f) able to conduct experimental studies on safety of Unani formulations or drugs;

(g) ability to deal with pharmacovigilance;

(h) capable to deal with clinical conditions and their complications caused due to poisons;

(i) able to do clinical research in speciality related conditions; and

(j) the Postgraduate degree holder in Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom shall be the specialist in Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) and Medical Jurisprudence.

(9) Moalajat (Medicine) :–

(a) ability to diagnose the general cases clinically by applying Unani diagnostic methods;

(b) ability to manage general clinical conditions;

(c) ability to interpret and correlate diagnostic investigational reports, arrive at diagnoses, and treat the patients;

(d) skilled in deciding line of treatment for general cases;

(e) skilled in determining dose and appropriate administration methods;

(f) ability to apply the knowledge and experience of anatomy and physiology in diagnosis and treatment;

(g) ability to provide or prescribe comprehensive treatment for acute and chronic clinical conditions

(h) competent in the management of diseases;

(i) ability to apply Unani and contemporary diagnostics in diagnosis of diseases;

(j) ability to provide emergency medicine;

(k) capable of conducting clinical research; and

(l) the Postgraduate degree holder in Moalajat shall be the specialist in Moalajat (Unani Medicine Specialist).

(10) Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) :–

(a) ability to identify disease conditions appropriate for Ilaj bit Tadabeer (Regimenal therapy);

(b) achieve skill in the management of muscular, neurological, rheumatological, traumatic conditions and sports injuries through Ilaj bit Tadabeer (Regimenal therapy);

(c) ability in demonstrating or performing External treatment procedures;

(d) ability to integrate internal medicine and external medicine;

(e) able to develop instrument or equipment or procedure for Ilaj bit Tadabeer;

(f) ability to do rejuvenation therapy through Ilaj bit Tadabeer procedures;

(g) ability to do Ilaj bit Tadabeer for children;

(h) proficient in palliative, pain management, rehabilitative management and improving quality of life through various treatment measures or techniques of ilaj bit tadabeer;

(i) capable to conduct clinical research in area concerned;

(j) the Postgraduate degree holder in Ilaj bit Tadabeer shall be the specialist in Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy Specialist).

(11) Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology) :–

(a) ability to conduct diagnostic test pertaining to the speciality;

(b) competent in the management or treatment acute and chronic Skin disorders;

(c) capable to apply appropriate Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) treatment procedures or external medicines;

(d) capable of developing remedial measures to manage new entities;

(e) able to handle appropriate modern equipments and methods in diagnosis;

(f) proficiency in prescribing or administering Unani interventions for ageing and cosmetic related skin issues;

(g) ability to diagnose skin disorders through Unani diagnostics and on contemporary lines;

(h) capable to conduct clinical research in the area concerned;

(i) the Postgraduate degree holder in Amraze Jild wa Tazeeniyat shall be the specialist in Amraze Jild wa Tazeeniyat (Unani Dermatologist and Cosmetologist).

(12) Ilmul Jarahat (Surgery) :–

(a) ability to sterilize instruments or quipment used in the operation theatre;

(b) ability to manage instruments or equipment judicially in the operation theatre;

(c) capable of maintaining the operation theatre appropriately;

(d) skilled in pre-operative and post-operative cares;

(e) ability to develop tools or instruments as per the current need to perform Unani surgery;

(f) ability to perform related diagnostic procedures and interpret the results;

(g) capable to conduct clinical research;

(h) ability to perform surgery in surgical conditions mentioned in the syllabus as per teaching and training received;

(i) ability to perform diagnostic surgeries and manage surgical and para-surgical complications; and

(j) the Postgraduate degree holder in Ilmul Jarahat shall be the specialist in ‘Ilmul Jarahat’ (Unani Surgeon).

(13) Amraze Niswan wa Qabalat (Gynaecology and Obstetrics) :–

(a) ability to provide ante-natal care, natal and post-natal care;

(b) ability to conduct deliveries and manage complications;

(c) competent to apply anatomy knowledge and diagnose gynaecological or Obstetrics disorders and provide treatment;

(d) ability to perform gynaecological procedural treatments, gynaecological and obstetrics surgeries as per teaching and training;

(e) capable to conduct clinical research;

(f) ability to conduct diagnostic test pertaining to the specialty;

(g) ability to undertake or advice conception and contraception measures;

(h) able to prescribe medicines and measures to facilitate normal growth of the foetus and normal delivery;

(i) capable of doing clinical research in the area concerned; and

(j) the Postgraduate degree holder in Ilmul Qabalat wa Amraze Niswan shall be the specialist in Amraze Niswan wa Qabalat (Unani Gynaecologist and Obstetrician).

(14) Amraze Atfal (Paediatrics) :–

(a) ability to manage clinical conditions in general in children up to the age of eighteen years;

(b) capable of understanding 'normal child';

(c) ability in implementation of immunization schedule or immunity promoting measures;

(d) ability to administer external medicine or therapy in children;

(e) capable to conduct clinical research in the area concerned;

(f) ability to conduct diagnostic test pertaining to the speciality;

(g) able to treat specially abled and special children;

(h) proficient in prescribing diet for growing children based on Unani principles;

(i) the Postgraduate degree holder in Amraz e Atfal shall be the specialist in 'Amraze Atfal' (Unani Paediatrician).

(15) Amraze Uzn, Anaf wa Halaq (Ear, Nose and Throat) :–

(a) ability to sterilize instruments or equipment used in the operation theatre;

(b) ability to perform related diagnostic procedures and interpret the results;

(c) ability to perform surgery;

(d) capable to conduct clinical research;

(e) ability to perform surgical, para-surgical procedures as per Teaching and Training (Syllabus);

(f) ability to manage surgical complications;

(g) the Postgraduate degree holder in Amraze Uzn, Anaf wa Halaq shall be the specialist in Amraze Uzn, Anaf wa Halaq (Unani Ear, Nose and Throat Surgeon).

18. The medium of instruction shall be English or Urdu or Hindi or any recognised regional language included under Eighth Schedule to the Constitution of India. In cases where the Postgraduate Department or specialty admits students from different States, the common language of English or Hindi shall be used.

19. Mode of Admission to Postgraduate degree Programme.- (1) There shall be a uniform entrance test or examination namely, the Post-Graduate National Entrance Test for admission to Postgraduate degree (M.D. and M.S) programmes in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the National Commission for Indian System of Medicine:

Provided that the Post-Graduate National Entrance Test shall not be applicable for foreign national candidates.

(2) A person possessing the degree of Kamile Tib o Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery) (B.U.M.S.) from a recognised University or Board or Medical institution and possessing a valid registration certificate as a medical practitioner in State or Union territory or Central registration (as applicable), shall be eligible to appear for the Post-Graduate National Entrance Test; After qualifying the Post-Graduate National Entrance Test he or she shall become eligible for admission in the Postgraduate degree (Doctor of Medicine or Master of Surgery) programmes as per the merit.

(3) In case of admission to a Postgraduate programme, temporary registration from Council or Board of the concerned State or Union territory where he or she pursues a Postgraduate programme shall be required for the entire duration of the Postgraduate programme other than the State or Union territory of permanent registration.

(4) To become eligible for admission to Postgraduate degree programmes, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50th percentile in the Post-Graduate National Entrance Test held for the said academic year

Provided that in respect of,-

(a) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;

(b) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities

Act, 2016 (49 of 2016), shall be 40th percentile.

(5) An All-India common merit list as well as State or Union territory wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks or score obtained in the Post-Graduate National Entrance Test and the candidates, within the respective categories, shall be admitted to Postgraduate degree course from the said merit list through counseling only.

(6) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institution and Private Institution shall be fifteen per cent. for All-India Quota and eighty-five per cent. for the State and Union territory quota:

Provided that,-

(a) The All-India Quota for the purpose of admission in all the deemed universities both Government and Private established under the Central Act shall be hundred per cent.;

(b)The university and institution which are already having more than fifteen per cent. All-India Quota seats shall continue to maintain that quota;

(c) Five per cent. of the annual sanctioned student intake capacity in Government and Government-aided Institutions shall be filled up by candidate with specified disability in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)

(7) The designated authority for counselling of State and Union territory quota for admissions to Postgraduate programmes in all Unani Educational Institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union Territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory, as the case may be.

(8) The counselling for all admission to Postgraduate programmes for hundred percent of seats of all Deemed Universities both Government and Private, established by central act shall be conducted by Ayush Admission Central Counselling Committee, the authority designated by the Commission in this behalf.

(9) The counselling for admission to Postgraduate programmes for seats under All-India Quota in government, government aided, Central Universities and Unani Medical institutions established by the Central Government shall be conducted by Ayush Admission Central Counseling Committee, the authority designated by the Commission in this behalf.

(10) All seats including management quota except foreign nationals shall be admitted through online counselling only.

(11) Direct admission by any means other than Central or State or Union territory–counselling (online) shall be considered invalid.

(12) The institutions shall submit the list of students admitted in the format, mode and time specified by the Commission on or before the cut-off date for admissions specified by the Commission for verification; Failing which, a penalty of rupees up to one lakh per day shall be imposed by the MARBISM, Commission on recommendation by the examination cell;

(13) The counselling authorities shall submit the data of allotted students in the format, mode and timeline as specified by the National Commission for Indian System of Medicine.

(14) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks specified in these regulations shall be admitted to Postgraduate degree programme in the said academic year.

(15) No authority or institution shall admit any candidate to the Postgraduate programme in contravention of the criteria or procedure laid down in these regulations and related guidelines of the commission.

(16) Any admission made in contravention of the said criteria or procedure in these regulations and related guidelines of the commission shall be invalid and the same shall be cancelled by the Commission forthwith

(17) The authority or institution which grants such admission to any student in contravention of the criteria or procedure laid down in these regulations shall be liable to face consequences as per the relevant provisions of the Act and the regulations thereunder.

(18) Admission procedures and other requisites for admission of foreign national students to Postgraduate programmes in Unani shall be as per the directives or guidelines specified by the National Commission for Indian System of Medicine.

20. Annual Student Intake Capacity and Student-Guide Ratio.- (1) Annual student intake capacity in each Postgraduate degree programme shall not be more than twelve seats per year.

(2) Subject to availability of student-Postgraduate guide in the ratio of 3:1, (three students for one Professor); in case of Associate Professor 2:1 (two students for one Associate Professor or Reader; and in case of Assistant Professor 1:1 (one student for one Assistant Professor or Lecturer).

21. Duration of Course and Attendance.- (1) The duration of Postgraduate programme [Mahire Tib (Doctor of Medicine) and Mahire Jarahat (Master of Surgery)] in Unani shall be three years (thirty-six months)including examination and the nomenclature of Postgraduate programme shall be as per as per the chapter-III.

(2) The maximum duration for completion of the course shall not exceed six years from the date of commencement of the academic course as per the academic calendar issued by the Commission for that particular batch.

(3) Biometric or Aadhar based centralised biometric, or iris detection or face recognition biometric attendance system as specified by the Commission shall be maintained by the institution for the attendance of Postgraduate students.

(4) The below-mentioned leave policy shall be applicable for Postgraduate students,-

(a) casual leaves up to twelve days per academic year;

(b) academic activities such as attending seminars, workshops, training programmes, orientation programmes, symposium etc including days of travelling shall be considered as "on duty"; and

(c) maternity and other leaves as per respective Central or State or Union territory or contract rules as applicable;

(5) The student shall attend minimum eighty per cent. of total academic activities to become eligible for appearing in the university examination and the academic activities including lectures, practical or clinical, demonstrative teaching, online and offline workshops, seminars, clinical case presentation, group discussions, journal club etc., as scheduled by the department or institution.

(6) Acquiring requisite attendance shall be the responsibility of the Postgraduate student. In case of deficiency of attendance, the duration of the course shall be extended proportionately.

(7) The student shall attend the hospital, department or laboratories and other duties as assigned during the course of study.

(8) There is no provision for vacation in Postgraduate degree programmes.

22. Pattern of Study and Subjects.- (1) The Postgraduate programme shall ordinarily start on the first working day of August every year.

(2) The Postgraduate programme shall start with an orientation programme (common and specialty-specific) as prescribed by the commission.

(3) Three years (thirty-six months) of Postgraduate programme shall consist of six semesters, and each semester shall be for six months of duration.

(4) The Notional Learning Hours in each semester shall not be less than 750 hours that are devoted to teaching, practical or clinical training, experiential learning, and carrying out dissertation research activities. The total Notional Learning Hours of the entire Postgraduate programme shall not be less than 4500 hours. (i.e. 750 hours x 6 semesters).

(5) (a) 750 Notional Learning Hours in each semester are structured in to 25 credits and each credit shall have 30 hours;

(b) the 4500 total Notional Learning Hours of the entire Postgraduate programme are structured in to 150 credits (i.e. 25 credits x 6 semesters).

(c) each credit shall have teaching, practical training, and experiential learning in the ratio of 1:2:3 i.e. 05 hours of teaching, 10 hours of practical training and 15 hours of experiential learning;

(6) The Postgraduate programme shall consist of mandatory core subjects and electives in each semester as detailed in below **Table.**

(7) (a) the core subjects shall be taught in the form of modules;

(b) each module may contain one or more credits;

(c) at the end of each module students have to undergo formative assessment (modular based).

(8) (a) there shall be two categories of electives viz. domain specific electives and capacity enhancement electives;

(b) each Postgraduate student have to qualify one elective from the domain specific category and one elective from the capacity enhancement category in each semester and totally a Postgraduate student shall qualify a minimum of 12 electives (six electives from the domain specific category and six electives from the capacity enhancement category) during the three years of the entire Postgraduate degree programme;

(c) elective courses shall be conducted online within the timeframe as specified by the commission in the course curriculum.

(9) The subjects to be taught and other activities (semester-wise) shall be as mentioned in the **Table** below:–

Table

Semester wise Subjects and Activities

Sl.No	Semester	Course Period (36 Months)	Subjects and Activities	Number of Credits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Semester-1	1-6 Months	Orientation Programme (Common)	3
			Orientation Programme (Specific to specialty)	1
			Core subject: Research Methodology (Modules)	9
			Core subject: Biostatistics (Modules)	8
			Electives: Domain specific (anyone)	2
			Electives: Capacity enhancement (anyone)	2
			Sub Total	**25**
Summative Assessment-1				
2	Semester-2	7-12 Months	Synopsis and submission of synopsis	5
			Core subject: Applied Basics of Concerned Specialty (Modules)	16
			Electives: Domain specific (anyone)	2
			Electives: Capacity enhancement (anyone)	2
			Sub Total	**25**
Summative Assessment-2				
3	Semester-3	13-18 Months	Dissertation Activities	5
			Core subjects of Specialty (Modules)	16
			Electives: Domain specific (anyone)	2
			Electives: Capacity enhancement (anyone)	2
			Sub Total	**25**
4	Semester-4	19-24 Months	Dissertation Activities	5
			Core subjects of Specialty (Modules)	16
			Electives: Domain specific (anyone)	2
			Electives: Capacity enhancement (anyone)	2
			Sub Total	**25**
5	Semester-5	25-30 Months	Dissertation Activities	5
			Core subjects of Specialty (Modules)	16
			Electives: Domain specific (anyone)	2
			Electives: Capacity enhancement (anyone)	2

			Sub Total	**25**
6	Semester-6	31-36 Months	Dissertation Activities and Submission of Dissertation	5
			Core subjects of Specialty (Modules)	16
			Electives: Domain specific (anyone)	2
			Electives: Capacity enhancement (anyone)	2
			Sub Total	**25**
			Grand Total	**150**
Summative Assessment-3				

(10) The curriculum shall be competency based dynamic curriculum as per the provision in the Act.

(11) The method of teaching and training shall be detailed in the curriculum and syllabus.

(12) The students of postgraduate programmes, namely,- Ilmul Advia and Ilmul Saidla may undergo industry postings (drug manufacturing industry) for the duration, instructions, guidelines etc., as specified in the concerned curriculum published by the Commission from time to time.

23. Examination and Assessment.- (1) Assessment shall be carried out in terms of formative assessment and summative assessment.

(2) **Summative Assessment:** The Postgraduate degree course or programme shall have three summative assessments examinations conducted by the University.

(3) (a) The university shall conduct first summative assessment at the end of the first semester for the first semester syllabus, Second summative assessment at the end of second semester for the second semester syllabus, and third summative assessment at the end of sixth semester for the third, fourth, fifth, and sixth semester syllabus

(b) semester third, fourth, fifth and sixth have been kept as one block period so that the activities such as conduction of research activities, clinical exposure, industrial exposure, and other outside postings or activities may be performed by the students without interruption.

(4) Before appearing for the second summative assessment at the end of second semester, it is mandatory for the student to submit the synopsis within the specified period.

(5) Before appearing for the third summative assessment at the end of the sixth semester, the student shall have,-

(a) passed all core subjects of the first and second semesters of the Postgraduate degree programme;

(b) qualified minimum twelve electives (six electives from the domain specific category and six electives from the capacity enhancement category) as specified in these regulations;

(c) submitted the dissertation;

(d) published at least one preprint of the dissertation in preprint repository servers such as bioRxiv or medRxiv or publish or get accepted minimum one research paper in anyone of the reputed indexed research journal (UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index or Scopus); research journal and

(e) presented at least one paper in national or international level seminar.

(6) The University shall conduct summative examinations ordinarily in the months of January and July every year.

(7) **Formative Assessment:** (a) formative assessments (modular based) shall be carried out by the concerned Postgraduate Department at the end of each module as specified in the curriculum.

(b) at the end of the semester, semester grade point average (SGPA) shall be calculated as per the calculation method specified in these regulations;

(c) semester Grade Point Average of first semester shall be considered for first summative assessment; Semester Grade Point Average of second semester for second summative assessment and average Semester Grade Point Average of third, fourth, fifth and sixth semesters shall be considered for third summative assessment.

(8) Securing a minimum of sixty per cent. of the Semester Grade Point Average (SGPA) shall be the eligibility criteria for appearing in summative assessments conducted by the university as specified below,-

(a) minimum sixty per cent Semester Grade Point Average of the first semester for appearing in the first summative assessment;

(b) minimum sixty per cent. Semester Grade Point Average of the second semester for appearing in the second summative assessment;

(c) the average of third, fourth, fifth and sixth semesters 'Semester Grade Point Average' shall be minimum sixty per cent. to become eligible for appearing in the third summative assessment conducted by the University; and

(d) the ineligible students due to the shortage of Semester Grade Point Average as specified in (a), (b) and (c), shall become eligible for appearing in subsequent examination only after acquiring the required Semester Grade Point Average by attending the teaching and training of the same semester; in such case, the duration of the Postgraduate programme shall be extended proportionately.

(9) The total number of subjects or papers for summative assessment and distribution of marks shall be as per the **Table** below:–

Table

Summative Assessments, Semester, Subjects, Number of Papers and Distribution of Marks

Subjects	Semester	Number of Papers	Maximum Marks	
			Theory	Practical or Clinical including Viva-Voce
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Research Methodology	First	One	100	----
Biostatistics	First	One	100	----
Applied Basics of the Specialty	Second	One	100	200
Specialty specific subject	Sixth	Four	400	400

[Note: The details such as conduction of practical or clinical examination, question paper format, blueprint etc shall be as per the curriculum published by the Commission from time to time]

(10) The calculation method of Semester Grade Point Average for each semester shall be as follow,-

Step 1: Calculation of Module Grade Point (MGP) in each subject:-

$$\frac{\text{(Number of National credit hours attended in a module) X (Marks obtained in the modular assessment)}}{\text{(Total number of National credit hours in the module) X (Maximum marks of the module)}} \text{ X } 100$$

Step 2: Calculation of Semester Grade Point Average for each subject:-

(Average of Module Grade Points in a Semester)

(11) For being declared successful (a) in the first and second summative examinations, the student shall secure minimum fifty per cent. in theory and minimum fifty per cent in practical or clinical including viva-voce, wherever applicable;

(b) in the third summative assessment, the student shall have to secure aggregate of minimum fifty percent of all papers and a minimum forty percent in each paper of theory examinations and fifty percent in practical or clinical including viva-voce separately.

(12) A candidate obtaining sixty-five per cent. and above marks shall be awarded first class in the subject and seventy-five per cent. and above marks shall be awarded distinction in the subject.

(13) If a student fails either in theory or practical/clinical, or both in any of the summative assessments, the student shall have to appear all subjects of that assessment including practical examinations wherever applicable.

(14) The failed students shall appear for subsequent examinations conducted every six months by the University.

(15) The Postgraduate degree shall be conferred after the dissertation has been accepted and the student has passed the third summative assessment.

24. Appointment of Examiners.- (1) For each subject in semester-I and semester-II, the summative examination or assessment shall be conducted by two examiners, one of whom shall be an external examiner from any other medical institution and the other from the same institution as the internal examiner.

(2) There shall be double valuation for theory answer scripts of the first and second summative assessments and the implementation of double valuation system shall be as per the guidelines published by the Commission.

(3) The sixth semester summative assessment or examination shall be conducted by a team of four examiners, i.e., two external examiners from any other medical institution (at least one external examiner shall be from other state if Unani Postgraduate institutions are available in more than one State or Union territory) and two internal examiners from the same institution.

(4) The theory answer scripts of the third assessment shall be evaluated by all four examiners, and the average of all four evaluations shall be considered the final mark, and similarly the practical or clinical examinations including viva voce shall be conducted by all four examiners and the average marks of all four examiners shall be considered as final mark of practical or clinical including viva-voce.

(5) There shall be no provision for re-valuation of answer scripts.

25. Eligible Postgraduate Examiner.- (1) A teacher with a minimum of five years of Postgraduate teaching in the concerned specialty and who has guided at least one Postgraduate dissertation and the dissertation has been accepted shall be considered eligible as a Postgraduate examiner for theory evaluation, conducting practical or clinical including viva voce.

(2) The eligible Postgraduate examiner shall also be eligible for evaluation of the synopsis, and dissertation;

(3) The same external examiner shall not be appointed as examiner at the same examination centre for not more than three consecutive examinations excluding supplementary examinations.

26. Dissertation.- (1) Each Postgraduate student shall carry out a dissertation work on research topic under the supervision of an eligible Postgraduate guide of the department and submit dissertation in partial fulfilment for the award of degree of postgraduation.

(2) (a) every Postgraduate institution shall have an approved Postgraduate guide allotment policy, and the policy shall facilitate fair allotment of Postgraduate guides for dissertation activities;

(b) the institution shall notify thrust areas of research as specified for the respective Postgraduate Department, specialty, or programme in these regulations for each approved Postgraduate guide, and he or she shall continue guiding allotted Postgraduate students in the same areas of research;

(c) the guide allotment shall be within the student-guide ratio in the department as specified in these regulations;

(d) in cases of inter-departmental, inter-disciplinary, and trans-disciplinary research, a co-guide with minimum Postgraduate degree shall be co-opted from the concerned or collaborative specialty or unit.

(e) the co-guide allotment from the same Postgraduate Department or specialty shall not be allowed and it shall be allowed from the other department in collaborative research.

(3) (a) The dissertation shall be innovative and translational, and the research shall be addition to the Unani medical science and helpful for the promotion of the Unani system;

(b) the topic shall be within the scope of the subject specialty and shall be from the thrust areas of the research of the respective department or speciality as specified in these regulations;

(c) the dissertation title should preferably be on the lines of the results of the aptitude test conducted by the commission when it becomes operational and this aptitude test is to test the aptitude of a student towards specialist in the concerned area, clinical practice, teaching, research, technological development or entrepreneurship;

(d) the title of the dissertation shall be precise and reflect the objectives and methods of the study;

(e) the synopsis for the selected title of the dissertation shall be developed as per the specifications and format specified by the respective university.

(4) (a) The synopsis developed as per the specifications shall be subjected to departmental review; after departmental review, the completed synopsis shall be submitted to the head of the respective department;

(b) the head of the department shall forward all synopsis of the department to the head of the institution;

(c) the head of the institution in turn forwards all the synopsis to the institutional research review committee, institutional research committee, or institutional scientific committee for approval;

(d) corrections or modifications suggested by the aforesaid committee shall be forwarded to the respective heads of departments;

(e) the synopsis corrected or modified by incorporating the suggestions shall be re-submitted by the student to the respective heads of departments and from the head of the department to the head of the institution;

(f) the head of the institution shall forward the synopsis that requires ethical clearance (clinical studies or animal studies) to the respective Institutional Ethics Committees for human subjects or the Institutional Animal Ethics Committee for animal studies, as the case may be;

(g) corrections or modifications suggested by the aforesaid committees shall be forwarded to the respective departments;

(h) the synopsis corrected or modified by incorporating the suggestions of the concerned committee by the student shall be re-submitted to the respective departmental head, who in turn forwards it to the head of the institution;

(i) submission of synopsis at all stages shall be in soft copy; one hard copy of the final synopsis duly signed by the student, guide, head of the department, and head of the institution shall be retained in the concerned department.

(5) (a) Soft copy of the synopsis, completed in all aspects and obtaining approval from relevant institutional research and ethics committees, shall be forwarded to the University by the head of the Institution on or before the last working day of the 9th month of the Postgraduate degree programme during the semester-II for registration;

(b) submission of synopsis within the prescribed time is a mandatory criterion to appear for the second semester summative assessment examination conducted by the University;

(c) if the student fails to submit the title of the dissertation and synopsis within the period specified under clause (a), his/her term for the second semester of the Postgraduate degree programme shall be extended for six months, and the synopsis shall be submitted before appearing for the second summative examination. Failing which he or she shall not be eligible to appear for the second summative examination, and the second semester shall be extended for another six months and so on.

(d) once the student submitted the synopsis, it is mandatory for the institutions to complete the approval process in stipulated time. Institute shall not charge any additional fee for synopsis approval process.

(6) (a) After the receipt of the dissertation title and synopsis, the university shall register the title of the dissertation and synopsis by allotting registered number;

(b) University shall intimate the registered list of dissertation titles and synopsis to the concerned Postgraduate institution and display the same on the university website; the same shall be displayed on the respective college website by the institution;

(c) once the title of the dissertation is registered by the university, the student shall not be allowed to change the title of the dissertation without the permission of the university.

(7) (a) dissertation research activity shall be started only after registration by the respective university for the dissertation title and synopsis;

(b) after receiving the registration notification from the university, the student, under the guidance of the respective guide, prepares a calendar of events of research activity and submits it to the head of the department; the same shall be verified by the institutional research review committee, institutional research committee, or institutional scientific committee while reviewing the progress of the study;

(c) the institutional research review committee, institutional research committee, or institutional scientific committee shall periodically (preferably at the end of third, fourth and fifth semester)-monitor the dissertation activity in terms of:

(i) progress of research activity with respect to the calendar of research activity submitted by the student;

(ii) quality of research and adherence to the methods and standards as per the approved synopsis.

(8) (a) On completion of research or dissertation activity with the recommendation of a guide through the head of the department, pre-submission of the dissertation shall be arranged from the 30th to the 32nd month of the Postgraduate degree programme, wherein the institutional research review committee, institutional research committee, or institutional scientific committee reviews the entire study;

(b) the institutional research review committee, institutional research committee, or institutional scientific committee may approve or suggest corrections or modifications, and the same shall be communicated to the student through the head of the department;

(c) after incorporating the modifications or corrections suggested by the institutional research review committee, institutional research committee, or institutional scientific committee, the draft dissertation shall be forwarded by the student to the plagiarism scrutiny cell as mentioned in the regulation 29 through the guide and head of the department;

(d) after plagiarism checking, if the plagiarism scrutiny cell finds the plagiarism is within the permissible limits of not more than fifteen per cent., the plagiarism scrutiny cell shall issue a plagiarism clearance certificate in the **Annexure-A;**

(e) in case, the plagiarism is more than fifteen per cent. the draft dissertation shall be referred back to the concerned department with a plagiarism check report by the plagiarism scrutiny cell;

(f) the plagiarism check report shall be reviewed by the Departmental Academic Integrity Committee comprising the head of the department as chairman of the committee, one faculty member from the concerned department, and one faculty member from another department; if the departmental academic integrity committee is satisfied, the committee shall recommend to the plagiarism scrutiny cell to issue a plagiarism clearance certificate in the **Annexure-B**; if the committee is not satisfied, the student shall be directed to modify and resubmit the draft dissertation to plagiarism scrutiny cell;

(g) the resubmitted draft dissertation shall undergo the same process as specified in clause (f);

(h) the final dissertation, with certificates including a plagiarism clearance certificate, shall be submitted to the head of the institution through the head of the department in soft copy from the 30th to the 32nd month of the Postgraduate degree programme;

(i) one hard copy of the dissertation signed by the student, guide, head of the department, and head of the institution shall be retained in the department; and

(j) the plagiarism related procedures are shown in the following image,-

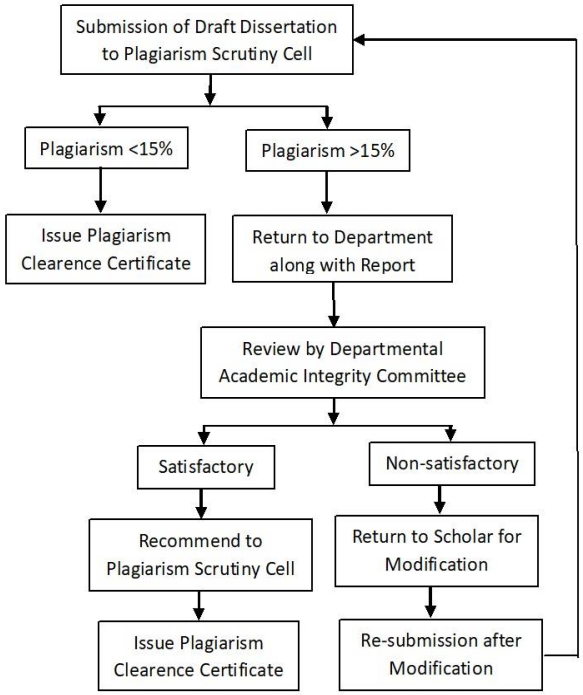

(9) The format and specifications in terms of pages, words, font type, line spacing, etc. shall be as per the guidelines specified in the curriculum specified by the National Commission of Indian System of Medicine.

(10) (a) All the dissertations approved by the institutional research review committee, institutional research committee, or institutional scientific committee, as the case may be, shall be forwarded in soft copy to the University by the head of the Institution;

(b) dissertations shall be submitted to the university during the 33rd month of the Postgraduate degree programme during the sixth semester and the (33rd month shall be counted from the month of commencement of the course as per the academic calendar issued by the Commission for that batch);

(c) the head of the institution shall notify the dates for the below-mentioned events well in advance.

(i) dates for pre-submission;

(ii) date of submission of the dissertation to the department;

(iii) date of submission by departments to the head of the institution;

(iv) date of submission by the head of the institution to the affiliated university; and

(d) no student shall be allowed to submit the dissertation before the 30th month of the course or programme and the student shall continue his or her regular study at the institution after the submission of the dissertation to complete three years of the course.

(11) (a) The dissertation shall be evaluated or assessed by three evaluators or examiners.

(b) the evaluation results of the dissertation shall be declared in terms of Accepted or Rejected as mentioned in the **Table** below**.**

Table

Evaluation of Dissertation and Results

Evaluator-I	**Evaluator-II**	**Evaluator-III**	**Results and Remarks**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Accepted	Accepted	Accepted	Accepted
Accepted	Accepted	Rejected	Accepted
Accepted	Rejected	Rejected	Referred to the Fourth Evaluator (If accepted by the fourth evaluator, then the dissertation shall be considered accepted. If rejected, then the dissertation shall be considered rejected and need resubmission of dissertation)
Rejected	Rejected	Rejected	Rejected (Need resubmission of the dissertation)

(12) Submission of the dissertation shall be the pre-requisite for the students to appear in the third university summative examination conducted at the end of the sixth semester. In the event of a delay in submission by the student, the student shall not be eligible to appear in a third summative assessment or examination until submission of the dissertation.

(13) In case of a delay in the evaluation process of the dissertation, the examination results of those students shall be withheld until the approval of their dissertation.

(14) All the approved dissertations shall be displayed either as titles or as complete dissertations on the institutional website, the university website, and other related databases such as Shodhaganga, etc. as specified by the commission.

(15) Once the portal for synopsis as well as the dissertation management system of the Commission is operational, the process of synopsis submission and approval, research progress monitoring, dissertation submission and evaluation, etc. shall be through the Commission portal.

27. Postgraduate Guide Eligibility.- (1) After three years of Postgraduate teaching a Postgraduate teacher shall be eligible to guide Postgraduate students of respective speciality for dissertation work. The affiliating university shall issue Postgraduate guide approval letter to eligible Postgraduate teachers.

(2) The maximum number of students including Postgraduate students and Postgraduate doctoral (Ph.D) students to be guided by a Postgraduate guide shall not exceed ten at any given point of time.

(3) Co-guide shall be a Postgraduate in the concerned research area of collaboration.

(4) The teaching staff engaged on contractual basis shall not be eligible to guide the students for their dissertation.

(5) A deputed teacher shall not be allotted students to guide Postgraduate dissertations unless the duration of deputation is not less than three years from the date of allotment of students for guiding.

28. Research Committees.- All Postgraduate institutions shall constitute the below mentioned research committees as per requirement,-

(1) (a) Every Postgraduate institution shall constitute an Institutional Research Committee, an Institutional Research Review Committee, or an Institutional Scientific Committee.

(b) there shall be a common institutional research committee up to five Postgraduate programmes. In case of more than five Postgraduate programme, there shall be two institutional research committees namely:–

(i) institutional research committee for conceptual and experimental studies;

(ii) institutional research committee for clinical studies;

(c) the committee shall perform activities, namely;

(i) screen the dissertation proposals and monitor dissertation or research activities;

(ii) ensure that the selected topics are within the listed thrust areas of research as specified by the Commission in these regulations;

(iii) in the case of inter-disciplinary or trans-disciplinary studies, ensure the co-guide from the collaborating department, institution, or organisation;

(iv) all activities of the Institutional Research Committee, Institutional Research Review Committee, or Institutional Scientific Committee shall be coordinated by the Department of Integrative Health and Translational Research;

(v) the composition of the committee shall be as detailed in **Table** below**.**

Table

Composition of the Institutional Research Committee

1	Head of the Institution	Chairman
2	Postgraduate Coordinator or Dean-Postgraduate studies or Dean-Research	Member
3	Heads of Postgraduate Departments	Members
4	Biostatistician	Member
5	Two external members (one from basic sciences and one from medical sciences) from Research Councils or other Medical or Unani or Pharmacy institutions	Members
6	Head of the Department of Integrative Health and Translational Research	Member secretary

Note: 1. Representation from each Postgraduate Department shall be ensured.

2. The external members shall be experts in relevant fields of Postgraduate Departments.

(2) Institutional Ethics Committee for Human Subjects: Institutional Ethics Committee for human committee shall be constituted as per Indian Council for Medical Research guidelines.

(3) Institutional Animal Ethics Committee for Animal Studies: Institutional Animal Ethics Committee shall be constituted as per the Committee for Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals guidelines and should be approved by the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals.

(4) There shall be Clinical Research Cell in the hospital to coordinate the clinical research activities of the institution. The cell Shall have adequate space (minimum fifty square metres) for accommodating research coordination staff, keeping records, documents, research medicines etc and also provided with computer, printer and internet facilities. This cell also facilitates randomisation, binding trial drugs, research audit research drug audit etc., and support in clinical research related activities.

(5) All the constituted committees as mentioned in sub-regulation (1) to (4) shall function under the Department of Integrative Health and Translational Research shall have clearly defined Standard Operating Procedures. The committees apart from reviewing and approving the research proposals shall also monitor the studies and ensure the adherence to standards of research.

29. Plagiarism Scrutiny Cell and Function.- (1)Every Postgraduate institution shall establish a Plagiarism Scrutiny Cell equipped with plagiarism checking software and shall nominate a coordinator trained in plagiarism checking.

(2) The plagiarism scrutiny cell shall be functioning under the Department of Integrative Health and Translational Research.

(3) The plagiarism scrutiny cell shall check the plagiarism in the dissertation within permissible limit or not.

(4) Referring to Arabic/ Urdu/ Persian verse, poem, or quote, including commentaries from Unani literature, shall not be considered plagiarism.

30. Areas of Research.- Areas of Research listed below under each department or specialty shall be the thrust areas of research for that concerned speciality. The dissertation topics shall be relevant to any one of the thrust areas of research specified for that particular speciality. This facilitates longitudinal research in selected areas and may lead to translational research and innovation. The list may be revised from time to time by the Commission depending on the new emerging areas.

(1) Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine):–

(a) review, compilation and comparison of literature available on an Unani concept from different ancient literatures, creation of hypothesis and their validation;

(b) review, assessment, and critical analysis of manuscripts;

(c) standardization of *mizaj* (temperament) and *mizaj shakhsi*;

(d) validation of Unani basic principles or concepts with the help of different scientific tools;

(e) development of demonstrative methods or techniques for Kulliyate Tib;

(f) development of tools, scores, methods, or modules for assessment of different unique concepts of Unani medicine;

(g) methods of application of Unani basic principles in different disciplines;

(h) development of research methodology in Unani medicine for qualitative, quantitative, analytical, clinical, and experimental research studies;

(i) development of collaborative research protocols for conducting research in Unani medicine;

(j) critical study of research methodology; used to understand Indian Knowledge with special reference to Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine) and creating instrumentations or tools for the same;

(k) application of ancient tools to understand and demonstrate Unani medicine;

(l) to explore the concept of different types of *quwa* and *quwwat mudabbira-i-badan* in terms of contemporary sciences and their applications;

(m) comparative study or critical analysis basic principles of Unani medicine and contemporary concepts;

(n) development of teaching methods, medical education technology, and tools for Kulliyate Tib (Basic principles of Unani Medicine);

(o) principles of *nabz* and their applications.

(p) *kulliyat usool tashkhees* (diagnostic principles), *kulliyat usool ilaj* (principles of treatment), *kulliyat usool ghiza* (principles of dietotherapy), *ilaj bid dawa* (pharmacotherapy) on contemporary lines;

(q) *akhlat* and their dynamic relationship with human health and diseases;

(r) development and standardization of Unani terminologies;

(s) new emerging diseases and their scope of understanding in the light of Unani basic principles;

(t) introduction and special review of kulliyat chapters in different classical texts related to their translation, commentaries, and comparison.

(2) Tashreehul Badan (Anatomy):–

(a) applied anatomy for various regimenal therapies such as *hijama*, *taleeq*, *fasd* etc;

(b) studies related to surgical anatomy in Unani surgical, and para-surgical procedures or obstetrics and gynaecology;

(c) applied anatomy in bone-setting;

(d) applied anatomy related to Unani fundamental principles and concepts;

(e) development of glossary of terms with meanings related to Tashreehul Badan;

(f) understanding of *janeen* in the context of contemporary embryology;

(g) ancient method of preserving human cadaver and comparative study with modern practice;

(h) anatomical correlation of *hayatte aza mizaj* classification on anthropometric basis and measurement of internal viscera;

(i) development of teaching methods, medical education technology, and tools for Tashreehul Badan (Human Anatomy);

(j) development of specimens to explore Unani Tashreehul Badan concepts;

(k) classification of *aazae mufrida* and *murakkaba* as per modern anatomical understanding;

(l) exploring the classical literature to apprehend the extent of anatomical understanding of ancient physicians for medical history purpose.

(3) Manafeul Aza (Physiology):–

(a) exploration of physiological concepts of Unani medicine in the context of contemporary sciences and advanced techniques;

(b) understanding the influential relationship between *umoore tabiya* and physiological functions and scientific explorations;

(c) association between maintenance of health and food and *akhlat* from physiological and biochemical perspective;

(d) understanding the *huzum-i-arba* in the context of contemporary sciences; and scientific exploration;

(e) validation of fundamentals of Unani medicine using physiology, biochemistry and genetics as tool;

(f) validation of *nabz*, the ancient pulse concepts in physiological perspective;

(g) scientific study on *mizaj* in physiological viewpoint;

(h) exploring the potential of Unani medicine in contribution to sports physiology;

(i) development and validation of scales, instruments, or tools for Manafeul Aza (Human Physiology) concepts;

(j) development of teaching methods, medical education technology, and tools for Manafeul Aza (Human Physiology);

(k) examining the holistic principles of Unani medicine in context of neuro-biological, neuro-endocrinal, or neuro-psycho-electrobiological associations.

(4) Ilmul Advia (Pharmacology):–

(a) determination of *mizaj-i-advia*, *darjat-i-advia* and its scientific explorations and interpretations and development of tools to assess or estimate the same;;

(b) development of tools to estimate, assess, or measure for *mizaj-i-advia*;

(c) scientific studies on purification of drugs through traditional methods;

(d) scientific studies on procurement of raw materials;

(e) development of new purification methods and its scientific justifications;

(f) stability studies of raw drugs or formulations;

(g) identification of equivalent substitutes for endangered medicinal plants;

(h) good cultivation, good collection, or storage practices and their scientific viewpoint;

(i) scientific validation on substitutes and adulterants;

(j) pharmacoepidemiological or ethnopharmacology; aspects of Unani drugs;

(k) drug identification and authentication through traditional and conventional methods;

(l) pharmacokinetics and pharmacodynamics of single drugs;

(m) drug standardisation

(n) experimental studies to explore quality, efficacy and safety of drugs;

(o) pharmacognosy and phytochemistry studies;

(p) experimental studies on plant or animal or mineral derivatives;

(q) physico-chemical characterization of *advia nabatiya*, *advia madaniya* and *advia haywaniya*;

(r) network pharmacology through in-silico or computational studies;

(s) metabolomic, and proteomic studies of Unani drugs;

(t) development of teaching methods, medical education technology, and tools for Ilmul Advia (Materia Medica, Pharmacology and Pharmacognosy).

(5) Ilmul Saidla (Unani Pharmacy):–

(a) quality, efficacy, and safety of various *ashkale advia* (dosage forms): experimental studies;

(b) scientific validation of *miqdar khorak* (drug dosages), *badraqa* (vehicle or adjuvant), *tadabir-i-ghiza* (diet regulations) and *muddat* (duration);

(c) scientific studies including the physico-chemical characterisation of *advia nabatiya*, *advia madaniya* and *advia haywaniya* or higher order of medicine (*darja e chaharum ki dawae*);

(d) innovative techniques or methods to prepare *kushtajat* and scientific justifications;

(e) literary survey on *amal-i-taklis* and critical review;

(f) understanding the chemistry and chemical technology of higher order of medicine *(darja e chaharum ki dawae);*

(g) redesigning of Unani compound formulation and its scientific perspective;

(h) exploring new dosage forms through experimental studies creation of new metal or mineral based Unani medicine, hypothesis and experimentations;

(i) quality assessment of Unani drugs through traditional methods, comparison on contemporary methods and their scientific interpretations;

(j) scientific exploration of *ulfat-i-kimiya and nafrat-i-kimiya* concept in medicine preparations;

(k) comparative studies on medicine prepared through various methods for same indications;

(l) single drug administered with various *badraqajat* for treating different diseases of different systems-experimental studies;

(m) inventory of mechanism of action of Unani medicines;

(n) nano-chemistry applications on Unani pharmaceuticals;

(o) pharmacovigilance aspect of Unani drugs;

(p) scientific studies on properties of medicines prepared by traditional and modern industry methods;

(q) development of pharmaceutical technology;

(r) development of teaching methods, medical education technology, and tools for Ilmul Saidla (Materia Medica, Pharmaceutics and Clinical Pharmacy) ;

(s) development of pharmaceutical tools and technologies or tools for dispensing pharmacy;

(t) physicochemical standardisation of formulation as mentioned in the Pharmacopoeia;

(u) scientific validation studies of given theoretical concepts or methods used in *dawasazi* like validation of various purification techniques, detoxification procedures etc;

(v) translation and critical review of manuscript, classical text and to explore the traditional knowledge, core philosophy of identification, collection, storage, compounding, manufacturing method and organoleptic characterization and assessment along with their evaluation on the modern scientific parameters;

(w) comparative assessment of hybrid (classical and modern) manufacturing method;

(x) scientific evaluation of *tadbeer e advia*;

(y) development of standard operating procedure for different dosage form with physicochemical and analytical parameters;

(z) pre-formulation, in process, post formulation quality assurance and pharmaceutical analysis;

(za) *in-vivo* and *in-vitro* pharmacokinetic and pharmacodynamics studies;

(zb) new drug discovery and development in Unani;

(zc) redesigning or remodelling or reformulation of classical dosage form;

(zd) stability studies and shelf life of single drugs or compound drugs;

(ze) study on pharmacoeconomics;

(zf) pharmaceutical management and regulatory aspects of Unani drugs;

(zg) formulation and analysis nutraceuticals and cosmeceutical.

(6) Mahiyatul Amraz (Pathology):–

(a) applied aspects of Unani basic principles in diagnosis and assessment of prognosis;

(b) standardisation of Unani diagnostic methods (e.g. bawl wa baraz) in the light of contemporary sciences;

(c) development of the modules of diagnostic methods for *nabz, bawl wa baraz* etc;

(d) development of new diagnostic tools based on Unani principles;

(e) documentation or prediction or prognosis of the disease with its aetiology through domination of *akhlat*;

(f) applied aspects of *ghair tabai akhlat* in different diseases;

(g) applied aspects of *nabz* and *bawl wa baraz* in incurable conditions and its scientific explorations;

(h) development and validation of questionnaires to assess various types of *mizaj or su'-i- mizaj*;

(i) understanding the impact of changes in diet and habit on humours and developing objective parameters for its assessment;

(j) anthropometric application of Unani concepts in diagnosis and prognosis and its scientific justifications;

(k) validation of a questionnaire to assess the humoural status of physiological and pathological variables through *nabz* (pulse) and *bawl wa baraz*, *luab e dahan* etc;

(l) validation of Unani diagnostic tools in terms of sensitivity, specificity, variability and reliability;

(m) studies on specific, non-specific, typical, and atypical urine examination patterns observed in various diseases and their scientific authentication;

(n) determination of system wise pathologies through different perceptions of *nabz* or *ghalba-i-akhlat*;

(o) scientific exploration of effects of *Istifragh* on body;

(p) diagnosing the special physiological status, like pregnancy, along with the stages;

(q) scientific validations of newer aetiological factors and their impact;

(r) experimental studies on Unani pathophysiology in terms of molecular biology;

(s) comparative study of conventional aetiological factors and *asbaab* in diagnosis of various diseases;

(t) assessment of impact of *munzij wa mushil* on body through Unani parameters e.g. *nabz, bawl* etc;

(u) validation of questionnaire to assess *ghalba-i-akhlat* in physiological and pathological conditions with special reference to *hawas-i-khamsa zahira wa hawas-i-khamsa batina*;

(v) prognosis of diseases through Unani parameters e.g. *nabz, bawl w baraz*;

(w) development of teaching methods, medical education technology, and tools for Mahiyatul Amraz (Pathology and Laboratory Diagnosis);

(x) scientific correlation of *mizaj/ su'i- mizaj* with genomics.

(y) Unani pathology in molecular biology aspects.

(7) Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine):– Postgraduate programme - Tahaffuzi wa Samaji Tib (Unani Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health).-

(a) conceptual, clinical and scientific studies on Unani dietetics and nutrition;

(b) promotion of health through the Unani diet- scientific studies;

(c) scientific explorations and experimental studies of *dawā' ghidhā'ī* and *ghidhā'dawā'ī* concepts;

(d) scientific studies on *ghayr ṭab'ī khilṭ* and its impact on health and normalising the impaired *Khilṭ* through food;

(e) prevention of disease and promotion of health through the Unani diet on scientific parameters;

(f) relevance of *asbāb sitta ḍarūriyya* (six essential factors) in prevention of disease and promotion of health;

(g) *istifrāgh* or bio-cleansing procedures in Unani and their scientific relevance in health promotion and disease prevention;

(h) nutritional and medicinal value of traditional foods or culinary medicines: experimental studies;

(i) development of Unani dietetics and nutrition modules in different diseases;

(j) management of psychosomatic disorders with *asbāb sitta ḍarūriyya* (six essential factors);

(k) clinical study on the role of *asbāb sitta ḍarūriyya* (six essential factors) in the prevention of communicable, non-communicable or lifestyle disorders;

(l) management of lifestyle disorders through *dalk wa riyādhat*;

(m) scientific exploration of traditional methods of disease prevention and public health;

(n) epidemiological survey or research;

(o) concept of immune boosters in the prevention of various diseases with special reference to Unani classical literature: scientific explorations;

(p) Tahaffuzi wa Samaji Tib in Public Health;

(q) mental health through *harakat-o-sukun nafsani*, practices and scientific validation and justifications;

(r) stress management through *asbāb sitta ḍarūriyya* (six essential factors);

(s) development of integrative research protocol for communicable and non-communicable diseases;

(t) development of innovative techniques in the line of Tahaffuzi wa Samaji Tib;

(u) novel Unani techniques to manage air pollution, water pollution and soil pollution;

(v) development of objective parameters for the determination of the impact of Tahaffuzi wa Samaji Tib principles for health promotion and disease prevention;

(w) *asbāb sitta ḍarūriyya* (six essential factors) for preventive healthcare, promotional healthcare, curative and restorative healthcare, or rehabilitative healthcare;

(x) role of *asbāb sitta ḍarūriyya* (six essential factors) in preventive and promotional healthcare, anti-ageing, geriatric care, reproductive health, metabolic disorders, or endocrine disorders;

(y) principles of *shakhṣī ḥifẓān-i-ṣiḥḥat* (personal hygiene) for the maintenance of individuals' health: scientific aspects;

(z) development of objective parameters to determine the clinical improvement through *riyādhat* in selected clinical conditions;

(za) development of standard operating procedures for therapeutic *riyādhat* procedures;

(zb) *riyādhat* for rejuvenation and longevity;

(zc) collection and compilation of ancient literature on *riyādhat* or *ghidhā'* and critical review;

(zd) development of assessment scale or tools for diagnosing mind-related disorders;

(ze) developing of counselling techniques;

(zf) development of teaching methods, medical education technology, and tools for Tahaffuzi wa Samaji Tib (Unani Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health);

(zg) development of assessment scale or tools for diagnosing or risk prediction of metabolic disorders;

(zh) development of research protocols for integrating Unani system of medicine in National health programmes like National vector borne disease control programme, national tuberculosis programme, reproductive and child health programme, etc.;

(zi) exploration of immunomodulator drugs in Unani system of medicine;

(zj) determining the association between *mizāj-i-insānī* and various disorders like neurological metabolic, musculoskeletal, endocrinal disorders etc.;

(zk) exploration of prophylactic drugs in Unani system of medicine.

(zl) therapeutic yoga for endocrine disorders: integrative or collaborative research;

(zm) yoga for metabolic disorders: integrative or collaborative research;

(zn) yoga and neurophysiology: integrative or collaborative research;

(zo) yoga for geriatrics: integrative or collaborative research;

(zp) yoga for mental health: integrative or collaborative research;

(8) Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine): Postgraduate programme- Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology):–

(a) clinical studies on medical management of poisoning conditions;

(b) pharmacological evaluation of Unani antidotes;

(c) emergency medical management of poisoning in Unani: experimental studies;

(d) pharmacovigilance;

(e) scientific studies on purification of raw drugs of Unani drugs;

(f) scientific studies on detoxification methods of drugs of herbal, metal, mineral and animal origin;

(g) inorganic irritant poisons (metal and mineral) and their removal: experimental studies;

(h) safety studies on Unani formulations including drugs prepared from heavy metals;

(i) drug addiction and Unani management;

(j) *ghazeedgi* and its management;

(k) novel methods for the removal of toxins or poisons based on Unani principles;

(l) studies on forensic medicine, forensic toxicology, occupational toxicology, or domestic poisoning;

(m) development of objective parameters, assessment scales, instruments, or tools to diagnose poisoning;

(n) development of teaching methods, medical education technology, and tools for Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology);

(o) Unani court physicians and their range, success and applicability in Forensic medicine;

(p) medical laws and ethics practiced in Unani Medicine;

(q) toxicological profiling of *advia-e-sammi* (3^{rd} or 4^{th} degree drugs) or mineral origin drugs;

(r) poising from eatables and drugs;

(9) Moalajat (Medicine):–

(a) clinical research (disease based) on general clinical conditions;

(b) clinical trials on psychiatric disorders;

(c) emergency management of acute clinical conditions with Unani medicines;

(d) unani medical management of terminally ill patients;

(e) scientific validation of *munzij mushil* therapy in Unani medicine;

(f) unani palliative care;

(g) unani management of infectious diseases;

(h) geriatric care through Unani medicine;

(i) clinical management of systemic diseases, autoimmune disorders, or cancer;

(j) studies to validate *ahkam-i-ghiza* (dietary regulations) in various diseases;

(k) management of metabolic syndrome or disorders through Unani medicine;

(l) management of lifestyle disorders with integrated treatment protocol (*ilaj bil ghiza, ilaj bit tadbeer, ilaj bil dawa,* whichever applicable);

(m) standardisation of treatment protocol or line of treatment for selected disease;

(n) clinical efficiency of combined therapy with internal and external medicine: an integrative research;

(o) standardisation of treatment protocol for diseases not mentioned in classical literature;

(p) development of teaching methods, medical education technology, and tools for Moalajat (Medicine).

(10) Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology):–

(a) clinical Studies on the management of dermatologic disorders;

(b) development of assessment scales and tools for diagnosing skin disorders;

(c) scientific validation of *musaffiyat therapy* in skin disorders;

(d) clinical studies on the management of cosmetic dermatology;

(e) studies on various *tadabeer* in the management of dermatology and cosmetology;

(f) development of novel techniques in Unani context for the management of skin and cosmetic disorders;

(g) detoxification procedures of skin and their scientific validation;

(h) management of skin disorders due to metabolic, auto-immune, nutritional, vascular, atrophic, endocrinal dysfunction, infection, congenital, hereditary, allergy, and poisons;

(i) management of challenging skin disorders such as scleroderma, ichthyosis, keloid, melanoma, haemangioma, etc;

(j) scientific validation of Unani cosmetics and cosmeceuticals;

(k) studies on Unani cosmetics for its therapeutic efficiency and safety;

(l) comparative studies on Unani versus conventional cosmetic procedures;

(m) developments of new cosmetics and cosmeceuticals for aging and photoaging with reference to Unani literature;

(n) studies on the efficacy of Unani hair tonics;

(o) studies on the development of hair rejuvenation therapies;

(p) studies on hair dyes, colouring, and styling techniques;

(q) elaboration and development of perfumes and deodorants mentioned in Unani literature;

(r) studies to validate *ahkam-i-ghiza* (dietary regulations) in various skin and cosmetic disorders;

(s) measures to maintain healthy skin;

(t) development of teaching methods, medical education technology, and tools for Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology);

(11) Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy):–

(a) clinical application of Ilaj bit Tadabeer in medical and para-surgical conditions and its scientific validation;

(b) management of neuro-musculo-skeletal disorders with Ilaj bit Tadabeer;

(c) *ilaj bit tadabeer* for sports injuries;

(d) *ilaj bit tadabeer* in pain management or palliative care;

(e) *ilaj bit tadabeer* in emergency healthcare management;

(f) development of tools or scales for proper understanding of *ilaj bit tadabeer* procedures;

(g) clinical efficiency of combined therapy with medicines and *ilaj bit tadabeer* procedures: Integrative research;

(h) development of instruments or equipment for external treatment;

(i) elucidating mechanisms of *ilaj bit tadabeer* procedures;

(j) standardisation and development of standard operating procedures for various regimens of *ilaj bit tadabeer* procedures;

(k) collection, compilation and critical review of classical literature of *ilaj bit tadabeer*;

(l) contemporary modifications in *ilaj bit tadabeer* procedures;

(m) establishing specific *ilaj bit tadabeer* procedures for non-communicable diseases;

(n) study on *ilaj bit tadabeer* in the rehabilitation of orthopaedic and rheumatologic conditions;

(o) development of teaching methods, medical education technology, and tools for Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy);

(p) *ilaj bit tadabeer* for lifestyle disorders, rheumatological conditions or metabolic disorders;

(12) Jarahat (Surgery):–

(a) management of surgical conditions through Unani surgical and para-surgical procedures; clinical research;

(b) standardization and development of standard operating procedures for different Unani surgical and para-surgical procedures with contemporary sciences;

(c) development of instruments and equipment for different surgical and para-surgical procedures;

(d) standardization of various types of traditional Unani surgical instruments on contemporary lines;

(e) modification of existing surgical practices or exploration of new methods or technology;

(f) exploration and establishment of classical surgical procedures not in practice;

(g) development of diagnostic technology in surgical conditions on traditional and contemporary lines and scientific interpretations;

(h) standardization of pre-operative and post-operative procedures in the context of Unani surgical and para-surgical procedures;

(i) development of Unani para-surgical procedures for new indications and standardization;

(j) novel surgical procedures for new indications;

(k) clinical research (surgical condition or disease based);

(l) collection, compilation and critical review of surgical procedures from ancient classical Unani literature;

(m) development of teaching methods, medical education technology, and tools for Ilmul Jarahat (Surgery).

(13) Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry):–

(a) management of eye, ear, nose, throat, and dental diseases with Unani surgical interventions;

(b)management of eye, ear, nose, throat, and dental diseases with Unani para-surgical interventions; clinical research;

(c) standardization and development of standard operating procedures for different Unani surgical and para-surgical procedures with contemporary sciences;

(d) development of instruments and equipment for different surgical and para-surgical procedures;

(e) standardization of various types of traditional Unani surgical instruments on contemporary lines;

(f) modification of existing surgical practices or exploration of new methods or technologies;

(g) exploration and establishment of classical surgical procedures not in practice;

(h) development of diagnostic technology in surgical conditions on traditional and contemporary lines and scientific interpretations;

(i) standardization of pre-operative and post-operative procedures in the context of Unani surgical and para-surgical procedures;

(j) development of Unani surgical and para-surgical procedures for new indications and standardization;

(k) clinical research (surgical condition or disease based);

(l) development of teaching methods, medical education technology, and tools for Amraze Uzn, Anaf wa Halaq (Diseases of Ear, Nose, and Throat).

(14) Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology):–

(a) clinical efficiency of ante-natal care, natal care and post-natal care in Unani;

(b) pre-conceptional healthcare in Unani and pre-conception counselling;

(c) scientific validation of Unani medicines and measures to facilitate normal growth of foetus and normal delivery;

(d) clinical studies with Unani medicine in obstetrics including nausea and vomiting, anaemia, gestational diabetes, hypertension in pregnancy, cervical incompetence, induction of labour, retained products of conception, threatened abortion, or missed abortion etc;

(e) studies on breast feeding, breast diseases and lactogogues in Unani medicine;

(f) clinical study to validate the efficacy, safety and mechanisms of Unani medicine in gynaecological disorders including endometriosis, adenomyosis, polycystic ovarian disease or syndrome, uterine prolapse, uterine fibroids, pelvic inflammatory diseases, sexually transmitted diseases, abnormal vaginal discharge, or bacterial vaginosis etc;

(g) clinical studies on menstrual disorders;

(h) unani management for female infertility: clinical research;

(i) studies on premenstrual, perimenopausal syndrome, menopausal syndrome, or osteoporosis, with Unani medicine;

(j) studies in adolescent girls such as mental health issues, anxiety and depression, anaemia, menstrual hygiene, malnutrition, or obesity;

(k) studies on sexual and reproductive health;

(l) research on female sexual dysfunctions or disorders;

(m) specialty related endocrine disorders and management;

(n) Scientific explorations on contraceptives in Unani medicine ;

(o) management with Unani medicine for genital cancer such as uterine, ovarian, cervical or breast cancer;

(p) management and clinical research of urogynaecological disorders such as urinary incontinence, stress urinary incontinence, urge incontinence, mixed urinary incontinence, or urinary tract infections;

(q) clinical studies with dietotherapy in gynecological and obstetrical diseases;

(r) application of *ilaj bit tadabeer* in gynaecological disorders and its standardization;

(s) integration of *yoga* and *riyazat* and *dalak* in the management of gynaecological disorders and postpartum care;

(t) studies to validate efficacy of *tadabeer* in gynaecological disorders;

(u) standardisation of gynaecological procedural management such as vaginal douche, *hamul, farzaja, fateela, marham, zimad, tikor, huqna, or abzan* etc;

(v) clinical studies for change of vaginal dosage form in tablet, suppository and pessary form;

(w) study on postpartum haemorrhage management with Unani drugs;

(x) study to validate efficacy of Unani formulated phytoestrogen cream use in postmenopausal disorders;

(y) study on Unani medicine and procedures in the management of breast disorders;

(z) Unani clinical interventions for hysteria and postpartum psychosis;

(za) development of teaching methods, medical education technology, and tools for Amraze Niswan wa Qabalat (Gynaecology and Obstetrics).

(15) Ilmul Atfal (Paediatrics):–

(a) unani immune boosters for children up to the age of eighteen;

(b)unani Management for special children, spastic children, autism, and attention deficit hyperactivity disorder;

(c) management of child diseases with Unani medicines and procedural interventions-clinical study;

(d) integration of yoga and riyazat in the management of child disorders; collaborative research;

(e) unani memory boosters;

(f) unani medicines and measures for growth and development of children;

(g) dietary allergies and their management in paediatrics;

(h) nutritional disorders in children and management;

(i) childhood obesity and management;

(j) adolescent health- Unani medicines and measures;

(k) parameters of a normal child;

(l) gadget addiction and behavioural problems and management;

(m) vaccine adjuvants;

(n) genetic, congenital, and cognitive disorders and management;

(o) anaemia in children and management;

(p) worm infestations in children and management;

(q) recurrent infections and management;

(r) paediatric purview of social and preventive medicine- scientific studies;

(s) re-designing of dosage forms of classical Unani drugs as per requirement in paediatrics;

(t) Unani management for myopathy in children;

(u) role of *ilaj bit tadabeer* in paediatric treatment;

(v) diagnostic methods of paediatric cases;

(w) development of teaching methods, medical education technology, and tools for Amraze Atfal (Paediatrics).

Note: Only one student per year out of all Postgraduate programme conducted by the institution shall be allowed to select the dissertation topic in the thrust area of "Development of teaching methods, technology and tools".

31. Stipend for Postgraduate students.- For Postgraduate students belonging to the Central Government, State Government, and Union territory Institutions, the stipend shall be paid on par with other medical systems under the respective Governments, and there shall be no discrepancy between medical systems.

32. Qualifications and Experience of the Postgraduate teaching Faculty.-

(1) (a) Possessing Postgraduate degree in the concerned specialty or subject obtained from a recognised university, and included in Second Schedule of Indian Medicine Central Council Act, 1970 or recognised under section 35 of the Act, and a valid registration with concerned State Board or Council or a valid Central or National registration certificate issued by the Board of Ethics and Registration for Indian System of Medicine, National Commission for Indian System of Medicine; however, the registration certificate is not applicable for the teachers of non-medical qualifications.

(b) for Postgraduate degree courses as mentioned in the column two of **Table** below, Postgraduate degree in Unani medicine from a recognised university and included in second schedule of Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) or recognised under section 35 of the Act, 2020 of the related speciality as mentioned in column three shall be considered eligible for the appointment and this status shall be maintained until the availability of eligible teachers for teaching from the concerned specialty mentioned in column two

Table

Eligible Teachers for Postgraduate Specialties

Sl. No (1)	Postgraduate Specialty or Programme (2)	Related Specialty/Allied Subjects (3)
1	Tashreehul Badan	Ilmul Jarahat or Kulliyate Tib
2	Manafeul Aza	Kulliyate Tib
3	Ilmul Saidla	Ilmul Advia
4	Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom	Tahafuzzi wa Samaji Tib or Moalajat or Ilmul advia or Ilmul Saidla
5	Mahiyatul Amraz	Moalajat or Kulliyate Tib
6	Ilaj bit Tadabeer	Moalajat or Tahaffuzi wa Samaji Tib
7	Amraze Jild wa Tazeeniyat	Moalajat
8	Amraze Uzn, Anaf, Halaq	Ilmul Jarahat or Moalajat
9	Ilmul Atfal	Moalajat or Qabalat wa Amraze Niswan

Note 1: The provision of related speciality/allied subjects may be allowed for five years from the date of commencement of these regulations.

Note 2: The teachers got appointed in allied subjects, if desires to return to parent department, they may return within three years from the date of notification of these regulations and in such case, the allied subject experience of the Commission approved teachers shall be considered as regular experience in parent department and the Commission approved teachers who remained in allied subjects shall be considered as regular teacher of respective department and eligible for promotion as regular teacher as specified in these regulations.

Note 3: The teachers who had been considered eligible in the past on the basis of the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Education) Regulations, 1979, the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Education) Regulations, 2007 and the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Unani Medical Education) Regulations, 2016, shall not be considered ineligible after notification of these regulations.

(2) **Experience.-**(a) (i) Qualification and experience for the post of head of the institution (Principal or Dean or Director) shall be the same qualification and experience prescribed for the post of Professor in these regulations with minimum three years of administrative experience (vice principal or head of the department or deputy medical superintendent or medical superintendent, etc.);

(ii) he or she shall have been completed the orientation programme for the head of the institutions on 'Educational Administration' conducted by the Commission within six months period from the date of joining as the head of the institution;

(iii) the successful completion of the orientation programme on education administration within the timeline prescribed by the Commission from time to time is a mandatory requirement for holding the post of the head of the institution. Failing which, he or she shall not be considered for the post of head of the institution by the MARBISM.

(b) for the post of Professor: (i) total teaching experience of ten years as regular teacher in concerned subject or five years of teaching experience as Associate Professor or Reader on regular basis in concerned subject; or

(ii) total teaching experience of ten years as a regular teacher in Postgraduate teaching in the concerned subject, or five years of teaching experience in Postgraduate teaching as Associate Professor or Reader on regular basis in the concerned subject; or

(iii) total ten years of research experience as full-time researcher after possessing Postgraduate

degree qualification in the concerned subject on regular appointment in Research Council or Research Institutions of Central Government or State Government or Union Territory Administration or University or National institutes or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited Laboratory having,-

(A) qualified in the National Teachers Eligibility Test conducted by the National Commission for Indian System of Medicine; and

(B) minimum five research papers published in indexed journals (indexed in UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index, Scopus); or

minimum three research papers published in indexed journals (indexed in UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index, Scopus) and one published book or manual relevant to Unani; or

investigator for any major research project with a duration of the project three years and above as per the sanctioned letter.

(c) for the post of Associate Professor: (i) total teaching experience of five years as regular teacher in the concerned subject; or

(ii) total teaching experience of five years as regular teacher in Postgraduate teaching in the concerned subject; or

(iii) total five years of research experience as full-time researcher after possessing Postgraduate degree qualification in the concerned subject on regular appointment in Research Council or Research Institutions of Central Government or State Government or Union territory Administration or University or National Institutes or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited Laboratory having,-

(A) qualified in the National Teachers Eligibility Test conducted by the National Commission for Indian System of Medicine; and

(B) minimum three research papers published in indexed journals (indexed in UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index, Scopus); or

minimum one research paper published in indexed journals (indexed in UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index, Scopus) and one published book or manual relevant to Unani; or

investigator for any major research project (duration of the project three years and above as per the sanctioned letter); or

investigator for minor research project (duration of the project less than three years as per the sanctioned letter).

(d) for the post of Assistant Professor, no teaching experience is required and he or she shall have been qualified in the National Teachers Eligibility Test conducted by the National Commission for Indian System of Medicine.

(e) the actual research experience acquired during a regular full-time Doctor of Philosophy (Ph.D.) programme from the date of joining to the date of submission of the thesis and not more than three years shall be considered as teaching experience and Ph.D seat allotment letter, proof of joining to full-time Ph.D programme and proof of submission of thesis to the university shall be considered as evidence in this regard.

(f) one yoga teacher with the qualification and experience as mentioned in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Unani Education) Regulations, 2022 shall be appointed in each standalone Postgraduate institution on a full-time basis. He or she shall work under the Department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social medicine) and shall not be issued a unique teachers code.

(g) for the Department of Integrative Health and Translational Research: (i) one Professor with post graduate degree qualification in Unani (Doctor of Medicine-M.D. or Master of Surgery-M.S.) preferably with doctoral degree (Ph.D.) with the experience as mentioned in clause (b) of sub-regulation (2) shall be appointed on full-time, regular basis and he or she shall be the head of the department. He shall be provided with unique teacher's code by the MARBISM and he or she shall be eligible for the post of head of the institution.

(ii) the Department of Integrative Health and Translational Research shall have teaching staff in the subjects of Biochemistry, Pharmacology, Microbiology, Medicinal Botany or Botany And Public Health shall be appointed on a full-time, regular basis, and whose qualifications, experience and promotion shall be as specified in the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Unani Education) Regulations, 2022. They shall be provided unique teachers code by the MARBISM and they are not eligible to hold the post of head of the department or head of the institution (Principal or Dean or Director);

(iii) one bio-statistician having qualification and experience as mentioned in the NCISM-UG Regulation, 2023 shall be appointed in the Department of Integrative Health and Translational Research on full-time or part-time basis and shall not be provided the unique teachers code by the MARBISM.

(3) Temporary appointment or contractual appointments shall not be allowed. However, in case of Government institutions, contractual appointments may be allowed with following conditions, namely:–

(a) shall be a stop gap arrangement;

(b) shall not be more than two years for a particular post in particular department;

(c) shall have been qualified in National Teachers Eligibility Test.

(4) (a) Every eligible teacher as per these regulations shall be provided unique teacher code by the MARBISM .

(b) the procedure of obtaining unique teacher code and the details on withdrawal of unique teacher code shall be as per the provisions in National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standards of Undergraduate Unani Education) Regulations, 2022.

(5) Age of superannuation of the teacher.- The age of superannuation of teachers shall be as per the order of the Central, State, or Union territory Administration, and retired teachers fulfilling the eligibility norms may be re-employed up to the age of sixty-five years as full-time regular teachers.

(6) Attendance of teacher.-(a) each teacher shall have not less than seventy-five per cent. of attendance during the working days of every calendar year assessment year as applicable;

(b) the attendance of teaching staff shall be calculated in terms of "Teaching days" as specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2023.

Explanation.— For the purposes of this clause, "teaching days" means the number of days a full-time regular teacher attended or performed duty in a twelve-month period, in the college and its teaching hospital wherein he or she has been appointed, based on the attendance system implemented by the commission.

(7) The regulations on relieving and replacement of teaching staff, deputation of teaching staff and experience of consultants and teaching staff before issuing of Letter of Permission shall be as per the provisions mentioned in the in the NCISM-UG MES Regulations, 2023.

(8) Qualifying National Teachers Eligibility Test conducted by the Commission shall be the mandatory requirement for all eligible candidates, those who are entering into teaching profession in Unani medical colleges or institutions for the first time irrespective of cadre.

(9) Faculty Development and Training Programme: Each teaching faculty shall undergo for Medical Education Technology or Quality Improvement Programme once in three years, conducted by the National Commission for Indian System of Medicine.

33. Tuition Fee.-The tuition fee as laid down and fixed by the respective Fee Fixation Committee or Fee Regulatory Committee or Governing Committee constituted by the State government or Union territory administration or University shall be charged only for three years of course period and no tuition fee shall be charged for extended duration of the study in case of failing in examination or by any other reasons.

34. Course Commencement and Cut-off date of Admission.- (1) First year Postgraduate programme shall ordinarily starts from August of every year or and the cut-off date of admission in Postgraduate degree programme shall be ordinarily on the 31st July of each academic session or as specified by the Commission from time to time.

(2) Each institution shall conduct the academic activities or events as per the academic calendar specified in **Table** below.

Table

Tentative Academic Calendar for Postgraduate degree Programmes

(Doctor of Medicine-M.D. or Master of Surgery-M.S.)

(Total Duration of the Programme - 36 Months)

Sl.No	Academic Activity or Event	Timelines
(1)	(2)	(3)
1	Programme Commencement	First Working Day of August
2	Postgraduation Orientation Programme	Fifteen to Twenty Working Days
3	Guide Allotment for Postgraduate Dissertation Activity	October (third month)
4	First Summative Assessment by the University	January (sixth month) (at the end of first semester) (third or fourth week of January)
5	Submission of Synopsis	April (ninth month)
6	Second Summative Assessment by the University	July (twelfth month) (at the end of second semester) (third or fourth week of July)
7	First Progress Review	January (eighteenth month)
8	Second Progress Review	July (twenty-fourth month)
9	Third Progress Review	January (thirtieth month)
10	Pre-Submission of Dissertation Work	January to March (thirtieth to thirty-two months)
11	Submission of Dissertation to Head of the Institution by the Department	January to March (thirtieth to thirty-two months)
12	Submission of Dissertation to the University by the Head of the Institution	April (thirty-third month)
13	Third Summative Assessment by the University	July (36th Month) (at the end of sixth semester)) (third and fourth week of July)

Note: The last day of third summative assessment (theory or practical or clinical as the case may be) may be treated as the last working day of the Postgraduate programme.

35. Date of Completion of Permission Process.- The process of grant or denial of permission to the Unani institutions for taking admissions in Postgraduate course shall be completed by the MARBISM sixty days before the commencement of counselling conducted by Ayush Admissions Central Counselling Committee for admission of students in to Unani Postgraduate degree programmes every year.

CHAPTER VIII

STARTING OF NEW POSTGRADUATE DEGREE PROGRAMMES (DOCTOR OF MEDICINE-M.D. OR MASTER OF SURGERY-M.S.) ESTABLISHMENT OF STANDALONE POSTGRADUATE INSTITUTION AND INCREASE IN THE STUDENT INTAKE CAPACITY IN EXISTING POSTGRADUATE PROGRAMMES

36.(1) No person shall start a new medical institution, start any Postgraduate course, or increase student intake capacity, seats, or admission capacity without obtaining permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine in response to an application submitted by the person or applicant in this regard.

(2) The starting of new medical institutions, the starting of Postgraduate degree programmes and the increase in student intake capacity shall be as per section 29 of the Act.

37. General considerations.-

(1) The last date for the receipt of application for new schemes shall be displayed by MARBISM on the National Commission for Indian System of Medicine website every year.

(2) Applications submitted by a person (a university, society, trust, or any other body, but does not include the Central Government) online or offline as specified by the MARBISM shall be in the prescribed format annexed to these regulations (for establishing a new standalone Postgraduate medical institution in Unani **(Form-A)**, for starting a new Postgraduate programme **(Form-B),** and for increasing seats or student intake capacity or admission capacity **(Form-C),** along with the prescribed application fee and processing fee specified by the MARBISM in these regulations.

(3) Incomplete applications shall not be accepted in any case.

(4) There is no provision for withdrawal of applications after the last date.

(5) In case of withdrawal of application before the last date, the application fee shall not be refunded.

(6) Any document in the local language shall be submitted in a transcript of Hindi or English or in both languages;

(7) It is understood that, before submission of the application, the applicant should have gone through and understood the Act, and the concerned regulations.

38. Pre-Requisites.- .-(1) An essentiality certificate or no objection certificate from the respective State government or Union territory administration shall be submitted at the time of application in the prescribed format annexed to these regulations for establishing a medical institution **(Form-D),** starting a new Postgraduate course or programme **(Form-E),** and increasing the seats or student intake capacity **(Form-F).**

(2) The consent of affiliation from the respective university clearly mentioning the academic year or years of affiliation in the prescribed format **(Form-G)** annexed to these regulations shall be submitted for establishing a new medical institution, starting a new Postgraduate course, and increasing the seats or student intake capacity, as the case may be.

(3) The radial distance between any two Unani medical colleges run by the same trust, society, or university shall not be less than twenty-five kilometres.

(4) (a) In the case of a standalone Postgraduate institution, at the time of submission of an application, proposal, or scheme, it shall have a fully functional sixty-bed Unani hospital that has been completed for a minimum of twenty-four months (i.e., two years of functionality) of existence after establishment with proper registration;

(b) the hospital shall have fulfilled all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources, functionality, facilities, including equipment and instruments, etc. stated for the teaching hospital attached to the college or institution with sixty bedded hospital (sixty students intake capacity) as specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2023 at the time of submission of an application;

(c) the hospital may be established on phased manner as mentioned in Chapter- VIII of the NCISM-UG MES Regulations, 2023.

(5) The following shall be considered for the two years of functionality of the hospital:

(a) bank transactions depicting the salary of consultants and other hospital staff either in a nationalised bank or any other commercial bank approved by Reserve Bank of India in an independent account in the name of the hospital;

(b) the bank transactions indicating the functionality of the hospital, such as periodic purchases of medicines and hospital consumables, payment of relevant taxes, hospital income, and the like;

(c) well documented (physical or electronic) hospital records, including patient attendance in Out-Patient Departments and In-Patient Departments, documents showing maintenance of the hospital, and renewal of the necessary permissions from local or concerned authorities;

(d) the hospital shall have at least entry-level National Accreditation Board for Hospitals certification at the time of application.

39. Eligibility for making application to start Postgraduate degree programme in a undergraduate college or institution.-

(1) It shall be a fully established undergraduate college or institution under section 28 of the Act.

(2) The college or institution shall have fulfilled all requirements specified in NCISM-UG MES Regulations, 2023 in terms of infrastructure, human resources, and functionality.

(3) The college or institution shall have been permitted by the Commission or the erstwhile Central Council for Indian System of Medicine or Central government to run an undergraduate course in Unani (Bachelor of Unani Medicine and Surgery) and completed at least four years and six months after first permission;

(4) The college or institution is exempted by the Commission for being owned or managed by the Central Government, State Government or Union Territory from fulfilling the criteria specified in sub-regulation (3);

(5) The college or institution with student intake capacity of sixty or hundred or one hundred fifty or two hundred shall be under 'extended permission category' and shall have been rated grade "A" or "B" in the rating process carried out by the MARBISM at the time of submission of application or proposal or scheme

(6) Department-wise pre-requisites.-

(a) Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Moalajat (Medicine) In-Patient Department for starting Postgraduate degree programme in Moalajat (Medicine);

(b) Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) In-Patient Department for starting Postgraduate degree programmes in Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy);

(c) Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Jarahat (Surgery) In-Patient Department along with Operation Theatre along with Major Operation Theatre and Minor Operation Theatre facilities, performing an average of a minimum ten Unani surgical and para-surgical procedures per day for starting Postgraduate degree programme in Jarahat (Surgery);

(d) Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry) In-Patient Department along with a procedure section in the Operation Theatre (Major and Minor) facility, performing in an average of a minimum ten Unani surgical and para-surgical procedures per day for starting Postgraduate degree programme in Amraze Uzn, Anaf wa Halaq (Diseases of Ear, Nose and Throat);

(e) Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent. in Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) In-Patient Department and an average of minimum ten deliveries per month for starting of Postgraduate degree programme in Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology);

(f) Average bed occupancy shall not be less than sixty per cent in Ilmul Atfal (Paediatrics) In-Patient Department for starting a Postgraduate degree programme in Ilmul Atfal (Paediatrics);

(g) Average attendance of Sixty patients per day in Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology) Out-Patient Department for starting Postgraduate degree programme in Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology).

(h) Minimum thirty patients per day attending Ilmul Samoom (Clinical Toxicology) Out-Patient Department for the speciality of Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) under the department of Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social medicine) for starting Postgraduate degree programme in Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Toxicology);

(i) Average attendance of fifty persons per day in Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social medicine) Out-Patient Department for starting of Postgraduate degree programme in Tahaffuzi wa Samaji Tib (Unani Dietetics, Lifestyle Management, Preventive Medicine and Public Health);

(j) Phytochemistry laboratory, Green house in addition to wasful Aqaqir (Pharmacognosy) laboratory, Ilmul Advia (Pharmacology) laboratory, and Museum in Ilmul Advia Department for starting of Postgraduate programme in Ilmul Advia (Materia Medica, Pharmacology and Pharmacognosy);

(k) Advanced Quality Testing Laboratory in addition to Ilmul Saidla (Unani Pharmacy) Practical Laboratory or teaching Pharmacy and Museum cum tutorial room in Ilmul Saidla Department for starting of Postgraduate degree programme in Ilmul Saidla (Materia Medica, Pharmaceutics and Clinical Pharmacy);

(l) Molecular Biology Laboratory in addition to Mahiyatul Amraz Practical Laboratory for Pathology and Microbiology and Museum in Mahiyatul Amraz (Pathology) Department for starting of Postgraduate degree programme in Mahiyatul Amraz (Pathology and Laboratory Diagnosis);

(m) Advanced Language Laboratory in addition to Kulliyat Umoore Tabiya Practical Laboratory cum Tutorial Room and Museum cum tutorial room in Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine) Department for starting of Postgraduate degree programme in Kulliyate Tib (Basic Principles of Unani Medicine);

(n) Virtual dissection table and e-Dissection software in addition to Dissection Hall, Practical laboratory in Tashreehul Badan (Anatomy) Department for starting of Postgraduate degree programme in Tashreehul Badan (Human Anatomy);

(o) Manafeul Aza Practical Laboratory for Physiology and Biochemistry in Manafeul Aza (Physiology)Department for starting Postgraduate degree programme in Manafeul Aza (Human Physiology);

(7) The teaching hospital shall have at least entry level accreditation of National Accreditation Board for Hospitals (NABH).

40. Eligibility for making an application to establish for Standalone Postgraduate institution.-For making an application under these regulations, a society or trust or university or institution or any other body shall be eligible if,-

(1) The applicant's objectives shall be to impart education in the Indian System of Medicine.

(2) The minimum required land and other specifications shall be as mentioned in regulation 12 in these regulations.

(3) In the case of institutions having lease agreement for land, the institution shall not be granted permission for admission for the last three years of lease period unless the institution submits a notarised affidavit every year mentioning the lease shall be renewed before the expiry of the lease and subsequently submits the renewed lease agreement before expiry of lease period.

(4) Fully established functioning Unani hospital having at least entry-level accreditation of the National Accreditation Board for Hospitals with sixty beds having bed occupancy not less than sixty per cent. and established with all minimum essential standards mentioned for teaching hospital attached to under-graduate college or institution with sixty student intake capacity as specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2023.

(5) Able to produce documentary evidences in support of additional financial resources, staff, space, equipment and other infrastructure as per the Commission norms.

(6) Furnishes an affidavit that, the land and buildings designated for Postgraduate departments shall be maintained exclusively for the Postgraduate departments or Speciality and no other courses or colleges or programmes shall be conducted.

(7) Furnishes an affidavit that the only All-India Ayush Postgraduate Entrance Test qualified students shall be admitted only through Central or State or Union territory counselling strictly on the merit basis except foreign nationals and Government of India sponsored candidates.

(8) Furnishes an affidavit that the nomenclature of Postgraduate degree and teacher-student ratio shall be maintained as per the specifications laid down in these regulations.

(9) In a position to establish infrastructure and manpower in such a manner as specified in these regulations.

41. Eligibility for making an application to increase seats or student intake capacity in the existing Postgraduate programme.- For making an application, a society or trust or university or institution or any other body shall be eligible if,-

(1) the Postgraduate Department or specialty shall be under 'extended permission category' and shall have been rated grade "A" or "B" in the rating process carried out by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or designated authority at the time of submission of application or proposal or scheme;

(2) has fulfilled the pre-requisites specified in the sub-regulation (1) and (2) under regulation 38 of these regulations;

(3) permitted by the Commissionor erstwhile Central Council for Indian System of Medicine or Central government for running Postgraduate programme (in which intake capacity to be increased) and completed three years after first permission;

(4) exempted by the Central Government for being owned or managed by the Central Government or the State Government or Union Territory from fulfilling the criteria specified in sub-regulation (3);

(5) furnishes an affidavit that All-India Ayush Postgraduate Entrance Test qualified students only shall be admitted only through Central or State or Union territory counselling strictly on the merit basis except foreign nationals, Government of India sponsored candidates;

(6) furnishes an affidavit that the teacher-student ratio shall be maintained as per the specifications laid down in these regulations for increasing number of seats;

(7) in a position to establish infrastructure and manpower in such manner as specified in these regulations.

42. Method of Application.- (1) Applicant fulfilling the pre-requisite and eligibility criteria as specified in these regulations, may submit the application or proposal or scheme as per the mode (online or offline or both) and timeline specified by the MARBISM from time to time.

(2) Individual applications for each Postgraduate specialty or programme shall be submitted;

(3) Non-refundable Application fee and Processing fee with applicable taxes as shown in **Table** below shall be paid through online mode (National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement) to Commission account in favour of "National Commission Fund for Indian System of Medicine";

Table

Application Fee and Processing Fee

Item	**Fee Details in Rupees**	
	Application Fee	**Processing Fee**
(1)	**(2)**	**(3)**
Postgraduate institutions where Undergraduate Programme is in Existence		
To start Postgraduate degree programme	Two lakh rupees per programme	Ten lakh rupees per programme
To increase student intake capacity in existing Postgraduate degree programme	Two lakh rupees per programme	Five lakh rupees per seat
Standalone Postgraduate institution		
To start standalone Postgraduate institution	Two lakh rupees	Ten lakh rupees per programme
To start additional Postgraduate degree programme	Two lakh rupees per programme	Ten lakh rupees per programme
To increase student intake capacity in existing Postgraduate degree programme	Two lakh rupees per programme	Five lakh rupees per seat

(4) Application with all necessary documents as specified in these regulations shall be submitted within the time frame and mode (online or offline or both) as specified by the MARBISM from time to time.

43. Processing of Application.- All the received applications shall be subjected to scrutiny by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine as per the following criteria, namely:–

(1) Applicant eligibility;

(2) Pre-requisites;

(3) Fulfilment of Minimum Essential Standards as specified in these regulations;

(4) Application fee and Processing fee with applicable taxes;

(5) Supportive documents;

(6) Hospital data;

(7) Transactions in official bank accounts (separate account for hospital and college) either in a nationalised bank or any other commercial bank approved by Reserve Bank of India;

(8) Any other as specified by the MARBISM from time to time.

44. Issue of Letter of Intent.- (1) After the scrutiny, the applications shall be processed under following categories (a) and (b), namely:–

(a) the applications fulfilling minimum essential standards and other requisites: (i) The applicant institutions fulfilling minimum essential standards and other requisite criteria as specified in these regulations shall be inspected or visited by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine;

(ii) the MARBISM shall verify the data submitted by the institution along with the application and the observations made by the visitors during the inspection or visitation and if found satisfied, the institution will be issued Letter of Intent as per section 29 of the Act;

(iii) in case any shortcomings noticed during inspection or visitation, the same shall be communicated and an opportunity shall be given for rectification except for the non-rectifiable shortcomings mentioned in the sub-regulation (2);

(iv) the compliance report along with necessary supporting documents submitted by the institutions that have been given an opportunity for rectification, will be subjected for scrutiny for the shortcomings specified and if found satisfied the application is approved and Letter of Intent will be issued; if not found satisfied or the compliance report if not received within the due date as specified by the MARBISM the application shall be disapproved and rejected.

(b) the applications with shortcomings: (i) The applications found with shortcomings will be communicated to the applicant for rectification;

(ii) the compliance report along with supporting documents submitted by the institutions within the specified duration, will be scrutinised once again by the MARBISM; if found satisfactory, the institution shall be inspected or visited;

(iii) the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine will examine the compliance report submitted by the college and the observations made by the visitors; if found satisfactory, the institution shall be issued Letter of Intent; if not found satisfactory the application shall be disapproved and rejected.

(2) Non-rectifiable shortcomings: However, shortcomings of serious nature like deficiencies in minimum essential standards as specified in these regulation such as functionality of the hospital, land availability or dispute, insufficient time duration of functioning hospital, non-availability of essentiality certificate from state government, non-availability of consent of affiliation from the university, deficiency in constructed area of college and hospital etc. an opportunity to rectify the defects shall not be given and such applications shall stand disapproved;

(3) The relaxation policy applicable to the existing colleges shall not be applicable for new applications unless otherwise specified by the MARBISM;

(4) Letter of Intent shall be valid for that particular year only.

45. Issue of Letter of Permission.-(1) The institutions who received Letter of Intent shall submit the compliance report by fulfilling all the minimum essential standards; details of teaching, non-teaching staff and hospital staff appointed as specified in these regulations and fixed security deposit to the Commission within the duration as specified by the MARBISM and the security deposit shall be:–

(a) for starting of a new Postgraduate course or programme: rupees fifty lakhs per programme;

(b) for increasing number of seats: rupees five lakhs per seat;

Provided that it shall not apply to the colleges or institutions governed by Central or State or Union territory if they give an undertaking to provide funds in their plan budget regularly till requisite facilities are fully provided as per time bound programme indicated by them.

(2) The security deposit amount shall be paid through online payment mode (National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement) to Commission account in favour of "National Commission Fund for Indian System of Medicine".

(3) The fixed security deposit amount shall be returned to the college or institution account without interest after three years of commencement of concerned Postgraduate programme. There shall not be any financial grievance pending against the college or institution or pending penalty amount due to disciplinary action taken by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or National Commission for Indian system of Medicine.

(4) Upon receipt of compliance report along with all necessary supportive documents the MARBISM shall conduct inspection or visitation;

(5) The MARBISM shall examine the compliance report and the observations made by the visitors during inspection or visitation and if found that the applicant is fulfilling all the requisite minimum standards, the institution shall be issued Letter of Permission;

(6) The applicant shall be communicated either approval or disapproval of the application or proposal or scheme by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine within six months from the last date of submission of application or proposal or scheme.

(7) The Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall be the authority to transform the above-mentioned system for application, verification, assessment and rating through Artificial Intelligence based online system for transparency.

46. Appeal.- As per section 29 of the Act, aggrieved applicants may prefer an appeal in the following situations in the manner specified below:–

(1) In case of denial of permission by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, or no order is passed within six months of submitting a scheme, the aggrieved applicant may prefer first appeal to the Commission within fifteen days of communication of disapproval or within fifteen days after lapse period of six months as the case may be;

(2) The first appeal may be submitted by online or offline or as specified by the Commission from time to time;

(3) Upon receipt of appeal, the commission shall examine the appeal and the aggrieved applicant shall be given an opportunity for hearing;

(4) In case if the commission found that, the applicant is fulfilling all the minimum essential standard requirements, the commission may direct MARBISM to consider the application;

(5) In case if the applicant is not fulfilling the minimum essential standards, the commission shall disapprove and reject the application;

(6) In any case the commission shall communicate the decision to the applicant within fifteen days of receipt of the appeal.

(7) In case of disapproval by the commission or no order has been passed by the commission within fifteen days from the date of receipt of such an appeal, the aggrieved applicant may prefer a second appeal to the Central Government (Ministry of Ayush) within seven days.

47. Renewal of Permission.- (1) Letter of Permission issued once shall be valid for one year (i.e.12 months) and shall be renewed on yearly basis (first renewal and second renewal) until the Postgraduate Department or specialty under establishment attains fully established status as mentioned in **Table** below to sub-regulation (7)**.**

(2) The institutions issued Letter of Permission shall submit the compliance (Postgraduate Department or specialty wise) in respect to the fulfilment of minimum essential standards as specified in these regulations. The compliance report shall be submitted by the institution prior to six months to the expiry of Letter of Permission.

(3) The MARBISM shall conduct inspection or visitation and examine the compliance report submitted by the college and the observations made by the visitors during inspection or visitation and on fulfilment of minimum essential standards, the institution shall be issued the first renewal of permission as shown in **Table** below to sub-regulation (7)**.**

(4) The same method mentioned followed for first renewal shall be followed for second renewal of permission.

(5) After second renewal, the Postgraduate Department or specialty shall be treated as 'Fully Established Postgraduate Department or specialty' under section 28 of the Act, unless otherwise acted upon by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine as per the clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act.

(6) In case of non-fulfilment of minimum essential standards and not attaining annual targets at any phase of establishment of the institution, in such case the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine shall deny permission for admission for a particular Postgraduate department or specialty for that particular academic session.

(7) The fully established Postgraduate department or specialty is eligible for rating by the MARBISM.

Table

Permission and Category of Postgraduate Department or Specialty

Sl.No	Section 28 and Section 29	Permission or Renewal of Permission	Category	Batch
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	29	Letter of Intent	Under consideration	No admission
2		Letter of Permission	Institution under Establishment	First batch
3		First Renewal of Permission		Second batch
4		Second Renewal of Permission		Third batch
5	28	Extended Permission or Yearly Permission	Fully Established Postgraduate Department or Specialty. Entitled for Rating	Fourth batch

CHAPTER-IX

RATING OF POST GRADUATE DEPARTMENTS IN POSTGRADUATE MEDICAL INSTITUTIONS WHERE UNDERGRADUATE COURSE IS IN EXISTENCE AND STANDALONE POSTGRADUATE S INSTITUTIONS

48. Rating of Post Graduate Departments in Postgraduate Medical Institutions where Undergraduate Course is in existence and standalone Postgraduates Institutions (1) The Postgraduate Department possessing "extended permission" status in Postgraduate medical institutions where an undergraduate programme is in existence and standalone Postgraduate medical institutions shall be rated every year.

(2) In the case of Postgraduate institutions where undergraduate course is in existence, the rating shall be carried out for fully established undergraduate institution and fully established Postgraduate departments separately.

(3) Fully established Postgraduate departments or specialties in undergraduate colleges and standalone Postgraduate institutions shall be rated individually (i.e Postgraduate department or specialty wise rating).

(4) The following Postgraduate institution or Postgraduate department or specialty shall not be eligible for rating, namely:–

(a) undergoing establishment under section 29 of the Act;

(b) categorised under the "yearly permission" category;

(c) denied permission by the MARBISM;

(d) measures taken by the MARBISM as per the provisions specified in clause (f), sub-section (1) of section 28 of the Act.

(5) The rating process shall be carried out by the MARBISM, or any agency designated by the MARBISM under section 28 of the Act, through the procedure based on the key areas and standards determined by the Board of Unani Siddha and Sowa-Rigpa qualitatively and quantitatively.

(6) In such a case, the MARBISM shall identify independent rating agencies through a committee constituted for this cause by the MARBISM and make the list of rating agencies.

(7) The list of the independent rating agencies shall be placed before the Commission from time to time by the MARBISM for the approval of the commission to finalize the list and draw up the "MARBISM-Empanelled Rating Agencies" and also for related financial implications.

(8) It shall be obligatory on such Postgraduate medical institutions or Postgraduate departments or specialties eligible for rating as mentioned in sub-regulation (1) to provide access to such rating agencies.

(9) The Postgraduate departments or specialties shall be rated based on the standards maintained by the institutions over and above the minimum essential standards mentioned in these regulations.

(10) The data uploaded periodically (on or before tenth of every month for the data pertaining to preceding month) by the institutions (self-disclosure) on the Commission online platform shall be considered for rating and other purposes;

(11) The proportion of weightage between online data verification and physical verification or assessment for rating shall be 70:30 (i.e. seventy per cent. online data verification and thirty per cent physical verification or assessment);

(12) After the assessment for rating, the individual Postgraduate Department or specialty under the extended permission category shall be graded into Grade 'A', Grade 'B', Grade 'C', or Grade 'D' based on the assessment score obtained by the Postgraduate Department or specialty.

(13) The MARBISM shall make available on the Commission's web site or in the public domain the ratings of Postgraduate departments or specialties of the Postgraduate institutions before the commencement of counselling.

(14) The MARBISM shall frame the format and procedure for uploading such data of assessment and rating on the Commission website.

(15) The Postgraduate Department awarded Grade 'A' is entitled to charge a five percent development fee over and above the prescribed fee by the concerned fee fixation authority of Central, State, or Union territory from the students admitted during the years of possessing Grade 'A'.

(16) An undergraduate college with grade 'A' or 'B' shall be eligible to start any new Postgraduate programme recognised by the National Commission for Indian System of Medicine.

(17) In case of undergraduate institution where Postgraduate programmes are already existing, all existing Postgraduate departments or specialties shall have 'A' or 'B' to start any new Postgraduate programme recognised by the National Commission for Indian System of Medicine.

(18) The standalone Postgraduate institution having all existing Postgraduate programme with grades of 'A' or 'B' shall only be eligible to apply for starting any new Postgraduate programme recognised by the National Commission for Indian System of Medicine.

(19) The Postgraduate departments or specialties having grades of 'A' or 'B' shall only be eligible to apply for an increase in student intake capacity in the concerned department or specialty.

(20) The college or institution or Postgraduate Department or specialty of any grade, if acted upon by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine for the provisions in clause (f), sub-section (1) of Section 28 of the Act, shall be deemed to have been withdrawn, and no communication will be sent for the withdrawal of the grade; if such a college, institution, or department continues to use the grade, such institutions shall be subjected to disciplinary action by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(21) Medical institutions or Postgraduate departments shall be graded based on the rating score obtained by the institution, as mentioned in **Table** below:–

Table

Rating Score and Grades

Rating Score	**Grade**
(1)	**(2)**
75 and above	A
50-74	B
25-49	C
Up to 24	D

(22) Annual rating fee shall be paid along with applicable taxes through online (National Electronic Fund Transfer or Real Time Gross Settlement) to the National Commission for Indian System of Medicine account in favour of National Commission Fund for Indian System of Medicine within the period specified by the Medical Assessment and Rating Board of Indian System of Medicine and the fee details are as under.

(a) Postgraduate institutions where undergraduate course is in existence, the rating fee for undergraduate college (as per the student intake capacity) as specified in the NCISM-UG MES Regulations, 2023 and for Postgraduate departments as under shall be paid separately:–

(i) number of Postgraduate departments or specialties up to five: rupees one lakh;

(ii) number of Postgraduate departments or specialties from six to ten: rupees two lakhs;

(iii) number of Postgraduate departments or specialties from eleven and fifteen: rupees three lakhs;

(iv) number of Postgraduate departments or specialties sixteen and above: rupees four lakhs;

(b) Standalone Postgraduate institutions shall pay the basic fee mentioned in the NCISM-UG MES Regulations, 2023 for sixty bedded hospitals i.e, rupees two lakhs and fifty thousand along with the specific rating fee mentioned for Postgraduate departments or specialties in sub-clauses (i) to (iv) of clause (a) of sub-regulation (22) of regulation 48 as applicable; and the entire rating fee details are given in below **Table**.

Table

Fee for Rating of Unani Postgraduate institutions

Institution	**Number of Postgraduate programmes and Annual Rating Fee in Rupees**			
	Up to 5	**6 to 10**	**11 to 15**	**16 and above**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Postgraduate departments in Undergraduate Institutions	Rs. 1,00,000/-	Rs. 2,00,000/-	Rs. 3,00,000/-	Rs. 4,00,000/-
Standalone Postgraduate institutions	Rs. 3,50,000/- (2,50,000*+1,00,000)	Rs. 4,50,000/- (2,50,000*+2,00,000)	Rs. 5,50,000/- (2,50,000*+3,00,000)	Rs. 6,50,000/- (2,50,000*+4,00,000)
* For sixty bedded hospital in standalone Postgraduate institutions				

CHAPTER- X

MINIMUM ESSENTIAL STANDARDS FOR

DOCTORAL DEGREE (Ph.D.) (DOCTOR OF PHILOSOPHY)

49. General Considerations.- (1) Doctoral degree awarded to a research work carried out in the subject concerned or in discipline or intra-disciplinary or inter-disciplinary or multi-disciplinary or trans-disciplinary areas shall be considered equal.

(2) Doctoral degree programme shall be for a minimum duration of three years and a maximum duration of six years from the date of admission to the programme. Extension beyond the maximum duration will be governed by the relevant clauses as stipulated in the statute or ordinance of the degree awarding institutions or universities, but shall not be more than two years (i.e. the total period of a doctoral degree programme shall not exceed eight years from the date of admission in the Doctor of Philosophy programme).

(3) Women candidates and persons with disabilities (more than forty per cent disability) may be allowed a relaxation of two more years for Ph.D in the maximum duration; In addition, women candidates may be provided Maternity Leave or Childcare Leave for up to 240 days once in the entire duration of the Postgraduate doctoral degree programme.

(4) The Ph.D programme shall be a full-time research programme and it shall be pursued only after completion of Postgraduate degree programme (Doctor of Medicine -M.D. or Master of Surgery-M.S) in Unani.

(5) The Ph.D programme shall not be considered in case if,–

(a) the Ph.D scholar and the Ph.D supervisor are at different places during the research period;

(b) the work place of Ph.D scholar and the research place registered for Ph.D are different.

(6) Those who have registered for doctoral degree programme before notification of these regulations shall continue with the provisions prevailed at the time of their registration.

(7) Admission to the doctoral degree programme shall be through the entrance examination conducted by the affiliated university.

(8) The research place for doctoral degree programmes (Ph.D) shall be a Unani institution having an independent Postgraduate Department or a research laboratory or National institutes or research centres of Central Council for Research in Unani Medicine. An undergraduate Unani teaching institution shall not be considered as research place for Ph.D programme.

(9) For inter-disciplinary and trans-disciplinary and multi-disciplinary research, a Postgraduate institution of the concerned subject recognised by the concerned university with adequate research facility, or an Institute of National Importance or any centre of excellence established by a State or Union Territory or Central Government or research institutes of autonomous organisations established by State or Central government and the like shall be considered as a research place.

CHAPTER-XI

PENALTY AND DISCIPLINARY ACTIONS

50. General considerations.— (1) Compliance with the regulations, directions, instructions and adherence to the time-line issued by the MARBISM or National Commission for Indian System of Medicine shall be the responsibility of the institutions.

(2) Non-compliance action includes the following, namely:—

(a) non-compliance with regulations, notifications, circulars, guidelines, and any other types of communication issued by Autonomous boards or National Commission for Indian system of Medicine from time to time;

(b) any activities of the institutions, that are not in accordance with the objectives of Postgraduate Unani medical education and practices like exploitation of students on fees, mal practices of attendance etc;

(c) non-fulfilment of infrastructure, human resources, clinical material, practical material, research facilities and other institutional functionality etc that are not in accordance with these regulations;

(d) non-cooperation or any sort of disturbance to inspection or visitation process for assessment and rating or any other activities of the MARBISM or the National Commission for Indian System of Medicine;

(e) providing falsified information or fabricated data or information or evidence to Autonomous boards or to the National Commission for Indian System of Medicine;

(f) any attempt to influence, pressurise, bribe or threaten assessors or officials of the National Commission for Indian System of Medicine or officials designated by the National Commission for Indian System of Medicine.

(3) For any of the non-compliance as provided in sub-regulation (2) or intentional attempt of non-compliance act or ommission by the medical institution, the MARBISM shall either penalise the medical institution or take such measures as provided in the clause (f) of sub-section (1) of section 28 of the Act or conduct further enquiry into such incidence, namely:—

(a) impose monetary penalty not exceeding rupees one crore per every non-compliance committed by the medical institution;

(b) issuance of warning;

(c) withholding processing of application for any new scheme for that academic year or for a such number of years as may be determined;

(d) reducing the number of seats to be admitted by the medical institution in the next academic year;

(e) stoppage of admission to one or more of the courses in the next or subsequent academic years;

(f) recommending the National Commission for Indian System of Medicine for the withdrawal of recognition;

(g) withholding and withdrawal of rating of the medical institutions for a period up to five academic years.

(4) If any attempt from the institution side to pressurise the MARBISM or the Commission through individuals or agency shall lead to immediate halt of the processing the application or request by the medical institution or withdrawal of permission, reduction in student intake capacity or monetary penalty.

(5) The MARBISM or the Commission may also initiate criminal proceedings for furnishing false information or fabrication of false documents as per the criminal law applicable from time to time.

(6) Where the Commission finds that a Postgraduate Student, who is required to undertake three years of study with physical presence in the concerned institution, is obtaining Postgraduation degree by fraud or misrepresentation or by physically absent without fulfilling the requisite attendance or by providing false information in this behalf either in collusion with respective institution or otherwise or without fulfilling the requirements as specified under these regulations or any such guidelines notified in this regard by the Commission from time to time, such Postgraduate student shall be penalised with temporary suspension of his Postgraduation studies and temporary suspension of State Registration or National registration for not less than one year and impose a minimum penalty of five lakh rupees; in the event of second conviction temporary suspension of his Postgraduation studies for not less than two years and temporary suspension of State Registration or National registration for not less than two year and impose a minimum penalty of ten lakh rupees, and in the event of third and subsequent conviction there shall be permanent cancellation of his or her admission from Postgraduation studies along with suspension of State or National registration for not less than five years shall imposed.

THE FIRST SCHEDULE

(See regulations 7 and 14)

MINIMUM ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR PHYTOCHEMISTRY LABORATORY UNDER THE POSTGRADUATE DEPARTMENT OF ILMUL ADVIA (PHARMACOLOGY)

Serial No. (1)	Equipment, Instruments, Chemicals and Reagents (2)
	I. Equipment and Instruments
1.	Spectrophotometer
2.	High-Performance Liquid Chromatography (HPLC):
3.	Gas Chromatography
4.	Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectrometer
5.	Ultraviolet-Visible (UV-Vis) Spectrophotometer
6.	Centrifuge
7.	Rotary Evaporator
8.	Microscope
9.	pH Meter
10.	Autoclave
11.	Mortar and Pestle
12.	Freeze Dryer (Lyophilizer)
13.	Incubator
14.	Shaker
15.	Water Bath
16.	Fraction Collector
17.	Microbalance
18.	Homogenizer
19.	Heating Mantle
20	Digital Thermometer
II. Glassware	
21.	Beakers
22.	Flasks (Erlenmeyer, Round Bottom
23.	Test Tubes
24.	Vials
25.	Pipettes and Pipettors
26.	Burettes
27.	Graduated Cylinders
28.	Separatory Funnels
29.	Condensers
30.	Chromatography Columns

31.	Petri Dishes
32.	Desiccators
33.	Filter Flasks and Buchner Funnels
34.	Microscope Slides and Cover Slips
35.	Drying Oven Glassware
36.	Watch Glasses
37.	Reaction Tubes
38.	Kjeldahl Flasks
39.	Soxhlet Extraction Apparatus
40.	Nessler Tubes
41.	TLC kit
III. Chemicals, Reagents etc	
	A. Solvents:
42	Methanol
43	Ethanol
44	Acetone
45	Chloroform
46	Hexane
47	Diethyl
48	Toluene
49	Ethyl acetate
50	Water (distilled or deionized)
	B. Reagents:
51	Folin-Ciocalteu reagent (for total phenolic content determination)
52	Dragendorff's reagent (for alkaloids)
53	Vanillin reagent (for flavonoids)
54	Anisaldehyde-sulfuric acid reagent (for terpenoids)
55	Molisch's reagent (for detecting carbohydrates)
56	Liebermann-Burchard reagent (for sterols)
57	Ehrlich's reagent (for indole alkaloids)
58	Shinoda test reagent (for flavonoids)
59	Salkowski reagent (for detecting terpenoids)
60	Iodine solution (starch)
61	Phloroglucinol
62	Felling’s solution
63	Wagner
	C. Standards:
64	Standard solutions of known compounds for calibration in analytical techniques (e.g., HPLC, GC-MS)
	D. Acids and Bases:
65	Hydrochloric acid (HCl)
66	Sulfuric acid (H2SO4)
67	Nitric acid (HNO3)
68	Acetic acid
69	Sodium hydroxide (NaOH)
	E. Chromatography Materials:
70	Silica gel (for column chromatography)
71	Sephadex (for gel filtration chromatography)
72	TLC plates (for Thin-Layer Chromatography)
73	Adsorbents and eluents for different chromatographic techniques
	F. Miscellaneous:
74	Hydrogen peroxide (for oxidative enzyme assays)
75	EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) for metal chelation
76	DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) for antioxidant assays
Note: The items specified in this schedule are minimum essential requirements. However, the department may increase items or facilities as per the need of the syllabus, teaching, training, and research.	

THE SECOND SCHEDULE

(See regulations 7 and 14)

MINIMUM ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY UNDER THE POSTGRADUATE DEPARTMENT OF MAHIYATUL AMRAZ (PATHOLOGY)

Serial No. (1)	Equipment, Instruments, Chemicals and Reagents (2)
I. Equipment and Instruments	
1.	Micropipette
2.	PCR machine
3.	UV Spectrophotometer
4.	High speed centrifuge (high volume)
5.	High speed centrifuge (small volume)
6.	UV transilluminator
7.	Horizontal gel electrophoresis system (Power supply for gel)
8.	Multi temperature water bath
9.	37-degree incubator
10	Microscopes
11.	Water purifier (Millipore water system)
12.	Laboratory Hood/ culture Hood
13.	Weigh balance
14.	Vortexer
15.	Thermomixer
16.	Refrigerator
17.	Vaccum concentrator
18.	Nutator, Rocking platforms, Orbital shaker
19.	Imaging systems (Chemiluminescence, fluorescence, phosphoimages)
20.	Autoclave
21.	Sterile room with laminar
22.	Cold room
23.	- 20 degree Celsius freezer
II. Consumables	
24.	Media
25.	Agarose
26.	Ethidium bromide
27.	Molecular weight markers
28.	Tips and Eppendorfs
29.	Nitrocellulose membrane
30.	DNA and RNA Isolation kits
31.	Enzymes
32.	Acrylamide
33.	Reagents
34.	Petri dish
35.	Antibiotics
36.	Gel dyes
37.	Sterile tubes
38.	Plasticware
39.	Ice bucket
40.	Glassware
41.	Chemicals
42.	Kits
Note: The items specified in this schedule are minimum essential requirements. However, the department may increase facilities as per the need of the syllabus, teaching, training, and research.	

THE THIRD SCHEDULE

(See regulation 7 and 14)

MINIMUM ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR CENTRAL RESEARCH LABORATORY

Serial Number (1)	Requirements or Facilities (2)
1	Physicochemical tests
2	Phytochemical tests:-
	Organic tests
	Inorganic tests
	Fluorescence analysis of powders
	Chromatography -Thin Layer Chromatography, Namburi Phased Spot test and Column Chromatography
3	Pharmacognostic studies:-
	Authentication
	Macroscopic study
	Section microscopy
	Powder microscopy
	Microtome section
	Multiple staining and permanent slide preparation
	Digital microscopy
	Quantitative microscopy (Stomata number, Stomatal Index, Palisade number, Vein islet number)
4	Microbiological tests:-
	Microbial limits
	Anti-microbial studies
	Microbial culture
5	In-vitro studies:-
	Antioxidants
	Immunomodulatory studies
	Anti-microbial studies
6	Quantitative studies
	Flame photometry (Calcium, Sodium, Potassium etc.,)
	Ultraviolet Spectrophotometry (carbohydrates, flavonoids, proteins, phenols etc.,)
	Titrimetric quantitative studies (zinc, copper, lead etc.,)
7	Stability studies as per Active Pharmaceutical Ingredients or International Council for Harmonisation guidelines:-
	Long term
	Accelerated
Note: 1. The items specified in this schedule are minimum essential requirements. However, the institution may increase facilities as per the need of the teaching, training, and research. 2. For the studies with advanced instruments, equipment or devices like High Performance Thin Layer Chromatography, High Performance Liquid Chromatography, Cell line facility, Genetic (DNA) finger printing, Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy, X-Ray diffraction, Energy Dispersive X-Ray Analysis, Dynamic Light Scattering Spectroscopy, Scanning Electron Microscopy, Transmission Electron Microscopy, Gas Chromatography/Mass Spectroscopy etc, the institution may have MoU with National Accreditation Board for Laboratories accredited laboratories or Research and Development centers or such facilities may be established in the institution it self.	

THE FOURTH SCHEDULE

(See regulation 7 and 14)

MINIMUM ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR ANIMAL HOUSE AND ANIMAL EXPERIMENTATION LABORATORY

Serial Number (1)	Requirements (2)
1	Safety and toxicity studies facility
2	Behavioral and neuro-pharmacological studies facility
3	Anti-convulsive study facility

4	Anti-inflammatory and Analgesic studies facility
5	Anti-pyretic studies facility
6	Anti-allergic, Antihistamine and Anti-asthmatic studies facility
7	Immuno-modulatory, antioxidant studies facility
8	Wound healing studies facility
9	Anti-diarrhoeal study facility
10	Diuretic studies facility
11	Antidiabetic studies facility
12	Anti-obesity studies facility
13	Assay with organ bath or tissue bath
14	Digital electroconvulsiometer
15	Metabolic cages
16	Histamine chamber
17	Digital rotarod apparatus with software
18	Digital Actimeter with software (activity cage)
19	Plethysmography
Note: The items specified in this schedule are minimum essential requirements. However, the institution may increase facilities as per the need of teaching, training, and research.	

THE FIFTH SCHEDULE

(See regulation 7 and 14)

MINIMUM ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR QUALITY TESTING LABORATORY

[Note: 1. Department shall maintain instruments, equipment, devices as mentioned in this **Fifth Schedule** in quality testing laboratory in addition to the items prescribed under 'B' of the **Schedule-XI** of the NCISM-UG MES Regulations, 2023 for Postgraduate teaching, training, and research.

2. The department may increase the items as per their requirement in quality testing laboratory for teaching, training, and research purposes]

Sl. No (1)	**Items Required (2)**
1	Fluorescence inverted microscope with software
2	Ultraviolet visible spectrophotometer
3	Micro controller-based flame photometer
4	Rota evaporator
5	Stability chamber
6	Freeze dryer
7	Trinocular microscope with software, camera, and projection facility
8	Polarimeter
9	Orbital shaking incubator
10	Carbon dioxide incubator
11	Optic abbe refractometer
12	Laminar air flow
13	Water still
14	Orbital shaker
15	Tablet counter -small size
16	Analytical balance digital high precision (0.0001g-220g)
17	Incubator
18	Clarity test apparatus
19	Humidity control oven
20	Karl Fischer apparatus
21	Granulating sieve set
22	Thermometers
23	Filtration equipment
24	Suction pump
25	Sonicator
26	Rheometer
27	Potentiometer
28	Conductivity meter

29	Clevenger's apparatus
30	Glassware, reagents, and chemicals as required

THE SIXTH SCHEDULE

(See regulation 8 and 14)

MINIMUM ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR CLINICAL SKILL OR SIMULATION LABORATORY

[Note: 1. Postgraduate Department shall maintain department specific manikins, simulators and devices in clinical skill or simulation laboratory as mentioned in this **Sixth Schedule** in these regulations in addition to the concerned department specific manikins, simulators and devices prescribed in the **Schedule- XIV** of NCISM-UG MES Regulations, 2023 for Postgraduate teaching and training.

2. The department may increase the numbers and varieties of medical manikins or simulators as per their requirement for teaching and training purposes]

Serial Number (1)	**Required Manikins or Simulators or Devices (2)**
A. Moalajat (Medicine) Department	
1	Nursing trainer for decubitus
2	Blood sampling
3	Ryle's tube insertion trainer
4	Blood transfusion trainer
5	Urinary catheterization (Male)
6	Urinary catheterization (Female)
7	Lumbar puncture trainer
8	Paracentesis trainer
9	Pleural tapping trainer
B. Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) Department	
1	Chest auscultation trainer
2	Nursing trainer for decubitus
3	Cardiopulmonary resuscitation trainer
4	Blood sampling
5	Ryle's tube insertion trainer
6	Blood transfusion trainer
7	Oxygen therapy
8	Urinary catheterization (Male)
9	Urinary Catheterization (Female)
10	Psychometric scales and tools
C Jarahat (Surgery) and Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry) Department	
1	Chest auscultation trainer
2	Nursing trainer for decubitus
3	Cardiopulmonary resuscitation trainer
4	Blood sampling
5	Blood transfusion trainer
6	Oxygen therapy
7	Endotracheal intubation trainer
8	Examination of breast lump
9	Examination of swelling
10	Refraction trainer
11	Visual acuity training
12	Digital tonometry
13	Epilation
14	Eye irrigation
15	Instillation of eye medication
16	Ocular bandaging
17	Manikin head (three-dimensional model) for eye, ear, nose, dental and throat applications
18	Otoscopy

D. Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) Department	
1	Chest auscultation trainer
2	Nursing trainer for decubitus
3	Cardiopulmonary resuscitation trainer
4	Blood sampling
5	Ryle's tube insertion trainer
6	Blood transfusion trainer
7	Oxygen therapy
8	Urinary Catheterization (Female)
9	Endotracheal intubation trainer
10	Lumbar puncture trainer
E. Ilmul Atfal (Paediatrics) Department	
1	Infant auscultation trainer
2	Nursing trainer for decubitus
3	Child cardiopulmonary resuscitation trainer and airway management
4	Blood sampling
5	Ryle's tube insertion trainer
6	Blood transfusion trainer
7	Oxygen therapy
8	Urinary catheterization (Male)
9	Urinary Catheterization (Female)
10	Setting up paediatric intra-venous infusion and calculating drip rate
11	Lumbar puncture trainer
12	Psychological test batteries for assessing intelligence quotient, autism, attention deficit hyperactivity disorder, concentration, depression, anxiety, mental retardation
13	Full body (paediatric) manikin and three-dimensional manikin for practicing or performing paediatric Ilaj Bit Tadabeer procedures
F. Mahiyatul Amraz (Pathology) Department	
1	Chest auscultation trainer
2	Spirometry
3	Cardiopulmonary resuscitation trainer
4	Lumbar puncture trainer
5	Ryle's tube insertion trainer
6	Blood transfusion trainer
7	Oxygen therapy
8	Urinary catheterization (Male)
9	Urinary Catheterization (Female)
G.) Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology) under Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) Department	
1	Chest auscultation trainer
2	Nursing trainer for decubitus
3	Cardiopulmonary resuscitation trainer
4	Blood sampling
5	Ryle's tube insertion trainer
6	Blood transfusion trainer
7	Oxygen therapy
8	Urinary catheterization (Male)
9	Urinary Catheterization (Female)
10	Autopsy simulator or digital autopsy

THE SEVENTH SCHEDULE

(See regulation 4, 10 and 14)

MINIMUM ESSENTIAL REQUIREMENTS: REQUIRED FOR PROFESSOR OF PRACTICE (POSTGRADUATE DEPARTMENT OR SPECIALTY OR PROGRAMME WISE)

Sl.No	Postgraduate Department	Required number of Professor of Practice on Part-time basis and Qualifications
1	Moalajat (Medicine)	One (MD-General Medicine)
2	Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy)	One each (Ilaj Bit Tadabeer Practitioner or Specialist

		with MD (Unani), MD-Physical Medicine and Rehabilitation) and One (Master of Physiotherapy)
3	Ilmul Atfal (Paediatrics)	One (M.Sc.- Clinical Psychology)
4	Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine) Department	
	Tibbul Qanoon wa Ilmul Samoom (Forensic Medicine and Clinical Toxicology	One (MD- Forensic Medicine and Toxicology)
	Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine)	One each (Master of Public Health, Scientist from research bodies like Central Council for Research in Unani or National Institute of Epidemiology/Indian Council for Medical Research)
6	Jarahat (Surgery)	One Unani Pratitioner with the MS Qualification and experience in Unani Surgical and Parasurgical Procedures
7	Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry) Department	One Unani Pratitioner with the MS Qualification and experience in Unani Surgical and Parasurgical Procedures related to Uzn, Anaf wa Halaq
8	Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) Department	One Unani Pratitioner with the MS Qualification and experience in Unani Surgical and Parasurgical Procedures related to Niswan and Qabalat
9	Mahiyatul Amraz (Pathology)	One each (MD-Pathology, MD-Radiodiagnosis)
10	Ilmul Advia (Pharmacology)	One each (M. Pharm- Pharmacology, Master's degree in Pharmacognosy/Phytochemistry)
11	Ilmul Saidla (Unani Pharmacy)	One each (M. Pharm- Pharmaceutics, M.Sc.- Chemistry or Nanoscience/Nanotechnology, and sPractitioner with MD Unani, having vast experience in preparation of Unani higher order of medicines or Expert from Unani Pharma Industry with MD Unani)
12	Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine)	As required
13	Tashreehul Badan (Anatomy)	As required
14	Manafeul Aza (Physiology)	As required
15	Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology)	One (MD-Dermatology)
16	Integrative Health and Translational Research	Scientist retired from Central Council for Research in Unani Medicine or from any reputed Unani Research and Development Department
Note: Each department shall engage professors of practice having minimum ten years of experience in the field other than teaching in Unani medical institutions, like a person from an industry or research institute or a technical consultant or renowned practitioner on part-time basis as per the details given in column (3). If it is required, the institute or department may appoint more number of professors of practice in department or specialty related area from the diversified area of the concerned speciality		

Annexure-A

(See regulation 26)

DEPARTMENTAL ACADEMIC INTEGRITY COMMITTEE

Recommendation to issue Plagiarism Clearance Certificate

The Departmental Academic Integrity Committee has reviewed the report on the plagiarism check of the draft dissertation entitled…… submitted by Dr…… (research scholar) of .... batch bearing University registration number..... under the supervision or guidance of Dr..... from..... Department on.....(date) and found that necessary modifications or corrections were made, and the plagiarism is within the permissible limits. Hence, the Departmental Academic Integrity Committee has recommended the dissertation for the issue of a plagiarism clearance certificate.

Chairman
Head of the Department
(Name and Signature)

Place:
Date:

Annexure-B

(See regulation 26)

PLAGIARISM SCRUTINY CELL

Plagiarism Clearance Certificate

This is to certify that the draft dissertation entitled ..…… ……... submitted by Dr.……. of ……..batch with university registration number ……..…….. under the guidance of Dr. …….. from ……...……..Department, is free from plagiarism.

Coordinator
Plagiarism Scrutiny Cell

Place:
Date:

FORM-A

APPLICATION FOR PERMISSION TO ESTABLISH A NEW STANDALONE POSTGRADUATE MEDICAL INSTITUTION IN UNANI

(See regulation 37)

Serial Number (1)	**Particulars (2)**	**Details (3)**
Part-I: Applicants Details		
1	Name of the applicant (in BLOCK letters)	
2	Complete Address with Pin code	
3	Official Telephone Number and Mobile Number	
4	Official E-mail ID	
5	Status of applicant whether State Government or Union territory or University or Trust or Society	
6	Composition of the Trust or Society	
7	Registration or incorporation of the trust or society of the applicant body (Registration number, date, and other details)	
8	Type of institution (Govt or Govt Aided or Private or Deemed University)	
9	Is there any other Unani Medical College or Standalone Postgraduate medical institution in Unani run by the same trust or society or university	Yes/ No
	If yes, mention the distance between two colleges or institutions	
	Provide Global Positioning System link of the college along with print copy of the same	
10	Financial Capability: Balance Sheet for the last three years to be provided if the applicant is a Trust or Society. Details of the financial resources to be furnished.	
11	Annual Audit Report (Enclose copy of audit report of last three years)	
12	Means of financing the project: Contribution of the Applicant (attach proof)	
	Grants (attach proof)	
	Donations (attach proof)	
	Equity (attach proof)	
	Term Loans (attach proof)	
	Other Sources, if any (attach proof)	
Part-II: Fee Details		
13	Application Fee Transaction ID	

	Processing Fee Transaction ID	
	Any other fee specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or Commission from time to time	
Part-III: Essential Requirement Details		
14	Date of 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the State Government or Union territory Administration for the scheme or proposal	
15	Validity of Essentiality Certificate or No Objection Certificate	From ---------- To ----------
16	Name and address of affiliating University	
	Date of Consent of Affiliation for the scheme or proposal	
	Years of Consent of Affiliation for the scheme or proposal	From ---------- To ----------
Part-IV: Details of the proposed standalone Postgraduate medical institution in Unani		
17	Name of the proposed standalone Postgraduate medical institution	
18	Complete address with pin code	
19	Name of the head of the institution (Principal or Director or Dean) of the proposed Postgraduate medical institution	
20	Official telephone number and mobile number	
21	Official e-mail ID	
22	Provide Global Positioning System link of the institution and attached teaching hospital along with print copy of the same	
23	Proposed Postgraduate specialties or programmes (specify the name)	
24	Total area of the land	
25	Land is on lease or own	
	If it is on lease, years of lease	
	Tax paid receipt of land, prior to two years from the last date of submission of application	
	Non-encumbrance certificate	
26	Category of Land (Tier I and Tier II) - attach proof from the local authority	
27	Relevant building permissions from the concerned authorities	
28	Attach the true copy of building plan approved by local authority and endorsed by the architect	
Part-V: Establishment of the Postgraduate medical institution details		
29	**Administrative zone**	
30	**Academic zone**	
	A. Postgraduate Departments	
	Postgraduate Department Details (Mandatory)	
	(1) Department of Integrative Health and Translational Research	
	Postgraduate Department Details (As applicable)	
	(2) Kulliyat (Basic Principles of Unani Medicine)	
	(3) Manafeul Aza (Physiology)	
	(4) Ilmul Advia (Pharmacology)	
	(5) Ilmul Saidla (Unani Pharmacy)	
	(6) Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine)	
	(7) Ilmul Atfal (Paediatrics)	
	(8) Moalajat (Medicine)	
	(9) Mahiyatul Amraz (Pathology)	
	(10) Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy)	
	(11) Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology)	
	(12) Tashreehul Badan (Anatomy)	
	(13) Jarahat (Surgery)	
	(14) Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry)	

	(15) Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology)	
	B. Postgraduate Classrooms	
	C. Department-wise Seminar Hall	
	D. Common Seminar Hall	
	E. Central Library	
	F. Departmental Library	
	G. Digital Library	
	H. Multipurpose Hall or Examination Hall or Yoga and Riyazat Hall	
	I. Clinical Skill or Simulation Laboratory	
	J. Student Amenities	
	K. Common rooms for Postgraduate students (male and female separately)	
	L. Common rooms for Teaching faculty (male and female separately)	
	M. Canteen	
	N. Herbal Garden	
	O. Other requirements	
	(1) Human Resource and Development Cell Room	
	(2) Pharmacovigilance Room	
	(3) College or Institution Council Room	
	(4) Room for Student Support and Guidance Cell, Grievance Redressal Cell and Committee for Sexual Harassment	
	(5) Internal Quality Assurance Cell Room	
31	**Experimentation zone**	
	A. Central Research Laboratory	
	B. Quality Testing Laboratory	
	C. Approved Animal House and Animal Experimentation Laboratory	
32	College website	
33	Biometric Attendance System	
34	Hostels (Boys and Girls separately)	
35	Central workshop	
36	Information Technology infrastructure	
37	Closed-circuit television	
38	Human resources of the college:-	
	Teaching staff	
	Non-teaching staff	
Part-VI: Banking Details of the Postgraduate institution		
39	Name of the account	
	Account number in college or institution name	
	Name of the Bank	
	Name of the branch of the bank with IFSC code	
Part-VII: Details of the Teaching Hospital attached to Postgraduate institution		
40	Name of the attached hospital of the proposed institution	
41	Date of establishment of the hospital	
42	Registration certificate of the hospital (attach the copy)	
43	Proof of ownership of existing hospital (attach the copy)	
44	Panchayat License	
45	Hospital building occupancy certificate	
46	Hospital building completion certificate	
47	Pollution control certificate	
48	Fire safety certificate	
49	Bio-medical waste management agreement	
50	Renewal of the necessary permission from local or concerned authorities and validity period (attach proof)	
51	National Accreditation Board for Hospitals Certificate (level, validity, and date)	

	(attach proof)	
52	Permission for X-Ray unit or imaging section	
53	**Clinical zone**	
	In-Patient Departments and bed strength:-	
	(1) Moalajat (Medicine)	
	(2) Ilaj bit Tadabeer(Regimenal Therapy)	
	(3) Ilmul Atfal (Paediatrics)	
	(4) Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology)	
	(5) Jarahat (Surgery)	
	(6) Ain, Uzn, Anaf, Halaq wa Asnan (Ophthalmology, Ear, Nose, Throat and Dentistry)	
	(7) Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology)	
54	Out-Patient Departments:-	
	(1) Moalajat (Medicine) Out-Patient Department	
	(2) Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) Out-Patient Department including minor procedure room	
	(3) Ilmul Atfal (Paediatrics)	
	(4) Amraze Jild wa Tazeeniyat (Dermatology and Cosmetology) including minor procedure room	
	(5) Jarahat (Surgery) including minor procedure room	
	(6) Amraze Uzn, Anaf wa Halaq (Diseases of Ear, Nose and Throat) including minor procedure room	
	(7) Qabalat wa Niswan (Obstetrics and Gynaecology) (attached with examination cum procedure room) room	
	(8) Ilmul Samoom (Clinical Toxicology) Out-Patient Department	
	(9) Tahaffuzi wa Samaji Tib (Preventive and Social Medicine)	
	(10) Isabat (Emergency or Casualty) Out-Patient Department	
	(11) Screening Out-Patient Department	
	(12) Specialty Out-Patient Department (if any, specify)	
55	Total number of Out-Patient Department patients' attendance in the last two years from the date of application	
56	Average number of Out-Patient Department patients per day in the last two years from the date of application	
57	Average bed occupancy in the last two years from the date of the application	
58	Clinical laboratory	
59	Radiology or Imaging Section	
60	Pharmacy or Drug store or Dispensary	
61	Ilaj bit Tadabeer (Regimenal Therapy) Procedure Section,	
62	Masrah Amaliya (Operation Theatre) including Minor operation theatre	
63	Ghurfatul Wilada (Labour room with Maternity Operation Theatre)	
64	Physiotherapy Section	
65	Yoga and Riyazat Section	
66	Human resources in the hospital	
	A. Hospital staff existing and relieved for two years before submission of application (with details of name, designation, section or unit, qualification, experience, appointment order, joining letter and date, relieving letter and date, state registration certificate or teachers code in applicable cases), Zone-wise,-	
	(1) Administration zone	
	(2) Reception and Registration Zone	
	(3) Out-Patient Department Zone	
	(4) In-Patient Department Zone	
	(5) Diagnostic Zone	
	(6) Procedural Management Zone	

	(7) Service Zone				
	B. Modern Medical Staff Details				
67	Hospital Record (tick whichever is applicable)				Computerized or Manual
Part-VIII: Banking Details of the Hospital					
68	Name of the Account				
	Account number in hospital name				
	Name of the Bank				
	Name of the branch of the Bank and Indian Financial System Code				
	Following details are required for two years or 24 months prior to the date of submission of application:-				
	a. Details of salary paid to hospital staff (month-wise)				
	b. Details of purchase of medicines (attach indents and payment proof)				
	c. Details of purchase of hospital consumables (attach indents and payment proof)				
	d. Details of payment of relevant taxes (attach copy)				
	e. Details of hospital income (attach copy)				
	f. Employees Provident Fund (EPF) and Employees State Insurance (ESI) details				
69	Whether Hospital established or developed phase-wise			Yes or No	
	If yes, provide details phase-wise details				
	Phase or Stage	Period		Details of Establishment of Development	Performance or Functionality
		From	To		
	First				
	Second				
	Third				
	Fourth				

Signature of applicant

Full Name

Place:

Date:

List of enclosures:

1. Certified copy of Bye Laws or Memorandum and Articles of Association or Trust deed with name of trustees.

2. Certified copy of certificate of registration or incorporation of trust or society.

3. Annual reports and audited balance sheets for the last three years.

4. Certified copy of the title deeds of the total available land as proof of ownership/lease agreement deed.

5. Certified copy of zoning plans of the available sites indicating their land use.

6. Proof of ownership of existing hospital with Hospital Registration Certificate and its validity period.

7. Certified copy of the ‘Essentiality Certificate’ or ‘No Objection Certificate’ issued by the respective State Government or Union territory Administration at the proposed site to establish a new standalone Postgraduate medical institution for the applied academic session.

8. Certified copy of the ‘Consent of Affiliation’ issued by recognised University established under any Central or State or Union territory statue for establishing a new standalone Postgraduate medical institution for the applied academic session.

9. Accreditation certificate of the attached teaching hospital issued by the National Accreditation Board for Hospitals.

10. Authorization letter addressed to the bankers of the applicant authorizing the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or Commission to make independent enquiries regarding the financial track record of the applicant.

11. Furnish affidavit stating that the land and buildings designated for new standalone Postgraduate medical institution and attached teaching hospital are exclusively for conducting Unani Postgraduate programmes recognised by the Board of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa or National Commission for Indian System of Medicine.

12. Furnish affidavit stating that the students shall be admitted strictly based on Post-Graduate National Entrance Test merit and through counselling (Central or State or Union territory as the case may be) only and not beyond the sanctioned student intake capacity specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

13. Furnish affidavit stating that the curriculum and syllabus, nomenclature of the course or programme, infrastructure, facilities, and human resources including student-teacher ratio shall be maintained as per the specifications of the Commission specified in the concerned regulations.

14. Furnish affidavit that has not already admitted student in any class or standard or course or training of the proposed new standalone Postgraduate medical institution.

15. Furnish an undertaking that the institution is in a position to credit the fixed security deposit valid for a period of three years in favour of the National Commission for Indian System of Medicine.

16. Proof of application fee and processing fee remitted.

17. Copy of bank transaction for the last two year of official bank account: College and Hospital

18. Copy of biometric attendance of hospital staff for the last two years

19. Attach enclosures and other details as per the various parts of application form:-

(a) Distribution of land with survey number.

(b) Proof for category of land such as Tier I and Tier II cities (X and Y categories), North-Eastern States, hilly areas and notified tribal areas, a certificate obtained from local authorities.

(c) Non-encumbrance certificate.

(d) Tax paid receipt for land and hospital building.

(e) Building plan approved by local authority and endorsed by the architect.

(f) Area statement certificate authorised by architect.

(g) Panchayat license for establishment of hospital.

(h) Hospital Building Occupancy Certificate.

(i) Hospital Building Completion Certificate

(j) Fire safety certificate.

(k) Disaster management certificate (if any).

(l) Pollution control certificate.

(m) Permission for radiology unit in the hospital.

(n) Biomedical waste management agreement.

(o) College and hospital building occupancy certificate.

(p) College and hospital building completion certificate.

20. Any other documents as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time.

(**Note:** All copies shall be self-attested)

FORM-B

(See regulation 37)

APPLICATION FOR PERMISSION TO START NEW POSTGRADUATE DEGREE PROGRAMME IN UNANI RECOGNISED BY THE COMMISSION

(Note: Separate application shall be submitted for each Postgraduate programme)

Serial Number (1)	Particulars (2)	Details (3)
	Basic Details of the Applicant	
1	Name of the applicant (in BLOCK letters)	
2	Complete Address with PIN code, official Telephone number and Mobile number and official e-mail ID	
3	Status of applicant whether State Government or Union Territory or University or Trust or Society	
4	Registration or Incorporation (Number, date, and other details) of the trust or society	
5	Name and address of the Unani Medical College or Unani Postgraduate institution	
6	Date of 'No Objection Certificate' issued by the State Government or Union territory Administration.	
7	i. Name and address of affiliating University ii. Date of first affiliation issued by the university iii. Date of first Affiliation for the new scheme or proposal issued by the university	
8	**A. For the College or Institution, conducting undergraduate programme and applying for the first time to start postgraduation programme**	
	Month and year of admission of first batch of students for undergraduate programme	
	Month and year of course completion of first batch of students of undergraduate programme	
	Whether the college or institution is categorised under 'Extended Permission' for undergraduate programme at the time of submitting application or scheme or proposal	
	Whether the institution is rated as Grade 'A' or Grade 'B' for undergraduate programme at the time of submitting application or scheme or proposal (If yes, specify the Grade)	
	Name of the proposed new Postgraduate programme	
	Number of seats applied for the proposed programme as per student-Postgraduate guide ratio	
9	**B. For the new Standalone Postgraduate institution, applying for the first time to start postgraduation programme**	
	Name of the proposed new Postgraduate programme	
	Number of seats applied for the proposed programme as per student-Postgraduate guide ratio	
10	**C. For the college or institutions already conducting Postgraduate programme(s) and applying to start new Postgraduate programme additionally**	
	Whether the institution is granted Extended Permission or Yearly Permission for existing undergraduate programme and each Postgraduate programme (s) at the time of submitting application or scheme or proposal	
	Whether the institution is rated as Grade 'A' or Grade 'B' for existing undergraduate programme and existing each Postgraduate programme at the time of submitting application or scheme or proposal	
	Name of the proposed new Postgraduate programme	
	Number of seats applied for the proposed programme as per student-Postgraduate guide ratio	
11	Accreditation to the Teaching Hospital by the National	

	Accreditation Board for Hospitals (level, date, and validity details)	
12	Details of: (a) additional financial allocation - (b) provision for additional space, equipment and other infrastructure facilities – (c) provision of recruitment of additional staff -	
13	Fee details:-	
	Application fee Transaction ID	
	Processing fee Transaction ID	
14	Any other relevant information	

Signature of the Applicant

Full Name

Designation

Office seal

Place:

Date:

List of enclosures:

1. Attested copy of the 'No Objection Certificate' or 'Essentiality Certificate' issued by the respective State Government or Union Territory Administration to start new Postgraduate programme in the prescribed format.

2. Attested copy of the 'Concurrence of Affiliation' or 'Consent of Affiliation' issued by a recognized University to start new Postgraduate programme in the prescribed format.

3. Authorization letter addressed to the Bankers of the Applicant authorizing the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or Commission to make independent enquiries the financial track record of the medical college or institution.

4. Attested copy of the recognition of the college or institution, if already approved or permitted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or erstwhile Central Council of Indian Medicine.

5. Affidavit stating that the students shall be admitted only on Post-Graduate National Entrance Test merit basis and only through counselling (Central or State or Union territory counselling).

6. Affidavit stating that the nomenclature of the programme and student-teacher ratio shall be maintained as per the concerned regulations.

7. An undertaking stating that the institution is able to credit the fixed security deposit valid for a period of three years in favour of the 'National Commission Fund for Indian System of Medicine'

8. An undertaking stating that the institution has fulfilled all minimum essential standards mentioned in these regulations

9. Proof of application fee with processing fee remitted.

10. Any other documents specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

Note: All the copies shall be self-attested.

Form-C

(See regulation 37)

APPLICATION FOR PERMISSION TO INCREASE THE NUMBER OF SEATS OR STUDENT INTAKE CAPACITY OR ADMISSION CAPACITY IN AN EXISTING POSTGRADUATE PROGRAMME IN UNANI RECOGNISED BY THE COMMISSION

(Note: Separate application shall be submitted for each Postgraduate programme

Serial Number (1)	**Particulars (2)**	**Details (3)**
1	Name of the applicant (in BLOCK letters)	
2	Complete address with PIN code	

	Official Telephone number and Official Mobile number	
	Official e-mail ID	
3	Status of applicant whether State Government or Union territory or University or Trust or Society	
4	Registration or Incorporation of trust or society (Registration number, date and other details)	
5	Name and address of the Unani Medical College or Unani Postgraduate institution	
6	Name of the Postgraduate programme applied for the increase in seats or student intake capacity or admission capacity	
7	Number of seats applied for an increase in seats or student intake capacity or admission capacity as per student-Postgraduate guide ratio, specify	
8	Category of permission status: Extended Permission or Yearly Permission to the Postgraduate programme to which an increase in the number of seats applied at the time of submitting application or scheme or proposal	
9	The Postgraduate programme to which an increase in the number of seats applied has rated as Grade 'A' or Grade 'B' at the time of submitting application or scheme or proposal	
10	Date of 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the State Government or Union territory Administration to increase the number of seats.	
11	Name and address of Affiliating University Date of first affiliation for the existing Postgraduate programme to which an increase in the number of seats applied Date of affiliation for the existing Postgraduate programme to which an increase in the number of seats applied	
12	Month and year of admission of the first batch of students for a Postgraduate programme to which an increase in the number of seats applied	
13	Month and year of course completion of first batch of students of the Postgraduate programme to which an increase in the number of seats applied	
14	Number of seats approved and date of recognition by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or erstwhile Central Council of Indian Medicine or Central Government for existing Postgraduate programme to which an increase in the number of seats applied	
15	Details of: a. Additional financial allocation b. Additional space, equipment, and other infrastructural facilities in respect of increase in student intake capacity c. Recruitment of additional staff (teaching staff, non-teaching staff and hospital staff) in respect of increase in student intake capacity	
16	Fee details:-	
	Application fee Transaction ID	
	Processing fee Transaction ID	
17	Any other relevant information	

Signature of Applicant

Full Name

Designation

Place:

Date:

List of Enclosures:

1. Attested copy of the 'Essentiality Certificate' or 'No Objection Certificate' issued by the respective State Government or Union territory Administration in the prescribed format.

2. Attested copy of the 'Consent of Affiliation' from the recognised University to which the college or institution is affiliated in the prescribed format.

3. Authorisation letter addressed to the Bankers of the Applicant authorizing the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine or Commission to make independent enquiries regarding the financial track record of the medical college or institution.

4. Attested copy of the letter from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine, Commission or erstwhile Central Council for Indian System of Medicine approving recognition of the college or institution, if already permitted to conduct undergraduate degree and Postgraduate programme.

5. Affidavit stating that the students shall be admitted strictly based on Post-Graduate National Entrance Test merit and only through counselling (Central or State or Union territory as the case may be) and not beyond the sanctioned student intake capacity specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

6. Affidavit stating that the human resources as per student-teacher ratio shall be maintained in respect of increase in student intake capacity.

7. Proof of application fee and processing fee remitted.

8. Other enclosures,-

(a) Certified copy of Bye laws or Memorandum and Articles of Association or Trust deed with name of trustees and renewed copy of trust or society registration or incorporation.

(b) Certified copy of the land documents as a proof of ownership or lease agreement deed.

(c) First hospital registration certificate or renewed as a proof of ownership of the existing teaching hospital.

(d) Fire safety certificate.

(e) Disaster management certificate (if any).

(f) Pollution Control certificate.

(g) Biomedical waste management agreement.

(h) College or institution building completion certificate and building occupancy certificate.

(i) Hospital building completion certificate and building occupancy certificate.

(j) Building plan approved by local authority and endorsed by the architect.

(k) Area statement certificate authorised by architect.

(l) Purchase bills of equipment, instruments etc for the increase in intake capacity in existing Postgraduate programme.

(m) List of medicines prepared or purchased with bills for the last one year.

(n) List of raw drugs purchased with bills for the last one year.

(o) Intent register for the last one year (college and hospital).

(p) Stock register for the last one year (college and hospital).

(q) Consolidated data of hospital: Patient data (out-patient departments, in-patient departments and bed occupancy) for the last one year

(r) Tax paid receipt for land, building including hospital building.

(s) Furnish an undertaking stating that the institution is able to credit the fixed security deposit valid for a period of three years in favour of the 'National Commission Fund for Indian System of Medicine'.

(t) Furnish an undertaking stating that the institution has fulfilled all minimum essential standards mentioned in these regulations.

9. Other enclosures of the documents as specified by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine from time to time.

Note: All the copies shall be self-attested.

FORM-D

(See regulation 38)

(To be issued by State Government or Union territory Administration whichever is applicable)

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE

TO ESTABLISH A NEW STANDALONE UNANI POSTGRADUTE MEDICAL INSTITUION

Ref. No…….. Dated…….

Basic details of Applicant		
1	Name of the Applicant (with address)	
2	Type of institution (Govt. or Aided or Private or Deemed University)	
3	Name of the proposed Standalone Unani Postgraduate medical Institution	
	Address of the proposed Institution	
4	Whether the applicant is already running Unani Medical College (s) or Unani Postgraduate institution(s)	Yes or No
5	If yes, what is the distance between the nearest college or institution and the proposed college or institution (if the distance is 25 or less than 25 Km No Objection Certificate or Essentiality certificate shall not be issued)	
Other details		
6	Number of Unani institutions already existing in the State	
7	Doctors (registered medical practitioners of all systems) to Population ratio in the State or Union Territory	
8	Doctors (registered Unani medical practitioners) to Population ratio in the State or Union Territory	
9	Scope of availability of clinical material (patients) in the proposed area of establishment of new Unani Medical college	Poor or Adequate
10	Registration number of the hospital	
11	Restrictions imposed by the State government, if any, on students who are not domiciled in the state from obtaining admissions in the state, have to be specified.	

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE

The Essentiality certificate or No Objection Certificate is issued to ---------- (name of the applicant) for the establishment of ---------- (name of the proposed institution) at ---------- (address of the proposed college or institution) and for conducting Postgraduate programme (s) ----------(specialty-wise).

This certificate is issued in consideration of above details, facts, and the following terms and conditions.

This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue of the certificate.

The Essentiality Certificate or No Objection Certificate is issued on the following terms and conditions:

1. Institution shall admit the students as per the sanctioned student intake capacity by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine only after obtaining due permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine of National Commission for Indian System of Medicine.

2. Institution shall not conduct any other courses or programmes in the same premises unless otherwise permitted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

3. Institution shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by the National Commission for Indian System of Medicine.

4. Institution shall admit All-India Ayush Post-Graduate Entrance Test eligible students as per the regulation, guidelines and policy framed by the National Commission for Indian System of Medicine.

5. The institution shall all times abide by the conditions laid down by the Autonomous Boards, National Commission for Indian System of Medicine, Government of India, and University.

6. In case of change over the Institution to other society or trust, prior no objection certificate shall obtain from the State Government or Union territory Administration, as the case may be.

7. In case if the applicant institution fails to create or maintain infrastructure, human resources and other facilities as per the minimum essential standards specified by the National Commission for Indian System of Medicine, fresh admissions are stopped by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine and the University shall take over the responsibility of the students already admitted in the Postgraduate programme with the permission of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

8. In case of denial of permission or issued permanent disapproval to the institution by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine due to non-compliance of minimum essential standards as prescribed by the Commission, the State Government shall take over the responsibility of the students who have already been admitted in the institution with the permission of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

(Signature of the Competent Authority)

Full Name

Designation

Office Seal

Date:

Place:

FORM-E

(See regulation 38)

(To be issued by State Government or Union territory Administration whichever is applicable)

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE

TO START NEW POSTGRADUATE DEGREE PROGRAMME(S)

Ref. No…….. Dated…….

Basic details of Applicant		
1	Name of the Applicant (with address)	
2	Type of institution (Government or Aided or Private or Deemed University)	
3	Name of the Unani Medical College or Standalone Unani Postgraduate institution	
	Address of the Unani Medical College or Standalone Unani Postgraduate institution	
4	Name of the new Postgraduate programme to be started	
5	Name of the department in which the new Postgraduate programme is to be started	
6	Name of the Postgraduate programme (s) already existing in the institution with sanctioned student intake capacity, if any	
7	Registration number of the hospital	

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE

Essentiality certificate or No Objection Certificate is issued to ---------- (name of the institution) at ----------(address of the institution) to start new Postgraduate programme(s) in ---------- (specialty-wise).

This certificate is issued in consideration of above details, facts and the following terms and conditions.

This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue of the certificate.

The certificate is issued on the following terms and conditions:

1. College or institution shall admit the students as per the sanctioned student intake capacity by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine only after obtaining due permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

2. College or institution shall not conduct any courses or programmes in the same premises other than permitted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

3. College or institution shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by National Commission for Indian System of Medicine.

4. College or institution shall admit the students on All-India Ayush Post-Graduate Entrance Test merit basis as per the regulation, guidelines and policy framed by National Commission for Indian System of Medicine.

5. The institutions shall all times abide by the conditions laid down by the Autonomous Boards, National Commission for Indian System of Medicine, Government of India and University.

6. In case if the applicant fails to create or maintain infrastructure, human resources and other facilities as per the minimum standards specified by National Commission for Indian System of Medicine, fresh admissions are stopped by the Medical Assessment and Rating Board and the University shall take over the responsibility of the students already admitted in the college or institution with the permission of Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

7. In case of denial of permission or issued permanent disapproval to the institution by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine due to non-compliance of minimum essential standards as prescribed by the Commission, the State Government shall take over the responsibility of the students who have already been admitted in the college or institution with the permission of the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

Signature of the Competent Authority

Full Name

Designation

Office Seal

Date:

Place:

FORM-F

(See regulation 38)

(To be issued by State Government or Union territory Administration whichever is applicable)

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE TO INCREASE THE NUMBER OF SEATS OR ADMISSION CAPACITY OR STUDENT INTAKE CAPACITY IN AN EXISTING POSTGRADUATE PROGRAMME IN UNANI RECOGNISED BY THE COMMISSION

Ref. No…… Dated……

Basic details of Applicant		
1	Name of the Applicant	
2	Address	
3	Name and address of the college or institution in which the applicant is intended to increase the student intake capacity	
4	Name of the existing Postgraduate programme in which the applicant is intended to increase the student intake capacity	
5	Seat increase details	To Increase the student intake capacity from--- to----
6	Year of establishment of the college or institution	
Other Details		
7	Doctors (registered medical practitioners of all systems) to Population ratio in the State or Union territory	
8	Doctors (registered Unani medical practitioners) to Population ratio in the State or Union Territory	
9	Scope of availability of clinical material (patients) in the proposed area of establishment of Unani Medical College	Poor or Adequate

ESSENTIALITY CERTIFICATE OR NO OBJECTION CERTIFICATE

The Essentiality certificate or No Objection Certificate is issued to ----------(name of the applicant) for increase in number of seats or student intake capacity or admission capacity from --------- to ------- in the existing Postgraduate programme ----------(name of the Postgraduate programme or specialty) conducted by ---------- (name of the college or institution) at ----------(address of the college or institution).

This certificate is issued in consideration of the above details/facts/conditions.

This certificate is valid for two consecutive academic sessions from the date of issue.

The Essentiality Certificate or No Objection Certificate is issued on the following terms and conditions:

1. College or Institution shall admit the students as per the sanctioned student intake capacity by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine only after obtaining due permission from the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

2. College or Institution shall not conduct any other colleges, courses or programmes in the same premises unless otherwise permitted by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

3. College or Institution shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by the Commission in accordance with student intake capacity.

4. College shall admit All-India Ayush Post-Graduate Entrance Test eligible students as per the regulation, guidelines and policy framed by the Commission from time to time.

5. The College or Institution shall all times abide by the conditions laid down by the Autonomous Boards, National Commission for Indian System of Medicine, Government of India and University.

6. In case if the applicant fails to create or maintain infrastructure, human resources and other facilities as per the minimum essential standards specified by the National Commission for Indian System of Medicine, fresh admissions are stopped by the Medical Assessment and Rating Board and the University shall take over the responsibility of the students already admitted in the college or institution with the permission of Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

7. In case of denial of permission or issued permanent disapproval to the college or institution by the Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine due to non-compliance of the college for minimum essential standards as prescribed by the Commission, the State Government shall take over the responsibility of the students who have already been admitted in the college or institution with the permission of Medical Assessment and Rating Board for Indian System of Medicine.

Signature of the Competent Authority

Full Name

Designation

Office Seal

Date:

Place:

FORM-G

(See regulation 38)

CONSENT OF AFFILIATION

(To be issued by Affiliating University)

(Pre-requisite for submission of application to establish a new Unani college or to increase student intake capacity in existing undergraduate programme in a Unani Medical College)

Serial Number (1)	**University Details (2)**	
1	**Name of the University**	
2	Address	
3	Type of University	Central or State or Deemed-Govt. or Deemed-Private or Private State
4	Contact Details	
5	Contact Person (Name and Designation)	
	Official Mobile number	
	Official e-mail ID	
6	Year of Establishment	
7	Existing Faculties	
8	Accreditation if any	
9	Number of Unani, Siddha and Sowa-Rigpa colleges or institutions affiliated to the University till date.	

CONSENT OF AFFILIATION

The university on the basis of local enquiry committee report, is agreed upon in principle to issue consent of affiliation to---------- (name of the college or standalone Postgraduate institution) to establish Postgraduate institution and to start Postgraduate programme in ---------- (specialty-wise name) with student intake capacity of ----------(specialty wise seats) or to increase in number of seats or student intake capacity or admission capacity from……. to…….. in already existing Postgraduate programme namely, ----------(specialty name).

The consent of affiliation is issued for the academic year(s)……

Consent of affiliation is issued on the following terms and conditions:

1. The college or institution shall maintain all the minimum essential standards in terms of infrastructure, human resources and functionality as specified by the National Commission for Indian System of Medicine.

2. The college or institution shall admit All-India Ayush Post-Graduate Entrance Test eligible students only through counselling process (Central or State or Union territory as the case may be) as specified by the Commission in concerned regulations and guidelines.

3. The college or institution shall ensure the conduction of stipulated hours of teaching and training as per the curriculum and syllabus specified by the National Commission for Indian System of Medicine.

4. The college or institution shall obtain continuation of affiliation every year at least three months before the commencement of counselling and admission process.

5. Prior 'No Objection Certificate' shall be obtained from the present affiliating university in case of change of affiliation to other university or applying for Deemed status.

6. In case of disaffiliation with the present university, the existing batches shall continue with the present university till award of degree for the last student.

Registrar

(Signature with seal)

Place:

Date:

Appendix "A"

(See regulation 19)

SCHEDULE relating to "SPECIFIED DISABILITY" referred to in clause (zc) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016), provides as under:-

1. Physical disability.—

(A) Loco motor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii)manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterized by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue; (e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

(B) Visual impairment—

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

(i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200(Snellen) in the better eye with best possible corrections; or

(ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to10 degree.

(C) Hearing impairment -

(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(D) "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. Intellectual disability, a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behavior which covers a range of every day, social and practical skills, including—

(a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematic calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behaviour,— "mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterized by sub normality of intelligence.

4. Disability caused due to—

(a) chronic neurological conditions, such as—

(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder—

(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor would may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterized by reduced or absent amounts of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterized by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin.

5. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

6. Any other category as may be notified by the Central Government from time to time.

Appendix "B"

(See regulation 19)

Guidelines regarding admission of students, with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), in Postgraduate programme (Doctor of Medicine and Master of Surgery in Unani).

1. The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017.
2. The extent of "specified disability" in a person shall be assessed in accordance with the "guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)", published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 76 (E), dated the 4thJanuary, 2018.
3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.
4. The term 'Persons with Disabilities' (PwD) is to be used instead of the term 'Physically Handicapped' (PH)

Table

<table>
<tr><th rowspan="3">Sl. No.</th><th rowspan="3">Disability category</th><th rowspan="3">Type of Disabilities</th><th rowspan="3">Specified Disability</th><th colspan="3">Disability Range</th></tr>
<tr><th colspan="3">(5)</th></tr>
<tr><th>Eligible for Postgraduate degree Programme, Not Eligible for PwD Quota</th><th>Eligible for Postgraduate degree Programme, Eligible for PwD Quota</th><th>Not Eligible for Postgraduate degree Programme</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td rowspan="3">Physical Disability</td><td rowspan="3">(A) Locomotor Disability, including Specified Disabilities (a to f).</td><td>(a) Leprosy cured person*</td><td rowspan="3">Less than 40% disability</td><td rowspan="3">40-80% disability

Persons with more than 80%disability may also be allowed on case to case basis</td><td rowspan="3">More than 80%</td></tr>
<tr><td>(b) Cerebral Palsy**</td></tr>
<tr><td>(c) Dwarfism</td></tr>
</table>

			(d) Muscular Dystrophy (e) Acid attack victims (f) Others*** such as Amputation, Poliomyelitis, etc.		and their function a incompetency will be determined with the aid of assistive devices, if it is being used, to see if it is brought below 80% and whether they possess sufficient motor ability as required to pursue and complete the course satisfactorily.	
			* Attention should be paid to loss of sensations in fingers and hands, amputation, as well as involvement of eyes and corresponding recommendations be looked at. ** Attention should be paid to impairment of vision, hearing, cognitive function etc. and corresponding recommendations be looked at. *** Both hands intact, with intact sensations, sufficient strength and range of motion are essential to be considered eligible for Postgraduate degree programme in Unani			
		(B) Visual Impairment (*)	(a) Blindness (b) Low vision	Less than 40% disability (i.e. Category '0 (10%)', 'I (20%)' & 'II (30%')	-	Equal to or More than 40% Disability (i.e. Category III and above)
		(C) Hearing impairment@	(a) Deaf (b) Hard of hearing	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability
			(*) Persons with Visual impairment / visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue Postgraduate degree programme in Unani and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with advanced low vision aids such as telescopes / magnifier etc. @ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue Postgraduate degree programme in Unani. Education and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices. In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%.			
		(D) Speech & language disability$	Organic/ neurological causes	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability
		$ It is proposed that for admission to Postgraduate degree programme in Unani the Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3 (Which will correspond to less than 40%) to be eligible to pursue the Postgraduate degree programme in Unani. The individuals beyond this score will not be eligible for admission to the Postgraduate degree programme in Unani. Persons with an Aphasia Quotient (AQ) upto 40% may be eligible to pursue Postgraduate degree programme in Unani but beyond that they will neither be eligible to pursue the Postgraduate degree programme in Unani. nor will they have any reservation.			
2.	Intellectual disability		(a)Specific learning disabilities	# currently there is no Quantification scale available to assess the severity of SpLD, therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed.		

			(Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia & Developmental aphasia)#	Less than 40% Disability	Equal to or more than 40% disability But selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/ assisted technology/ aids/ infrastructural changes by the Expert Panel	More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability
			(b)Autism spectrum disorders	Absence or Mild Disability, Asperger syndrome (disability of 40- 60% as per ISAA) where the individual is deemed fit for Postgraduate degree programme in Unani by an expert panel	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/ quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is deemed unfit for pursuing Postgraduate degree programme in Unani by an expert panel
3.	Mental behaviour		Mental illness	Absence or mild Disability: less than 40% (under IDEAS)	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/ quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 40% disability or if the person is deemed unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of "fitness to practice medicine", as are used by several institutions of countries other than India.
4.	Disability caused due to	(a) Chronic Neurological Conditions	(i) Multiple Sclerosis	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			(ii) Parkinsonism			
		(b) Blood Disorders	(i) Haemophilia	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%

			(ii) Thalassemia (iii) Sickle cell disease			
5.	Multiple disabilities including deaf blindness		More than one of the above specified disabilities	Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely, Visual, Hearing, Speech & Language disability, Intellectual Disability, and Mental Illness as a component of Multiple Disability. Combining Formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Govt. of India $\frac{a + b\,(90-a)}{90}$ (where a= higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities) is recommended for computing the disability arising when more than one disabling condition is present in a given individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and/or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual.		

Note: For selection under PwD category, candidates will be required to produce Disability Certificate before their scheduled date of counselling from one of the disability assessment boards as designated by concerned Authority of Government of India.

SACHIDANAND PRASAD, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./533/2024-25]

[**Note:** If any discrepancy is found between Hindi and English version of the National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Essential Standards, Assessment and Rating for Postgraduate Institutions and Minimum Standards of Postgraduate Unani Education) Regulations, 2024, the English version will be treated as the final.]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.05 16:11:24 +05'30'